प्रकाशन संख्या—33

चिन्तन

(शैक्षिक शोध संकलन)

❋ तृतीय पुष्प ❋

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
उत्तर प्रदेश
1992

NIEPA DC
D07709

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-7709
Date 01.09.93

तृतीय प्रस्तुति
1992

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
उत्तर प्रदेश

प्रकाशक :
निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
उत्तर प्रदेश

प्रेरणा और मार्ग-दर्शन

श्री हरि प्रसाद पाण्डेय

निदेशक

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

उत्तर प्रदेश

समीक्षा और परामर्श

श्री राजपति तिवारी

निदेशक — अध्यक्ष

विज्ञान और गणित विभाग

श्री गौरीशंकर मिश्र

प्राचार्य — सदस्य

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

श्री श्याम नारायण राय

निदेशक — सदस्य

मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग

सम्पादन

श्री श्याम नारायण राय

प्राचार्य — सदस्य सचिव

मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग

प्रागूवाक्

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का सृजन शिक्षा में गुणात्मक विकास एवं संवर्द्धन तथा युगीन अपेक्षाओं के अनुरूप सामाजिक स्पन्दनों की अनुभूति के आधार पर शैक्षिक-कार्यक्रमों एवं क्रिया-कलापों को वास्तविक स्वरूप और अग्रगति प्रदान करने के लिये हुआ है। इन उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिये परिषद् शिक्षा के गुणात्मक स्तरोन्नयन और भविष्योन्मुखी विकास के लिये शैक्षिक अनुसंधान के व्यावहारिक एवं क्रियात्मक पक्ष को प्रमुखता प्रदान करता रहा है तथा शोध-कर्ताओं से यह अपेक्षा की गयी कि वे क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं को ही अपने अनुसंधान का केन्द्र-बिन्दु बनावें जिससे उनसे प्राप्त परिणाम शिक्षा की अग्रगामी भूमिका के निर्धारण में मार्गदर्शक का कार्य कर सकें।

मुझे प्रसन्नता है कि परिषद् के विभिन्न विभागों ने प्रदेश के प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण आयामों पर चिन्तन-मनन-पूर्वक कतिपय उपयोगी, व्यावहारिक एवं सुधारात्मक शोधपरक निष्कर्ष प्राप्त किये हैं जिनके प्रयोग से विद्यालयों की कार्यकारी दशाओं में गतिशीलता तथा गुणात्मकता का समावेश हो सकता है तथा शिक्षा-प्रक्रिया को स्तरोन्नयन की ओर अग्रसर किया जा सकता है।

विश्वास है, 'चिन्तन' का यह तृतीय पुष्प शैक्षिक आयोजकों, अधिकारियों, शिक्षकों, अन्य अभिकर्मियों तथा शैक्षिक-शोध-कर्ताओं के लिये दायित्वों की पूर्ति में उन्हें अपेक्षाकृत अधिक अभिप्रेरित कर सकेगा। आशा है, इसमें अभिव्यक्त निष्कर्ष एवं सुझाव कार्यान्वयन के निकष पर खरे उतरेंगे। इसे प्रकाशन-योग्य बनाने में परामर्शदात्री समिति के सदस्यों और संपादन हेतु प्राचार्य, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग को धन्यवाद देता हूँ।

'चिन्तन' के विषय में प्राप्त विचारों का हम स्वागत करेंगे।

(हरिप्रसाद पाण्डेय)
निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ
दिनांक : 2 सितम्बर, 1992

अनुक्रम

पृष्ठ

1—जनसंख्या शिक्षा के प्रति विद्यालयीय छात्रों की जागरूकता तथा अभिवृत्ति का अध्ययन 9

2—परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के विकास में विद्यालय समितियों की भूमिका का मूल्यांकन 25

3—जिला योजना रचना की प्रमुख आवश्यकताएँ एवं उनका क्रियान्वयन 39

4—आदिवासी तथा जनजाति बालक-बालिकाओं की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन 51

5—उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक स्तरीय शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन 66

6—परिषदीय तथा निजी प्रबन्धतन्त्र के विद्यालयों के संचालन का तुलनात्मक अध्ययन 72

7—विगत तीन वर्षों 1987, 88-89 में जूनियर बेसिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के नामांकन की प्रगति की समीक्षा 79

8—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों तथा उपविद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिकाओं के कार्यभार के दायित्व निर्वहन का मूल्यांकन 104

9—जूनियर हाईस्कूल की वर्तमान परीक्षा प्रणाली का अध्ययन 118

10—उत्तर प्रदेश में विकलांगों की समेकित शिक्षा का क्रियान्वयन एवं प्रगति का सर्वेक्षण 128

11—विज्ञान शिक्षा सुधार नामक केन्द्र पुरोनिश्चनित योजनान्तर्गत अनुदानित विद्यालयों की विज्ञान प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन 136

12—प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान शिक्षा की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन 145

13—सामान्य पत्राचार शिक्षा में विज्ञान प्रयोगात्मक कार्यों के आयोजन की वर्तमान स्थिति का अध्ययन 151

पृष्ठ

14—हाईस्कूल में विज्ञान अनिवार्य होने से उत्पन्न समस्याएँ तथा निराकरण के सुझाव 158

15—विज्ञान क्लबों के क्रिया-कलापों का सर्वेक्षण तथा उनका योगदान 165

16—प्राथमिक विद्यालयों में नवीन प्राथमिक विज्ञान किट प्रयोग सम्बन्धी अनुगमन कार्यक्रम 172

17—प्रदेश के क्लास प्रोजेक्ट के अन्तर्गत स्थापित कम्प्यूटर केन्द्रों की वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण एवं सुधार हेतु सुझाव 183

18—व्यय एवं उपलब्धियों के सापेक्ष्य पत्राचार शिक्षा की प्रभावकारिता का अध्ययन 189

19—एल० टी० तथा बी० एड्० प्रशिक्षण संस्थाओं की अध्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था और कार्य-प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन 194

20—माध्यमिक शिक्षा में निरीक्षणालय के कार्यभार का अध्ययन 215

21—शिक्षा विभागीय न्यायिक प्रकरणों के कारकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन 231

22—व्यावसायिक शिक्षा-योजना की समीक्षा एवं लोकप्रिय ट्रेड का शिक्षण 240

23—व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति—एक अध्ययन 245

24—कार्यानुभव के प्रति छात्रों, अभिभावकों और प्रधानाचार्यों की अभिवृत्ति का अध्ययन 254

25—एकीकृत छात्रवृत्ति सम्बन्धित आवासीय सुविधा-प्राप्त छात्रों के बौद्धिक और वैयक्तिक गुण-धर्मों का अध्ययन 264

———

1

जनसंख्या शिक्षा के प्रति विद्यालयीय छात्रों की जागरूकता तथा अभिवृद्धि का अध्ययन

पृष्ठभूमि

औपचारिक जनसंख्या शिक्षा के लिये वर्ष 1980 में चलायी गयी राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम को वैक्षिक योजना के रूप में 1981-82 से लागू किया गया। इस योजना के कार्यान्वयन का दायित्व राज्य शिक्षा संस्थान, उ० प्र०, इलाहाबाद को सौंपा गया। इस हेतु संस्थान में 'जनसंख्या प्रकोष्ठ' की स्थापना की गयी। तब से अब तक इस प्रकोष्ठ द्वारा जनसंख्या शिक्षा परियोजना यू० एन० एफ० पी० ए०/ भारत सरकार/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से एन० सी० ई० आर० टी० के मार्गदर्शन में चलायी जा रही है।

औपचारिक शिक्षा प्रणाली में जनसंख्या शिक्षा का लक्ष्य विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालक/बालिकाओं की जनसंख्या स्थिति के प्रति जागरूक बनाना तथा उनमें वांछित अभिवृत्ति का विकास करना है।

जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक पर्याप्त शिक्षा सामग्री लगभग 180 से अधिक शीर्षकों के अन्तर्गत तैयार की जा चुकी है। ये सामग्रियाँ जनसंख्या शिक्षा के सम्बोधों के सम्प्रेषण एवं जनसंख्या शिक्षा के प्रभावी कार्यक्रम से सम्बन्धित हैं। पाठ्यक्रम की पाठ्य-वस्तुओं को एक अलग विषय नहीं बनाकर इसे प्रत्येक सम्बन्धित स्तर पर पाठ्यक्रम में समावेशित किया गया है। तदनुसार सभी प्रमुख विषयों की पाठ्य-पुस्तकों में जनसंख्या शिक्षा के सभी घटकों से सम्बन्धित सम्बोधों को समाहित किया गया। जनसंख्या शिक्षा से सम्बन्धित विषय-वस्तु का अन्य विषयों के शिक्षण के साथ प्रभावी सम्प्रेषण की विधा में शिक्षकों को प्रशिक्षण एवं पुनर्चेतनात्मक प्रशिक्षण दिये जाते रहे हैं। वर्ष 1985 तक 36 हजार व्यक्तियों को जनसंख्या शिक्षा में प्रशिक्षित कर दिया गया था।

प्रशिक्षण तथा अभिनवीकरण के साथ-साथ मार्गदर्शन हेतु शिक्षक संदर्शिकाओं और प्रशासनिक अधिकारियों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों हेतु दिग्दर्शिकाओं को विकसित किया गया है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक शैक्षिक स्तर के अनुरूप नमूने की पाठ्य-सामग्री, आकाशवाणी पाठ, अध्यापकों के लिये वार्ता एवं विद्यालय प्रसारण हेतु आलेख, रेडियो, टी०वी०, आलेख संग्रह, दृश्य सहायक सामग्री, कठपुतली दृश्य, आलेख के माध्यम से भी जनसंख्या शिक्षा को रुचिकर एवं ग्राह्य बनाने का प्रयास किया गया है।

शोध की आवश्यकता

उपर्युक्त विवरण से जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम का महत्व स्पष्ट हो जाता है तथा इस व्यापक कार्यक्रम में लगी जनशक्ति, संसाधन, तथा पूँजी निवेश का भी अनुमान लगाया जा सकता है। क्या इस कार्यक्रम की उपलब्धि इसमें लगे निवेश को सार्थक कर रही है? यह ज्ञात करने हेतु आवश्यक हो जाता है कि जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के परिणाम और उपलब्धि का समय-समय पर आकलन एवं मूल्यांकन किया जाय। वर्ष 1983 से अब तक लगभग 8 वर्षों में प्रदेश के विद्यालयीय छात्र/छात्राओं विशेषकर प्राइमरी स्तर के छात्र/छात्राओं में जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से जनसंख्या स्थिति के प्रति जागरूकता तथा वांछित अभिवृत्ति का किस सीमा तक विकास हुआ है यह जानने के लिये इस शोध अध्ययन की आवश्यकता समझी गयी।

यद्यपि जनसंख्या शिक्षा परियोजना द्वारा इस कार्यक्रम के मूल्यांकन एवं इससे सम्बन्धित शोध की भी व्यवस्था है और विश्वविद्यालयीय तथा प्रकोष्ठ स्तर पर सम्बन्धित विषय पर शोध-कर्ताओं को आर्थिक अनुदान देने की भी सुविधा है परन्तु जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्र में केवल एक सुव्यवस्थित अध्ययन 'भारतीय विद्यालयों में जनसंख्या शिक्षा' शीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध हो सका।

उद्देश्य

(1) जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम द्वारा विद्यालयीय छात्र/छात्राओं में जनसंख्या स्थिति के प्रति विकसित जागरूकता का अध्ययन करना।

(2) छात्र/छात्राओं में जनसंख्या स्थिति के प्रति विकसित अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

(3) ग्रामीण क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र के छात्र/छात्राओं में विकसित जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

(4) ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र के छात्र/छात्राओं में विकसित अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

(5) विद्यालयों में जनसंख्या शिक्षा से सम्बन्धित पाठ्यक्रम, सहायक सामग्री तथा क्रिया-कलाप की स्थिति का अध्ययन करना।

(6) प्राप्त परिणामों के आधार पर जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

(7) भावी शोध के लिये सम्भावनाएँ प्रस्तुत करना।

परिकल्पना

(1) प्रदेश के सभी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं में जनसंख्या स्थिति के प्रति जागरूकता का समान रूप से विकास हो गया है।

(2) उनमें जनसंख्या शिक्षा के घटकों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति/दृष्टिकोण का समान रूप से विकास हुआ है।

(3) छात्र/छात्राओं में जनसंख्या शिक्षा द्वारा विकसित जागरूकता के स्तर में क्षेत्र के आधार पर कोई अन्तर नहीं है।

(4) छात्र/छात्राओं में जनसंख्या शिक्षा के घटकों के प्रति विकसित अभिवृत्ति में क्षेत्र के आधार पर कोई अन्तर नहीं है।

(5) सभी जनपदों के कुल छात्र/छात्राओं के जागरूकता स्तर में क्षेत्र के आधार पर कोई अन्तर नहीं है।

(6) सभी जनपदों में कुल छात्र/छात्राओं की अभिवृत्ति में क्षेत्र के आधार पर कोई अन्तर नहीं है।

(7) जनसंख्या शिक्षा के प्रति छात्र/छात्राओं की जागरूकता में लिंगभेद के आधार पर कोई अन्तर नहीं है।

(8) जनसंख्या शिक्षा घटकों के प्रति उनकी अभिवृत्ति में लिंगभेद के आधार पर कोई अन्तर नहीं है।

(9) प्रदेश के समस्त विद्यालयों के सभी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाएँ, प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या तथा शिक्षक जनसंख्या शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

(10) प्रदेश के सभी विद्यालयों में सम्बन्धित साहित्य एवं सहायक सामग्री जनसंख्या परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध करा दी गयी है।

क्षेत्र (परिसीमन)

उत्तर प्रदेश के समस्त विद्यालयों में 1989 से जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम लागू है। प्रदेश के समस्त विद्यालयों के छात्रों को इस शोध के अध्ययन क्षेत्र में नहीं लाया जा सकता था अतः जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख प्रभाव का अध्ययन करने के लिए इस विस्तृत क्षेत्र का परिसीमन किये प्रदेश में पूर्वांचल से केवल वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ को अध्ययन क्षेत्र में रखा जा सका।

उपर्युक्त में से प्रत्येक जनपद के दो नगरीय एवं दो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय को अध्ययन के क्षेत्र में रखा गया। इनमें से एक बालक तथा एक बालिका विद्यालय को चुना गया है।

इस अन्वेषणात्मक अध्ययन को कक्षा 8 के छात्र/छात्राओं तक सीमित रखा गया है।

कार्यविधि

(क) न्यादर्श चयन—नमूने के प्रदत्त संग्रह के लिए उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से कुल 360 विद्यालयीय छात्र/छात्राओं का चयन किया गया जिनका विवरण निम्नांकित है—

	लखनऊ	इलाहाबाद	वाराणसी	कुल योग
नगर क्षेत्र के विद्यालयीय छात्र	30	30	30	90
ग्रामीण क्षेत्र के छात्र	30	30	30	90
नगर क्षेत्र की छात्राएँ	30	30	30	90
ग्रामीण क्षेत्र की छात्राएँ	30	30	30	90
योग	120	120	120	360

(1) न्यादर्श के चयन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि प्रत्येक प्रकार का कम से कम एक स्कूल अवश्य प्रतिनिधि के रूप में आ जाये, अतः उपर्युक्त विद्यालयों में से 6 इण्टर कालेज, 4 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 1 सीनियर तथा 1 जूनियर बेसिक स्कूल, 1 शोध आदर्श विद्यालय तथा 1 दीक्षा विद्यालय के कक्षा 8 के छात्र/छात्राओं से प्रदत्त संकलन किया गया। (परिशिष्ट 1)

(2) उपर्युक्त 12 स्कूलों में से प्रत्येक के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका तथा एक शिक्षक/

शिक्षिका से प्रपत्र पर सूचना एवं सुझाव एकत्र किये गये तथा साक्षात्कार के माध्यम से वांछित जानकारी प्राप्त की गई।

(ख) उपकरण—इस शोध अध्ययन में दत्त संकलन के निमित्त दो परीक्षणों का प्रयोग किया गया है —

(1) जनसंख्या शिक्षा जागरूकता मापनी

(2) जनसंख्या शिक्षा अभिवृत्ति पैमाना

ये दोनों 'Tools To Measure Population Education Outcomes Amongst Students & Teachers' के परीक्षणों का रूपान्तरण है। यह पुस्तक एन० सी० ई० आर० टी० दिल्ली के सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी विभाग द्वारा विकसित एवं प्रकाशित की गयी है। उपर्युक्त दोनों परीक्षणों के क्षेत्र में जनसंख्या शिक्षा के सभी घटक प्रश्नों/कथन के रूप में सम्मिलित किये गये हैं, जो निम्नवत् हैं—

(1) जनसंख्या वृद्धि

(2) सामाजार्थिक विकास

(3) स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पोषण

(4) जैविक घटक एवं पारिवारिक जीवन

(5) जीवन की गुणवत्ता

(6) पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएँ

(7) गाँव छोड़कर नगर में बसने की समस्या

(8) लैंगिक समानता

(1) जनसंख्या शिक्षा जागरूकता मापनी दो खण्डों में विभाजित है—

प्रथम खण्ड—छात्र/छात्राओं से सम्बन्धित व्यक्तिगत एवं परिवार सम्बन्धी सूचनाओं के लिये।

द्वितीय खण्ड—प्रश्नावली, जिसका पैटर्न तालिका में दिया गया है : इसमें 1 प्रश्न पर एक अंक है।

क्र०	परीक्षण का नाम	परीक्षण लक्ष्य समूह	प्रश्नों की संख्या	परीक्षण की अवधि	पूर्णांक	परीक्षण का प्रकार
(1)	जनसंख्या शिक्षा जागरूकता मापनी	कक्षा 8 के छात्र/ छात्राएँ	40	35 मिनट	40	वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न
(2)	जनसंख्या शिक्षा अभिवृत्ति पैमाना	,,	30	20 मिनट	90	वस्तुनिष्ठ लिकर्ट पैमाना

(ii) जनसंख्या शिक्षा अभिवृत्ति मापनी—लिकर्ट पैमाने के नमूने पर त्रिबिन्दु पैमाना रखा गया है। प्रत्येक कथन के सामने सहमत, तटस्थ, असहमत में से एक पर टिक लगाकर अथवा मत व्यक्त करना है। इस पैमाने पर स्वीकारात्मक अभिवृत्ति को 3, तटस्थ को 2 तथा नकारात्मक अभिवृत्ति/दृष्टिकोण को 1 अंक वजन दिया गया है।

जनसंख्या शिक्षा जागरूकता परीक्षण एवं अभिवृत्ति परीक्षण को आधे घण्टे के अन्तराल से दिया गया।

(iii) साक्षात्कार—विद्यालयों में जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी साहित्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधाओं तथा अन्य सम्बन्धी क्रियाकलाप की जानकारी प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार की विधा का प्रयोग किया गया। पूर्व निश्चित समय पर प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों से सूचना एकत्र की गयी तथा उसके आधार पर उनसे साक्षात्कार भी किया गया।

(ग) प्रदत्त प्रक्रियाकरण—निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए संकलित प्रदत्तों का वर्णनात्मक विश्लेषण किया गया।

(1) जागरूकता

(1) जनपद के आधार पर कक्षा 8 के छात्र/छात्राओं की जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता

तालिका 1—जनपद के आधार पर कक्षा 8 के छात्र/छात्राओं की जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता।

क्र०सं०	जनपद	छात्र/छात्रा सं०	मध्यमान	मानक
(1)	लखनऊ	120	25.79	1.16
(2)	इलाहाबाद	120	21·9	2.76
(3)	वाराणसी	120	25.86	1.23

जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्र में छात्र/छात्राओं की जागरूकता का स्तर वाराणसी और लखनऊ जनपदों में सामान्य से कुछ अधिक और दोनों में लगभग बराबर है किन्तु इलाहाबाद जनपद में औसत से कम है। अतः यह परिकल्पना रद्द की जाती है कि जनसंख्या शिक्षा के प्रति छात्र/छात्राओं की जागरूकता का समान विकास हुआ है।

(2) क्षेत्र के आधार पर जनपद स्तर पर जनसंख्या शिक्षा के प्रति छात्र/छात्राओं की जागरूकता—

तालिका (2 1) क्षेत्र के आधार पर जनपद स्तर पर जनसंख्या शिक्षा के प्रति छात्र/छात्राओं की जागरूकता :

क्र०सं०	जनपद/क्षेत्र	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन
(1)	लखनऊ			
	(i) नगर क्षेत्र	60	28.95	2.0
	(ii) ग्रामीण क्षेत्र	60	22.63	2·0

लखनऊ जनपद के नगर क्षेत्र के विद्यालयीय छात्र/छात्राओं की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के छात्र/छात्राओं की जागरूकता कम है।

तालिका 2.2

क्रमसं०	जनपद/क्षेत्र	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन
(2)	इलाहाबाद			
	(i) नगर क्षेत्र	60	20.4	2·05
	(ii) ग्रामीण क्षेत्र	60	24.06	0·56

इलाहाबाद जनपद के नगर क्षेत्र के विद्यालयीय छात्र/छात्राओं में जागरूकता स्तर औसत से कम है किन्तु ग्रामीण क्षेत्र के छात्र/छात्राओं में जागरूकता स्तर लगभग औसत है।

तालिका 2·3

क्रमसं०	जनपद/क्षेत्र	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन
(3)	वाराणसी			
	(i) नगर/क्षेत्र	60	28·05	1·84
	(ii) ग्रामीण क्षेत्र	60	23·66	0.96

वाराणसी जनपद में नगर क्षेत्र के विद्यालयीय छात्र/छात्राओं की जागरूकता अधिक है जबकि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयीय छात्रों में यह जागरूकता औसत के लगभग है। जनसंख्या शिक्षा के प्रति विकसित जागरूकता में क्षेत्र के आधार पर अन्तर पाया गया। जबकि वाराणसी एवं

लखनऊ जनपद के नगर क्षेत्र के विद्यालयीय छात्र/छात्राएं जनसंख्या स्थिति के प्रति ग्रामीण क्षेत्र के छात्र/छात्राओं की अपेक्षा अधिक जागरूक हैं, इलाहाबाद जनपद में इसकी विपरीत स्थिति पायी गयी। इलाहाबाद जनपद के नगर क्षेत्र के विद्यालयीय छात्र/छात्राओं में ग्रामीण क्षेत्र के छात्र/छात्राओं की अपेक्षा जनसंख्या स्थिति के प्रति कम जागरूकता पायी गयी। अतः क्षेत्र के आधार पर विद्यालयीय छात्र/छात्राओं की जागरूकता में कोई अन्तर नहीं है, इस परिकल्पना को रद्द किया गया।

(3) क्षेत्र के आधार पर लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी जनपदों के विद्यालयीय छात्र/छात्राओं की जनसंख्या शिक्षा के प्रति जागरूकता :

तालिका 3—क्षेत्र के आधार पर लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी जनपदों के विद्यालयीय छात्र/छात्राओं की जनसंख्या शिक्षा के प्रति जागरूकता :

क्रम सं०	क्षेत्र	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन
(1)	नगर क्षेत्र	180	25·80	1·16
(2)	ग्रामीण क्षेत्र	180	23·45	1·17

सामूहिक रूप से भी तीनों जनपदों के नगर क्षेत्र के विद्यालयीय छात्र/छात्राओं की जनसंख्या शिक्षा के प्रति जागरूकता में अन्तर पाया गया, अतः क्षेत्र के आधार पर विद्यालयीय छात्र/छात्राओं की जागरूकता का समान विकास हुआ है। इस परिकल्पना को रद्द किया गया।

(4) लिंगभेद के आधार पर जनसंख्या शिक्षा के प्रति विद्यालयीय छात्र/छात्राओं की जागरूकता :

तालिका 4—लिंगभेद के आधार पर जनसंख्या शिक्षा के प्रति विद्यालयीय छात्र/छात्राओं की जागरूकता :

क्रम सं०	बालक/बालिका	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन
(1)	बालक	180	25·04	1.29
(2)	बालिका	180	24·2	0·41

लिंगभेद के आधार पर तीनों जनपदों में सामूहिक रूप से विद्यालयीय छात्रों एवं विद्यालयीय छात्राओं की जागरूकता का अन्तर नगण्य है। अतः इस परिकल्पना को स्वीकारा गया कि विद्यालयीय छात्रों एवं छात्राओं के जनसंख्या शिक्षा के प्रति विकसित हुई जागरूकता में कोई अन्तर नहीं है।

(2) अभिवृत्ति/दृष्टिकोण

(1) जनपद के आधार पर कक्षा 8 के विद्यालयीय छात्र/छात्राओं की जनसंख्या शिक्षा के घटकों के प्रति अभिवृत्ति :

तालिका 1—जनपद के आधार पर कक्षा 8 के विद्यालयीय छात्र/छात्राओं की जनसंख्या शिक्षा के घटकों के प्रति अभिवृत्ति :

क्रम सं०	जनपद	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन
(1)	लखनऊ	120	63·12	1·27
(2)	इलाहाबाद	120	61·46	2·93
(3)	वाराणसी	120	68·49	2·0

वाराणसी जनपद के विद्यालयीय छात्र/छात्राओं में जनसंख्या शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति/दृष्टिकोण का अधिक विकास हुआ है जबकि लखनऊ जनपद में लगभग औसत और इलाहाबाद जनपद में अपेक्षाकृत इस सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास कम हुआ है।

अतः इस परिकल्पना को रद्द किया जाता है। प्रदेश के सभी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं में जनसंख्या शिक्षा के घटकों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का समान रूप से विकास हुआ है।

(2) क्षेत्र के आधार पर जनपद स्तर पर कक्षा 8 के छात्र/छात्राओं की जनसंख्या शिक्षा के घटकों के प्रति अभिवृत्ति :

तालिका 2.1—क्षेत्र के आधार पर जनपद स्तर कक्षा 8 के छात्र/छात्राओं की जनसंख्या शिक्षा के घटकों के प्रति अभिवृत्ति :

क्रमसं०	जनपद/क्षेत्र	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन
(1)	लखनऊ			
(i)	नगर क्षेत्र	60	68·31	1·94
(ii)	ग्रामीण क्षेत्र	60	58·03	2·52

लखनऊ जनपद के नगर क्षेत्र के छात्र/छात्राओं में जनसंख्या शिक्षा घटकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का अधिक विकास हुआ है जबकि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र/छात्राओं में इस सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास बहुत कम परिलक्षित होता है।

तालिका 2.2

क्रम सं०	जनपद/क्षेत्र	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन
(2)	इलाहाबाद			
	(i) नगर क्षेत्र	60	61.28	1.76
	(ii) ग्रामीण क्षेत्र	60	69 5	2.25

इलाहाबाद जनपद में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयीय छात्र/छात्राओं में जनसंख्या शिक्षा के घटकों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास नगर क्षेत्र के छात्र/छात्राओं की तुलना में अधिक पाया गया।

तालिका 2.3

क्रम सं०	जनपद/क्षेत्र	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन
(3)	वाराणसी			
	(i) नगर क्षेत्र	60	76.33	3.44
	(ii) ग्रामीण क्षेत्र	60	60.65	2.01

वाराणसी जनपद में नगर क्षेत्र के विद्यालयीय छात्र/छात्राओं में ग्रामीण क्षेत्र के छात्र/छात्राओं की तुलना में सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास अधिक हुआ है।

(3) क्षेत्र के आधार पर तीनों जनपद—लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी के विद्यालयीय छात्र/छात्राओं (कक्षा 8) की जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति :

तालिका 3—क्षेत्र के आधार पर तीनों जनपद—लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी के विद्यालयीय छात्र/छात्राओं (कक्षा 8) की जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति :

क्रम सं०	क्षेत्र	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन
(1)	नगर क्षेत्र	180	68·61	2·0
(2)	ग्रामीण क्षेत्र	180	59·6	2·1

समस्त जनपदों के नगर क्षेत्र के विद्यालयीय छात्र/छात्राओं में ग्रामीण क्षेत्र के छात्र/छात्राओं की तुलना में सकारात्मक अभिवृत्ति अधिक पायी गयी। अतः यह परिकल्पना रद्द की जाती है कि छात्र/छात्राओं में विकसित जनसंख्या शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति में क्षेत्र के आधार पर कोई अन्तर नहीं है।

(4) लिंग-भेद के आधार पर विद्यालयीय छात्र/छात्राओं में जनसंख्या शिक्षा के घटकों के प्रति विकसित अभिवृत्ति :

तालिका 4—लिंग-भेद के आधार पर विद्यालयीय छात्र/छात्राओं में जनसंख्या शिक्षा के घटकों के प्रति विकसित अभिवृत्ति :

क्रमसं०	बालक/बालिका	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन
(1)	बालक	180	68.35	2.4
(2)	बालिका	180	60.37	2.0

जनसंख्या शिक्षा घटकों के प्रति विकसित सकारात्मक अभिवृत्ति में सामूहिक रूप से बालकों की उपलब्धि बालिकाओं की तुलना में अधिक है, अतः यह परिकल्पना रद्द हुई कि सभी जनपदों में छात्र/छात्राओं की अभिवृत्ति में लिंग-भेद के आधार पर कोई अन्तर नहीं है।

तालिका 5—सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण जनसंख्या शिक्षा में उनकी भूमिका, विद्यालयों में उपलब्ध पाठ्यक्रमीय तथा सहपाठ्यक्रमीय सामग्रियों की स्थिति :

क्रम सं०	जनपद	जन०शि० में प्रशिक्षित प्रधाना-ध्यापक प्रतिशत	जन०शि० में प्रशिक्षित शिक्षक प्रतिशत	विषय जो पढ़ाते हैं	जन०शि०/जन०शि० से सम्बन्धित सम्प्रेषण की विधा	पाठ्य क्रमीय/ नगर वि०	सहपाठ्य क्रमीय/ ग्रामीण वि०	जन०शि० से सम्बन्धित कार्यक्रम
(1)	लखनऊ	75%	50%	सभी विषय	कहानी तुलना प्रश्नो-त्तर संदर्भ देकर	नहीं नहीं	नहीं नहीं	साहित्यिक सांस्कृतिक, वृक्षारोपण, भ्रमण, सफाई-अभियान
(2)	इलाहाबाद	75%	50%	भाषा सा०विषय इतिहि०	निबन्ध अभिनय व्याख्यान व्याख्या	नहीं नहीं	नहीं नहीं	सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण, योगासन, सफाई अभियान, वृक्षारोपण

(3) वाराणसी	75%	100%	भाषा सा०अध्ययन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, गृह वि०	कहानी नाटक व्याख्यान प्रश्नोत्तर जन०शि०के नये आंकड़े देकर, दृष्टान्त निरीक्षण	नगर-क्षेत्र के विद्यालय में थोड़ा है ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में नहीं	कुछ उपलब्ध है टी०वी० है। नहीं	सभी प्रकार के कार्यक्रम सांस्कृतिक, साहित्यिक, मनोरंजनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम वृक्षारोपण, योगासन, सफाई अभियान

तालिका से स्पष्ट है जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के लगभग एक दशक हो जाने पर भी अभी समस्त प्रधानाध्यापक और शिक्षक जनसंख्या शिक्षा में प्रशिक्षित नहीं हो पाये हैं। प्रशिक्षित अधिकारियों/शिक्षकों में से अधिकांश को नई शिक्षा नीति प्रशिक्षण के अन्तर्गत जनसंख्या शिक्षा की जानकारी दी गयी है।

निष्कर्ष

(1) जनसंख्या शिक्षा के प्रति विद्यालयीय छात्रों की जागरूकता से सम्बन्धित—

* जनसंख्या शिक्षा के घटकों के प्रति उनकी अभिवृत्ति से सम्बन्धित।

* विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों से सम्बन्धित।

* जनसंख्या शिक्षा के प्रति विद्यालयीय छात्रों की जागरूकता से सम्बन्धित निष्कर्ष निम्नवत् हैं :

(1) प्रदेश के पूर्वांचल के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं में जनसंख्या शिक्षा के प्रति जागरूकता का विकास हुआ है किन्तु यह जागरूकता प्रति छात्र केवल 62% ही विकसित हो पाई है।

(2) वाराणसी जनपद के विद्यार्थी जनसंख्या शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक हैं, लखनऊ जनपद के विद्यार्थियों में उनसे कम और इलाहाबाद जनपद के विद्यार्थियों में सबसे कम जागरूकता परिलक्षित हुयी। यह परिणाम पूर्वापेक्षा के विपरीत निकला है क्योंकि इलाहाबाद प्रदेश में जनसंख्या शिक्षा परियोजना का केन्द्र है।

(3) क्षेत्र के आधार पर पाया गया कि नगर क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र के छात्र में जनसंख्या स्थिति के प्रति कम जागरूक हैं ।

इस संदर्भ में विशेष ध्यान देने योग्य यह बिन्दु उभर कर सामने आया है कि वाराणसी और लखनऊ के नगर क्षेत्र के छात्र ग्रामीण छात्रों की अपेक्षा जनसंख्या स्थिति के प्रति अधिक जागरूक हैं परन्तु इलाहाबाद में स्थिति इसके विपरीत है । इलाहाबाद जनपद के नगर क्षेत्र के विद्यालयीय छात्र ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों से कम जागरूक हैं । यह स्थिति भावी शोध की सम्भावनाएँ प्रस्तुत करती हैं जिनके द्वारा इसके कारणों का पता लगाया जा सकता है ।

(4) जनसंख्या स्थिति के प्रति जागरूकता के स्तर में छात्र तथा छात्राओं में भी अन्तर पाया गया । किन्तु यह अन्तर लगभग नगण्य है । अतः वे समान रूप से जागरूक कहे जा सकते हैं ।

(5) जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख घटक जिनमें छात्र/छात्राओं की जागरूकता न्यूनतम पाई गयी वे निम्नवत् हैं :

(क) स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पोषण

(ख) पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण सम्बन्धी

इस क्षेत्र में भी अनेक शोध अध्ययन सम्भावित हैं ।

(2) जनसंख्या शिक्षा के घटकों के प्रति विद्यालयीय छात्रों की अभिवृत्ति/दृष्टिकोण से सम्बन्धित निष्कर्ष :

(1) प्रदेश के पूर्वांचल के विद्यालयीय छात्रों में जनसंख्या शिक्षा के मुख्य घटकों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का औसत प्रति शत 71% पाया गया है जो कुछ सीमा तक सन्तोषजनक कहा जा सकता है किन्तु जनपद स्तर पर इस प्रतिशत में बहुत अन्तर पाया गया है ।

(2) वाराणसी जनपद में छात्रों में सकारात्मक अभिवृत्ति 76 प्रतिशत पायी गयी जो औसत से अधिक है । लखनऊ जनपद में 70 प्रतिशत तथा इलाहाबाद जनपद में केवल 68 प्रतिशत सकारात्मक अभिवृत्ति पायी गयी ।

वाराणसी और लखनऊ की तुलना में इलाहाबाद की न्यून उपलब्धि का एक कारण यह भी हो सकता है कि उपर्युक्त दोनों जनपदों की तरह इलाहाबाद में राजकीय इण्टर कालेज और राजकीय कन्या इण्टर कालेज को न्यादर्श में सम्मिलित न करके संस्थान के शोध आदर्श विद्यालय तथा राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय से प्रदत्तों का संकलन किया गया ।

(3) क्षेत्र के आधार पर नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों की अभिवृत्ति में बहुत अन्तर है जबकि नगर क्षेत्र के छात्रों में सकारात्मक अभिवृत्ति का औसत 76 प्रतिशत है, ग्रामीण क्षेत्र में छात्रों में यह औसत 66 प्रतिशत है ।

(4) विद्यालयों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं में विकसित अभिवृत्ति में भी अन्तर पाया गया। छात्रों में जनसंख्या शिक्षा घटकों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का औसत 75·8% है जबकि छात्राओं में इसका औसत 67% है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि जनसंख्या स्थिति के प्रति छात्र/छात्रा लगभग समान रूप से जागरूक हैं किन्तु जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख घटकों के प्रति उनके दृष्टिकोण में बहुत अन्तर हैं। इसके कारणों को खोज करने के लिए नये शोध अध्ययन किए जा सकते हैं।

(5) प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों से किए गए साक्षात्कार एवं उनके द्वारा पूरित प्रपत्रों के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर शोधकर्ता निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचे हैं—

(1) बृहत् प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बाद भी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक प्रशिक्षित नहीं हैं।

(2) नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत प्राप्त प्रशिक्षण से उन्हें जनसंख्या शिक्षा से सम्बन्धित बातें स्पष्ट नहीं हुई हैं। बातचीत के दौरान उन्हें याद दिलाना पड़ा कि वे जनसंख्या शिक्षा का प्रशिक्षण नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत प्राप्त कर चुके हैं।

(3) सम्बन्धित विद्यालयों में जनसंख्या शिक्षा से सम्बन्धित कोई भी पाठ्यवस्तु (पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त) शिक्षण और पाठ्येत्तर क्रिया-कलाप हेतु सहायक सामग्री विद्यालयों में उपलब्ध नहीं है जबकि 1981 से अब तक परियोजनान्तर्गत इस प्रकार की असंख्य सामग्री का प्रकाशन हो चुका हैं और हो रहा है।

नगर क्षेत्र के विद्यालयों में दूरदर्शन की व्यवस्था अवश्य देखने को मिली किन्तु उसका प्रयोग छात्रों की शिक्षा के लिए नहीं किया जा रहा है।

(4) सामग्री के अभाव में भी कुछ कार्यक्रमों को आयोजित करके जनसंख्या शिक्षा का माध्यम बनाया जा सकता है। नगर क्षेत्र के विद्यालयों में सांस्कृतिक, साहित्यिक कार्यक्रम कराए भी जाते हैं किन्तु ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ऐसा कुछ होने का आभास नहीं मिला।

(5) यद्यपि प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों द्वारा विभिन्न विधाओं को जनसंख्या शिक्षा संबोधों के प्रेषण हेतु प्रयोग में लाने की बात लिखी और कही गयी किन्तु विशेषकर जनसंख्या शिक्षा में इन विधाओं के समुचित प्रयोग के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं रखते।

सुझाव

(1) प्रशासकों के लिए सुझाव—

(1) लगभग दस वर्षों की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् शोध से प्राप्त परिणामों को

देखते हुए जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम में और गति लाने तथा इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस कार्यक्रम की रणनीति पर पुनः विचार कर इसमें वांछित परिवर्तन एवं परिवर्द्धन की आवश्यकता है।

(2) निरीक्षण अधिकारियों तथा प्रधानाध्यापकों को और अधिक सक्रिय भागीदारी हेतु उपाय ढूंढने तथा समय-समय पर जनसंख्या शिक्षा में पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

(3) जनसंख्या शिक्षा परियोजनान्तर्गत विकसित संदर्शिकाओं, दिग्दर्शिकाओं, कठपुतली नृत्य तथा टी०वी०/रेडियो आलेख संग्रहों और अन्य पाठ्यसामग्री, सहायक सामग्री को प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में पहुँचाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

(4) जिन विद्यालयों के पास टी० वी० की सुविधा है वहाँ कम से कम सप्ताह में एक कालांश जनसंख्या से सम्बन्धित दूरदर्शन कार्यक्रम के लिए रखने का निर्देश दिया जाना समीचीन होगा। उसे कालांश कक्षा शिक्षण की तरह समझा जाना चाहिए तथा उस पर अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर, गृहकार्य आदि दिये जा सकते हैं।

(2) शिक्षक-प्रशिक्षकों के लिए सुझाव—

(1) शिक्षक-प्रशिक्षकों द्वारा जनसंख्या शिक्षा के प्रत्येक घटक का स्पष्ट एवं समुचित ज्ञान प्रशिक्षणार्थियों को दिया जाना चाहिए।

(2) सैद्धान्तिक पक्ष की अपेक्षा कक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। अमुक विषय पढ़ाते समय किस सम्बोध को किस विधा से और वास्तव में कैसे छात्रों को स्पष्ट किया जा सकता है इस योग्यता का विकास करना प्रशिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए।

(3) प्रशिक्षक यह भी क्षमता शिक्षकों में विकसित करें कि जनसंख्या शिक्षा के सम्बोधों के सम्प्रेषण को विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि वाले छात्रों के लिए किस प्रकार अधिक ग्राह्य और रुचिकर बना सकते हैं।

(4) उन्हें समुदाय-सम्पर्क की विधा में भी विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

(5) प्रशिक्षार्थियों को जनसंख्या शिक्षा से सम्बन्धित पैकेज अवश्य दें।

(3) प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के लिए सुझाव—

(1) जनसंख्या शिक्षा एक अतिरिक्त बोझ नहीं है इस तथ्य में विश्वास करें। इसका शिक्षण अन्य विषयों के माध्यम से होता है। यदि पाठ्य-पुस्तक के संबोध सही ढंग से पढ़ाये जायेंगे तो जनसंख्या शिक्षा के सम्बोध स्वतः स्पष्ट हो जायेंगे। इन सम्बोधों को विकसित करने से विषय का शिक्षण स्वतः सफल एवं प्रभावी हो जायेगा।

(2) आवश्यकता इस बात की है कि वे जनसंख्या स्थिति के प्रति स्वयं जागरूक हों तथा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएँ।

(3) शिक्षण के साथ-साथ पाठ्येत्तर क्रिया-कलापों पर भी विशेष बल दें जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक हैं। भ्रमण एक सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा बच्चे अन्य जानकारी के साथ समस्या से प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकते हैं।

(4) प्रधानाध्यापकों द्वारा भ्रमण की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। इसे हर विषय से जोड़ा जा सकता है।

(4) शोधकर्ताओं के लिए संभावनाएँ—

प्रस्तुत शोध में अन्वेषणात्मक दृष्टि से केवल प्रदेश में छात्रों की जनसंख्या शिक्षा के प्रति जागरूकता तथा अभिवृत्ति के अध्ययन को लिया गया है। इस विषय से सम्बन्धित कई क्षेत्रों में शोध की व्यापक संभावनाएँ हैं, यथा :

(1) जनपद के आधार पर छात्रों में विकसित जनसंख्या शिक्षा के प्रति जागरूकता में अन्तर के कारण तथा निवारण के सुझाव।

(2) जनपद के आधार पर छात्रों में जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी अभिवृत्ति में अन्तर, कारण एवं समाधान योजना।

(3) क्षेत्र के आधार पर प्रदेश के ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र के छात्रों की उपलब्धि में अन्तर उत्पन्न करने वाले कारक।

(4) छात्र तथा छात्राओं की अभिवृत्ति का अन्तर और उसके कारकों का अध्ययन।

(5) जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्र के न्यूनतम विकसित घटक उपचारात्मक शिक्षण योजना।

2

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के विकास में विद्यालय समितियों की भूमिका का मूल्यांकन

भूमिका

प्राथमिक शिक्षा का बालक/बालिकाओं के विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। प्राथमिक शिक्षा ही उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व निर्माण तथा भावी जीवन की आधारशिला है। इस प्रकार प्राथमिक विद्यालय बालक/बालिकाओं के व्यक्तित्व-निर्माण प्रक्रिया की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी है।

हमारे प्राथमिक विद्यालयों की दशा अत्यन्त शोचनीय हो रही थी। उनमें शिक्षा के लिये आवश्यक सुविधाओं का सर्वथा अभाव था। अधिकांश विद्यालय भवनहीन थे। छात्र संख्या के अनुपात में अध्यापक/अध्यापिकाओं की संख्या विसंगतिपूर्ण थी। उनकी स्थिति सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी। जिससे ये प्राथमिक विद्यालय बालक/बालिकाओं के व्यक्तित्व का समुचित विकास कर उन्हें समाज की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप बनाकर सही दिशा प्रदान न कर सकें। इसके लिये प्रयास किया गया कि इन प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जायें। ये प्राथमिक विद्यालय अपने लक्ष्य की पूर्ति में सक्षम हों। उन्हें किसी विशेष कठिनाई का सामना न करना पड़े, इस दृष्टि से प्रत्येक विद्यालय के लिये विद्यालय, शिक्षा समिति का निर्माण किया गया है। ये समितियाँ नगर तथा गाँव दोनों के लिये स्थापित की गई हैं।

गाँवों में प्राथमिक विद्यालयों की सहायकता के लिये गाँव शिक्षा समिति का गठन इस प्रकार किया गया है —बेसिक शिक्षा संहिता के अनुसार—

'प्रत्येक गाँव या गाँव समूह' के निमित्त जिसके लिये यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट 1947

के अधीन गाँव सभा स्थापित हो, एक समिति स्थापित की जायेगी और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। अर्थात्—

1— (अ) गाँव सभा का प्रधान जो अध्यक्ष होगा।

(ब) बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक, जिनमें से एक संरक्षक महिला होगी जो विद्यालय अवर उपनिरीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(स) उस गाँव या गाँव समूह में बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि एक से अधिक स्कूल हो तो उनके मुख्य अध्यापकों में से ज्येष्ठतम जो उसका सदस्य सचिव होगा।

2— इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रखते हुए समिति (क) बेसिक स्कूलों के भवनों, उनके उपस्करों में सुधार करने के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति में सुझाव देगी और ऐसे स्कूलों का निरीक्षण करेगी और अध्यापकों द्वारा समय-पालन किये जाने तथा उनकी उपस्थिति के बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट देगी।

इस प्रकार इन समितियों की स्थापना प्राथमिक विद्यालयों के विकास के लिये की गई है जिससे वे अपने दायित्व को समझकर विद्यालयों के कार्य के स्तरोन्नयन हेतु विद्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण करें तथा उनके सुधार के लिये अध्यापक/अध्यापिकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करें। विद्यालय समितियों का यह भी दायित्व होगा कि वे परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकताओं को समझे तथा उनकी पूर्ति हेतु अपने सुझाव दें। विद्यालय की समस्याओं का निराकरण करने के लिये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो अपनी आख्या तथा सुझाव प्रस्तुत करें। इस तरह एक बड़ी सीमा तक में समितियाँ प्राथमिक विद्यालयों की कठिनाइयों को सुलझाने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं।

निश्चय ही इन विद्यालय समितियों के गठन का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों के रख-रखाव तथा उनकी दशा में सुधार लाना है और उनकी गुणवत्ता और उपादेयता में वृद्धि करना है। साथ ही उनके विकास के लिये सतत् प्रयत्नशील रहना है। इन समितियों के सदस्य अभिभावक भी होते हैं, इसलिये उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यालयों की स्थानीय आवश्यकताओं को अच्छी तरह समझ सकेंगे और उनकी कठिनाइयों के निराकरण में रुचि लेंगे। इससे स्पष्ट है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के विकास में इन विद्यालय-समितियों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

इस प्रकार प्राथमिक विद्यालयों के रख-रखाव तथा प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं शैक्षिक उन्नयन के लिये विद्यालय समितियों का निर्माण किया गया है। ये समितियाँ प्राथमिक

शिक्षा के स्तरोन्नयन, प्रभावकारिता एवं गुणवत्ता वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के विकास हेतु क्या-क्या कार्य करती हैं, इन कार्यों का विद्यालयों की उन्नति में क्या योगदान है, इसकी जानकारी तथा मूल्यांकन करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया।

उद्देश्य

(क) परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के विकास में विद्यालय समिति के गठन का औचित्य ज्ञात करना।

(ख) समितियों के कार्य तथा अधिकार क्षेत्र की जानकारी करना।

(ग) इन समितियों की सफलता व असफलता के कारणों का पता लगाना।

(घ) प्राथमिक विद्यालयों के विकास में विद्यालय समितियों की भूमिका का मूल्यांकन करना।

परिकल्पना

विद्यालय समितियों के सहयोग से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का विकास होता है।

क्षेत्र

प्रतापगढ़ तथा फतेहपुर जनपदों के 5-5 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय।

कार्य विधि

(1) **न्यादर्श चयन**—चयनित क्षेत्रों के कुल 10 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों पर प्रस्तुत शोध आधारित है।

(2) **प्रश्न सूची तथा प्रश्नावली प्रपत्र**—सूचना संकलन हेतु प्रश्न सूची तथा प्रश्नावली प्रपत्र निर्मित किये गये। सम्बन्धित विद्यालयों में जाकर प्रश्नावली प्रपत्र भरवाकर सूचनाएं संकलित की गईं। प्रत्यक्ष जानकारी हेतु निरीक्षण तथा साक्षात्कार विधि अपनाई गई।

प्रदत्त का संकलन सारणीयन तथा विश्लेषण

10 परिषदीय विद्यालयों में जाकर उनको प्रधान अध्यापकों/प्रधान अध्यापिकाओं से उनसे सम्बन्धित विद्यालय समितियों के कार्यों तथा सहयोग सम्बन्धित जानकारी हेतु तैयार किये गये प्रपत्र भरवाये गये। प्रपत्र में कुल 11 प्रश्न सम्मिलित थे। (प्रश्नावली संलग्न है) पूरित प्रपत्रों का अध्ययन करके विस्तृत आख्या तैयार की गई। तत्पश्चात् उनके मत संग्रह पर विश्लेषण के लिये संकलित सूची बनाई गई जो अग्रांकित है :

प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिका के मत की संकलित सूची

सं०	प्रश्न	नहीं	कम	बहुत कम	अधिक	बहुत अधिक	योग अध्यापक	विवरण
1	—विद्यालय समिति के सुझावों से आपको अपने विद्यालय के कार्यों में अपेक्षित सहयोग मिला है।	—	4	1	4	1	10	
2	—विद्यालय के भवन निर्माण में सहयोग प्राप्त हुआ है।	3	2	1	4	—	10	
3	—विद्यालय में शिक्षकों के आने की दिशा में सुधार हुआ है।	1	1	2	1	5	10	
4	—अनुशासन व्यवस्था सुदृढ़ हुई है।	—	—	2	6	2	10	
5	—विद्यालय सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में सहायता मिली है।	3	3	—	4	—	10	
6	—विद्यालय समिति के साथ संयुक्त खाते से काम करने की दिशा में लाभ हुआ है।	2	2	1	1	4	10	
7	—वित्तीय कार्यों के निस्तारण में सहयोग मिला है।	5	—	2	3	—	10	
8	—संयुक्त खाता होने से कठिनाई उत्पन्न हुई है।	7	—	1	1	1	10	
9	—पठन-पाठन में समिति के कार्यों से अपेक्षित सुधार हुआ है।	3	1	2	3	1	10	
10	—विद्यालय के विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है।	1	2	3	3	1	10	
11	—विद्यालय के विकास के लिये विद्यालय समिति की आवश्यकता है।	1	1	2	5	1	10	
	योग	26	16	17	35	16	110	

इस संकलित सूची का विश्लेषण इस प्रकार है—

प्रश्न सं० के उत्तर में 10 प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिकाओं में से 4 का मत है कि विद्यालय समिति के सुझावों से उनके विद्यालय के कार्य में अपेक्षित सहयोग कम मिला है। एक अध्यापक का मत है कि सहयोग बहुत कम मिला है जबकि 4 अध्यापकों का कहना है कि सहयोग अधिक मिला है और एक का मत है कि विद्यालय समिति के सुझावों से उनके विद्यालयों को बहुत अधिक सहयोग प्राप्त हुआ है।

प्रश्नसंख्या 2 के उत्तर में 10 प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं में से 3 का मत है कि विद्यालय समितियों से उनके विद्यालय भवन निर्माण में सहयोग नहीं प्राप्त हुआ है, 2 का मत है कि सहयोग कम प्राप्त हुआ है और एक ने कहा है कि सहयोग बहुत कम प्राप्त हुआ है किन्तु 4 का मत है कि विद्यालय भवन में विद्यालय समिति का सहयोग अधिक प्राप्त हुआ है।

प्रश्न सं० 3 के उत्तर में केवल एक प्रधान अध्यापक ने कहा कि विद्यालय समिति के सुझावों से अध्यापकों के समय से आने की दिशा मे सुधार नहीं हुआ है और एक ने कहा कि कम सुधार हुआ है। 2 प्रधान अध्यापकों का मत है कि इस दृष्टि से बहुत कम सुधार हुआ है किन्तु 5 प्रधान अध्यापकों का मत है कि विद्यालय समितियों के सहयोग से अध्यापकों के समय से आने की दिशा में बहुत अधिक सुधार हुआ हैं।

प्रश्न सं० 4 के उत्तर में अधिकांश जैसे 10 में से 6 का मत है कि विद्यालय समितियों के होने से विद्यालयों में अनुशासन व्यवस्था अधिक सुदृढ़ हुई है। 2 का मत है कि अनुशासन व्यवस्था बहुत अधिक सुदृढ़ हुई है। केवल दो प्रधान अध्यापकों का कहना है कि समितियों से विद्यालयों की अनुशासन व्यवस्था को बहुत कम लाभ हुआ है। इस दृष्टि से अनुशासन व्यवस्था के लिए अधिकांश प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिका विद्यालय समितियों के पक्ष में हैं।

प्रश्न स० 5 के उत्तर में 10 प्रधान अध्यापकों में से 3 का मत है कि विद्यालय सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में समितियों से सहायता नहीं मिली है। 3 का मत है कि सहायता कम मिली है किन्तु 4 का मत है कि विद्यालय की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में विद्यालय समितियों की सहायता अधिक मिली है।

प्रश्न सं० 6 के उत्तर में क्रमशः दो-दो प्रधान अध्यापकों के मत हैं कि विद्यालय समिति के साथ संयुक्त खाता होने से काम करने की दिशा में नहीं और कम लाभ हुआ है। एक का मत है कि बहुत कम लाभ हुआ है जबकि क्रमशः एक तथा 4 प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिकाओं का मत है कि विद्यालय समिति के साथ संयुक्त खाता होने से काम करने की दिशा में अधिक और बहुत अधिक लाभ हुआ है।

प्रश्न सं० 7 के उत्तर में 10 प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिकाओं में से 5 का मत है कि समितियों से विद्यालय के वित्तीय कार्यों के निस्तारण में सहयोग नहीं मिला है और 2 का मत है कि बहुत कम सहयोग मिला है और 3 का मत है कि अधिक सहयोग प्राप्त हुआ है।

प्रश्न सं० 8 के उत्तर में 10 में से 7 प्रधान अध्यापकों का मत है कि विद्यालय समितियों के साथ संयुक्त खाता होने से कार्य में कठिनाई नहीं हुई है। एक का मत है कि बहुत कम कठिनाई उत्पन्न हुई। केवल क्रमशः एक-एक का मत है कि संयुक्त खाता होने से कार्य में अधिक और बहुत अधिक कठिनाई उत्पन्न होती है।

प्रश्न सं० 9 के उत्तर में 10 प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिकाओं में से 3 का मत है कि समिति के कार्यों से विद्यालय के पठन-पाठन में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। एक का मत है कि सुधार कम हुआ है और 2 का मत है कि सुधार बहुत कम हुआ है। 3 और 1 प्रधान अध्यापकों का मत है कि समिति के कार्यों से पठन-पाठन में सुधार अधिक और बहुत अधिक हुआ है।

प्रश्न सं० 10 के उत्तर में 10 अध्यापकों में से केवल एक का मत है कि विद्यालय समितियों का विद्यालय के विकास पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, 2 का मत है कि अनुकूल प्रभाव कम पड़ा है और 3 का मत है कि अनुकूल प्रभाव बहुत कम पड़ा है। जबकि 3 प्रधान अध्यापकों का मत है कि विद्यालय समितियों का विद्यालय के विकास पर अनुकूल प्रभाव अधिक पड़ा है और एक का मत है कि बहुत अधिक अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

प्रश्न सं० 11 के उत्तर में कि क्या विद्यालय के विकास के लिए विद्यालय समितियों की आवश्यकता है, 10 प्रधान अध्यापकों/प्रधान अध्यापिकाओं में से 5 ने कहा है कि विद्यालय समितियों की आवश्यकता अधिक है और एक ने कहा कि बहुत अधिक आवश्यकता है। केवल दो प्रधान अध्यापकों का मत है कि बहुत कम आवश्यकता है और एक का मत है कि कम आवश्यकता है और एक ने कहा कि आवश्यकता नहीं है।

इस प्रकार विद्यालय समितियों की भूमिका के परिप्रेक्ष्य में प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिकाओं के मत विश्लेषण मे एक तथ्य उभर कर सामने आया कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के विकास के लिए इन समितियों के पक्ष में उनका कोई स्पष्ट और ठोस बहुमत नहीं है। जहाँ तक विद्यालय के विभिन्न कार्यों जैसे भवन निर्माण, साज-सज्जा व्यवस्था आदि कार्यों में उनके सहयोग का प्रश्न है 50% अध्यापकों का मत है कि विद्यालय समितियों से उनको अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं होता। हाँ एक बात पर 80% प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिकाएँ सहमत

हैं कि विद्यालय समितियों के सहयोग से विद्यालयों की अनुशासन व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और अध्यापक/अध्यापिकाओं के विद्यालय में समय से आने की दिशा में सुधार हुआ है। विद्यालय समितियों के साथ संयुक्त खाता होने में कठिनाइयों के प्रश्न पर 70% प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिकाओं ने समितियों के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया है और यह कहा है कि संयुक्त खाता होने से उन्हें किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। अन्त में जहाँ विद्यालय समितियों की आवश्यकता का प्रश्न आता है 60% प्रधान अध्यापकों/प्रधान अध्यापिकाओं ने इस बात पर बल दिया है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के विकास के लिए विद्यालय समितियों की आवश्यकता अधिक है। कुल मिलाकर पूरित प्रपत्रों के विश्लेषण के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों की भूमिका सन्तोषजनक कही जा सकती है।

विद्यालय समितियों की भूमिका और कार्य के मूल्यांकन को दृष्टिगत करते हुए विद्यालय समिति के सदस्यों के लिए भी प्रश्नावली प्रपत्र निर्मित किये गये। इस प्रपत्र में भी कुल 11 प्रश्न सम्मिलित किये गये। (प्रश्नावली प्रपत्र संलग्न है) प्रत्येक विद्यालय समिति के कम से कम एक सदस्य से प्रपत्र भरवाने का प्रयास किया गया। कहीं-कहीं अभिभावक सदस्य से सम्पर्क किया गया। उनके द्वारा पूरित प्रपत्रों का विश्लेषण करके विस्तृत आख्या तैयार की गई और उसके आधार पर संकलित सूची बनाई गई।

नोट

केवल 9 सदस्यों से प्रपत्र भरवाया जा सका। एक विद्यालय में समिति का निर्माण नहीं हुआ।

विद्यालय समितियों के मत की संकलित सूची

क्रम सं०	प्रश्न	नहीं	कम	बहुत कम	अधिक	बहुत अधिक	योग सदस्य
1	विद्यालय की वित्तीय समस्याओं को सुलझाने में समिति के सदस्यों से सहायता मिली है।	—	—	—	9	—	9
2	शिक्षकों/शिक्षिकाओं के विद्यालय में समय से आने की दिशा में सुधार हुआ है।	—	—	—	8	1	9
3	विद्यालय की साज-सज्जा में अपेक्षित सुधार हुआ है।	—	1	2	6	—	9

4—विद्यालय के भवन निर्माण/ मरम्मत में अपेक्षित सहयोग मिला है।	---	—	2	7	--	9
5—विद्यालय के पठन-पाठन में समिति के सुझावों से सुधार हुआ है।	1	—	1	6	1	9
6—विद्यालय के पेयजल व्यवस्था में सुधार हुआ है।	—	—	1	7	1	9
7—समिति के सुझावों से विद्यालय के अनुशासन में सुधार हुआ है।	—	—	1	7	1	9
8 संयुक्त खाता होने से वित्तीय कार्यों के करने में सुविधा हुई है।	—	—	1	7	1	9
9—संयुक्त खाता होने से कार्य करने में कठिनाई उत्पन्न हुई है।	1	1	1	6	—	9
10—समिति के सुझावों का विद्यालय के विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है।	—	—	1	7	1	9
11—विद्यालय के विकास के लिए समिति की आवश्यता है।	—	—	1	7	1	9
योग	2	2	11	77	7	99

इस संकलित सूची का विस्तृत विश्लेषण तथा आख्या निम्नलिखित है—

प्रश्न सं० 1 के उत्तर में सभी 9 समिति के सदस्य एकमत हैं कि विद्यालयों की वित्तीय समस्याओं को सुलझाने में समिति से सहायता मिली है।

प्रश्न सं० 2 के उत्तर में भी 9 सदस्यों में से 8 की राय में समिति के निरीक्षण के कारण विद्यालय में शिक्षक/शिक्षिकाओं को समय से आने की प्रेरणा अधिक प्राप्त हुई है। सदस्य के अनुसार इस दिशा में विद्यालय में बहुत अधिक सुधार हुआ है।

प्रश्न सं० 3 के उत्तर में 6 सदस्यों का मत है कि समितियों के सहयोग से विद्यालयों की साज-सज्जा में अधिक सुधार हुआ है। 2 का मत है कि बहुत कम सुधार हुआ है।

प्रश्न सं० 4 के उत्तर में 7 सदस्यों का मत है कि विद्यालय समितियां के सहयोग से विद्यालय भवन के निर्माण/मरम्मत कार्यों में अपेक्षित सहयोग मिला है। किन्तु 2 सदस्यों की राय में इस कार्य में समिति ने बहुत कम सहयोग दिया है।

प्रश्न सं० 5 के उत्तर में अधिकांश सदस्यों का मत है कि समिति के सुझावों से विद्यालय के पठन-पाठन में अधिक सुधार हुआ है। केवल 1 का मत है कि सुधार नहीं हुआ है और एक सदस्य ने कहा है कि बहुत कम सुधार हुआ है।

प्रश्न सं० 6 के उत्तर में 9 में से 8 सदस्यों ने कहा है कि अधिक और बहुत अधिक सुधार हुआ है।

प्रश्न सं० 7 के उत्तर में अधिकांश सदस्यों ने मत दिया है कि समिति के सुझावों से विद्यालय के अनुशासन में अधिक और बहुत अधिक सुधार हुआ है। केवल एक सदस्य की राय में बहुत कम सुधार हुआ है।

प्रश्न सं० 8 के उत्तर में 9 सदस्यों में से 8 की राय में संयुक्त खाता होने से विद्यालय के वित्तीय कार्यों के करने में सुविधा अधिक और एक सदस्य की राय में सुविधा बहुत कम है।

प्रश्न सं० 9 के उत्तर में एक सदस्य का मत है कि कठिनाई नहीं उत्पन्न हुई है, एक का मत है कि कठिनाई कम उत्पन्न हुई है, एक का मत है कि बहुत कम कठिनाई उत्पन्न हुई है, किन्तु 6 सदस्यों के मत के अनुसार कठिनाई अधिक उत्पन्न हुई है।

प्रश्न सं० 10 के उत्तर में 9 सदस्यों में से 7 सदस्यों का मत है कि समिति के सुझावों का विद्यालय के विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। एक सदस्य का मत है कि अनुकूल प्रभाव बहुत अधिक पड़ा है किन्तु एक सदस्य की राय में अनुकूल प्रभाव बहुत कम पड़ा है।

प्रश्न सं० 11 के उत्तर में 8 सदस्य का मत है कि विद्यालयों के विकास के लिए समिति की आवश्यकता अधिक है। केवल एक सदस्य का मत है कि समिति की आवश्यकता बहुत कम है।

इस प्रकार विद्यालय समिति के सदस्यों द्वारा पूरित पत्रावली प्रपत्रों का अध्ययन तथा विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ हैं कि 80% सदस्य परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के विकास के लिए समिति के पक्ष में हैं। उनका मत है कि समितियों के सहयोग से विद्यालयों के वित्तीय तथा अन्य कार्यों के निस्तारण में सुविधा हुई है, साज-सज्जा में सुधार हुआ है और अनुशासन व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। इसके अतिरिक्त अध्यापक/अध्यापिकाओं के विद्यालयों में समय से आने की दिशा में बहुत अधिक सुधार हुआ है। केवल 20% सदस्यों का मत है कि विद्यालय समितियों से

विद्यालयों के कार्य निस्तारण में अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है या बहुत कम सहयोग प्राप्त हुआ है।

सभी सदस्यों के सम्मिलित रूप से मत विश्लेषण से एक बात बहुत स्पष्ट है कि लगभग 80% सदस्यों ने प्राथमिक विद्यालयों के विकास में विद्यालय समिति की भूमिका के महत्व तथा उसकी आवश्यकता को स्वीकार किया है।

प्रत्यक्ष जानकारी तथा वास्तविक वस्तु-स्थिति ज्ञात करने के लिये चयनित सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रधान अध्यापिकाओं से साक्षात्कार किया गया और कतिपय महत्वपूर्ण बिन्दुओं को ध्यान में रखकर विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। (साक्षात्कार सूची तथा निरीक्षण बिन्दु प्रपत्र संलग्न है) 70% प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं ने सन्तोष व्यक्त किया कि उनके विद्यालयों के विकास में विद्यालय समितियों का सहयोग प्राप्त है और विद्यालय भवन निर्माण/मरम्मत कार्य समय से हो जाता है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि समितियों के सहयोग से अध्यापक/अध्यापिकाएँ विद्यालय में समय से आते हैं और पूरे समय तक उपस्थित भी रहते हैं। इससे विद्यालयों की अनुशासन व्यवस्था तथा पठन-पाठन कार्यों में निश्चित रूप में सुधार हुआ है।

विद्यालयों की साज-सज्जा व्यवस्था में भी समितियों ने सहयोग दिया है। टाट-पट्टी और श्यामपट की आपूर्ति में भी सहायता प्रदान की है। किन्तु बहुत कम लगभग 20% विद्यालयों में खेलकूद की समुचित व्यवस्था मिली और एक-दो विद्यालयों में ही खेलकूद के उपकरण उपलब्ध हैं। पेयजल व्यवस्था भी 80% विद्यालयों में अत्यन्त शोचनीय है। कहीं-कहीं समितियों के सहयोग से विद्यालयों में हैण्ड पाइप लगवाये गये हैं। किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है।

प्रायः 70% विद्यालयों में अनुशासन व्यवस्था ठीक थी। टाट-पट्टी भी पर्याप्त थी। अध्यापक/अध्यापिकाएँ भी उपस्थित थीं और उनकी संख्या भी पर्याप्त थी। पठन-पाठन कार्य भी चल रहा था।

विद्यालयों के विकास के लिए विद्यालय समिति की आवश्यकता के विषय में पूछने पर कुछ प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिकायें सही जानकारी देते हुए हिचकिचाहट का अनुभव करते प्रतीत हुए किन्तु यह आश्वासन देने पर कि उनकी सूचनायें गोपनीय रखी जायेंगी और कठिनाइयों का यथासंभव निराकरण किया जाएगा, उन्होंने अपनी कठिनाइयाँ खुलकर बताईं। उनका कहना था कि विद्यालय समितियों से विचार-विमर्श में तो सुविधा होती है किन्तु कभी-कभी कार्य में अनावश्यक विलम्ब होता है। प्रायः ग्राम प्रधान जो समिति के अध्यक्ष होते हैं, अत्यधिक व्यस्तता

के कारण आवश्यकता होने पर समय से सुलभ नहीं हो पाते और कभी-कभी कार्य में अनावश्यक रूप से अवरोध उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थिति में कार्य करने में कठिनाई होती है।

दो विद्यालयों प्राइमरी पाठशाला बहुआ, फतेहपुर तथा जूनियर बेसिक विद्यालय चकबनतोड़, प्रतापगढ़ के प्रधान अध्यापकों ने स्पष्ट रूप से अपना मत व्यक्त किया कि विद्यालय समितियों के साथ संयुक्त खाता होने से अत्यधिक कठिनाई होती है। कोई भी कार्य समय से नहीं हो पाता। उन्होंने यह भी कहा कि विद्यालय के विकास में इन समितियों का न तो कोई सहयोग है और न तो उनकी कोई आवश्यकता है। उनसे बातचीत के दौरान तथा निरीक्षण से यह ज्ञात हुआ कि प्राइमरी पाठशाला बहुआ के विद्यालय भवन की स्थिति बड़ी भयावह थी किन्तु बार-बार लिखने और कहने पर भी मरम्मत नहीं हुई थी। चकबनतोड़, प्रतापगढ़ विद्यालय की स्थिति और भी गम्भीर थी। वहाँ कोई विद्यालय भवन नहीं है। भवन निर्माण हेतु 90 हजार धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। किन्तु विद्यालय के लिए उपलब्ध भूमि निश्चित न किये जाने के कारण निर्माण कार्य स्थगितप्राय है। ग्रामप्रधान तथा गाँव के 80% लोगों के हित में परस्पर टकराव होने के कारण (जैसा कि वहाँ के प्रधानाध्यापक ने बताया) कार्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। विद्यालय किसी की व्यक्तिगत भूमि पर पेड़ों के नीचे चलाया जा रहा था। वहाँ के अधिकांश बच्चे पास के व्यक्तिगत रूप से चलाये जाने वाले विद्यालय में चले गए थे जहाँ कम से कम उनके बैठने की समुचित व्यवस्था तो थी।

कहीं-कहीं विद्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है तो कहीं भवन टूटा है तो कहीं बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। जूनियर बेसिक विद्यालय पूरेईश्वरनाथ, प्रतापगढ़ में विद्यालय भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है किन्तु वहाँ की अध्यापिकाओं से ज्ञात हुआ कि (प्रधान अध्यापिका चिकित्सकीय अवकाश पर थीं) ग्राम प्रधान के हस्तक्षेप के कारण कार्य में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। वर्तमान विद्यालय नर्सरी पंचायतघर में चलता है जहाँ बच्चों के बैठने के लिए न तो पर्याप्त स्थान है और न सुविधा। उनके लिए पेयजल का भी कोई प्रबन्ध नहीं है।

कुछ विद्यालयों में व्यवस्था अच्छी है। विद्यालयों का परिवेश भी सुन्दर तथा आकर्षक है। पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं। विद्यालय भवन भी ठीक स्थिति में है। पेयजल व्यवस्था भी अच्छी है। विद्यालय समितियों का पूर्ण सहयोग भी उन्हें प्राप्त है। विद्यालय में खेल की भी समुचित व्यवस्था है। प्रतापगढ़ जनपद की तुलना में फतेहपुर जनपद के विद्यालयों की स्थिति अधिक सराहनीय है।

निष्कर्ष तथा सुझाव

कुल मिलाकर परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति बहुत अधिक सन्तोषजनक नहीं

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-7709
Date 01-09-98

कही जा सकती हैं। इस दृष्टि से विद्यालय समितियों की भूमिका का महत्व स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। जहाँ विद्यालय समितियाँ सार्वजनिक हित और लाभ को महत्व देती हैं, ग्रामप्रधान तथा प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिका में परस्पर सौहार्द्र और सहयोग की भावना है, वहाँ विद्यालयों की स्थिति बहुत अच्छी है। बालक/बालिकाओं की संख्या भी अधिक हैं, किन्तु जहाँ ग्रामप्रधान स्वार्थ तथा राजनीति के संकुचित दायरे में घिरे हुए हैं और प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिकाओं में परस्पर सहयोग का अभाव है वहाँ विद्यालयों की स्थिति भी अच्छी नहीं कही जा सकती। इस तरह कुल मिलाकर लगभग 60% विद्यालयों में विद्यालय समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त है। उनकी अनुशासन व्यवस्था तथा साज-सज्जा में निश्चित रूप से सुधार परिलक्षित होता है। इससे स्पष्ट है कि प्राथमिक विद्यालयों के विकास में विद्यालय समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इन लगभग 60% विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों/प्रधान अध्यापिकाओं ने विद्यालय समितियों द्वारा किये गये सहयोग तथा परामर्श की उन्मुक्त कण्ठ से सराहना की है और उनके द्वारा विद्यालयों में हुए सुधार तथा उन्नति का संकेत भी किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि विद्यालय समितियों के गठन से विद्यालय के विकास में एक बड़ी सीमा तक सहायता मिली है। विद्यालयों की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और अनुशासन में सुधार हुआ है। उनकी कठिनाइयों का निराकरण भी प्राप्त हुआ है और आवश्यक सुविधाओं की आपूर्ति भी सम्भव हो सकी है। किन्तु कहीं-कहीं उनसे विद्यालयों के विकास कार्यों में बाधा पहुँची है और विलम्ब भी हुआ है। ये विद्यालय समितियाँ विद्यालयों के विकास में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर शत-प्रतिशत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति सुदृढ़ कर सकें, इसके लिए सर्वेक्षण, अध्ययन, विश्लेषण तथा साक्षात्कार के मध्य जो बिन्दु उभर कर आये वे सुझाव के रूप में निम्नवत् हैं—

(1) ग्राम प्रधान तथा समिति के अन्य सदस्य गोष्ठियों में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। इसके लिए विभाग द्वारा स्पष्ट निर्देश निर्गत किए जाने चाहिए तथा गोष्ठियों के लिए प्रत्येक सत्र में तिथियाँ सुनिश्चित हों जिससे सभी सदस्य अवगत हों और उन तिथियों में सुलभ हो सकें।

(2) विद्यालय समितियों का यह भी दायित्व होना चाहिए कि वे देखें कि विद्यालयों के सर्वाङ्गीण विकास के लिए जो सुविधायें आवश्यक हों, उनकी आपूर्ति में किसी भी कारण से अनावश्यक विलम्ब न हो।

(3) ग्राम प्रधान विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों/प्रधान अध्यापिकाओं पर अनावश्यक अनुचित दबाव न डालें। इसके लिए आवश्यक है कि विभाग की ओर से उनकी

गोष्ठियों में विद्यालयों से सम्बन्धित अधिकारी भी अवश्य उपस्थित हों जो निष्पक्ष होकर उनका मार्ग-दर्शन करें।

(4) समितियाँ विद्यालयों के विकास के लिए अन्य आवश्यकताओं जैसे खेल के लिए पर्याप्त स्थान तथा पेयजल की व्यवस्था, चौकीदार की सुविधा आदि के विषय को भी वरीयता दें और उसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट दें।

(5) प्रभावी विभागीय निरीक्षण भी इस दृष्टि से आवश्यक है कि विद्यालय समितियाँ विशेषतया ग्राम प्रधान स्वार्थ तथा संकुचित राजनीति के प्रभाव में आकर विद्यालय के कार्यों में अनावश्यक अवरोध न उत्पन्न कर सकें।

(6) बालक/बालिकाओं के सर्वांगीण विकास पर ही विद्यालयों की सफलता निर्भर करती है। इसके लिए इस ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में भी बालक/बालिकाओं को खेलकूद करवाने के लिए एक प्रशिक्षित अध्यापक की व्यवस्था की जाय।

(7) प्रति उपविद्यालय निरीक्षक केवल दौरे के लिए ही दौरा न करें बल्कि वे प्रधान अध्यापकों व समितियों के परस्पर सहयोग में भी सक्रिय योगदान प्रदान करें। उनकी कठिनाइयों को सुनें और यथासम्भव निष्पक्ष रूप से उनको दूर करें, उनसे अनुश्रवण तथा फीड बैक की अवश्य प्राप्त करें।

(8) परिषदीय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का भी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कार्यवाहियों का प्रायः निरीक्षण किया जाना अनिवार्य समझा जाय जिससे वे अपने को उपेक्षित अनुभव न कर सकें।

(9) गोष्ठियाँ बुलाना, निरीक्षण करना, अनुश्रवण तथा फीड बैक प्राप्त करना आदि सभी कार्यों के लिए माह तथा तिथियाँ निश्चित की जाँय जिससे कार्य नियमित तथा सुचारु रूप से संचालित किया जा सके।

(10) विभाग स्वस्थ परम्परा तथा निरीक्षण द्वारा यह सुनिश्चित करे कि विद्यालयों के प्रधान तथा विद्यालय समितियों में परस्पर सहयोग से कार्य हो रहा है।

वस्तुतः विद्यालय तथा विद्यालय समितियाँ दोनों एक-दूसरे की पूरक हैं। दोनों के उद्देश्यों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। दोनों का उद्देश्य अच्छी शिक्षा द्वारा बालक/बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना है। जहाँ-जहाँ विद्यालयों को विद्यालय समितियों का सहयोग प्राप्त है वहाँ निःसन्देह शिक्षा का स्तर ऊँचा है और छात्र/छात्राओं की संख्या भी पर्याप्त है। विद्यालयों का वातावरण आकर्षक तथा अनुशासन सराहनीय है। यदि दोनों परस्पर सहयोग तथा सद्भावना से एकजुट होकर कार्य करें तो निश्चय ही विद्यालय समितियों के कार्यों से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का विकास होगा और विद्यालयों के विकास से विद्यालय समितियों की मर्यादा में वृद्धि होगी।

———

3

जिला योजना रचना की प्रमुख आवश्यकतायें एवं उनका क्रियान्वयन

पृष्ठभूमि

राजनैतिक स्वतन्त्रता के पश्चात् देशवासियों के उज्ज्वल भविष्य के लक्ष्य को समक्ष रखकर उनकी आर्थिक, सामाजिक नीतियों, परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार देश के विकास की रणनीति को स्वीकार किया गया।

सन् 1938 में पं० जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था। सन् 1950 में राष्ट्रीय स्तर पर योजना आयोग की स्थापना की गयी।

वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास खण्डों एवं वर्ष 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा का प्रारम्भ हुआ। वर्ष 1950-51 में प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिला योजना बनाने का प्रयास किया गया।

किसी भी योजना की सफलता को आशा तभी की जा सकती है जब लाभार्थियों की उसके निर्माण में सक्रिय सहभागिता हो एवं उसके कार्यान्वयन में वे स्वतः सहयोग दें। विभिन्न योजनाओं के अध्ययन से यह अनुभव किया गया कि जन-सहयोग पर आधारित योजनायें अधिक स्थायी एवं प्रभावी होती हैं।

जिला योजना निर्माण का प्रयास प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था, परन्तु उस समय इसका कोई स्पष्ट स्वरूप नहीं था, धीरे-धीरे उसका एक निश्चित स्वरूप विकसित होता गया। कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के विस्तार के फलस्वरूप विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में विभागाध्यक्षों द्वारा प्रत्येक जनपद के लिए वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण कर दिया गया था और इन्हें संकलित कर जिला योजना का रूप दिया जाता था जो कभी-कभी वर्ष समाप्ति के पश्चात् तैयार होता था अतः इसका लाभ नहीं मिल पाता था। लक्ष्यों के निर्धारण में जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों का कोई परामर्श भी नहीं लिया जाता था। संसाधनों को ध्यान में रखते हुए यह लक्ष्य अधिक अथवा न्यून हुआ करते थे, जिन्हें प्राप्त करना सरल कार्य नहीं था।

छठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में यह अनुभव किया गया कि जनपद स्तरीय अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि आपस में मिलकर व्यावहारिक योजना तैयार करें।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में संचालित योजनाओं की समीक्षा के पश्चात् कतिपय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया और जिला योजना रचना की प्रमुख आवश्यकताओं एवं उनके क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया। यह अपने उद्देश्यों में कहाँ तक सफल है, इसकी जानकारी तभी हो सकेगी जब इस पर विधिवत् शोध किया जाय। इसी दृष्टि से राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की क्रियात्मक अनुसंधान योजनान्तर्गत वृक्त विषय को आठवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990-95 एवं वार्षिक योजना 90-91 के परिप्रेक्ष्य में शोध अध्ययन हेतु लिया गया है। इस योजना का निर्माण स्थानीय आवश्यकताओं एवं सम्भाव्यताओं के आधार पर किया गया है। योजना निर्माण का कार्य प्रदेश की न्यूनतम इकाई (जिला) की आवश्यकता एवं क्षमता को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

यह सुनिश्चित हो गया है कि नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण ही एक विकल्प है जिससे प्रत्येक जिला अपने स्थानीय संसाधनों एवं क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग, विवेकानुसार करने में सक्षम हो सकेगा।

वर्तमान योजना के अन्तर्गत राज्य योजना को दो भागों में विभक्त किया गया है—राज्य सेक्टर एवं जिला सेक्टर।

ऐसी योजनाएँ जिनके लाभ मात्र एक जनपद तक ही सीमित नहीं हैं उन्हें राज्य सेक्टर में रखा गया है, शेष योजनाएँ जो जनपद विशेष को लाभान्वित करेंगी उन्हें जिला सेक्टर में रखा गया है।

आयोजनान्तर्गत परिव्यय का 70% राज्य सेक्टर योजनाओं के लिए एवं 30% जिला सेक्टर योजनाओं के लिए आवंटित किया जाता है। जिला सेक्टर की योजनाओं के लिए निर्धारित प्रक्रिया को एक वस्तुपरक मानक के आधार पर आवंटित किया जाता है। सार्थक योजनाओं का

चयन, रचना कार्यान्वयन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण स्थानीय अधिकारियों एवं लाभार्थियों के सक्रिय सहयोग से किया जाता है।

योजना के त्वरित कार्यान्वयन एवं अधिक लाभ को दृष्टिगत रखते हुए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला योजना समन्वयन एवं कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। समस्त सम्बन्धित विभागों के अधिकारी समिति के सदस्य हैं, मुख्य विकास अधिकारी सदस्य सचिव हैं तथा वित्त अधिकारी संयुक्त सचिव हैं।

दूसरी नियोजन एवं अनुश्रवण समिति जिला जन-प्रतिनिधियों की गठित की गई है, इसमें जनपद के समस्त सांसद, विधायक तथा जिला अधिकारी सदस्य हैं, शासन द्वारा निर्मित जनपद के प्रभारी मन्त्री समिति के अध्यक्ष होते हैं तथा मुख्य विकास अधिकारी सदस्य सचिव हैं। जिला स्तरीय समस्त अधिकारियों को आवश्यकतानुसार समिति में बुलाया जाता है।

इस प्रणाली के अन्तर्गत कुल परिव्यय को इंगित कर दिया जाता है एवं निर्धारित मार्ग निर्देशन के आधार पर जिले के अधिकारियों एवं जन-प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की योजना बनाने को कहा जाता है।

जिला स्तरीय नियोजन समिति को कार्यक्रमों को चर्यानत करने एवं उनके लिए धन-आवंटन प्रस्ताव बनाने का अधिकार एक अनुशासित व्यवस्था के अन्तर्गत उपलब्ध है। समिति को योजना के मूल उद्देश्यों, आधारित सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए अन्य सरकारी विभागों के कार्यक्रमों से ताल-मेल बैठाना आवश्यक रहता है। एक जिले की आवंटित परिव्यय दूसरे जिले को स्थानान्तरित नहीं हो सकता अतः आवंटन के समय ही यह प्रयास किया जाता हैं कि असन्तुलन की स्थिति न उत्पन्न हो।

जिला योजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियों एवं सम्बन्धित धनराशि का निस्तारण जनपदीय अधिकारी द्वारा हो, उसी स्थिति में पूर्ण लाभ सम्भावित है।

जिला सेक्टर में वर्तमान वर्ष में पूर्ण होने वाली योजनाओं को ही लिया जाता है। अधिक से अधिक लाभ प्राप्ति की दृष्टि से अपूर्ण/आंशिक पूर्ण योजनाओं को परिव्यय आवंटन के समय प्राथमिकता दी जाती है।

जनपद का चतुर्दिक विकास उसी स्थिति में सम्भव है जब विकासकारी योजनाओं का सुचिन्तित प्रारूप जनपद स्तर पर निर्मित किया जाये। प्रारूप-निर्माण में जन-प्रतिनिधियों एवं समन्वित विभागीय अधिकारियों का प्रतिनिधित्व हो। जिला—स्तरीयन प्रभाविकारिता, गुणवत्ता, अभिवृद्धि तथा ह्रास—अवरोधमूलक समस्याओं से जन-सामान्य को परिचित कराया

जाय। उनके निराकरण के सम्बन्ध में सुझाव आमन्त्रित किये जायें एवं क्रियान्वयन विधि से उन्हें अवगत कराया जाय।

जिला योजनाएँ निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करें, यह आवश्यकता है, अतः ऐसी स्थिति में इस आवश्यकता की अनुभूति हुई कि जनपदीय योजना का आंकलन किया जाये ताकि यह ज्ञात हो सके कि अद्योवधि किये गये सद्प्रयासों से जनपद कहाँ तक लाभान्वित हो रहे हैं? जनपद के विभिन्न विभागों में योजनाओं का कार्यान्वयन किस प्रकार से हो रहा है? विकास की प्रगति रेखा किस गति से बढ़ रही है?

स्थानीय संसाधनों के माध्यम से जनसाधारण की आकांक्षाओं की पूर्ति कहाँ तक हो रही है? इसी उद्देश्य से 'जिला योजना रचना की प्रमुख आवश्यकताएँ एवं उनका कार्यान्वयन' शीर्षक के अन्तर्गत शोध कार्य किये जाने की आवश्यकता की अनुभूति हुई।

इस शोध के अन्तर्गत अपेक्षित है कि निम्न बिन्दुओं को अध्ययन का आधार बनाया जाय—(1) योजना क्या है? (2) जनपद स्तर पर इसका औचित्य क्या है? (3) जन प्रतिनिधि, जिला विकास अधिकारी एवं अन्य जिलास्तरीय अधिकारी जनसाधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति किस सीमा तक पूर्ण करने में सक्षम हैं, जिला नियोजन को विकेन्द्रित नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से क्रमशः जनपद, विकास खण्ड एवं स्थानीय निगम किस सीमा तक लाभान्वित हो रहे हैं? (5) शिक्षा जगत में साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने में जो प्रयास किये जा रहे हैं उनमें कहाँ तक सफलता प्राप्त हो रही है? औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा से लाभान्वित लक्ष्य समूह क्या है? आदि-आदि बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए शोध अध्ययन की आवश्यकता एवं उपादेयता तथा औचित्य स्वतः सिद्ध हो जाता है।

उद्देश्य

(1) जिला योजना रचना के स्वरूप की जानकारी करने की आवश्यकताओं का आंकलन करना।

(2) योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्पन्न कठिनाइयों का पता लगाना।

(3) सर्वेक्षण एवं निरीक्षण द्वारा योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किये जाने की दिशा में समुचित मार्ग-दर्शन।

(4) क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप प्राप्त परिणामों का विश्लेषण तथा निष्कर्ष निरूपण करना।

परिकल्पना

जिला योजना निर्माण द्वारा ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों में समन्वित विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परिकल्पना की गयी थी, प्रत्येक ग्राम को समान रूप से विकसित करके, ग्रामीण अंचलों में रहने वाले व्यक्तियों का आर्थिक व सामाजिक विकास सम्भव हो सकेगा, शैक्षिक प्रबन्धकों द्वारा उनका सर्वांगीण विकास हो सकेगा।

परिसीमन

जनपद जौनपुर के शैक्षिक नियोजन का सर्वेक्षण किया गया, सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से साक्षात्कार किया गया।

न्यादर्श चयन

(1) प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित जनपद जौनपुर को न्यादर्श रूप में चयनित किया गया है।

(2) शोध अध्ययन शैक्षिक नियोजन पर आधारित है।

(3) जनपद के सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से साक्षात्कार।

(4) शैक्षिक योजनाओं के लिए आवंटित परिव्यय एवं उसकी उपयोगिता का अध्ययन।

उपकरण

प्रश्नावली प्रपत्र एवं साक्षात्कार विधि अपनाई गयी। निर्मित प्रश्नावली के आधार पर जनपद जौनपुर के शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी अधिकारियों से साक्षात्कार किया गया।

कार्यविधि

शिक्षा विभाग के अधिकारियों से प्रश्नावली-प्रपत्र पूरित करवाए गये। जिला योजना-क्रियान्वयन में किये गये प्रयास तथा प्राप्त प्रतिक्रिया का अध्ययन किया गया।

प्रदत्त संकलन

सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप-विद्यालय निरीक्षक, उप-बालिका विद्यालय निरीक्षिका, जिला विकास अधिकारी, जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी (महिला) तथा जिला विद्यालय निरीक्षक के जनपद में चल रही जिला योजना के अन्तर्गत शैक्षिक कार्यक्रम के नियोजन, कार्यान्वयन एवं बजट नियमन पर आधारित पृच्छा प्रपत्र/प्रश्नावलियाँ पूरित करवाकर एवं साक्षात्कार करके सूचनाएँ संकलित की गयीं।

प्रदत्त विश्लेषण

जिला योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को विशेष महत्व दिया गया है, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा आदि मदें आती हैं। सर्वेक्षण के समय

यह देखा गया है कि इन मदों में कितना परिव्यय निर्दिष्ट किया गया है तथा इसका उपयोग किस प्रकार किया गया है ?

शैक्षिक नियोजन के अन्तर्गत निम्न प्रक्रियाएँ निहित हैं—

(1) शैक्षिक विकास के लिए नीति निर्धारण

(2) परियोजनाओं का निर्माण एवं कार्यान्वयन

(3) प्राथमिक शिक्षा—इसके लिए निम्नांकित प्राथमिकताएँ निर्धारित की गयी हैं—

(क) शिक्षा का सार्वजनीकरण

(ख) प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार

(ग) बालिका शिक्षा का विस्तार

(घ) जर्जर/क्षतिग्रस्त जू० बे० विद्यालयों की मरम्मत तथा निर्माण

(ङ) असेवित ग्रामीण क्षेत्रों में जू० बे० विद्यालयों का खोला जाना

(च) सी० बे० विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा का सुधार

(छ) अशासकीय मान्यता प्राप्त सी० बे० विद्यालयों का अनुदान सूची पर आना

(ज) विकास खण्ड स्तर पर प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण

शोध अध्ययन जनपद अधिकारियों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं एवं पूरित प्रश्नावली पर आधारित हैं।

जनपद जौनपुर में कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1272 है इनमें से 1223 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं एवं 49 नगर क्षेत्र में हैं, सभी मिश्रित विद्यालय हैं। जू० हाईस्कूलों की कुल संख्या 156 हैं इनमें 131 बालकों के हैं तथा 25 बालिकाओं के हैं।

उच्चतर एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय की कुल संख्या 157 हैं, इनमें 147 बालकों के हैं तथा मात्र 10 बालिकाओं के हैं।

300 या उससे अधिक आबादी वाले गाँवों की संख्या 453 है, इन गाँवों की 1·5 कि० मी० की परिधि में कोई जू० बे० विद्यालय नहीं है। गाँव के निकट के पूर्व स्थित विद्यालय की दूरी गाँव से 1·5 किमी० है।

जनपद में 884 गाँव हैं जिनकी जनसंख्या 800 या उससे अधिक है। इन सभी गाँवों से सी० बे० विद्यालयों की दूरी 3 किमी० है। प्राथमिक विद्यालयों से लाभान्वित हो रहे बालक/बालिकाओं की कुल संख्या 3,95,000 है। बालकों की संख्या 2,42,000 एवं बालिकाओं की संख्या 1,53,000 है।

सीनियर बेसिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बालक 86,000 तथा बालिकाएँ 2,600 हैं। योग 1,12,000 है।

असहायिक मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या 163 है, स्थायी मान्यता प्राप्त 71 एवं अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या 92 है। इनमें बालिका विद्यालयों की संख्या 14 है, 10 स्थायी मान्यता प्राप्त कर चुके हैं, 4 को अभी अस्थायी मान्यता प्राप्त हैं।

6 से 14 वय वर्ग के छात्रों के लिए अंशकालिक कक्षाओं की व्यवस्था की गयी है। जनपद के 17 विकास खण्डों में यह योजना चल रही है, इसके नाम निम्नवत् हैं—

(1) शाहगंज, (2) मुंगरा बादशाहपुर (3) मछली शहर, (4) बक्सापुर, (5) बड़ियाँहू, (6) धर्मापुर, (7) रामपुर, (8) रामनगर, (9) जलालपुर, (10) खुटहन, (11) सिकरारा, (12) बक्सा, (13) महराजगंज, (14) सुजानगंज, (15) बरसठी, (16) सुइथा कला, (17) करंजा कला।

विकास क्षेत्रों में 100 प्रति विकास खण्ड की दर से 1700 केन्द्र चल रहे हैं, इनमें 1600 केन्द्र मिश्रित हैं तथा 100 केवल बालिकाओं के लिए हैं। कार्यरत अनुदेशक, अनुदेशिकाओं की संख्या 1700 है।

पुरानी परियोजनाओं में खुले केन्द्रों में शिक्षण सामग्री पर्याप्त है तथा नवीन योजनान्तर्गत सामग्री अपर्याप्त है।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के निरीक्षण जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, परियोजना अधिकारी एवं अंशकालिक स्वैच्छिक पर्यवेक्षकों द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार नियमित रूप से किए जाते हैं और निःशुल्क शिक्षण सामग्रियाँ सुलभ करायी जाती हैं।

अंशकालिक कक्षा व्यवस्था से कुल 42,500 छात्र/छात्राएँ लाभान्वित हो रहे हैं, बालकों की संख्या 12,750 एवं बालिकाओं की संख्या 29,750 है।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड में लिए जा चुके विद्यालयों की संख्या 910 है, शेष विद्यालयों की संख्या 928 है

समस्त सीनियर बेसिक विद्यालयों में जिनकी संख्या 156 है विज्ञान किट उपलब्ध कराये जा चुके हैं, किन्तु कुर्सी-मेज, श्यामपट्ट, लोहे की आलमारी एवं लोटा-बाल्टी आदि आवश्यक वस्तुयें पर्याप्त नहीं हैं।

जनपद के समस्त प्राथमिक विद्यालयों के लिए भवन निर्मित हो गये हैं, पुराने भवनों के मरम्मत के लिए वित्तीय वर्ष 90-91 का परिव्यय स्वीकृत किया जा चुका है।

अनुसूचित जाति क्षेत्र में 184 विद्यालय चल रहे हैं। जनजाति क्षेत्र में एक भी विद्यालय नहीं हैं। बहुल क्षेत्र में स्थित विद्यालयों की संख्या 1034 है।

जनपद के 25 सी० बे० विद्यालयों में भवन नहीं है, ऐसा कोई विद्यालय जनपद में नहीं है जो छात्र-संख्या अधिक हो किन्तु भवन न हो।

जनपद में 2 अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

प्राथमिक विद्यालयों के 75,697 बालक एवं 10,500 बालिकायें निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

सीनियर बेसिक विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकीय सहायता कुल 65,196 विद्यार्थियों को मिल रही हैं, इसमें 15,696 बालक तथा 49,500 बालिकायें सम्मिलित हैं।

निर्धन वर्ग की छात्राओं की संख्या जिन्हें पोशाक व्यय देने की आवश्यकता है 75,737 है।

70 छात्र/छात्राओं को 15 रु० प्रति माह की दर से योग्यता छात्रवृत्ति अनुमोदित है।

जनपद में अरबी मदरसों की संख्या कुल 5 है उनको अनुरक्षण अनुदान प्राप्त है तथा दो को अनुदान सूची में लाने का प्रयास किया जा रहा है।

जिला विकास योजनाओं के सम्यक् संचालन एवं क्रियान्वयन के निमित्त शासन द्वारा धन-राशि अनुदानित किए जाने का प्रावधान किया गया है। नवीन संशोधन के अनुसार बेसिक शिक्षा से सम्बधित जिला स्तरीय योजनाओं को संक्षिप्त रूप में 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

(1) आवर्तक योजनाएँ,

(2) अनावर्तक योजनाएँ,

(3) पूँजीगत योजनाएँ।

जनपद में खेलकूद एवं बाल कल्याण हेतु प्राप्त अनुदान में 88-89, 89-90, 90-91 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अर्थात् प्रतिवर्ष 3·5 हजार अनुदानित हो रहा है।

बालचर स्काउट तथा गाइड हेतु कोई परिव्यय अनुदानित नहीं किया गया।

कार्यालय में आवश्यकतानुसार कर्मचारी हैं, भवन किराये का है, अधिकारियों के आवासीय भवन नहीं बनवाये गये हैं।

जनपद में सीनियर बेसिक विद्यालयों के निर्माण हेतु धन आवंटित है।

अधिकारियों से सीधा सम्पर्क करने पर जो जानकारी मिली उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जनपद का चतुर्दिक विकास हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि आठवीं पंच-वर्षीय योजना के पूर्ण होने के उपरान्त जनपद जौनपुर प्रदेश के पिछड़े जनपद के स्थान पर विकास-शील जनपद कहा जायेगा ।

निष्कर्ष निरूपण

प्रदत्त विश्लेषण द्वारा जो निष्कर्ष निरूपित किए गये वह निम्नांकित हैं—

(1) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है । शैक्षिक विकास हेतु नीति-निर्धारण परियोजनाओं का निर्माण एवं उनका कार्यान्वयन, जनपदीय अधिकारी सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं ।

(2) अध्ययन के आधार पर यह सुनिश्चित किया गया कि शिक्षा का सार्वजनीकरण, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं बालिका शिक्षा विस्तार जो प्राथमिक शिक्षा की प्राथमिकताओं में सम्मिलित महत्वपूर्ण विन्दु हैं उनमें पर्याप्त सुधार परिलक्षित हो रहा है ।

(3) जू० बे० विद्यालय एवं सी० बे० विद्यालय तथा अंशकालिक कक्षाओं से लाभान्वित लक्ष्य समूह को देखने से यह ज्ञात होता है कि जनपद में शिक्षा का बिस्तार सन्तोष-जनक है ।

(4) बालिकाओं के उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आवश्यकता से कम हैं । बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु अधिकारियों द्वारा समुचित ध्यान दिया जाना अपरिहार्य है ।

(5) जू० बे० एवं सी० बे० विद्यालयों के भवनों का निर्माण एवं मरम्मत व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष में सन्तोषजनक है ।

(6) विज्ञान शिक्षण की दिशा में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है ।

(7) अध्यापकों का दक्षता पुरस्कार पाना, उनकी कर्मठता एवं योग्यता का द्योतक है । आदर्श शिक्षक ही नौनिहालों के भविष्य निर्माता होते हैं ।

(8) अनुसूचित जाति के क्षेत्र में 184 विद्यालय खोले जा चुके हैं, ऐसे ग्राम जिनमें अनु-सूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या 50% से अधिक है, वहाँ बनवाये जाने वाले विद्यालय भवनों एवं खोले जाने वाले विद्यालयों के कार्यक्रम को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत साकार किया जायगा ।

(9) जू० बे० एवं सी० बे० विद्यालयों में विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकीय सहायता दी जा रही है। निर्धन वर्ग की छात्राओं के लिए पोशाक व्यय का भी प्राविधान किया गया है।

(10) कक्षा 6-8 के छात्र/छात्राओं को 15% मासिक की दर से 3 वर्ष के लिए योग्यता छात्रवृत्ति दी जा रही है इससे उन्हें आवश्यकता-पूर्ति से अधिक अध्ययन का प्रोत्साहन मिल रहा है।

(11) अरबी मदरसों को भी निर्धारित शर्तें पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि वे शीघ्रातिशीघ्र अनुदान सूची में आ जायें।

(12) वर्ष 90-91 में असेवित क्षेत्रों में खोले जाने वाले जू० बे० विद्यालयों में उन स्थानों को वरीयता प्रदान की गयी है, जहाँ का साक्षरता प्रतिशत अपेक्षाकृत न्यून है।

सुझाव तथा उपयोगिता

जिला नियोजन की विकेन्द्रित नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से जनपद विशेष रूप से लाभान्वित हुआ है जो कि पूर्व कार्यान्वित नियोजन प्रक्रिया द्वारा सम्भव नहीं था। इस प्रक्रिया की सार्थकता इस बात से भी सिद्ध होती है कि जनपद में व्याप्त विषमताओं को दृष्टि में रखते हुए, जन-प्रतिनिधियों से आवश्यक विचार-विमर्श के उपरान्त, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप, जनपद के विभिन्न विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है, यह स्वयं में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

शैक्षिक नियोजन के परिणामों के अवलोकन से यह कहा जा सकता है कि जनपद का बहुविधि विकास हो रहा है, किन्तु सर्वेक्षण के समय कुछ ऐसे बिन्दु भी उभरकर सामने आये हैं, जिनमें सुधार अपेक्षित है, इसी तारतम्य में निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत हैं—

(1) शासन स्तर पर सम्बन्धित विभागों के सचिव/विभागाध्यक्षों के परामर्श से योजनाओं/कार्यक्रमों के परिव्यय में संशोधन कर दिया जाता है जो उचित नहीं है।

(2) परिव्यय को अन्तिम रूप देने में जनपद की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है, परिणामस्वरूप स्वीकृत धनराशि अधिक अथवा न्यून स्वीकृत कर दी जाती है। इस दिशा में उचित यह होगा कि परिव्यय की स्वीकृति में जनपदीय अधिकारियों को परिव्यय को घटाने-बढ़ाने की छूट होनी चाहिए।

(3) विभिन्न योजनाओं के स्वीकृत परिव्यय में वर्ष के अन्तिम त्रैमास में हुई जो बचत उपलब्ध होती है उसका पुनर्विनियोग करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है, प्रस्ताव की स्वीकृति वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में प्राप्त होती है, उस समय उस स्वीकृत परिव्यय का उपभोग सम्भव नहीं हो पाता है, अतः बचतों के आधार पर पुनर्विनियोजन का अधिकार जनपदीय स्तर पर होना उचित होगा।

(4) शैक्षिक नियोजन का अभिप्राय आवंटित परिव्यय का विभिन्न परियोजनाओं में विभाजन मात्र नहीं है, योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण पर ध्यान दिया जाना नितान्त आवश्यक है। योजनाओं का पूर्ण लाभ उसी स्थिति में प्राप्त किया जा सकता है यदि निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित रखा जाय—

(क) शुद्ध, विश्वसनीय एवं सुसंगत आंकड़ों तथा सूचनाओं का संकलन।

(ख) परियोजनाओं की वैज्ञानिक ढंग से संरचना।

(ग) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की समुचित व्यवस्था।

(5) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को सभी मदों के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर परिव्यय उपलब्ध कराया जाय। कतिपय योजनायें जो विभिन्न चरणों में पूर्ण की जाती हैं उनके सम्बन्ध में यह अभिज्ञानित कर लेना चाहिए कि समयबद्ध कार्यक्रमानुसार उन्हें पूर्ण कराने के लिए आवश्यकतानुसार परिव्यय का प्रावधान हो जाय।

(6) भवन निर्माण कार्य के लिए निर्धारित निर्माण एजेन्सी का होना आवश्यक है, इस प्रकार से निर्माण कार्यों को समयानुसार सम्पादित किया जा सकेगा। निर्माण एजेन्सी द्वारा आगणन प्राप्त हो जाने के पश्चात् जिला योजना में उसका प्रावधान कराना चाहिए।

(7) 300 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों में नये विद्यालय खोले जाते हैं, इनमें प्रायः 30-35 छात्र प्रवेश लेंगे, इसके स्थान पर यदि नवीन विद्यालयों पर व्यय की जाने वाली धनराशि को वर्तमान में चल रहे विद्यालयों को सुसज्जित करने में व्यय किया जावे एवं प्रत्येक विद्यालय में 10 अतिरिक्त छात्र/छात्राओं को प्रविष्ट कर लिया जाय तो छात्र संख्या में लगभग 7 लाख की वृद्धि सम्भावित है। नवीन विद्यालय केवल असेवित क्षेत्रों में प्रस्तावित किए जाने चाहिए।

(8) अशासकीय सीनियर बेसिक विद्यालयों, अरेबिक मदरसों को अनुदान सूची पर ले जाने का प्रस्ताव किया जाय ।

जिला योजना से आशा है कि इसके द्वारा जनपद का सर्वांगीण विकास सम्भव हो सकेगा । आज की ज्वलन्त समस्यायें जैसे निरक्षरता, निर्धनता, बेरोजगारी आदि का निवारण किया जा सकेगा । समस्त वर्ग के लोगों के रहन-सहन एवं सामाजिक जीवन में समुचित परिवर्तन हो सकेगा ।

वर्तमान में चल रही जिला योजनाओं का क्रियान्वयन सोत्साह होता रहे तो निःसन्देह यह मानव-कल्याणकारी योजनाओं के रूप में समाहृत हो सकेंगी तथा इनकी सार्थकता निर्विवाद रहेगी ।

4

आदिवासी तथा जनजाति बालक-बालिकाओं की शैक्षिक समस्याओं का एक अध्ययन

पृष्ठभूमि

अनुशासित विधि से बालकों की गुप्त प्रतिभा को विकसित करके उन्हें समाज का उत्तर-दायी घटक तथा राष्ट्र का प्रखर चरित्र सम्पन्न नागरिक बनाना हमारी शिक्षा पद्धति तथा समस्त शिक्षणालयों का प्रमुख उद्देश्य है। जब भारतीय संस्कृति की शक्ति-सम्पन्न नींव पर भारतीय शिक्षा प्रणाली की दीवार खड़ी होगी तभी हम एक सभ्य, सुसंस्कृत, शिष्ट, सौम्य एवं परिष्कृत नागरिकता का निर्माण कर सकेंगे जो राष्ट्र के सर्वतोमुखी विकास में सहायक सिद्ध होगा। बालकों के अभ्यन्तर में निर्भीकता, साहस, शौर्य एवं आत्म-विश्वास उत्पन्न कर परम्परागत मूल्यों की प्रतिष्ठा में शिक्षा एक सशक्त माध्यम है।

विकासोन्मुखी राष्ट्र की सर्वोपरि आवश्यकता सुशिक्षित मानव संसाधन है। मानव जीवन की सर्वतोमुखी सफलता, सत्यता, सरलता, निष्कपटता, निःस्वार्थता, सदाचार, दया, धर्म, परोपकार आदि दैवी गुणों के ग्रहण तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, हिंसा, कदाचार आदि आसुरी गुणों के परित्याग पर अवलम्बित है जो शिक्षा से ही प्राप्त की जा सकती है।

शिक्षा मानव समाज के विकास की सतत् प्रक्रिया एवं आधार-शिला है। राष्ट्रीय विकास की परिकल्पना में नागरिकों का भौतिक तथा आध्यात्मिक कल्याण सन्निहित है। अपने परिवेश, पर्यावरण तथा समाज एवं राष्ट्र को समझने के लिए व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता होती है। सभी व्यक्तियों को अपनी अन्तर्निहित क्षमता एवं शक्ति के विकास तथा व्यक्तित्व के प्रस्फुटन के लिए शिक्षा प्राप्त करना जन्म-सिद्ध अधिकार है।

शिक्षा के इन्हीं उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर भारतीय संविधान की धारा 45 में यह अपेक्षा की गयी थी कि संविधान लागू होने की अवधि में 6 से 14 वय वर्ग के सभी बालक/बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर अध्ययन करेंगे तथा भारतीय प्रजातन्त्रात्मक समाज की आधारशिला पर शिक्षित समुदाय पर रखी जा सकेगी। किन्तु संविधान रचयिताओं का यह स्वप्न अभी तक रूढ़िवादी प्रवृत्ति के कारण साकार नहीं हो सका।

स्वतन्त्रता के पश्चात् अब तक शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए अनेकों उपयोगी कदम उठाये गये हैं। छात्र नामांकन के लिए अनेकों उपाय किये गये हैं, लेकिन अभी तक कम नामांकन, कम उपस्थिति तथा शाला त्यागियों की समस्या बनी हुई है। अधिकांश नये विद्यालय खोले जा रहे हैं। छात्रों का नामांकन बढ़ाये जाने का अहर्निश यत्न किया जा रहा है, लेकिन जब हम प्रतिशत में अपनी प्रगति आंकते हैं तो एक धूमिल छवि दृष्टिगत होती है। ऐसा लगता है कि शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य अभी बहुत दूर है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को विशिष्ट प्राथमिकता दी गयी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो गया है कि घर-घर, दरवाजे-दरवाजे पर जाकर शिक्षा ग्रहण कराने हेतु सभी को जागृत किया जाय। समय, स्थान और पाठ्यक्रम में नवीनता लाकर सभी को बिना किसी भेदभाव के शिक्षित किया जाय। एतदर्थ जो शिक्षार्थी पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा किन्हीं अन्य कारणों से विद्यालय में न जा सकें या बीच में ही पढ़ायी छोड़कर घर बैठ गये हैं, ऐसे अपवंचित और असुविधाग्रस्त बालक/बालिकाओं को उनकी सुविधानुसार शिक्षा सुलभ कराने की भरपूर व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में देश एवं प्रदेश स्तर पर औपचारिक शिक्षा व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में की गयी है, जिसे अनौपचारिक शिक्षा की संज्ञा दी गयी है।

औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा प्राप्त करने हेतु शिक्षार्थी का निर्धारित अवधि में विद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। फलतः समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े, उपेक्षित तथा कमजोर वर्ग के ऐसे बालक/बालिकाओं के लिए जो बाल्यावस्था से ही रोजी-रोटी के धन्धे में लग जाते हैं और शिक्षार्जन के अवसर से वंचित रह जाते हैं, विशेषतया वे बालक/बालिकाएँ जो घर-गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त और पारिवारिक बन्धनों से आबद्ध होने के साथ-साथ सामाजिक रूढ़ियों एवं संरोधों के कारण विद्यालय नहीं जा पाते एवं शिक्षा प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा विशेष रूप से उपयोगी एवं सार्थक है, क्योंकि इस प्रणाली से शिक्षार्थी को उसकी सुविधानुसार अपने दरवाजे पर ही शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध हो जाता है।

'सबके लिए शिक्षा' योजनान्तर्गत शिक्षा के विविध आयामों के परिप्रेक्ष्य में सम्प्रति जितनी भी विधाएँ प्रदेश में प्रचलित हैं। निःसन्देह वे सभी उपयोगी, सार्थक एवं अपनी भूमिका निभाने में सक्षम हैं, किन्तु इसका पूर्ण लाभ समाज के सभी वर्ग के बालक-बालिकाओं को किन्हीं कारणों से नहीं मिल पा रहा है, फलतः हमारे शिक्षाविदों, विचारकों तथा शिक्षा के सूत्रधारकों के मन एवं मस्तिष्क आक्रान्त हो गये हैं। हम सभी इस तथ्य से भली-भाँति सुपरिचित हैं कि 'शैशव यौवन का जनक है' दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता हैं कि जो बचपन में बोया जायेगा वही युवावस्था में काटना पड़ेगा। हमारे बच्चों को जो अवसर आज सुलभ है वह हमें अपने बचपन में स्वप्न में भी दुर्लभ था। बच्चों के जीवन के विविध क्षेत्रों में अद्यावधि बहुविध विकास हुए हैं, किन्तु उससे समाज के कुछ अभिजात्य एवं मध्यम वर्गों के ही बालक-बालिकायें लाभान्वित हो रही हैं। निर्बल तथा उपेक्षित वर्ग आज भी शिक्षा सम्बन्धी सुलभ सुविधाओं के भरपूर लाभ से वंचित हैं। उदाहरणार्थ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लिया जा सकता है, जिनकी साक्षरता क्रमशः 21·38% एवं 19.33% है। इसमें महिलाओं की साक्षरता मात्र 8.44% हैं जो निर्धारित लक्ष्य से अति न्यून होने के साथ-साथ किसी भी विकासोन्मुखी देश के लिए चिन्ताजनक भी है। आभिजात्य एवं सामान्य वर्गों के बालक-बालिकाओं की समुचित शैक्षिक व्यवस्था के साथ-साथ संविधान की धारा 341 एवं 342 के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्ति जनजाति एवं आदिवासियों के स्तरोन्नयन हेतु विशेष सुधार किये जा रहे हैं। उनके सर्वतोमुखी विकास के लिए कई प्रकार के प्रयास किये गये हैं। उन्हें समानता का अधिकार दिया गया है। सामाजिक तथा राजनैतिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। सर्वत्र समान रूप से समस्त शैक्षिक सुविधाएँ सुलभ करायी गयी हैं। नौकरियों में, 18% स्थान आरक्षित हैं। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। समाज कल्याण योजनान्तर्गत प्रदेश सरकार की ओर से अनेक प्रकार की छात्र-वृत्तियों तथा आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है, फिर भी इनकी शैक्षिक योग्यता तथा स्तरोन्नयन एवं जीवन की गुणवत्ता पर प्रश्न-चिह्न लगा हुआ हैं। विशिष्ट प्रोत्साहनों के साथ शिक्षा का समान अवसर सुलभ कराये जाने की समुचित व्यवस्था के बावजूद भी आदिवासियों के बालक-बालिकाओं की शैक्षिक प्रगति अतिन्यून है जो वर्तमान परिवर्तित परिवेश जनाकांक्षाओं की पूर्ति तथा राष्ट्रीय अपेक्षाओं के प्रतिपालन की दृष्टि से लज्जास्पद है। इससे बचने का मात्र एक ही उपाय है इनका शैक्षिक स्तरोन्नयन।

आदिवासियों का संक्षिप्त परिचय

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक भेदों के साथ-साथ प्रजातीय विभिन्नता का अस्तित्व भी एक आवश्यक धारणा है। विश्व देश में आदिमकाल से प्रजातीय

संस्कृतियों का ज्ञान मिल रहा है, जब देश का सबसे बड़ा प्रदेश इन प्रजातियों से अछूता नहीं रह सकता है। सभ्य समाज से दूर तथा प्रकृति के अत्यन्त निकट रहने वाले ये प्रजातीय समूह जो मूलतः वनों, पठारों, पहाड़ों तथा घाटी क्षेत्रों में अपना जीवनयापन करते हैं, उन्हें वन्य जाति, आदिम जाति, जनजाति अथवा आदिवासी समाजों के नाम से जाना जाता है जो न्यूनाधिक रूप में परिलक्षित दिखाई पड़ते हैं।

डॉ० मजूमदार (रेसेज एण्ड कल्चर्स आफ इण्डिया) के अनुसार जनजाति परिवारों के समूह का एक संकलन होता है जिनका एक सामान्य नाम होता है, जिनके सदस्य एक निश्चित भू-भाग पर रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं तथा विवाह, व्यवसाय एवं उद्योगों के सम्बन्ध में निश्चित निषेध का पालन करते हैं।

उक्त उद्धरण के आलोक में यह कहा जा सकता है कि जनजाति तथा आदिवासी समाज की संरचना ग्रामीण नगरीय सभ्यता से पूर्णतः भिन्न होती है। जब तक सभी समाज पृथक्-पृथक् स्तरों पर अपनी पूर्णता को संजोये रहे तब तक कोई असंतुलन नहीं पैदा हुआ। औद्योगीकरण, नगरीकरण, पश्चिमी तथा आधुनिकीकरण एवं संस्कृतिकरण ने अनेकानेक ऐसी समस्याओं को जन्म दिया जो आदिवासी समाज के जन-जीवन को उथल-पुथल करने के लिए पर्याप्त थी।

आदिवासी समाज प्रकृति की निकटता के कारण प्रकृति पर निर्भर करता है। सामुदायिकता की भावना इनमें प्रबल रूप से पायी जाती है। वे बाह्य हस्तक्षेपों से दूर रह कर अपने रहन-सहन, रीति-रिवाज, धर्म, जादू-टोना, आचार-विचार, संस्कृति तथा कला को अक्षुण्ण बनाये रखने में अटूट विश्वास रखते हैं। आत्म-निर्भरता तथा स्वावलम्बन उनके सामाजिक जीवन के प्रमुख आधार होते हैं, किन्तु फिर भी ये शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आर्थिक आदि अनेकों समस्याओं की श्रृङ्खला में आबद्ध रहते हैं। अतः उपर्युक्त प्रश्नचिह्न को मिटाने का एक सरल उपाय यह है कि आदिवासियों के बालकों की शैक्षिक समस्याओं से संबंधित विविध पहलुओं का विधिवत अध्ययन कर इनके कारण तथा निवारण का समुचित हल ढूंढा जाय।

आदिवासियों के बालकों की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन कर उनके कारणों की जानकारी तथा निवारण के ठोस उपाय ढूंढना तभी सम्भव हो सकेगा जब उक्त विषय पर अनुसंधान-कार्य स्वतन्त्र रूप से किया जाय। सम्प्रति सीमित समय एवं संसाधनों के कारण क्रियात्मक अनुसंधान योजनान्तर्गत आदिवासियों के बालकों की शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन, विषय की

विवेचना, परिकल्पित विवेच्य विषय से सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी तदनुसार प्राप्त तथा संग्रहीत तथ्यों का सम्यक् विश्लेषण और अन्ततः निष्कर्ष निरूपण युग की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने में एक उचित प्रयास होगा।

विधि एवं कार्य प्रणाली

आप अवगत हैं कि आदिवासी समुदाय प्रदेश के कतिपय जनपदों में न्यूनाधिक रूप में अवस्थित हैं, उन आदिवासी बहुल जनपदों में प्रतिदर्श रूप में मुख्यतया तराई भू-भाग में स्थित गोण्डा तथा बहराइच जनपदों के दस प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों में अध्ययनरत आदिवासी थारू जनजाति के बालक/बालिकाओं को उनकी शैक्षिक समस्याओं की जानकारी हेतु शोधगत विषय के केन्द्र बिन्दु के रूप में चयनित किया गया है, जिनके निरीक्षणोपरान्त निष्कर्षतः संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि इन विद्यालयों की प्रवेश पंजी में प्रत्येक छात्र के प्रवेश की तिथि, नाम, पता, अभिभावक का व्यवसाय, मासिक आय, विद्यालय जाने वाले भाई-बहनों की संख्या, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता आदि विधिवत् अंकित किये जाने का प्रावधान है, एतदर्थ प्रवेश पंजी में निर्धारित स्तम्भ भी बने रहते हैं। अधिकांश विद्यालयों में वांछित प्रविष्टियाँ अपूर्ण पाये जाने के कारण शोधगत विषय से सम्बन्धित समस्याओं के कारणों और उनके निवारण के उपायों पर यथोचित प्रकाश न पड़ने के परिणामस्वरूप सम्बन्धित छात्रों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा अन्य अनेक समस्याओं की जानकारी जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इनकी शैक्षिक समस्याओं की जननी कही जा सकती है, उन पर आधारित विविध प्रकार के पृच्छा प्रपत्रों, प्रश्नावलियों को निर्मित एवं विकसित कर छात्रों में वितरित की गयी। शोधगत विषय से सम्बन्धित अधिकांश छात्रगण अपरिपक्व मस्तिष्क के हैं, अतः अनुसंधाता की जिज्ञासा के परिप्रेक्ष्य में विषय की सम्यक् जानकारी हो सके और शोध की वैधता एवं विश्वसनीयता बनी रहे, एतदर्थ चयनित विद्यालयों के सम्बन्धित प्रधानाध्यापकों तथा सहायक अध्यापकों, उपविद्यालय निरीक्षकों, प्रत्यूप विद्यालय निरीक्षकों में आवश्यकतापरक पृच्छा प्रपत्रों को वितरित कर उनके विचारों को संग्रहीत किया गया। इसी क्रम में ब्लाक सिरसिया, तहसील भिन्गा, जनपद बहराइच के आदिवासी-जनजाति बहुल क्षेत्र में स्थित प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल रनियापुर तथा मचकाही में अध्ययनरत क्रमशः 1 से 5 तक के कुल 97 छात्र तथा 17 छात्रा और 62 छात्र तथा 07 छात्राओं से व्यक्तिगत सम्पर्क किया गया। साथ ही साथ उक्त विद्यालयों से सम्बन्धित सहायक अध्यापक श्री राम कुबेर तथा रामितराम के भी बातचीत की गयी। इसी क्रम में इन्हीं गाँवों में स्थित जू० हाईस्कूल में अध्ययनरत कक्षा 6, 7, 8 के 27 छात्र, 02 छात्राएँ, 15 छात्र तथा 02 छात्राओं एवं उनके प्रधानाध्यापक श्री आनन्दस्वरूप एवं दुःखहरन नाथ जी से अध्ययनरत

छात्र/छात्राओं की शैक्षिक समस्याओं के सन्दर्भ में भेंट-वार्ता की गयी तथा प्रत्युप विद्यालय निरीक्षक श्री अब्दुल मजीद के साथ कतिपय अभिभावकों से भी शोध अध्ययनगत विषय के परि-प्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गयी ।

इसी प्रकार बहराइच जनपद के मिडिपुरुवा ब्लाक में स्थित जू० हाईस्कूलों एवं प्राइमरी विद्यालय से सम्बन्धित निम्नांकित सारणी के अनुसार उल्लिखित कक्षावार छात्र/छात्राओं, सहायक अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों तथा कतिपय अभिभावकों से हमने अपनी जिज्ञासा के परि-प्रेक्ष्य में बातचीत की । गोण्डा जनपद में आदिवासी/जनजाति बहुल ब्लाक गैसड़ी तथा पचपेड़वा में संलग्न सारणी के अनुसार स्थित प्राइमरी विद्यालयों में कक्षावार अंकित कुल 255 ब्लाक तथा 136 बालिकाओं में से कुछ शिक्षार्थियों, अभिभावकों, सहायक एवं प्रधानाध्यापकों से सम्बन्धित प्रत्युप विद्यालय निरीक्षक के साथ भेंट-वार्ता की गयी । इसी क्रम में प्राइमरी पाठशाला, रज-डेरवा के 94 छात्र और विशुनपुर विश्राम विद्यालय में अध्ययनरत 231 छात्र/छात्राओं में से कुल 50 एवं 15 छात्र/छात्राओं, अध्यापकों तथा दो-चार अभिभावकों से व्यक्तिगत सम्पर्क किया गया । जनजाति कल्याण निरीक्षक श्री जे० सी० उप्रेती, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी गोण्डा से भी बातचीत की गयी । साक्ष्यों के आधार पर आदिवासियों के बालकों की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन कर उनके कारणों तथा निवारण के उपायों से सम्बन्धित जो निष्कर्ष निःसृत हुआ है, वह शिक्षा विभाग से सम्बद्ध सुधीजनों तथा मर्मज्ञों के समक्ष प्रस्तुत है ।

सामान्य शैक्षिक समस्याएँ तथा समापन हेतु सुझाव

प्रदेश का जनजातीय/आदिवासी समाज अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में मूलतः कृषि तथा वनों से प्राप्त भोजन सामग्री पर निर्भर करता है जो इस भयंकर महँगाई में अपर्याप्त है । जीवनयापन से सम्बन्धित उक्त दोनों आधार समय-समय पर अनेकों कारणों से बोधित होते रहते हैं । भूमि सम्बन्धित कानून, महाजनों की मनमानी, ऋणग्रस्तता, जंगलों का कटाव एवं धन्धों में कुटीर उद्योगों के समापन आदि कई कारणों ने अनेकों आर्थिक समस्याओं को जन्म दिया है ।

फलतः इनके परिवार की बालक/बालिकाएँ अपने पैतृक व्यवसाय में रोजी-रोटी की दृष्टि से हाथ बँटाने में अधिक रुचि लेते हैं । इन बालकों के अभिभावक तात्कालिक लाभ को ही सर्व-विधि श्रेष्ठ समझते हैं, शिक्षा के दूरगामी अच्छे परिणामों की बात आसानी से उनके गले नहीं उतरती । आवश्यकता इस बात की है कि इनके अभिभावकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जाय, शिक्षा के प्रति इनकी अन्तर्निहित अनास्था को समूल रूप से मिटाने का उपाय सोचा जाय

और शिक्षा की उपादेयता से इन्हें भली-भाँति परिचित कराकर 'त्याग में ही सच्चा सुख निहित है' की अवधारणा से अवगत कराकर इन्हें ऐसी प्रेरणा तथा प्रोत्साहन प्रदान किया जाय कि ये स्वतः अपने बालक/बालिकाओं को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए विवश हो जायँ।

इनका भाग्यवादी दृष्टिकोण भी भयंकर शैक्षिक समस्या का कारण है। ये परम्परावादी हैं। शिक्षित एवं अशिक्षित होने की कर्मफल का प्रतीक मानते हैं। यह धार्मिक मान्यता इनके मस्तिष्क में घर कर गयी है कि शिक्षा पर निर्भर नहीं रहना चाहिये, क्योंकि उदरपूर्ति के माध्यम शिक्षा से नहीं अपितु श्रम से प्राप्त होने हैं। पढ़-लिखकर क्या होगा ? हल चलाने अथवा जंगल में कार्य करने में पढ़ाई का क्या काम ? बच्चे पढ़कर क्या करेंगे ? चूल्हे-चौके के साथ किताब का क्या काम ? आदि मान्यताओं ने इनकी शैक्षिक प्रगति की गति धीमी कर रखी है। आवश्यकता है इनके दृष्टिकोण परिवर्तन की।

वर्ण व्यवस्था भी आदिवासियों के बालकों की शैक्षिक समस्या का प्रमुख कारण है। ब्राह्मण-क्षत्रिय परिवार के बच्चों के साथ उठने, बैठने, पढ़ने, लिखने, खाने-पीने, खेलने आदि कक्षागत एवं कक्षेत्तर क्रिया-कलापों में इनके बच्चे अपनी जातिगत सामाजिक हीन-भावना से ग्रस्त होने के परिणामस्वरूप शैक्षिक क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति नहीं कर पा रहे है। इस समस्या के समाधान हेतु व्यक्ति तथा समाज के मस्तिष्क को प्रभावित कर इनकी मनःस्थिति बदले जाँय। आदिवासी समुदाय के बालक/बालिकाओं को शिक्षा प्राप्ति के निमित्त अभिप्रेरित किया जाय।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर अद्यावधि राष्ट्रीय स्तर पर गठित विविध शिक्षा आयोगों ने आदिवासी बालक/बालिकाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन एवं समस्याओं की गम्भीरता पर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है और उनके समाधान हेतु अनेकों प्रकार की संस्तुतियाँ दी गयी हैं, फिर भी इनकी स्थिति को यथावत् देखकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में शिक्षाशास्त्रियों एवं शासकों ने प्रत्येक अवसर पर इनकी विविध शैक्षिक समस्याओं का विशद् विवरण देकर इनके शैक्षिक स्तरोन्नयन तथा गुणात्मक विकास एवं समस्याओं के उन्मूलन पर विशेष बल दिया है, किन्तु अभी तक प्राप्त आँकड़ों एवं अध्ययन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत आदिवासी बालक/बालिकाओं की शैक्षिक समस्याओं के प्रतिशत में कुछ कमी परिलक्षित हुई है। यह निर्विवाद है कि शिक्षा में हम जितना भी धन व्यय कर दें और यथेष्ट प्रयास से परामुख रहें तो इनकी शैक्षिक गुणवत्ता-अभिवृद्धि तथा समस्याओं के समाधान में अपेक्षित गति नहीं आ सकेगी।

शोध अध्ययनगत विषय के सन्दर्भ में कतिपय महत्वपूर्ण सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में शिक्षाविदों एवं शासकों द्वारा दिये गये हैं, सम्प्रति इन पर भी विहंगम दृष्टिपात सर्वथा उपयुक्त होगा।

आदिवासी बालक/बालिकाओं तथा उनके अभिभावकों की सोचने की क्षमता के विकास के साथ-साथ बदले परिवेश के परिप्रेक्ष्य में नवीन विचारों को रचनात्मक रूप से अपनाने के लिए तैयार करना चाहिये। उनके कार्य-व्यवहार मानव-मूल्यों के प्रति दृढ़-निष्ठा से संचालित होने चाहिये। इनके सर्वतोमुखी विकास के निमित्त भारतीय संविधान में जिन उत्कर्षक हेतुओं का प्रावधान किया गया है, उनकी विवक्षा के साथ-साथ सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्ष को दृष्टि में रखकर क्रियान्वयन हेतु प्रभावी रणनीति बनाने पर विशेष बल दिया जाना अपेक्षित है। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था न होने के कारण मन्द बुद्धि वाले आदिवासी बालक/बालिकाएँ कक्षा कार्य एवं गृहकार्य को समय से पूर्ण न कर पाने के कारण अन्य छात्रों की तुलना में पीछे रह जाते हैं और धीरे-धीरे विद्यालय आना बन्द कर देते हैं, अपने पैतृक उद्योग धन्धों में लगकर सुखमय जीवनयापन की कल्पना करते हैं जिन्हें शिक्षा के अभाव में साकार कर पाना दुःसाध्य एवं दुरूह लगता है। अतः ऐसे शिक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों की मनःस्थिति तथा दृष्टिकोण में यथोचित परिवर्तन आवश्यक है, जो शासन एवं विभाग द्वारा प्रदत्त तथा प्रस्तावित कल्याण-कारी कार्यक्रमों, प्रोत्साहनों और अन्यान्य सुविधाओं की सम्यक् जानकारी कराकर आसानी से किया जा सकता है।

जनजाति तथा आदिवासी बालक/बालिकाओं की कुछ और शैक्षिक समस्याएँ अध्ययन के मध्य संज्ञान में आयी हैं जिन्हें निम्नवत् निरूपित किया जा सकता है। जैसे पढ़ाई-लिखाई में पीछे रह जाना, कुछ समय बाद ही पढ़ा-लिखा भूल जाना, कक्षा में ठीक से ध्यान न दे पाना तथा इधर-उधर देखते रह जाना, परिस्थितिजन्य विवशता के कारण अपने को हीन समझना, आत्म-विश्वास में कमी होना, बातचीत कम करना आदि। इस प्रकार की शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त पिछड़े हुए बच्चों के इस विशेष वर्ग की कठिनाइयों को जानना तथा तदनुसार उनकी शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के पूर्वोक्त तरीकों पर विशेष गौर कर व्यवहार में लाना अध्यापक द्वारा अभीष्ट है।

कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत आदिवासी बालक/बालिकाओं में औसतन 40% छात्र-

छात्राएँ शैक्षिक दृष्टि से निम्नस्तरीय, 25% सामान्य, 20% मध्यम कोटि के और 15% उत्तम दिखाई पड़े जो अधिक सन्तोषप्रद नहीं कहा जा सकता।

निम्न एवं सामान्य स्तर के कुछ ऐसे छात्रों से बातचीत कर उनके कार्य तथा व्यवहार को बहुत निकट से देखा गया। इन छात्रों की कुछ अपने ढंग की शैक्षिक समस्याएँ हैं, जैसे—

(1) बार-बार अध्यापक से निर्देश या प्रश्न आदि दोहराने का अनुरोध करना।

(2) श्रुत लेख में वर्तनी की त्रुटियाँ।

(3) उच्चारण दोष।

(4) पढ़ाई-लिखाई में पीछे रहना।

(5) कुछ समय बाद ही पढ़ा-लिखा भूल जाना।

(6) कक्षा में ठीक से ध्यान न देना और इधर-उधर देखते रहना।

(7) परीक्षा में असफल होने से डरना।

(8) अपने को हीन समझना।

(9) आत्मविश्वास में कमी का अनुभव करना।

(10) बातचीत में संकोच।

(11) सोचने तथा समझने में अन्तर।

प्रारम्भिक कक्षा से कुछ ऐसे भी बच्चे दृष्टिपथ में आये जो पढ़ाये गये पाठों को भी ठीक से नहीं पढ़ पाते, विशेषकर भाषा तथा गणित विषयों में उन छात्रों द्वारा अनुभूत निम्नांकित शैक्षिक समस्याएँ भी ध्यातव्य हैं, जैसे—

पढ़ते समय शब्दों में अक्षरों को छोड़ देना या उनका स्थान बदल देना—उदाहरणार्थ—'नाम' को 'मान', 'लकड़ी' को 'लड़की', 'आसमान' की 'सामान' आदि अलग-अलग अक्षरों को पढ़ लेते हैं, किन्तु जोड़कर पढ़ने में भूल जाते हैं जैसे—'क-प-ड़ा' को 'पकड़ा', 'क-ल-म' को 'कमल', 'ल-क-ड़ी' को 'लड़की' आदि।

अंकों में '12' के स्थान पर '21' या '36' के स्थान पर '63' लिख जाना। ध्यान न देना, अव्यवस्थित रहना, गृह कार्य न करना, विद्यालय विलम्ब से आना, अपनी ही अवस्था के अन्य बच्चों की अपेक्षा कार्य में जी चुराना आदि ऐसी दुःप्रवृत्तियाँ परिलक्षित हुई हैं जिन्हें आदिवासी बालक/बालिकाओं की शैक्षिक समस्याओं के रूप में गिनाया जा सकता है।

प्रदत्त विश्लेषण—निष्कर्ष एवं सुझाव

तराई क्षेत्र में आदिवासी शिक्षार्थियों के अपेक्षाकृत कम नामांकन के कुछ परिस्थितिजन्य कारण भी हैं। इन क्षेत्रों में कम आबादी वाले टोले अधिक हैं। इनमें भी निम्न आय वाले, मध्यम परिवार के अधिकांश बालक/बालिकाएँ हैं। कुछ सम्पन्न घराने के भी बच्चे अध्ययनरत देखे गये। प्रदत्त विश्लेषण से जो तथ्य उभर कर आये उनके आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सम्पन्न परिवारों के बालक/बालिकाओं को घर के काम, पशु चराने अथवा अन्य प्रकार की वैतनिक सेवा करने की विवशता उनको अध्ययन से विरत नहीं कर पाती। सामाजिक कुप्रथाओं का भी सम्पन्न परिवार के बालक/बालिकाओं पर प्रभाव कम परिलक्षित है कारण स्पष्ट है, सम्पन्न परिवार के अभिभावक स्वयं साक्षर हैं और शिक्षा का महत्व भली-भाँति समझते हैं। इनके परिवारों में बीमारी, पुस्तक, भोजन, वस्त्रादि समस्याएँ शिक्षार्जन में कम बाधक हैं, अपेक्षाकृत आदिवासी बालक/बालिकाओं के।

छात्रों, अध्यापकों, अभिभावकों, जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त जानकारी तथा शोध अध्ययन के आधार पर आदिवासी बालक/बालिकाओं की पूर्वोक्त सामान्य समस्याओं के अतिरिक्त निम्नांकित विशिष्ट समस्याएँ ज्ञात हुईं—

(1) शिक्षा के प्रति अभिभावक की उदासीनता,

(2) अभिभावक की शोचनीय आर्थिक स्थिति,

(3) घर के काम-काज में बालक/बालिकाओं का उपयोग,

(4) शारीरिक अस्वस्थता (लगातार बीमारी),

(5) विद्यालय का अनाकर्षक वातावरण,

(6) अध्यापक की शुष्क घिसी-पिटी अध्यापन शैली,

(7) अरुचिकर बोझिल पाठ्यक्रम,

(8) दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली,

(9) बहुकक्षा एवं वृहत् शिक्षा,

(10) स्थानाभाव एवं उपयुक्त भवन का न होना,

(11) अध्यापक का भेदभावपूर्ण व्यवहार,

(12) छात्रों में हीन भावना,

(13) पाठ्य-सामग्री तथा वस्त्रादि का अभाव,

(14) बालिकाओं की शिक्षा में सामाजिक रूढ़ियाँ एवं कुरीतियाँ,

(15) एक अध्यापक की दशा में अध्यापक की अनुपस्थिति पर विद्यालय का बन्द हो जाना,

(16) शिक्षा के प्रति बालक/बालिकाओं की अरुचि,

(17) अधिकांश बालक/बालिकाओं की मन्द बुद्धि,

(18) प्रोत्साहन एवं लाभार्थ योजनाओं की जानकारी न होना आदि।

प्रश्नावली के उत्तर में आदिवासी बालक/बालिकाओं की शैक्षिक समस्याओं के सम्बन्धित कुछ और कारण प्रकाश में आये हैं जिनका यहाँ उल्लेख किया जाना आवश्यक है। कतिपय विचारकों ने यह मत व्यक्त किया है कि प्राथमिक शिक्षा के विकेन्द्रीकरण के कारण अध्यापकों में अनुशासनहीनता बढ़ी है। विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप अध्यापक अब ब्लाक प्रमुख, ग्राम प्रधान, शिक्षा समिति के प्रभाव क्षेत्र में आ गये हैं। परिणामस्वरूप अब उनको स्थानीय तथा कथित नेताओं का दरबार करना पड़ता है जिससे उनका स्थानान्तरण असुविधाजनक जगह पर न हो तथा इनके प्रभाव में होने के कारण उनको ग्राम विकास सम्बन्धी ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिनका शिक्षा से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रहता। फलतः शिक्षण कार्य अप्रत्याशित रूप में अंशतः अवरुद्ध रहता है।

इस विचारधारा में कुछ तथ्य अवश्य हैं किन्तु यह भी विचारणीय है कि जिला परिषदीय तथा नगर क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों में कार्यरत कतिपय अध्यापक भी तो अपने सुविधाजनक स्थानान्तरण के लिए विभागीय सम्बन्धित अधिकारियों की कृपा प्राप्त करने के विचार से अनावश्यक रूप से विद्यालय छोड़कर उनका दरबार करते हैं और अपने कर्त्तव्य की उपेक्षा एवं जनहित तथा जनादेशों की अवहेलना करते पाये जाते हैं, जिससे शिक्षार्थियों का नियमित पठन-पाठन तो प्रभावित होता ही है साथ ही साथ इनकी शैक्षिक समस्याओं को बढ़ावा भी मिलता है।

हमारे विचार से विकेन्द्रीकरण हो या राष्ट्रीयकरण, जब तक अध्यापक स्वयं कर्त्तव्यनिष्ठ नहीं होगा, विद्यालय के प्रति अपने कर्त्तव्यों की उससे सदा उपेक्षा होती रहेगी और वे शैक्षिक समस्याओं के समाधान में सफल नहीं हो सकेंगे। अध्ययन के आधार पर साक्षिकार कहा का

सकता है कि आदिवासी बालक/बालिकाओं की शैक्षिक समस्याएँ बहुत कुछ उनकी सामाजिक स्थिति तथा आर्थिक दशा पर निर्भर करती हैं, जिनके विरुद्ध एक साथ अभियान प्रारम्भ करने से सफलता मिल सकती है। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने पर उनके बालकों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था अभिभावक अन्यों से अभिप्रेरित होकर स्वयं कर सकते हैं। अतः प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि शैक्षिक समस्या के निवारणार्थ आवश्यक है।

बाल-विवाह, बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता आदि सामाजिक कुरीतियाँ भी कतिपय शैक्षिक समस्याओं की जननियाँ कही जा सकती हैं। ये कुरीतियाँ सामाजिक चेतना तथा जन-जागरण से शनैः शनैः दूर की जा सकती हैं।

कक्षागत एवं कक्षेत्तर समस्याओं का समाधान शिक्षक की सक्रियता, योग्यता, कौशल एवं कर्त्तव्य-परायणता तथा कार्य पद्धति पर निर्भर करती है। अध्ययन विधियाँ, शिक्षण सूत्र तथा युक्तियों की सम्यक् जानकारी एवं प्रयोग द्वारा शिक्षक जितना प्रभावी, आवश्यकतापरक तथा बालकेन्द्रित होगा उतनी ही शिक्षार्थियों के समक्ष कम समस्याएँ होंगी। वृहत्त कक्षोद्भूद कठिनाइयाँ अध्यापन शैली एवं सुप्रबन्ध से हल की जा सकती हैं। विद्यालय भवन के निर्माण, अच्छे एवं योग्य अध्यापकों के स्थानान्तरण पर समुचित प्रतिबन्ध, विद्यालय का वातावरण छात्र/छात्राओं के अनुकूल एवं आकर्षक बनाकर मनोवैज्ञानिक एवं बोधगम्य सरल अध्यापन शैली द्वारा शिक्षार्थियों को शिक्षणालय की ओर आकृष्ट किया जा सकता है।

आदिवासी बालक/बालिकाओं को शासकीय व्यवस्थानुरूप निःशुल्क पुस्तक तथा लेखन-सामग्री, गणवेश, स्वल्पाहार तथा छात्रवृत्ति प्रदान कर न्यून उपस्थिति की समस्या को दूर किया जा सकता है। आदिवासी बालक/बालिकाएँ अभिजात्य वर्ग के बालकों से कुछ भिन्न हैं। इनके खान-पान, रहन-सहन, रीति-रिवाज, पहनावा, परिवेश एवं बौद्धिक स्तर में पर्याप्त भिन्नता है। अतः अध्यापक को कक्षागत एवं कक्षेत्तर क्रिया-कलापों में हर काम इन बच्चों को ध्यान में रखकर इनके अनुभव एवं हुनर के अनुसार करना चाहिए। पढ़ाने, लिखाने तथा सिखाने का तरीका रोजमर्रा की बातों से जोड़ना चाहिए। शिक्षक द्वारा ऐसे शिक्षार्थियों के परिवारों एवं समुदाय से सम्पर्क कर समस्याओं के कारणों की जानकारी तथा निवारण के उपाय ढूँढ़ने के लिये सहयोग प्राप्त करने में यत्नशील रहने की आवश्यकता है। जनहित में जानकार लोगों से सहायता माँगने या जानकारी प्राप्त करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। समुदाय से सहायता अथवा जानकार लोगों से प्राप्त जानकारी को उपयोग में लाना अध्यापक पर निर्भर करता है। जैसे-जैसे हमारे परिवेश, पर्यावरण तथा वातावरण में नई-नई चीजें शामिल होती हैं वैसे-वैसे

हमारे अनुभव और जानकारी में वृद्धि होती रहती है। आपसी व्यवहार तथा निकटता से नित्य हम बहुत-सी नई-नई चीजें सीखते हैं। अध्यापकगण अपनी सीख से शिक्षार्थियों को भली-भाँति लाभान्वित कर उनकी सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, परिवेशीय, पर्यावरणीय एवं व्यावहारिक शैक्षिक समस्याओं का समुचित निदान कर सकते हैं।

छोटी-मोटी शैक्षिक समस्याओं की जानकारी होने पर उनके निवारणार्थ निम्नांकित तरीके अपनाये जा सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि एक ही तरीका सब पर लागू हो। अतः शिक्षार्थी की समस्या के अनुरूप समाधान में अलग-अलग तरीका अपनाया जाना उचित होगा। सिलसिले से पढ़ने, लिखने, बोलने, सोचने तथा समझने से सम्बन्धित भाषायी, गणितीय, वैज्ञानिक एवं सामाजिक अध्ययनपरक कौशलों को विकसित करने का यत्न किया जाय और उद्भुद समस्या जैसे वर्तनी की त्रुटि, उच्चारण दोष, गणितीय तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अध्ययन में अरुचि आदि कठिनाइयों के निराकरण में कहानी, कविता, चुटकुले, नाटक, चार्ट, पोस्टर, फोल्डर तथा अन्य श्रव्य-दृश्य उपादानों के निर्माण एवं प्रयोग सहायक सिद्ध होने के साथ-साथ विषयवस्तु से सम्बन्धित सम्बोधों, उपसम्बोधों तथा अधिगम बिन्दुओं को सहज, सरस, सरल, रोचक तथा बोध-गम्य बनाने में साधक बन सकते हैं।

उक्त के अतिरिक्त बच्चों से आपसी चर्चा कराकर खेल विधि अपनाकर, भ्रमण पर ले जाकर, सूचनाएँ मँगवाकर, विद्यालय में सामूहिक एवं समाजोपयोगी उत्पादक कार्य कराकर शिक्षा को और अधिक मूल्यपरक बनाया जा सकता है और हल्की-फुल्की शैक्षिक समस्याओं का उन्मूलन आसानी से किया जा सकता है।

उपसंहार

भारतीय संविधान की धारा 45 में निहित प्रावधानों में सबके लिए शिक्षा योजना के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु बहुविधि प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 1981 की जनगणनानुसार समूचे भारत की कुल साक्षरता मात्र 36·17% है, जबकि उत्तर प्रदेश में साक्षरता मात्र 17·16% है, उसमें साक्षर महिलाएँ मात्र 14% हैं, जो अन्य प्रदेशों की अपेक्षा अतिन्यून है। उत्तर प्रदेश की शैक्षिक स्थिति की समीक्षा जब हम जनपदवार करते हैं तो उसमें बहराइच तथा मोण्डा जनपद की बड़ी धूमिल छवि उभर कर सामने आती है। विशेषतया आदिवासी/जनजातियों की जिनकी साक्षरता मात्र 5·29% है और उनमें भी महिला मात्र 3·96% साक्षर हैं।

किसी भी प्रदेश अथवा देश का सर्वतोमुखी विकास तभी सम्भव हो सकेगा, जब उस प्रदेश अथवा देश का प्रत्येक नागरिक सुशिक्षित हों। इस दृष्टि से शैक्षिक क्रान्ति लायी जा रही है, साक्षरता अभियान को और तीव्र किया जा रहा है, किन्तु इसका लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को उतना नहीं मिल पा रहा हैं जितना मिलना चाहिए, विशेषतया कुछ जाति विशेष के वे बालक/बालिकाएँ आज भी शिक्षा से कोसों दूर हैं जो अभावग्रस्त एवं साधन-विहीन हैं। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े तथा अपवंचित आदिवासी/जनजातियों के बालक/बालिकाओं की शैक्षिक समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर उनके निवारण के उपाय तथा समुचित सुझाव प्रस्तुत करना ही इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है।

समय एवं सीमा तथा संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए अध्ययन के निमित्त मात्र दो जनपद गोण्डा तथा बहराइच को न्यादर्श रूप में चयनित किया गया। उक्त जनपदों के केवल दो-दो विकास खण्डों के अन्तर्गत मात्र उन्हीं विद्यालयों को लिया गया है जिनमें बहुसंख्यक आदिवासी/जनजातियों के बालक/बालिकाएँ अध्ययनरत हैं। इनकी शैक्षिक समस्याओं की सम्यक् जानकारी प्राप्त की जा सके, एतदर्थ पृच्छ प्रपत्र, प्रश्नावली एवं साक्षात्कार विधि अध्ययनार्थ प्रयोग में लाई गयी है। आवश्यक पृच्छ प्रपत्र तथा प्रश्नावलियों को निर्मित एवं विकसित कर अध्ययन आख्यान्तर्गत उल्लिखित कतिपय प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूलों में पढ़ रहे आदिवासी बालक/बालिकाओं में वितरित कर विधिवत् पूरित कराये गये। प्रश्नावलियों के माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त की गयी, छात्र-छात्राओं से सम्बन्धित सहायक अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों, अभिभावकों, जन-प्रतिनिधियों, प्रत्युप विद्यालय निरीक्षकों तथा जिला हरिजन एवं समाज कल्याण के प्रतिनिधि अधिकारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर साक्षात्कार द्वारा जिज्ञासानुसार अपेक्षित जानकारी की गयी।

प्राप्त एवं संग्रहीत वाह्य तथा आन्तरिक साक्ष्यों और प्रदत्तों को सम्यक् विश्लेषणोपरान्त निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि आदिवासी जनजातियों के बालक-बालिकाओं की शैक्षिक समस्यायें मुख्यतः उनकी पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं परिवेशीय समस्याओं से जुड़ी हुई हैं, जिनके निवारणार्थ यथास्थल समुचित उपाय इंगित किये गये हैं, तथापि इस सन्दर्भ में कुछ सुझाव प्रस्तुत हैं —

"इनके शैक्षिक स्तरोन्नयन की दृष्टि से बहुसंख्यक क्षेत्रों में पालीवार/प्रहर पाठशालाएँ खोली जाँय जिनमें छात्र-छात्राएँ अपने दैनिक घरेलू कार्यों से निवृत्त होने के उपरान्त स्वेच्छा से

सुविधानुसार उपस्थित होकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। अन्तर्ग्राम्य विद्यालय, आश्रम पद्धति भी एक उपयोगी व्यवस्था होगी। अनग्रेडेड योजना तथा अप्रतिबन्धित पाठ्यक्रम इन विद्यालयों में लागू किया जाय। वन्य जीवन एवं संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाय और इनसे सम्बन्धित विद्यालयों में इन्हीं के समुदाय के स्थानीय योग्य अध्यापकों की नियुक्ति की जाय, जो इनकी बोली-भाषा में शिक्षण कार्य करने में समर्थ हों। बालिकाओं को शिक्षित किये जाने की दृष्टि से महिला अध्यापिकाओं को भी इनसे सम्बन्धित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाय।"

निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें, शिक्षण सामग्रियों, श्रव्य-दृश्य उपकरण, गणवेश आदि उपलब्ध कराने के साथ-साथ इनके स्वास्थ्य की दृष्टि से पौष्टिक स्वल्पाहार भी इन्हें मध्याह्न में दिया जाय और समय-समय पर विभाग तथा शासन द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहन सम्बन्धी छात्रवृत्तियाँ एवं अन्य सुविधाओं का भरपूर लाभ देकर आदिवासी/जनजातियों के बालक-बालिकाओं की उद्भूत शैक्षिक समस्याओं का सर्वांशतः समाधान सम्भव है, इनका शैक्षिक स्तरोन्नयन अनुपाततः बढ़ाया जा सकता है।

———

5

उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक स्तरीय शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन

आवश्यकता एवं उद्देश्य

अध्यापन कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए अध्यापक का पाठ्य विषय सामान्य एवं विशिष्ट दोनों रूपों से पूर्णतया परिचित होना आवश्यक है। पाठ्य विषयों की जानकारी के क्रमबद्ध रूप के लिए शिक्षाशास्त्र में 'पाठ्यक्रम' शब्द का प्रयोग किया जाता है। पाठ्यक्रम शब्द के उपर्युक्त अर्थ को पढ़कर यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि इस शब्द से उन्हीं पाठ्य-वस्तुओं का आशय होता है जिनका अध्ययन, अध्यापन विद्यालय की कक्षाओं में चला करता है। अब इस शब्द का इतने संकुचित अर्थों में प्रयोग नहीं होता है। अब तो विद्यालय-जीवन में दिये जाने वाले समस्त अनुभव चाहे वे कक्षा में दिये जाये अथवा खेल के मैदान में, पाठ्यक्रम के ही अंग माने जाते हैं। यह अर्थ ठीक भी है क्योंकि बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में उन सभी का अपना-अपना महत्व होता है और केवल कक्षा में चलने वाले पठन-पाठन से बालक का समन्वित विकास कभी नहीं हो सकता।

प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री रेमॉन्ट (Raymont) का कथन है कि पाठ्यक्रम शिक्षा के सिद्धान्त नहीं होते हैं वरन् मूल्यांकन का एक स्तर होता है। कौन सा ज्ञान अधिक से अधिक उपयोगी और कौन सी शिक्षा अधिक से अधिक उपयोगी है—यही पाठ्यक्रम का सिद्धान्त है। बदलते सामाजिक परिवेश, समय की माँग और तदनुकूल शिक्षा-व्यवस्था की दृष्टि से पाठ्यक्रम में भी अन्तर आ जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक स्तरीय शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम वर्ष 1980 से प्रचलित है। समाज में इधर एक दशक में काफी परिवर्तन आया है, जिसका प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में भी परिलक्षित हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नवीन परिवर्तनों को दृष्टि में रखते हुए प्रचलित

प्रारम्भिक स्तरीय शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की महती आवश्यकता प्रतीत हो रही है। इसी उद्देश्य से प्रचलित पाठ्यक्रम का मूल्यांकन सम्बन्धी शोध कार्य किया गया है।

परिसीमन

उत्तर प्रदेश में प्रचलित प्रारम्भिक स्तरीय शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के मूल्यांकन के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न राजकीय दीक्षा विद्यालयों के शिक्षक-प्रशिक्षकों के मन्तव्य प्राप्त किये गये। चूंकि प्रदेश के समस्त राजकीय दीक्षा विद्यालयों के सभी शिक्षक-प्रशिक्षकों से इस अध्ययन हेतु सम्पर्क स्थापित करना सम्भव नहीं था अतः पूरे प्रदेश को सुविधा की दृष्टि से 5 क्षेत्रों, यथा—पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी तथा मध्य क्षेत्र में बाँटते हुए इन क्षेत्रों में स्थित नौ (9) राजकीय दीक्षा विद्यालयों को चुना गया।

उपकरण

उत्तर प्रदेश में प्रचलित प्रारम्भिक स्तरीय शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग किया गया—

(1) उत्तर प्रदेश का प्रचलित प्रारम्भिक स्तरीय शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

(2) राजकीय दीक्षा विद्यालयों के शिक्षक-प्रशिक्षकों से पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में उनके मन्तव्यों से अवगत होने के लिए पृच्छा-प्रपत्र जिसमें निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष बल दिया गया—

(i) प्राथमिक स्तरीय शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सम्बन्धी शिक्षक-प्रशिक्षकों की जानकारी पर आधारित प्रश्न।

(ii) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने के लिए समय विभाजन।

(iii) परीक्षा योजना

(iv) मूल्यांकन प्रक्रिया

(v) पाठ्यक्रम में निहित विषय-वस्तु के सम्बन्ध में शिक्षक-प्रशिक्षकों का अभिमत।

कार्यविधि

प्रारम्भिक स्तरीय शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के लिए यह निश्चित किया गया कि सम्बन्धित विशेषज्ञों अर्थात् राजकीय दीक्षा विद्यालयों में कार्यरत

शिक्षक-प्रशिक्षकों से प्रचलित पाठ्यक्रम के गुण दोषों के विषय में उनके अभिमत प्राप्त किये जाये। इस दृष्टिकोण से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के राजकीय दीक्षा विद्यालयों के शिक्षक-प्रशिक्षकों से, पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में तैयार किये गये पृच्छा-प्रपत्रों पर उनके अभिमत प्राप्त किये गये। चूंकि विभिन्न क्षेत्रों में स्थित उपर्युक्त राजकीय दीक्षा विद्यालयों के समस्त शिक्षक-प्रशिक्षकों से सम्पर्क कर प्रचलित पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में उनके विचार/अभिमत प्राप्त करना कठिन है अतः इन विद्यालयों के कतिपय शिक्षक-प्रशिक्षकों से ही पृच्छा-प्रपत्र भरवाकर उनके विचार/अभिमत प्राप्त किये गये। पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के राजकीय दीक्षा विद्यालयों के शिक्षक-प्रशिक्षकों के अभिमत प्राप्त हुए। प्रचलित पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में इन शिक्षक-प्रशिक्षकों के विचार/अभिमत को तालिका में संकलित किया गया तथा विश्लेषण करके प्राप्त परिणामों के आलोक में आख्या लेखन किया गया।

विश्लेषण तथा परिणाम

शिक्षक-प्रशिक्षकों से पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्राप्त विचारों/अभिमतों को संकलन करने के पश्चात् इनका अध्ययन किया गया, जिसका परिणाम निम्नांकित है—

कुल 34 शिक्षक-प्रशिक्षकों में से 4 शिक्षक-प्रशिक्षकों ने प्रचलित पाठ्यक्रम के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधुनातन न होने की बात के साथ नये सम्बोधों का समावेश करते हुए कतिपय संशोधनों की संस्तुति की है। प्रचलित पाठ्यक्रम के विषय में इनके विचार निम्नवत् हैं—

(1) प्रचलित पाठ्यक्रम विषय-वस्तु की दृष्टिकोण से आधुनिक नहीं है। उसमें राष्ट्रीय एकता, जनसंख्या शिक्षा सम्बोध, मूल्यों की शिक्षा, पर्यावरणीय स्वच्छता तथा संरक्षण जैसे सम्बोधों को जोड़ा जाना आवश्यक है।

(2) पाठ्यक्रम में विषय ज्ञान सम्बन्धी अंशों की बहुलता है जिसे कम करते हुए कृषि सम्बन्धी कार्यों में शाक-सब्जी उगाने, कताई-बुनाई तथा समाजोपयोगी उत्पादक कार्य जैसे कार्यों से सम्बन्धित अंशों को जिनकी दैनिक जीवन में उपयोगिता है का समावेश करके पाठ्यक्रम को क्रियापरक बनाया जाय।

(3) कक्षा-शिक्षण में सृजनात्मक शिक्षण पर बल देते हुए प्रयोगात्मक कार्य में व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था का भी पाठ्यक्रम में स्थान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(4) विज्ञान-विषय न पढ़े हुए छात्राध्यापकों का ध्यान रखते हुए विज्ञान के बोझिल पाठ्यक्रम को कम करना उचित है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त पाठ्यक्रम से सम्बन्धित अन्य पहलुओं पर उनके विचार निम्नांकित हैं—

परीक्षा

प्रत्येक वर्ष विषय-वस्तु परक शिक्षण विधियों से सम्बन्धित विषयों की भी एक वर्ष के पाठ्यक्रम के आधार पर आधे अंकों में परीक्षा सम्पादित कराई जाय। इनमें से प्रत्येक विषय का अंक, सैद्धान्तिक परीक्षा के लिए 100 (अंक) निर्धारित किया जाय। 50 अंकों की परीक्षा प्रथम वर्ष तथा 50 अंक की परीक्षा द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम से कराई जाय।

प्रश्न-पत्र

प्रश्न-पत्रों की निर्माण विधा में भी परिवर्तन वांछनीय है। प्रश्न-पत्रों में स्मरण शक्ति से सम्बन्धित प्रश्नों की बहुलता रहती है जो न्यायसंगत नहीं है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अनुपात सही रखा जाय। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि प्रश्न-पत्रों में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की अधिकता रहती है तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न कम संख्या में होते हैं।

प्रश्न-पत्र निर्माण के समय इस बात को भी ध्यान में रखा जाय कि दो वर्षों के पाठ्यक्रम में एक वर्ष के पाठ्यक्रम के अंश से 90% या उससे अधिक प्रश्नों का समावेश न होने पाये।

मूल्यांकन

(i) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की तरह विषय-वस्तु परक शिक्षण विधियों के सभी विषय की सैद्धान्तिक परीक्षा का मूल्यांकन आन्तरिक हो। प्रयोगात्मक कार्य का मूल्यांकन बाह्य हो।

(ii) विज्ञान के प्रयोगात्मक कार्य के लिए सैद्धान्तिक परीक्षा 50 अंकों की तथा प्रयोगात्मक परीक्षा 50 अंकों की होनी चाहिए।

(iii) शिक्षण तकनीक से सम्बन्धित व्यक्ति को ही परीक्षक बनाया जाय।

पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में उपर्युक्त विचारों के अतिरिक्त अधिकांश (30) शिक्षक-प्रशिक्षकों

के विचार से पाठ्यक्रम ठीक है और उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन, संशोधन की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः उनकी इस बात से सहमति उचित प्रतीत नहीं होती है क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में होने वाले अधुनातन परिवर्तनों के पाठ्यक्रम में समाहितीकरण की अपनी उपादेयता है।

प्रचलित प्रारम्भिक स्तरीय शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में सुझाव

प्राथमिक स्तर पर बालकों की शिक्षा हेतु प्रशिक्षित अध्यापक की महत्ता को सभी स्वीकारते हैं। इसीलिए शिक्षक-प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। शिक्षक-प्रशिक्षण के अन्तर्गत कक्षा-अभ्यास-शिक्षण पर ही अब तक अधिक बल दिया जाता रहा है पर अब कक्षा-शिक्षण-अभ्यास तो शिक्षक-प्रशिक्षण का एक अंश मात्र ही रह गया है। इसके अन्तर्गत सामुदायिक जीवन, प्रसार-सेवा, शिक्षा के सिद्धान्तों तथा मनोविज्ञान के ज्ञान, सामाजिक कौशलों के विकास, शिक्षा सम्बन्धी नवीन संबोधों का ज्ञान आदि अनेक गतिविधियाँ भी आती हैं। पाठ्यक्रम-निर्माण में इन सभी बातों का समावेश आवश्यक है तथा प्रति 5 वर्ष पर इस पाठ्यक्रम का संशोधन अवश्यमेव कर लिया जाय।

कतिपय शिक्षक-प्रशिक्षकों से पाठ्यक्रम के संशोधन के पक्ष में प्राप्त विचारों के आधार पर उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक स्तरीय शिक्षक-प्रशिक्षण के प्रचलित पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में मूल्यांकन एवं सुझाव निम्नवत् प्रस्तुत है—

(1) पाठ्यक्रम पुस्तकीय अधिक है, व्यावहारिक कम। प्रचलित पाठ्यक्रम में सैद्धान्तिक पक्ष पर अधिक जोर दिया गया है और व्यावहारिक पक्ष पर कम। इसलिए शिक्षण-कला का पक्ष व्यावहारिक रूप में प्रभावशाली नहीं हो पाता। अतः आवश्यकता इस बात की है कि व्यावहारिक पक्ष पर अधिक जोर दिया जाय।

(2) पाठ्यक्रम में औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। इस ओर ध्यान अपेक्षित है।

(3) जनसंख्या शिक्षा, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता, मूल्यों की शिक्षा, पर्यावरणीय स्वच्छता तथा संरक्षण जैसे नवीन संबोधों को भी पाठ्यक्रम में समाहित किया जाना चाहिए।

(4) पाठ्यक्रम में विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम बोझिल है अतः इसे सामान्य छात्रों को ध्यान में रखकर संशोधित किया जाना चाहिए।

(5) प्रशिक्षण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रायोगिक कार्य को अधिक महत्व दिया जाय।

(6) प्रत्येक वर्ष विषय-वस्तु पर शिक्षण विधियों से सम्बन्धित विषयों की भी एक वर्ष के पाठ्यक्रम के आधार पर आधे अंकों में परीक्षा सम्पादित कराई जाय। इनमें से प्रत्येक विषय का सैद्धान्तिक परीक्षा के लिए 100 अंक निर्धारित किया जाये। 50 अंक की परीक्षा प्रथम वर्ष तथा 50 अंक की परीक्षा द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम से कराई जाय।

(7) विज्ञान के प्रयोगात्मक कार्य के लिए सैद्धान्तिक परीक्षा 50 अंकों की तथा प्रयोगात्मक परीक्षा 50 अंकों की होनी चाहिए।

(8) प्रश्न-पत्रों के निर्माण की विधि में भी परिवर्तन वांछनीय है। प्रश्न-पत्रों में दीर्घ उत्तरीय एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अनुपात एवं प्रतिवर्ष के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अंशों का प्रश्न-पत्रों में समावेश किये जाने पर पुनर्विचार अपेक्षित है।

———

6

परिषदीय तथा निजी प्रबन्धतन्त्र के विद्यालयों के संचालन का तुलनात्मक अध्ययन

पृष्ठभूमि

"विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो।" विद्यालय समाज द्वारा स्थापित संस्था है। ये शिक्षा संस्थाएँ मानव जीवन को तथा मानव जीवन शिक्षा संस्थाओं को प्रभावित करते हैं। शिक्षा संस्थाएँ या विद्यालय समाज पर तथा समाज विद्यालय पर गहरा प्रभाव डालते हैं तथा दोनों एक दूसरे का स्वरूप भी निर्धारित करते हैं।

प्रबन्ध की दृष्टि से हमारे प्रदेश में मुख्यतः दो प्रकार के विद्यालय पाये जाते हैं—

(1) बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय।

(2) निजी प्रबन्ध तन्त्र के विद्यालय।

प्रदेश की समस्त शिक्षा से बेसिक शिक्षा को सम्बद्ध करने, शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था करने, बेसिक शिक्षा पर नियन्त्रण करने तथा शैक्षिक स्तरोन्नयन एवं प्राथमिक शिक्षा को उपयोगी और सक्रिय बनाने की दृष्टि से सन् 1972 में एक अधिनियम द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गयी।

सन् 1975 में उ० प्र० बेसिक शिक्षा अधिनियम में संशोधन करके जिला बेसिक शिक्षा समितियों का गठन किया गया। ये समितियाँ नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पृथक्-पृथक् होती हैं। इस समिति का सदस्य सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है।

जिले के अन्तर्गत आने वाले सभी परिषदीय विद्यालयों के नियन्त्रण संचालन का उत्तर-दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को विद्यालयों के खोलने की संस्तुति करना, विद्यालय भवन एवं साज सज्जा की व्यवस्था करना, अध्यापकों की नियुक्ति, वेतन वितरण, अध्यापकों का स्थानान्तरण, उचित शिक्षण की व्यवस्था, विद्यालयों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण, अध्यापकों की सेवा सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण, पेंशन स्वीकृत करने आदि का अधिकार होता है।

दूसरे प्रकार के वे विद्यालय हैं जिनको निजी प्रबन्धतन्त्र के द्वारा संचालित किया जाता है। ऐसे विद्यालयों के खोलने, उनकी मान्यता करने, कुशल संचालन आदि के लिए एक प्रबन्ध तन्त्र होता है। जिसके द्वारा विद्यालय के उत्तम पठन-पाठन, साज-सज्जा की आपूर्ति, अध्यापकों की नियुक्ति आदि की व्यवस्था की जाती है।

प्रबन्धक का विद्यालय के प्रधानाध्यापक से सीधा सम्पर्क रहता है जिससे वह विद्यालय संचालन में अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम रहता है। प्रधानाध्यापक वह व्यक्ति होता हैं जो प्रबन्ध समिति और विद्यालयीय कर्मचारियों के बीच सम्पर्क बनाये रखता है। शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति में सभी प्रकार के विद्यालय अपनी भूमिका निभा रहे हैं। दोनों प्रकार के विद्यालय अपने लक्ष्य की पूर्ति करने में कैसे सक्षम हों इस हेतु दोनों प्रकार के विद्यालयों के संचालन का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है।

उद्देश्य

(i) परिषदीय और निजी प्रबन्ध तन्त्र के विद्यालयों के संचालन की जानकारी प्राप्त करना।

(ii) दोनों प्रकार के विद्यालय के संचालन व्यवस्था का अध्ययन करके शैक्षिक उन्नयन हेतु सुझाव देना।

परिसीमन

इस अध्ययन हेतु प्रदेश के पूर्वांचल स्थित जनपद जौनपुर के 10 कू० हा० स्कूलों को चयनित किया गया जिसमें 5 विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद तथा 5 विद्यालय निजी प्रबन्ध तन्त्र के लिए गये।

उपकरण

(1) विद्यालयों के प्रधानाध्यापक हेतु एक पृच्छा प्रपत्र

(2) जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी हेतु एक पृच्छा प्रपत्र

कार्यविधि

इस अध्ययन हेतु उपरलिखित पृच्छा प्रपत्रों का निर्माण किया गया। जिसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक से विभिन्न क्षेत्रों के प्रश्न पूछे गये। जिसमें कुछ प्रश्न विवरणात्मक तथा कुछ प्रश्न वर्णनात्मक थे। इसके अतिरिक्त चयन, प्रोन्नति, वेतन वितरण आदि से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से प्राप्त किये गये। जिले की समस्त शिक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होता है। अतः उनसे भी पृच्छा प्रपत्र द्वारा सूचनाएँ प्राप्त की गयी। इस अध्ययन हेतु 10 विद्यालयों का चयन किया गया।

प्रदत्त संग्रह

उपरलिखित विभिन्न प्रकार के पृच्छा प्रपत्रों पर सूचनाएँ संकलित करने हेतु दस विद्यालयों का चयन किया गया। इन चयनित विद्यालयों में शहरी/ग्रामीण/नगर पालिका तथा कन्या विद्यालयों को भी रखा गया है जिससे कि प्राप्त आँकड़े विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर सकें। प्राप्त सूचनाओं का अध्ययन करके उनका विश्लेषण किया गया।

प्रदत्त विश्लेषण

इस अध्ययन हेतु प्राप्त किये गये पृच्छा प्रपत्रों से सूचनाएँ संकलित कर उनका विश्लेषण किया गया जो निम्न प्रकार है—

(1) बेसिक परिषदीय विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के क्रिया-कलाप प्रायः सभी प्रकार के विद्यालयों में आयोजित किये जाते हैं परन्तु कुछ विद्यालयों में क्रीड़ास्थल न होने से कार्यक्रम सम्पादित नहीं हो पाते हैं। इससे विद्यालय में पाठ्येत्तर क्रिया-कलाप का आयोजन नहीं हो पाता है।

(2) बेसिक परिषदीय विद्यालयों में भवन की स्थिति अधिकांशतः बहुत ही खराब है। जहाँ पर भवन है भी वह अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं।

(3) बेसिक परिषदीय विद्यालयों में सभी अध्यापक प्रशिक्षित हैं। उनको वेतन भी समय से प्राप्त हो जाता है। परन्तु शिक्षक पठन-पाठन के स्तर को उतना अच्छा नहीं बना पा रहे हैं जैसा होना चाहिए इसका कारण यह है कि शिक्षकों को शैक्षिक कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों यथा जनगणना, चुनाव, पर्यावरण से सम्बन्धित कार्यों में लगा दिया जाता है।

(4) इस प्रकार के विद्यालयों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा विभाग द्वारा समय-समय पर शिक्षा के स्तरोन्नयन हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गयी है।

(5) बेसिक परिषदीय विद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारी प्रायः कम हैं। इससे प्रायः शिक्षकों को पढ़ने-पढ़ाने के अलावा लिपिकीय कार्य भी करना पड़ता है। इससे विद्यालय का शैक्षिक स्तर गिरता है।

(6) बेसिक परिषदीय विद्यालयों में स्थानान्तरण समय-समय पर होता रहता है। इससे पठन-पाठन बाधित होता है।

निजी प्रबन्ध तन्त्र के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से पूछे गये पृच्छा प्रपत्रों के आधार पर निम्न तथ्य प्राप्त हुए—

(1) निजी प्रबन्ध तन्त्र के विद्यालयों के पास पर्याप्त क्रीड़ा-स्थल हैं जिससे विद्यालय में आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यथासमय सुविधानुसार आयोजित किये जाते हैं।

(2) निजी प्रबन्ध तन्त्र के विद्यालयों में भवन की स्थिति काफी अच्छी नहीं है।

(3) सभी विद्यालयों में विभिन्न विषयों के अध्यापक हैं। परन्तु किसी-किसी विद्यालय में अध्यापकों की कमी हैं जिससे पठन-पाठन प्रभावित होता है।

(4) विद्यालय में सभी अध्यापक उच्च शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्राप्त हैं। विद्यालय में समय से अनुदान न मिलने के कारण वेतन कभी-कभी समय से प्राप्त नहीं हो पाता है।

(5) शैक्षिक स्तरोन्नयन हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कम ही हो पाती है। जनपदीय अधिकारियों का इन विद्यालयों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार प्रायः होता है।

(6) इस प्रकार के विद्यालय में लिपिक भी कार्यरत होता हैं। अतः अध्यापक केवल शिक्षण कार्य को ही सम्पादित करता है।

परिषदीय विद्यालयों तथा निजी प्रबन्ध तन्त्र के विद्यालयों के संचालन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहती है। इसलिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त पृच्छा प्रपत्र को विश्लेषित किया गया तथा जो तथ्य सामने आये वे निम्नवत् हैं—

(1) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण किया

जाता है तथा निरीक्षण के उपरान्त प्राप्त निष्कर्षों को सर्वसम्बन्धित को अवगत भी कराया जाता है। परन्तु सम्बन्धित व्यक्ति सुझावों पर कम ध्यान देते हैं।

(2) निजी प्रबन्ध तन्त्र के विद्यालय के प्रबन्धक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देशन से सन्तुष्ट रहते हैं।

(3) दोनों प्रकार के विद्यालय के अध्यापकों की वेतन समय से भुगतान करने का प्रयास किया जाता है एवं उनकी दक्षता रोक, भविष्य निधि, नियुक्ति, प्रोन्नति आदि को समय से पूर्ण रखने का प्रयास किया जाता है।

(4) शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में शासन विभाग द्वारा लक्ष्य की पूर्ति की जाती है।

ह्रास अवरोध के निवारण हेतु छात्रवृत्ति, निःशुल्क पुस्तक वितरण आदि की व्यवस्था की जा रही है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन में प्रदत्त संग्रहों के विश्लेषणोपरान्त निम्न तथ्य निरूपित हुए—

(1) विद्यालय संचालन की प्रमुख कड़ी प्रधानाध्यापक को अपने विद्यालय स्तर पर बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस परिप्रेक्ष्य में परिषदीय तथा प्रबन्ध तन्त्र के विद्यालय दोनों ही समस्या से ग्रस्त है। परिषदीय विद्यालयों में जहाँ तक उसकी भवन, साज-सज्जा अध्यापकों की कक्षावार नियुक्ति छात्र नामांकन के आधार पर अध्यापकों के पद, उनकी योग्यता, उनमें पठन-पाठन की रुचि आदि के साथ-साथ उनमें निरीक्षण पर्यवेक्षण आदि की कमी भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। इसके विपरीत निजी प्रबन्ध तन्त्र के विद्यालयों में पर्याप्त भवन, साज-सज्जा, अध्यापकों की उपस्थिति, कक्षावार अध्यापक सभी विषय के अध्यापक तथा अन्य भौतिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता होती है।

(2) परिषदीय विद्यालयों में आने वाली समस्याओं का निराकरण प्रधानाध्यापक विभागीय अधिकारियों से सम्पर्क करके करता है। इसके साथ ही विद्यालयीय समस्याओं का निस्तारण अध्यापकों के साथ मिल बैठकर करता है। वित्तीय पक्ष से सम्बन्धित समस्याओं का निस्तारण वह जनपदीय अधिकारियों के सहयोग से कर लेता है। कभी-कभी समस्याओं के निस्तारण में विलम्ब भी हो जाता है क्योंकि कार्याधिक्य तथा विभागीय समस्याओं से घिरे होने के कारण अधिकारी विद्यालयीय समस्याओं पर अपना कम ध्यान दे पाते हैं। इसके विपरीत निजी प्रबन्ध तन्त्र के विद्यालय में चूँकि प्रबन्धक भी एक कड़ी होता है अतः वह स्वयं विभागीय

अधिकारियों से सम्पर्क करके विद्यालयीय समस्याओं के निस्तारण में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करता है।

(3) परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों की सेवा शर्तें, भविष्य निर्वाह निधि, उनका चयन, नियुक्ति आदि का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होता है। अतः उनका निस्तारण कार्यालय स्तर पर समय-समय पर कर दिया जाता है। इसके विपरीत निजी प्रबन्ध तन्त्र के विद्यालय में उक्त समस्याओं का निदान यथाशीघ्र नहीं हीं पाता है।

(4) बेसिक परिषदीय विद्यालयों में वेतन वितरण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होता है। अतः इसका आहरण वितरण यथासम्भव समय पर हो जाता है। इसके विपरीत निजी प्रबन्ध तन्त्र के विद्यालयों का वेतन वितरण का कार्य प्रबन्धक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दोनों के सामूहिक रूप से सम्भव होता है। इससे कभी-कभी अध्यापकों को समय से वेतन प्राप्त नहीं होता है। इसका कारण शासन द्वारा समय से अनुदान प्राप्त न होना है।

(5) परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को समय से वेतन तथा अन्य सुविधाओं के साथ ही साथ अगर सेवाकाल में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को सेवा में लेने का प्रावधान है। इससे शिक्षकों के सेवाकाल में मरने के बाद भी उसकी पारिवारिक स्थिति खराब नहीं होती हैं। इस प्रकार की व्यवस्था निजी प्रबन्ध तन्त्र के विद्यालयों को प्राप्त नहीं है।

(6) परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को उनके सेवाकाल में प्रोन्नति के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। इससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। विद्यालय का शैक्षिक वातावरण सुधरता है। परन्तु निजी प्रबन्ध तन्त्र के विद्यालयों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

(7) परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों का समय-समय पर स्थानान्तरण किया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि एक तो अध्यापक क्षेत्रीय राजनीति से बचते हैं तथा घर से दूर हो जाने के कारण अपना अधिक समय विद्यालयीय क्रिया-कलापों में लगाते हैं। इसके विपरीत जब अध्यापकों का स्थानान्तरण सम्भव नहीं होता है जैसा कि निजी प्रबन्ध तन्त्र के विद्यालयों में है। इससे अध्यापक क्षेत्रीय राजनीति में अपना समय देकर तथा स्वयं विभिन्न प्रकार के चुनावों में प्रत्याशी बनकर शिक्षण कार्य से विमुख हो जाते हैं। अतः समय-समय पर या निश्चित अवधि के बाद स्थानान्तरण होना शैक्षिक उन्नयन में सहायक है।

सुझाव

प्राप्त निष्कर्षों के बाद कतिपय सुझाव इस आशय से दिये जा रहे हैं कि विद्यालयीय समस्याओं का निराकरण यथाशीघ्र होगा एवं उनकी गुणवत्ता अभिवृद्धि में भी सहायक होगा।

(1) परिषदीय विद्यालयों में अपेक्षित सुधार हेतु उनके भवन की समस्या का निस्तारण करना बहुत ही आवश्यक है।

(2) अध्यापकों को शिक्षा के नये आयामों यथा—पर्यावरणीय शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, बालिका शिक्षा, प्रभावी निरीक्षण आदि से अवगत कराने के लिए उनका प्रत्येक पाँचवें वर्ष पुनर्बोधन किया जाय।

(3) विद्यालयों को क्षेत्रीय राजनीति से मुक्त रखा जाय।

(4) विद्यालय में खेलकूद के स्तर को सुधारने के लिए क्रीड़ा-स्थल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय एवं उससे सम्बन्धित आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायी जाय।

(5) विद्यालय में अध्यापकों के स्थानान्तरण के तत्काल बाद ही उनकी नियुक्ति करनी चाहिए जिससे विद्यालय का पठन-पाठन कार्य बाधित न हो सके।

(6) जनपदीय अधिकारियों को विद्यालयीय समस्याओं का तत्काल निस्तारण करना चाहिए जिससे शिक्षा का स्तर गिरने न पाये। इसके साथ ही साथ विद्यालय का नियमित निरीक्षण करके उसकी समस्याओं का समाधान किया जाय।

(7) सहायता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान समय से उपलब्ध कराया जाय एवं उनका नियमित निरीक्षण किया जाय।

(8) विद्यालय के अध्यापकों को केवल शैक्षिक कार्यों में ही लगाया जाय।

———

7

विगत तीन वर्षों 1987, 88 व 89 में जूनियर बेसिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति/ अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के नामांकन की प्रगति की समीक्षा

आवश्यकता

तीसरी दुनिया के विकासोन्मुख देशों की श्रेणी में भारत का विशिष्ट स्थान है। अपने देश की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, व अनेकानेक क्षेत्रों की प्रगति व उपलब्धियों का अपने जन-जीवन पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है अपितु विश्व के बहुत से देश भी हमारी ओर आशा की दृष्टि से देखते हैं। जैसा कि विदित है किसी भी राष्ट्र की उन्नति का मूलमन्त्र उसके नागरिकों द्वारा अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से कर्त्तव्यों के निर्वहन में निहित हैं वहीं नागरिकों के आचार-विचार, जीवन स्तर व रहन-सहन में सुधार का सीधा सम्बन्ध उनके शिक्षित होने से है। अशिक्षा एक अभिशाप है जो मिटाये नहीं मिट रहा है। भारतवर्ष में 100 में मात्र 36 व्यक्ति साक्षर हैं, उत्तर प्रदेश में तो स्थिति और भी खराब है क्योंकि यहाँ तो साक्षरता भारत के माप-दण्ड से भी कम 28% हैं। स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति की दर तो उत्तर प्रदेश में केवल 18% है। आवश्यकता इस तथ्य के चिन्तन की है कि जब मात्र 28% पुरुषत्व 18% महिलाएँ ही केवल साक्षर हैं तो परिवारों का जीवन स्तर कितना सुखद हो सकता हैं। इन कठिनाइयों से मुक्त होने के लिए शासन, शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में गम्भीरतापूर्वक अनेक आवश्यक कदम उठा रहे हैं। इनके परिणामस्वरूप विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनु जनजाति व अल्प संख्यक समुदाय के छात्रों को शिक्षा देना अत्यन्त आवश्यक माना जा रहा है क्योंकि इन वर्गों में अशिक्षा सर्वाधिक है। इसी कारण से इनका सामाजिक व आर्थिक विकास भी बाधित हैं

क्योंकि सर्वमान्य सिद्धान्त के अनुसार सामाजिक, शारीरिक, मानसिक तथा जीवन के अन्य सभी अंगों का विकास शिक्षा पर ही निर्भर करता है। विगत समय में कई कार्यक्रमों के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में छात्र नामांकन में वृद्धि के अभियान विभाग द्वारा व अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाये गये हैं। उसका अनुकूल प्रभाव सभी वर्गों पर पड़ा है। यहाँ पर विशेष रूप से अनु० जाति जनजाति व अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की नामांकन में वृद्धि को ज्ञात करने हेतु एक अध्ययन किया गया है।

उद्देश्य

शीर्षक में दिये गये विषय को दृष्टिगत रखते हुए अध्ययन के विभिन्न पक्ष निम्नवत् हैं—

(1) क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति व अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की शिक्षा के प्रति अभिरुचि की जानकारी करना।

(2) सन्दर्भित वर्षों में छात्र नामांकन में वृद्धि ज्ञात करना साथ ही ह्रास व अवरोध की स्थिति का अध्ययन करना।

(3) उन कारणों का अभिज्ञान करना जो नामांकन में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं।

(4) उन कारणों की जानकारी करना जो नामांकन की वृद्धि के लिए अवरोधक हैं।

क्षेत्र

उक्त अध्ययन के लिए जनपद के कर्बी क्षेत्र का चयन किया गया है जिसमें दस प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षिक आँकड़े एकत्र किये गये हैं। इन 10 विद्यालयों में से 5 विद्यालय शहरी क्षेत्र के व 5 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के थे।

क्षेत्र में अनु० जाति व अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे विद्यालयों में शिक्षार्जन कर रहे हैं किन्तु अ० ज० जा० के बच्चे विद्यालयों में नहीं पढ़ रहे हैं।

पूछताछ से यह ज्ञात हुआ कि अ० ज० जा० के लोग यायावर प्रकृति के हैं अतः एक स्थान पर न टिक पाने के कारण प्रयास करने के पश्चात् भी विद्यालयों में बच्चों को नहीं भेजते हैं।

उपकरण

उपर्युक्त विषयक अध्ययन करने हेतु निम्नलिखित उपकरण निर्मित किये गये—

(1) शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए चयनित क्षेत्र के अनुसूचित जाति/

अनु० ज० जा० व अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की शिक्षा के प्रति अभिरुचि की जानकारी करना ।

(2) विभिन्न वर्गों में छात्र नामांकन में वृद्धि ज्ञात करना तथा ह्रास अवरोध की स्थिति ज्ञात करना ।

(3) उन कारणों को ज्ञात करना जो नामांकन की वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं ।

(4) उन कारणों का अभिज्ञान करना जो सन्दर्भित जातियों के बच्चों की नामांकन की वृद्धि में अवरोधक हैं ।

सूचनाओं का संकलन

कर्बी क्षेत्र में कुल में 10 प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया जिनमें 5, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं । ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के नाम क्रमशः प्रा० पा० कलहाई, प्रा० पा० कर्बी माफी, प्रा० पा० कालूपुर प्रा० पा० सोनेपुर तथा प्रा० पा० कपसेरी हैं । इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र के 5 प्राथमिक विद्यालय प्रमुख केन्द्र प्रा० पा० नई बाजार कर्बी, प्रा० पा० शंकर बाजार कर्बी, सती अनुसूया प्रा० पा० नगर पालिका कर्बी तथा प्रा० पा० नई बाजार कर्बी का चयन किया गया । अध्ययन में उपर्युक्त विद्यालयों के विगत तीन वर्षों 1987, 88 व 89 के शैक्षिक आँकड़े एकत्रित किये गये जिनके अंतर्गत विभिन्न वर्षों में प्रत्येक कक्षा (1-5) में नामांकन व ह्रास तथा अवरोध की सूचनाएँ संकलित की गईं । इसके अतिरिक्त अभिभावकों की शिक्षा के प्रति अभिरुचि की जानकारी नामांकन में वृद्धि के कारकों की जानकारी तथा शिक्षा के प्रति उदासीनता के कारणों को ज्ञात करने हेतु पृच्छा पत्र भरवाये ।

(1) अभिभावकों की शिक्षा के प्रति अभिरुचि के सम्बन्ध में जो सूचनाएँ प्राप्त हुईं उनका विवरण निम्नवत् है—

क्र०	पृच्छा	प्राप्त प्रत्युत्तर ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		योग		सकारात्मक दृष्टिकोण (प्रतिशत)	नकारात्मक दृष्टिकोण (प्रतिशत)
1—	बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा से सन्तुष्टी ।	19	6	20	5	39	11	78	22
2—	बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के सम्बन्ध में पूछताछ करना ।	18	7	18	7	36	14	72	28

3—कक्षाध्यापक से अपने बच्चों की पढ़ाई के सम्बन्ध में परामर्श करना।	14	11	17	8	31	19	62	38
4—बच्चों के गृह कार्य को पूरा कराना।	7	18	6	19	13	37	26	74
5—अध्यापक का शिक्षा कार्य सन्तोषजनक होना।	14	11	14	11	28	22	56	44
6—विद्यालय समय का उपयुक्त होना।	22	3	19	6	41	9	82	18
7—विद्यालय भवन की स्थिति सन्तोषजनक होना।	16	9	8	7	24	26	48	52

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के 25-25 कुल 50 अभिभावकों से सम्पर्क किया गया, जिनसे उनकी शिक्षा के प्रति अभिरुचि सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गई। बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा से सन्तुष्ट होना, उनकी पढ़ाई-लिखाई के सम्बन्ध में पूछताछ करना, विद्यालय समय का उपयुक्त होना आदि के सम्बन्ध में अभिभावकों का सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई पड़ा। इनके पक्ष में क्रमशः 78, 72, 82 व 62 प्रतिशत अभिभावकों के प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं जबकि क्रमशः 22, 28, 18 व 28 प्रतिशत अभिभावकों ने नकारात्मक उत्तर दिये हैं। अध्यापकों द्वारा दिये गये गृहकार्य को पूरा कराने में एक-चौथाई अभिभावक ही रुचि लेते हैं। शेष तीन चौथाई अभिभावक समयाभाव, अशिक्षित होने या अन्य कारणों से बच्चों को गृह कार्य कराने में रुचि नहीं लेते। आधे से अधिक अभिभावकों की राय में विद्यालय भवनों की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। इसके अतिरिक्त पचास प्रतिशत से कुछ कम अभिभावकों ने विद्यालय में किये जाने वाले अध्यापक कार्यों के प्रति असन्तोष व्यक्त किया है। प्रत्युत्तरों से यह भी तथ्य उद्घाटित हुआ है कि शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में प्राइमरी व ग्रामीण अभिभावक लगभग एक जैसी ही राय रखते हैं।

(2) अनु० जाति व अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की वर्ष 1987, 88 व 89 में सभी 10 विद्यालयों की नामांकन सम्बन्धी सूचनाएँ शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में बालक व बालिकाओं की अलग-अलग संकलित की गई हैं। नामांकन के साथ-साथ उनमें से जिन बच्चों का सत्र के मध्य ह्रास व अवरोध हुआ है उनकी स्थिति का अध्ययन किया गया है। वर्षवार प्राप्त विवरण निम्नवत हैं—

शहरी क्षेत्र

वर्ष—1987

तालिका (1)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के नामांकन की स्थिति

कक्षा पद	अनुसूचित जाति			अल्पसंख्यक समुदाय			कुल योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1—नामांकन	12	6	18	13	6	19	25	12	37
ह्रासग्रस्त	—	—	—	1	—	1	1	—	1
अवरोधग्रस्त	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2—नामांकन	14	6	20	15	5	20	29	11	40
ह्रासग्रस्त	3	—	3	—	1	1	3	1	4
अवरोधग्रस्त	5	—	5	—	1	1	5	1	6
3—नामांकन	7	1	8	17	5	22	24	6	30
ह्रासग्रस्त	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अवरोधग्रस्त	2	—	2	2	1	3	4	1	5
4—नामांकन	3	1	4	3	7	10	6	8	14
ह्रासग्रस्त	—	—	—	—	1	1	—	1	1
अवरोधग्रस्त	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5—नामांकन	4	2	6	9	5	14	13	7	20
ह्रासग्रस्त	1	—	1	1	—	1	2	—	2
अवरोधग्रस्त	—	—	—	—	—	—	—	—	—

तालिका (2)

ग्रामीण क्षेत्र

वर्ष—1987

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के नामांकन की स्थिति

कक्षा पद	अनुसूचित जाति			अल्पसंख्यक समुदाय			कुल योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1—नामांकन	25	11	36	3	1	4	28	12	40
ह्रासग्रस्त	3	1	4	—	—	—	3	1	4
अवरोधग्रस्त	—	—	—	1	—	1	1	—	1
2—नामांकन	26	5	31	1	1	2	27	6	33
ह्रासग्रस्त	4	9	13	1	1	2	5	10	15
अवरोधग्रस्त	2	1	3	—	—	—	2	1	3
3—नामांकन	15	4	19	—	—	—	15	4	19
ह्रासग्रस्त	1	1	2	—	—	—	1	1	2
अवरोधग्रस्त	9	2	11	—	—	—	9	2	11
4—नामांकन	24	5	29	1	2	3	25	7	32
ह्रासग्रस्त	1	1	2	—	—	—	1	1	2
अवरोधग्रस्त	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5—नामांकन	10	2	12	—	2	2	10	4	14
ह्रासग्रस्त	1	—	1	—	1	1	1	1	2
अवरोधग्रस्त	1	—	1	—	—	—	1	—	1

तालिका (3)

सामूहिक

वर्ष—1987

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के नामांकन की स्थिति

कक्षा पद	अनुसूचित जाति			अल्पसंख्यक समुदाय			कुल योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1—नामांकन	37	17	54	16	7	23	53	24	77
ह्रासग्रस्त	3	1	4	1	—	1	4	1	5
अवरोधग्रस्त	—	—	—	1	—	1	1	—	1
2—नामांकन	40	11	51	16	6	22	56	17	73
ह्रासग्रस्त	7	9	16	1	2	3	8	11	19
अवरोधग्रस्त	7	1	8	—	1	1	7	2	9
3—नामांकन	22	5	27	17	5	22	39	22	61
ह्रासग्रस्त	1	1	2	—	—	—	1	1	2
अवरोधग्रस्त	11	2	13	2	1	3	13	4	17
4—नामांकन	27	6	33	4	9	13	31	10	41
ह्रासग्रस्त	1	1	2	—	1	1	1	2	3
अवरोधग्रस्त	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5—नामांकन	14	4	18	9	7	16	23	11	34
ह्रासग्रस्त	2	—	2	1	1	2	3	1	4
अवरोधग्रस्त	1	—	1	—	—	—	1	—	1

विषयगत वर्ष 1987 में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के बालक/बालिकाओं के नामांकन की स्थिति अच्छी है जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के बालक/बालिकाओं का नामांकन शहरी क्षेत्र में अधिक है। आंकड़ों से विभिन्न कक्षाओं में अनु० जाति व अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों का नामांकन तालिका 1 व 2 के अनुसार निम्नवत् है—

नामांकन

	अनु० जाति		अल्पसंख्यक समुदाय	
कक्षा	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
1	18	36	19	4
2	20	31	20	2
3	8	19	22	—
4	4	29	10	3
5	6	12	14	2

उपर्युक्त तालिकाओं (1) व (2) के अवलोकन से यह तथ्य भी उद्घाटित होता है कि कक्षा 1 व 2 में ह्रास का परिमाण अधिक है जबकि अवरोध न्यूनतम है। दूसरी स्थिति यह है कि सभी वर्गों में बालकों की नामांकन संख्या बालिकाओं से अधिक है।

तालिका—3 सामूहिक रूप से वर्ष 1987 में नामांकन की स्थिति दर्शाती है। इसके अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि अनु० जाति के बच्चों की नामांकन संख्या अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों से अधिक है। इसके अतिरिक्त सभी कक्षाओं में बालकों की संख्या बालिकाओं से अधिक है। नामांकित बच्चों की संख्या 1 से 5 तक की कक्षाओं में क्रमशः कम होती गई है। जैसा कि तालिका द्वारा विदित होता है कि कक्षा—1 में 77, कक्षा—2 में 73, कक्षा—3 में 61, कक्षा—4 में 41 तथा कक्षा—5 में 34 बच्चे नामांकित हुए। कक्षा—3 में तथा 4 में अवरोध अधिक पाया गया है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में ह्रास की दर अधिक है।

तालिका (4)

शहरी क्षेत्र

वर्ष—1988

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के नामांकन की स्थिति

कक्षा पद	अनुसूचित जाति			अल्पसंख्यक समुदाय			कुल योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1—नामांकन	15	2	17	18	8	26	33	10	43
ह्रासग्रस्त	6	—	6	—	—	—	6	—	6
अवरोधग्रस्त	—	—	—	2	1	3	2	1	3
2—नामांकन	25	14	39	13	10	23	38	24	62
ह्रासग्रस्त	12	6	18	—	2	2	12	8	20
अवरोधग्रस्त	1	—	1	—	—	—	1	—	1
3—नामांकन	9	7	16	7	8	15	16	15	31
ह्रासग्रस्त	2	2	4	1	3	4	3	5	8
अवरोधग्रस्त	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4—नामांकन	8	1	9	9	8	17	17	9	26
ह्रासग्रस्त	—	—	—	1	2	3	1	2	3
अवरोधग्रस्त	—	—	—	1	—	1	1	—	1
5—नामांकन	4	1	5	6	8	14	10	9	19
ह्रासग्रस्त	1	—	1	—	1	1	1	1	2
अवरोधग्रस्त	—	—	—	3	2	5	3	2	5

तालिका (5)

ग्रामीण क्षेत्र

वर्ष—1988

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के नामांकन की स्थिति

कक्षा पद	अनुसूचित जाति			अल्पसंख्यक समुदाय			कुल योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1—नामांकन	23	14	37	3	2	5	26	16	42
ह्रासग्रस्त	1	1	2	—	1	1	1	2	3
अवरोधग्रस्त	1	1	2	—	—	—	1	1	2
2—नामांकन	28	13	41	2	2	4	30	15	45
ह्रासग्रस्त	2	1	3	—	1	1	2	2	4
अवरोधग्रस्त	6	—	6	—	—	—	—	—	—
3—नामांकन	22	4	26	2	1	3	25	5	29
ह्रासग्रस्त	1	—	1	—	1	1	1	1	2
अवरोधग्रस्त	—	2	2	1	—	1	1	2	3
4—नामांकन	23	4	27	2	1	3	25	5	30
ह्रासग्रस्त	2	2	4	—	—	—	1	2	3
अवरोधग्रस्त	1	—	1	1	—	1	2	—	2
5—नामांकन	6	2	8	1	2	3	7	4	11
ह्रासग्रस्त	1	1	2	—	—	—	1	1	2
अवरोधग्रस्त	1	—	1	—	—	—	1	—	1

तालिका (6)

सामूहिक

वर्ष — 1988

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के नामांकन की स्थिति

कक्षा	पद	अनुसूचित जाति			अल्पसंख्यक समुदाय			कुल योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	नामांकन	38	16	54	21	10	31	59	26	85
	ह्रासग्रस्त	7	1	8	—	1	1	7	2	9
	अवरोधग्रस्त	1	1	2	2	1	3	3	2	5
2	नामांकन	53	27	80	15	12	27	68	39	107
	ह्रासग्रस्त	14	7	21	—	3	3	14	10	24
	अवरोधग्रस्त	7	—	7	—	—	—	7	—	7
3	नामांकन	31	11	42	9	9	18	40	20	60
	ह्रासग्रस्त	3	2	5	1	4	5	4	6	10
	अवरोधग्रस्त	—	2	2	1	—	1	1	2	3
4	नामांकन	31	5	36	11	9	20	42	14	56
	ह्रासग्रस्त	2	2	4	1	2	3	3	4	7
	अवरोधग्रस्त	1	—	1	1	—	1	2	—	2
5	नामांकन	10	3	13	7	10	17	17	13	30
	ह्रासग्रस्त	1	1	2	—	1	1	1	2	3
	अवरोधग्रस्त	1	—	1	3	2	5	3	2	5

वर्ष 1988 के चयनित प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन सम्बन्धी आँकड़ों से यह तथ्य प्रकट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के बालक व बालिकाओं की संख्या शहरी क्षेत्र के विद्यालयों की संख्या से अधिक है। जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की नामांकन संख्या शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की संख्या से अधिक है। तालिका संख्या 4 व 5 के अनुसार नामांकन निम्नलिखित विवरणानुसार है—

कक्षा	अनुसूचित जाति शहरी क्षेत्र	नामांकन ग्रामीण	अल्पसंख्यक समुदाय शहरी क्षेत्र	नामांकन ग्रामीण क्षेत्र
1	17	37	26	5
2	39	41	23	4
3	16	26	15	3
4	9	27	17	3
5	5	8	14	3

उपर्युक्त नामांकन संख्याओं से ज्ञात होता है कि कक्षा 1 व 2 में नामांकन अधिक है। तालिका 4 व 5 के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में कुल मिलाकर नामांकन ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है, कक्षा 1, 2 व 3 में शहरी क्षेत्रों में नामांकन 54, 80 व 42 की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में यह 31, 27 और 18 ही है।

तालिका 6 के अनुसार अनु० जाति के बच्चों की कुल संख्या अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की अपेक्षा अधिक है। कक्षा 1, 2 व 3 में अ० जा० के 54, 80 व 42 बच्चों की अपेक्षा अल्पसंख्यक समुदाय के मात्र 31, 27 व 18 बच्चे ही हैं। अ० जा० के बालक/बालिकाओं में ह्रास की दर अधिक हैं कक्षा 2 में कुल 80 में 21 बच्चे ह्रासग्रस्त हो गये हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं में ह्रास अधिक हैं।

नामांकन की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती कक्षाओं में घटती चली गई है।

तालिका (7)

शहरी क्षेत्र

वर्ष—1989

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के नामांकन की स्थिति

कक्षा पद	अनुसूचित जाति			अल्पसंख्यक समुदाय			कुल योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1—नामांकन	20	10	30	12	10	22	32	20	52
ह्रासग्रस्त	4	—	4	—	—	—	4	—	4
अवरोधग्रस्त	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2—नामांकन	22	3	25	9	7	16	31	10	41
ह्रासग्रस्त	1	1	2	—	1	1	1	2	3
अवरोधग्रस्त	1	—	1	1	1	2	2	1	3
3—नामांकन	8	6	14	16	8	24	24	14	38
ह्रासग्रस्त	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अवरोधग्रस्त	—	—	—	2	—	2	2	—	2
4—नामांकन	6	4	10	8	5	13	14	9	23
ह्रासग्रस्त	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अवरोधग्रस्त	1	—	1	4	3	7	5	3	8
5—नामांकन	5	2	7	11	7	18	14	9	25
ह्रासग्रस्त	—	—	—	1	2	3	1	2	3
अवरोधग्रस्त	—	—	—	—	—	—	—	—	—

तालिका (8)

ग्रामीण क्षेत्र

वर्ष—1989

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के नामांकन की स्थिति

कक्षा पद	अनुसूचित जाति			अल्पसंख्यक समुदाय			कुल योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1—नामांकन	58	24	82	8	5	8	61	29	90
ह्रासग्रस्त	2	2	4	2	1	3	4	3	7
अवरोधग्रस्त	15	2	17	1	—	1	16	2	18
2—नामांकन	27	10	37	1	1	2	30	11	41
ह्रासग्रस्त	1	2	3	—	—	—	1	2	3
अवरोधग्रस्त	3	1	4	—	—	—	3	1	4
3—नामांकन	23	7	30	2	3	5	25	10	35
ह्रासग्रस्त	—	1	1	—	1	1	—	2	2
अवरोधग्रस्त	2	3	5	—	1	1	2	4	6
4—नामांकन	31	3	34	2	1	3	33	4	37
ह्रासग्रस्त	—	1	1	—	—	—	—	1	1
अवरोधग्रस्त	13	—	13	1	—	1	14	—	14
5—नामांकन	15	5	20	2	1	3	17	6	23
ह्रासग्रस्त	7	2	9	—	—	—	7	2	9
अवरोधग्रस्त	—	—	—	—	—	—	—	—	—

तालिका (9)

सामूहिक

वर्ष—1989

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के नामांकन की स्थिति

कक्षा पद	अनुसूचित जाति			अल्पसंख्यक समुदाय			कुल योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1—नामांकन	78	34	112	15	15	30	93	49	142
ह्रासग्रस्त	6	2	8	2	1	3	8	3	11
अवरोधग्रस्त	15	2	17	1	—	1	16	2	18
2—नामांकन	51	13	64	10	8	18	61	21	82
ह्रासग्रस्त	2	3	5	—	1	1	2	4	6
अवरोधग्रस्त	4	1	5	1	1	2	5	2	7
3—नामांकन	31	13	44	18	11	29	49	24	73
ह्रासग्रस्त	—	1	1	—	1	1	—	2	2
अवरोधग्रस्त	2	3	5	2	1	3	4	4	8
4—नामांकन	37	7	44	10	6	16	47	13	60
ह्रासग्रस्त	—	1	1	—	—	—	—	1	1
अवरोधग्रस्त	14	—	14	5	3	8	19	3	22
5—नामांकन	20	7	27	13	8	21	33	15	48
ह्रासग्रस्त	7	2	9	1	2	3	8	4	12
अवरोधग्रस्त	—	—	—	—	—	—	—	—	—

वर्ष 1989 के नामांकन सम्बन्धी आँकड़े भी पूर्व के वर्षों 1987 व 88 के उस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि शहरी क्षेत्रों में अनु० जाति के बच्चों से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की नामांकन संख्या काफी कम है जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों का नामांकन शहरी क्षेत्रों में अधिक है। तालिका 7 व 8 के आँकड़ों के अनुसार विवरण निम्नवत् है—

कक्षा	अनुसूचित जाति नामांकन		अल्पसंख्यक समुदाय नामांकन	
	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
1	30	82	22	8
2	25	39	16	2
3	14	30	24	5
4	10	34	13	3
5	7	20	18	3

उपर्युक्त विवरण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कक्षा 1 व 2 में नामांकन सर्वाधिक है। तालिका 7 व 8 के अनुसार अनु० जाति में बालकों का नामांकन बालिकाओं के अपेक्षा अधिक है। जबकि अल्पसंख्यक समुदाय में बालिकाओं का नामांकन बालकों की अपेक्षा अधिक है।

शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की सामूहिक तालिका—9 के अनुसार क्रमशः ऊँची छोटी कक्षाओं में नामांकन कम होता दिखाई पड़ रहा है। कक्षा—1 में ह्रास व अवरोध अधिक है क्योंकि लगभग 20% बच्चों की क्षति हुई है।

तालिका (10)

वर्ष 1987, 1988 व 1989 में अनुसूचित जाति के छात्रों के नामांकन की प्रगति

कक्षा		नामांकन वर्ष								
		1987			1988			1989		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	नामांकन	27	17	54	38	16	54	78	34	112
2	नामांकन	40	11	51	53	27	80	51	13	64
3	नामांकन	22	5	27	31	11	42	31	13	44
4	नामांकन	27	6	33	31	5	36	37	7	44
5	नामांकन	14	4	18	10	3	13	20	7	27

उपर्युक्त तालिका—10 के अवलोकन से यह दृष्टिगत होता है कि वर्ष 1988 में वर्ष 1987 की अपेक्षा नामांकन में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वर्ष 1989 में पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक बच्चे विद्यालयों में नामांकित हुए। सभी वर्षों में बालिकाओं का नामांकन बालकों की अपेक्षा कम रहा।

तालिका (11)

वर्ष 1987, 1988 व 1989 में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के नामांकन की प्रगति

कक्षा वर्ष	नामांकन वर्ष								
	1987			1988			1989		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1 नामांकन	13	6	19	18	8	26	12	10	22
2 नामांकन	15	5	20	13	10	23	9	7	16
3 नामांकन	17	5	22	7	8	15	16	8	24
4 नामांकन	3	7	10	9	8	17	8	5	13
5 नामांकन	9	5	14	6	8	14	11	7	18

उपर्युक्त तालिका—11 के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि विभिन्न वर्षों में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के नामांकन में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। बल्कि यह तथ्य उभर कर आ रहा है कि नामांकन में गिरावट हुई है। वर्ष 1989 में वर्ष 1988 की तुलना में नामांकन कम हुआ है। बालिकाओं का नामांकन वर्ष 1989 में बालकों की अपेक्षा कम जबकि 1988 में कक्षा 3, 4 व 5 में बालकों से अधिक है।

तालिका (12)

वर्ष 1987, 1988 व 1989 में कुल नामांकन की तुलना में अ० जाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों का नामांकन

जातिवार नामांकन	नामांकन वर्ष								
	1987			1988			1989		
नामांकन	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
कुल नामांकन	746	267	1013	738	369	1107	930	429	1359
अ० जा० तथा अल्पसंख्यक समुदाय का नामांकन	97	94	141	163	62	225	217	74	291
(प्रतिशत)	13%	17%	14%	22%	17%	20%	23%	17%	21%

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से यह विदित होता है कि विभिन्न वर्षों में कुल बच्चों की तुलना में अ० जा० व अल्पसंख्यक समुदाय के औसत 18% बच्चे नामांकित हैं। वर्ष 1987 की कुल 14 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1988 व 89 में क्रमशः 20 व 21 प्रतिशत बच्चे नामांकित हुए। एक तथ्य यह भी सामने आया है कि तीनों वर्षों में बालिकाओं के नामांकन की दर एक समान 17% है।

छात्र नामांकन में वृद्धि के लिये जो कारण हो सकते हैं उनके सम्बन्ध में इन विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों हेतु एक पृच्छा-पत्र तैयार किया गया जिसको सभी अध्यापकों ने व्यक्तिगत सूझ-बूझ से पूरा किया। ये सभी अध्यापक हाईस्कूल या उससे ऊपर की शैक्षिक योग्यता रखते हैं तथा सभी प्रशिक्षित हैं। इनके मतानुसार विभिन्न पृच्छाओं के पक्ष और विपक्ष में जो प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं उनका विवरण निम्नवत् है—

तालिका (19)

प्राप्त प्रत्युत्तर

क्रम	कारण	शहरी क्षेत्र		ग्रामीण क्षेत्र		सकारात्मक दृष्टिकोण	नकारात्मक दृष्टिकोण
		हाँ	नहीं	हाँ	नहीं		
1	विभाग द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना	16	9	13	12	29	21
2	सरकारी माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार व प्रसार होना	11	14	3	22	14	36
3	स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जनसम्पर्क किया जाना	8	17	5	20	13	37
4	सामाजिक चेतना का विकास होना	19	6	9	16	28	22
5	रेडियो/टीवी के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी होना	13	12	5	20	18	32
6	विद्यालय में भवन/साज-सज्जा की समुचित व्यवस्था होना	13	12	11	14	24	26
7	शैक्षणिक उपकरणों का अधिकाधिक उपयोग करना	16	9	18	7	34	16
8	शिक्षण सामग्री का उपयुक्त होना	20	5	22	3	42	8
9	अभिभावकों का शिक्षा के प्रति जागरूक होना	25	—	20	5	45	5
10	अध्यापक-अभिभावकों की नियमित बैठकों का आयोजन किया जाना	22	3	19	6	41	9
11	परिवारों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का सुधार होना	18	7	21	4	22	28

उपर्युक्त तालिका—13 प्राथमिक विद्यालयों के 50 अध्यापकों/अध्यापिकाओं द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं के आधार पर तैयार की गई है। अभिभावकों की शिक्षा के प्रति जागरूकता, शिक्षण सामग्री का उपयुक्त होना तथा अध्यापक-अभिभावकों की नियमित बैठकों के आयोजन हेतु क्रमशः 90, 84 तथा 82 प्रतिशत सकारात्मक प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं और इन शिक्षकों ने यह स्वीकारा हैं कि शिक्षा के विकास तथा नामांकन में वृद्धि हेतु ये कारण उत्तरदायी हैं। शैक्षणिक उपकरणों का अधिकाधिक उपयोग करना, विभाग द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना तथा सामाजिक चेतना का विकास होने की स्थिति के कारण जो नामांकन में वृद्धि हो रही हैं उसके पक्ष में 50% से अधिक अध्यापकों ने अपना मत प्रकट किया है। विद्यालयों में भवन/साज-सज्जा की कमी, परिवारों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार होना, इन कारणों को भी प्रभावी माना गया है। रेडियो/टीवी के शैक्षिक कार्यक्रमों, सरकारी माध्यम द्वारा व्यापक प्रचार व प्रसार तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यक्रमों को 60% से अधिक अध्यापकों ने अनुपयोगी बताया है।

उपर्युक्त विश्लेषण से शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों के दृष्टिकोण में भी कुछ अन्तर पाया गया है क्योंकि समाज की परिस्थितियों व जीवन-स्तर का प्रभाव भी शिक्षा पर पड़ रहा है।

अभिभावकों की शिक्षा के प्रति अभिरुचि तथा अध्यापकों की नामांकन में प्रगति के साथ-साथ अभिभावकों से यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि समाज में अभिभावकों की शिक्षा के प्रति उदासीनता के क्या कारण हैं। इस सम्बन्ध में एक पृच्छा-पत्र तैयार किया गया जिसे 50 अभिभावकों से पूछ कर भरा गया है। उसके आधार पर शिक्षा के प्रति उदासीनता हेतु प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं, जो तीन श्रेणियों में विभक्त हैं, ये श्रेणियाँ विद्यालयीय कारण, सामाजिक कारण व आर्थिक कारणों से सम्बन्धित हैं तथा इनका विवरण निम्नवत् है—

तालिका (14)

प्राप्त प्रत्युत्तर

उदासीनता के कारण	शहरी क्षेत्र		ग्रामीण क्षेत्र		सकारात्मक दृष्टिकोण	नकारात्मक दृष्टिकोण
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं		
1—विद्यालयीय कारण—						
(1) विद्यालय का भवन हीन होना	2	23	4	21	6	44
(2) विद्यालय का भवन जीर्ण होना	4	21	8	17	12	38

(3) विद्यालय में साज-सज्जा की कमी	5	20	17	8	22	28
(4) पेयजल की समुचित व्यवस्था न होना	14	11	13	12	27	23
(5) विद्यालय में शौचालय मूत्रालय न होना	10	15	20	5	30	20
(6) विद्यालय का घर से दूर होना	17	8	14	11	31	19
2—सामाजिक कारण—						
(1) माता-पिता/अभिभावक का अशिक्षित होना	13	12	4	21	17	33
(2) बालिका शिक्षा को महत्व न देना	16	9	19	6	35	15
(3) कम आयु में विवाह कर देना	2	23	7	18	9	41
(4) सामाजिक विषमता होना	14	11	12	13	26	24
3—आर्थिक कारण—						
(1) परिवार का गरीब होना	5	20	18	7	23	27
(2) बच्चों को पर्याप्त पुस्तकें / वस्त्र न उपलब्ध होना	7	18	16	9	23	27
(3) आर्थिक तंगी से बच्चों में हीनता का भाव होना	3	22	5	20	8	42
(4) पोषण की समुचित व्यवस्था न होना	9	24	3	22	4	46

तालिका—14 के अनुसार शिक्षा के प्रति उदासीनता के लिए विद्यालयीय कारणों में विद्यालय का भवन हीन होना तथा भवन जीर्ण होना प्रमुख कारण बताये गये हैं, उनके लिए 88 व 76 प्रतिशत अभिभावकों ने अपना नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया है। इसके साथ ही विद्यालयों में साज-सज्जा की कमी भी प्रमुख कारण माना है। आधे से अधिक अभिभावकों ने विद्यालयों में पेय जल की समुचित व्यवस्था न होना, विद्यालय में शौचालय/मूत्रालय का प्रबन्ध न होना तथा विद्यालय का घर से दूर होना आदि कारणों को प्रमुख नहीं माना है, फिर भी एक बड़ा वर्ग इस विचार का है कि वे कारण भी महत्व रखते हैं।

सामाजिक कारणों के सम्बन्ध में अभिभावकों ने माता-पिता, अभिभावकों का अशिक्षित होना तथा कम आयु में विवाह करना प्रमुख कारण माने गये हैं। इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा को महत्व देने के पक्ष में तथा सामाजिक विषमता होने के पक्ष में भी अधिसंख्य अभिभावकों ने मत व्यक्त किया है।

अभिभावकों ने प्रमुख रूप से आर्थिक कारणों को बच्चों की शिक्षा में अवरोध के रूप में स्वीकार किया है। बच्चों को पर्याप्त पोषण न दे पाने, आर्थिक तंगी से बच्चों में हीनता का भाव होने के क्रमशः 92 व 84 प्रतिशत अभिभावकों ने स्वीकार किया हैं। परिवार के गरीब होने तथा पर्याप्त पुस्तकें व वस्त्र न उपलब्ध करा पाना भी प्रमुख कारण माने गये है।

शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की परिस्थितियों में भी अन्तर है क्योंकि प्रायः शहरी क्षेत्र के विद्यालयों की स्थिति, शहरी अभिभावकों की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बेहतर है। शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सामाजिक कारण लगभग एक जैसे हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह तथ्य उभर कर सामने आ रहा है कि समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा हो रही है। छोटे-बड़े, अमीर-गरीब तथा शिक्षित-अशिक्षित सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। परन्तु कई अभिभावक अपरिहार्य कारणों से बच्चों को पढ़ा पाने में असमर्थ होते हैं, अतः इन कारणों के चलते हम अपने अभीष्ट लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए हमने अध्ययन में अध्यापकों से एक प्रश्न पूछा कि क्या अभिभावक शिक्षा के प्रति जागरूक हैं तो हमें शहरी क्षेत्र के सम्बन्ध में शत-प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र से 80% अभि-

भावकों के सम्बन्ध में जागरूक होने के पक्ष में प्रत्युत्तर प्राप्त हुए। शिक्षण सामग्री के उपयुक्त होने व शैक्षणिक उपकरणों के पर्याप्त प्रयोग किये जाने सम्बन्धी प्रत्युत्तर प्राप्त हुए। सरकारी माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार न करने की शिकायत अध्यापकों ने अपने प्रत्युत्तरों के माध्यम से की है जिसका प्रभावी होना समय की आवश्यकता प्रतीत होती है। विभाग द्वारा दिये जा रहे प्रोत्साहन तथा रेडियो/टी० वी० के शैक्षिक कार्यक्रम आंशिक रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। नामांकन में आशातीत वृद्धि न होने सम्बन्धी जानकारी कई प्रकार के निष्कर्षों तक पहुँचने में सहायक सिद्ध हो रही है। मुख्यतः शासन/विभाग द्वारा अनेकानेक प्रयत्नों के किये जाने के पश्चात् भी अनु० जातियों एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के नामांकन में आशातीत सफलता नहीं प्राप्त हो सकी है क्योंकि जो निष्कर्ष निकल रहा है उसके अनुसार वर्ष 1987, 88 व 89 में उक्त जातियों का नामांकन प्रतिशत कुल नामांकित बच्चों की तुलना में क्रमशः 14%, 20% व 21% है। यहाँ पर न तो नामांकन की यह दर और न ही वृद्धि उत्साहवर्धक है। अनु० जाति की बालिकाओं का नामांकन न्यून है जबकि बालिकाओं की अपेक्षा बालकों का बेहतर है। तीनों क्रमिक वर्षों में दोनों वर्ग की बालिकाओं का नामांकन 17% स्थिर है जिससे यह ज्ञात होता है कि प्रयत्नों के बावजूद भी बालिका शिक्षा को कम महत्व प्रदान किया जा रहा है। कक्षा 1 व 2 में तो नामांकन अच्छा रहता है किन्तु आगे की कक्षाओं में इसमें क्रमशः गिरावट आती है जिसका कारण हमारे विद्यालयों की धारण क्षमता में कमी होने से है। विद्यालयों को धारण क्षमता कई कारणों से प्रभावित हो रही है जिनमें ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में भवन व साज-सज्जा की कमी प्रमुख हैं। अभिभावकों के विचार से अध्यापकों का अध्यापन-कार्य भी उच्च स्तर का नहीं है तथा विद्यालयों में पेयजल व शौचालय आदि का न होना भी विशेष रूप से बालिका शिक्षा व शहरी क्षेत्र के अभिभावकों तथा बच्चों को शिक्षा के प्रति अन्यमनस्क बनाया है।

विद्यालयीय कारणों के अतिरिक्त शिक्षा के प्रति उदासीनता के लिए माता-पिता या अभिभावकों का अशिक्षित होना तथा बच्चों का अन्य साथियों की अपेक्षा पढ़ाई-लिखाई में पिछड़ जाना भी प्रमुख कारण है। अभिभावकों के सामाजिक स्तर में विषमता होना भी इसी शृङ्खला की कड़ी है। इसके अतिरिक्त परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से भी अभिभावक बच्चों को पढ़ाने-लिखाने में कम रुचि लेते हैं। खराब आर्थिक स्थिति का सीधा प्रभाव बच्चों की दैनिक जीवनचर्या पर भी पड़ता है। साफ-सुथरे कपड़े व आवश्यक साजो-समान, पुस्तकें, पटरी, कापी तथा बैग आदि उपलब्ध न होने के कारण बच्चों में हीनता की भावना जन्म लेती है, जिससे ये बच्चे अपने दूसरे साथी बच्चों से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका विवाह भी शैक्षिक स्थिति को बिगाड़ती हैं।

सुझाव

उपर्युक्त निष्कर्षों के प्रकाश में हमारे सामने कई विचारणीय प्रश्न हैं जिन पर तत्काल ध्यान देना आवश्यक है। पहली आवश्यकता विद्यालयों को अत्यन्त आकर्षक बनाना होगा। इसके लिये पर्याप्त भवन व साज-सज्जा की व्यवस्था करनी होगी। अध्यापकों को शिक्षण कार्य के प्रति जागरूक बनाना होगा। सभी अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण देने आदि कार्यों को प्राथमिकता देनी होगी। सामाजिक चेतना का विकास करने हेतु अभिभावकों को उत्प्रेरित किया जाना चाहिए। बच्चों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें व गणवेश आदि उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

———

8

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों तथा उपविद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिकाओं के कार्यभार और दायित्व निर्वहन का मूल्यांकन

पृष्ठभूमि

किसी भी राष्ट्र निर्माण के मूल में वहाँ के नागरिकों का सर्वांगीण विकास प्रमुख है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव को ध्यान में रखकर उपलब्ध संसाधनों द्वारा प्राथमिक शिक्षा की सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाना निःसन्देह एक बहुत बड़ा कार्य है और स्पष्टतः इसकी कई चुनौतियाँ हैं।

विद्यालयों की धारण-क्षमता (कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति) बढ़ाने के सन्दर्भ में सबसे अधिक विचारणीय बिन्दु विद्यालय भवनों का प्रावधान है। भवनों के अभाव में विद्यालय अपनी धारण क्षमता और आकर्षण खो देते हैं और बच्चे शिक्षा के प्रति उदासीन हो जाते हैं। हमारे अधिकतर विद्यालयों में शैक्षिक सामग्रियों का भी अभाव रहता है। अतः विद्यालयों में टाट-पट्टी, मेजों, कुर्सियों और श्यामपट की आपूर्ति के लिए प्रावधान किया जा रहा है। पेयजल सुलभ कराने के लिए हैंड पम्प विद्यालयों में लगाये जा रहे हैं जहाँ सम्भव था चयनात्मक आधार पर विद्यालयों को रेडियो और टेलीविजन सेट भी सुलभ कराये गये है।

नामांकन के बिस्तार के प्रसंग में जो चित्र हमारे सामने उभर कर आया है, उससे हमें बालिकाओं की शिक्षा पर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि विद्यालय न जाने वाले बच्चों में बालिकाओं की संख्या सबसे अधिक है। इस सन्दर्भ में अभिभावकों को समझा-बुझाकर बालिकाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में उनके परम्परागत पूर्वाग्रहों का उन्मूलन करने की आवश्यकता हैं।

किसी बच्चे के प्रवेश के उपरान्त सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसे विद्यालय में पढ़ाई के लिए तब तक रखना है जब तक कि वह प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी न कर ले या उसकी 14 वर्ष की आयु पूरी न हो जाय। इस बात का निरन्तर ध्यान रखना होगा कि वह प्रतिवर्ष नियमित रूप से प्रगति करता रहे और पढ़ाई पूरी किये बिना बीच समय में ही विद्यालय न छोड़ दे। गरीबी के कारण माता-पिता अत्यल्प आय को बढ़ाने के उद्देश्य से अपने बच्चों से श्रम कार्य को बाध्य होते हैं तथा उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आदिवासी दोनों तथा नगरों की मलिन बस्तियों के कमजोर समुदायों के बच्चों की शिक्षा हेतु अंशकालीन केन्द्र के माध्यम से शैक्षिक सुविधाएँ शासन द्वारा प्रदान की गयी हैं। प्राइमरी तथा मिडिल स्तर के विज्ञान पाठ्यक्रम को प्रभावी रूप से पढ़ाये जाने हेतु शिक्षकों को विज्ञान के नये पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया जाना भी आवश्यक होगा। पाठ्यक्रम के अभिनवीकरण के साथ-साथ मूल्यांकन पद्धति में भी सुधार करना अपेक्षित है। सभी वय वर्गों की शिक्षा के लिए लिखित पाठ्य-सामग्री तैयार करके, रेडियो के माध्यम से प्रसारित की जाती है जिससे समुदाय के सभी प्रकार के लोग लाभान्वित होते हैं।

प्रजातन्त्रीय प्रणाली में विद्यालयों को सामुदायिक विकास केन्द्र बनाने की कल्पना की गई हैं। समाज के सम्पूर्ण विकास के बिना शिक्षा का भी समुचित विकास नहीं हो सकता। इस परिप्रेक्ष्य में निरीक्षक वर्ग की अहम् भूमिका है तथा उनका कार्य बहुआयामी हो गया है। उसे जिले के विभिन्न विभागों से ताल-मेल रखने के लिए काफी समय व्यतीत करना होता है। फलस्वरूप विभागीय कार्य के लिए समय कम मिल पाता है।

आवश्यकता

प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा के उन्नयन के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं उपविद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिकाओं का दायित्व अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः उक्त अधिकारियों के कार्यभार और दायित्व का वर्तमान शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करके समुचित सुझाव देना आवश्यक है, जिससे ये अधिकारी प्राथमिक शिक्षा के स्तरोन्नयन एवं गुणवत्ता वृद्धि में अपना सक्रिय योगदान कर सकें।

उद्देश्य

(1) वर्तमान शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में निरीक्षक वर्ग के अधिकारियों के कार्यभार एवं दायित्व का मूल्यांकन करना एवं इन्हें प्रभावपूर्ण बनाने हेतु यथेष्ट मार्गदर्शन करना।

(2) इन अधिकारियों के दायित्व निर्वहन में उत्पन्न कठिनाइयों को ज्ञात कर उनके निराकरण हेतु समुचित सुझाव प्रस्तुत करना।

परिकल्पना

बदलते समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रत्येक देश/प्रदेश अपनी शिक्षा विकसित करने का अहर्निशि यत्न करता है। विकासोन्मुखी शिक्षा व्यवस्था हमारे अतीत के अनुभवों व वर्तमान की आवश्यकताओं पर आधारित होकर हमारी जनता के लिए साथ ही मानवता के लिए एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकेगी और हम राष्ट्र को सुशिक्षित ऐसे नागरिक दे सकेंगे जो किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में समर्थ हो सकें। किन्तु हम अपनी इस संकल्पना को तभी साकार रूप दे पायेंगे जब हमारे शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक/निरीक्षक, अधिकारी सुनियोजित ढंग से तथा समुचित क्रियान्वयन के आधार पर विकासोन्मुखी शिक्षा को घर-घर पहुँचा सकें। इसी परिकल्पना के परिप्रेक्ष्य में यह अनुभव किया जा रहा है कि हमारे निरीक्षक अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा के स्तरोन्नयन तथा गुणवत्ता अभिवृद्धि विषयक विविध पहलू जैसे शिक्षा के अवसरों की समानता, छात्र केन्द्रित शिक्षा, मूल्यपरक शिक्षा, मूल्यांकन प्रक्रिया, परीक्षा में सुधार, समुदाय का सहयोग, अध्यापक का प्रशिक्षण आदि कार्यों से सम्बन्धित दायित्व निर्वहन के प्रति कितने सचेष्ट हैं। इसकी सम्यक् जानकारी प्राप्त करने के निमित्त कतिपय जनपदों से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों/उपविद्यालय निरीक्षकों/निरीक्षिकाओं द्वारा सम्पादित कार्यों का विधिवत् अध्ययन किया जाय, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाय कि ये अपने दायित्व-निर्वहन के प्रति कितने सक्रिय हैं और कितने निष्क्रिय और उदासीन हैं।

क्षेत्र (परिसीमन)

इस शोध प्रकरण के निमित्त प्रदेश के पाँच जनपद लखनऊ मिर्जापुर, नैनीताल, मेरठ तथा ललितपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उपविद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिका को चयनित किया गया है।

अवधि

जुलाई 90 से दिसम्बर 90 तक।

कार्यविधि

शोधगत विषय के अध्ययन हेतु मुख्यतया उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा (1) अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या 7105/15(1)73-101/73 दिनांक 23-10-73 को आधार मानकर (परिशिष्ट-1) पृच्छा प्रपत्र तथा प्रश्नावलियों का निर्माण एवं विकास कर अपेक्षित जानकारी प्राप्त की गयी है। उक्त के अतिरिक्त यथावश्यक व्यक्तिगत सम्पर्क एवं साक्षात्कार विधि को अपनाई गयी हैं।

प्रदत्त संग्रहण एवं विश्लेषण

शोध अध्ययन के विषय को गति प्रदान करने की दृष्टि से प्रथम चरण में निर्मित पृच्छा

प्रपत्र जो मुख्यतः प्रशासनिक, शैक्षिक एवं वित्तीय दायित्वों पर आधारित हैं, को प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित अध्ययन हेतु चयनित जिले के सर्वोच्च अधिकारी—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को वितरित किया गया।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त उत्तरों के सम्यक् विश्लेषणोपरान्त यह तथ्य सामने उभर कर आया कि अधिकांश अधिकारी अपने पद से सम्बन्धित प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन के प्रति अधिक जागरूक हैं।

अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों के चार मास अथवा 6 सप्ताह तक अवकाश पर रहने के परिणामस्वरूप कार्यों के सम्पादन में तथा परिणामी व्यवस्था के फलस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जैसा कि लखनऊ, मिर्जापुर, नैनीताल तथा मेरठ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने संकेत दिया है, परन्तु जनपद ललितपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अनुकूल आशय की जानकारी दी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ तथा मिर्जापुर ने राजनैतिक प्रभाव के प्रयोग के कारण कार्य सम्पादन में कठिनाई बतायी है।

नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों के अधिकांश प्रकरण लखनऊ तथा ललितपुर में लम्बित हैं तथा शेष जनपदों—मिर्जापुर, मेरठ, नैनीताल मे अंशतः की जा चुकी हैं। दक्षतारोक तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही से सम्बन्धित अद्यतन प्रकरणों का निस्तारण सम्बन्धित जनपदों के सभी अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है। अधीनस्थ कर्मचारियों की गोपनीय आख्या प्रेषण तथा रख-रखाव के संदर्भ में सबका उत्तर एक ही है जो उनसे अपेक्षित भी है। योग्यता अभिवृद्धि के निस्तारण के संदर्भ में सभी अधिकारियों ने तत्परता बरती है।

अधीनस्थ अधिकारियों के भ्रमण कार्यक्रम के अनुमोदन एवं निरीक्षण आख्याओं के नियमित प्रेषण के संदर्भ में सभी ने अनुकूल उत्तर दिये हैं जबकि मेरठ जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भ्रमण कार्यक्रम बार-बार मांगने पर प्राप्त होते हैं तथा मिर्जापुर जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निरीक्षण आख्याएँ समय से नहीं प्राप्त होतीं।

शैक्षिक स्तरोन्नयन के परिप्रेक्ष्य में सभी अधिकारी एकमत हैं जो उनसे अपेक्षित भी है। यात्रा-भत्ता देयक के सम्बन्ध में सभी अधिकारियों द्वारा त्वरित निस्तारण सम्बन्धित मद के बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

बी० टी० सी० प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक / अध्यापिकाओं की स्थिति के संदर्भ में अधिकरियों ने क्रमशः उनकी संख्या लखनऊ-477, मिर्जापुर-450, नैनीताल-151, मेरठ-484 तथा ललितपुर में 498 बतायी है। शासन द्वारा नियुक्तियों पर रोक लग जाने के परिणामस्वरूप

अधिकांश जनपदों में नियुक्तियों से सम्बन्धित प्रकरण लम्बित हैं, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है।

मृतक आश्रितों की नियुक्ति के संदर्भ में मिर्जापुर, मेरठ, ललितपुर तथा नैनीताल जनपदों में प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है जबकि लखनऊ में नियुक्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है।

अप्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों के प्रशिक्षण के संदर्भ में सभी जनपदों से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षणार्थ अपेक्षित कार्यवाही की जा चुकी है।

कार्यालय पंचांग के अनुसार कार्य पद्धति अपनाये जाने के संदर्भ में सभी के उत्तर एक समान हैं, जो अनुकूल है।

शैक्षिक तथा वित्तीय दायित्वों के निर्वहन में अपेक्षाकृत कहीं-कहीं किन्हीं बिन्दुओं पर शिथिलता परिलक्षित हुई है। प्राथमिक शिक्षा के स्तरोन्नयन एवं गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा निरीक्षण, शिक्षण, परीक्षण एवं मूल्यांकन आदि की ओर अधिकांश अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जनपद स्तर तथा विकास खण्ड स्तर पर विविध प्रकार की शैक्षिक विचार-गोष्ठियाँ, प्रतियोगिताएँ, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाने का उल्लेख किया गया है।

अधिकांश अधिकारियों ने इस तथ्य की जानकारी दी है कि आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजनान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में कोई भी विद्यालय भवनहीन नहीं रहेगा। साज-सज्जा तथा काष्ठोपकरण हेतु पर्याप्त धनराशि प्रधानाध्यापकों को सुलभ करा दी गयी है। रंगीन टी० वी० सेट, विज्ञान किट तथा गणित किट भी कुछ विद्यालयों में उपलब्ध कराये जा चुके हैं। मिर्जापुर जनपद में आपूर्ति अभी नहीं हुई है। यद्यपि वहाँ भी धन का आवंटन किया जा चुका है। प्रशिक्षण, प्रचार एवं प्रसार कार्य, अध्यापक-अभिभावक संघ, संकुल योजनाएँ आदि विधिवत् सभी जनपदों में चलायी जा रही हैं। चौकीदार की व्यवस्था न होने के कारण आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी सामग्री के रख-रखाव में प्रायः पाँचों जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कठिनाई हो रही है। शिक्षा के स्तर में गिरावट तथा ह्रास अवरोध की स्थिति लखनऊ, नैनीताल, मेरठ, ललितपुर में अपेक्षाकृत कम परिलक्षित हुई है। मिर्जापुर जनपद में अभिभावकों के आर्थिक गिरावट, बच्चों के गृहकार्य में हाथ बँटाने के परिणामस्वरूप बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने के कुछ उदाहरण सर्वेक्षण के मध्य सज्ञान में आये हैं, जिनके लिए यथावश्यक सुझाव एवं निर्देश दे दिये गये हैं।

विद्यालयों के प्रभावी निरीक्षण तथा पाठ्येत्तर क्रिया-कलापों के सन्दर्भ में अधिकांश

अधिकारियों ने एक जैसी टिप्पणी दी है जो अनुकूल है। मात्र बेसिक शिक्षा अधिकारी, नैनीताल ने कुछ कठिनाइयों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है जैसे जीप गाड़ी का न होना तथा कार्यालय कार्य का अधिक होना प्रभावी निरीक्षण में बाधक है। पाठ्येतर क्रिया-कलाप जैसे स्काउटिंग, गाइडिंग, समाजसेवी रेडक्रास से सम्बन्धित सभी कार्य विभागीय निर्देशानुसार नियमित ढंग से सम्पादित किये जा रहे हैं। क्रीड़ा मैदान सभी विद्यालयों में समान रूप से सुलभ नहीं हैं। परिणामस्वरूप खेलकूद की दिशा में बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।

बेसिक शिक्षा के स्तरोन्नयन के परिप्रेक्ष्य में अधिकांश अधिकारियों ने पृथक्-पृथक् सुझाव दिये हैं, जिनका जनपदवार निम्नवत् उल्लेख किया जा रहा है—

(1) लखनऊ

(1) आर्थिक दृष्टि से पिछड़े छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें, पोशाक की व्यवस्था की जाय।

(2) निर्धन अभिभावकों के पाल्यों को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति दी जाय।

(3) निःशुल्क पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाय।

(2) मिर्जापुर

(1) जू० हा० स्कूल की परीक्षा जनपद स्तर पर की जाय।

(2) निरीक्षक/निरीक्षिकाओं की समस्याओं का समाधान त्वरित किया जाय जिससे उनमें व्याप्त कुंठा समाप्त हो।

(3) कार्य के अनुरूप लिपिकों की व्यवस्था की जाय।

(4) परिषदीय अध्यापकों का स्थानान्तरण जनपद के बाहर किया जाय।

(3) नैनीताल

(1) विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद का सृजन किया जाय जिससे कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान विकास खण्ड स्तर पर हो सके।

(2) व्यायाम शिक्षक तथा स्काउट मास्टर का एक पद कम से कम विकास खण्ड स्तर पर होना चाहिए।

(4) मेरठ

(1) शिक्षा कार्यालय की इकाई विकास-खण्डवार होना चाहिए।

(2) कार्यालय में नियमानुसार निरीक्षक वर्ग तथा लिपिक संख्या बढ़नी चाहिए।

(3) कर्मचारियों हेतु आवास योजना होनी चाहिए।

(5) सीतापुर

(1) शिक्षकों की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाया जाय।

(2) उन्हें दायित्व निर्वाह के प्रति सचेष्ट किया जाये।

(3) कुशल एवं कर्तव्यनिष्ठ अध्यापकों को दक्षता पुरस्कारों द्वारा प्रेरित किया जाये।

(4) संकुल योजना प्रभावी की जाय।

(5) परीक्षा प्रणाली में सुधार की दृष्टि से वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रणाली अपनाई जाय।

(6) प्राइमरी व जू० हा० स्कूल की परीक्षा प्रणाली में निरीक्षक वर्ग का भी नियन्त्रण होना चाहिए।

(7) प्राइमरी तथा जू० हा० स्कूलों में शिक्षा निदेशक द्वारा जो पंचांग निर्धारित है इनका प्रभावपूर्ण अनुपालन सुनिश्चित हो।

(8) अध्यापकों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि की जाय। विशेषकर यह जनपद, झाँसी जनपद का एक भाग रहा है। अस्तु इस जनपद में स्वीकृत अध्यापकों की संख्या कम है, इसे बढ़ायी जाय।

वित्तीय दायित्व के निर्वहन के सन्दर्भ में कतिपय जिज्ञासाएँ की गयीं जो शोध अध्ययनगत विषय के परिप्रेक्ष्य में विचारणीय है। रोकड़ पंजी की प्रविष्टियों के सन्दर्भ में मिर्जापुर, नैनीताल, मेरठ, ललितपुर जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के उत्तर एक जैसे हैं, जो अनुकूल हैं।

अध्यापकों के वैयक्तिक निधि (पी० एल० ए०) के सन्दर्भ में सभी अधिकारियों के उत्तर एक समान हैं, जो उनके कार्य से सीधे सम्बद्ध न होकर शासन द्वारा अधिकृत लेखाधिकारी द्वारा सम्पादित किया जाता है।

लखनऊ जनपद के 4 विकास खण्डों में सेवारत अध्यापकों से सम्बन्धित लेखापर्ची की पोस्टिंग लेजर और ब्राडशीट का कार्य पूर्ण किया जा चुका है और शेष 4 ब्लाकों की पोस्टिंग का कार्य लेखाधिकारी द्वारा कराया जा रहा है। कार्योपरान्त लेखापर्ची अध्यापकों को दी जा सकेगी। इसी प्रकार मेरठ जनपद में भी कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं किन्तु अपेक्षित प्रगति परिलक्षित न होने के परिणामस्वरूप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खेद व्यक्त किया है।

कार्यालय आडिट एवं उनके निराकरण के सन्दर्भ में सभी के उत्तर एक समान हैं, जो अनुकूल हैं।

छात्रवृत्तियों हेतु आवंटित धनराशि एवं उनके प्रभावी वितरण के सन्दर्भ में लखनऊ, मिर्जापुर ललितपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने विविध छात्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए इस आशय की टिप्पणी दी है कि अधिकांश छात्रवृत्तियाँ जिला एवं हरिजन समाज विभाग द्वारा सीधे छात्रों को प्रदान की जाती है। नैनीताल और मेरठ में यह भुगतान अद्यतन हो चुका है।

जिला योजनान्तर्गत क्रियान्वित शैक्षिक कार्यक्रमों के संचालन हेतु शासन द्वारा प्राप्त धनराशि के उपयोग के सन्दर्भ में अधिकांश अधिकारियों की टिप्पणी एक समान है जो अनुकूल है। नैनीताल के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सूचित किया है कि वित्तीय स्वीकृत प्राप्त हुई है, किन्तु शासन से धनराशि अवमुक्त न होने के परिणाम जिला योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रमों को अपेक्षित गति प्रदान कर पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

पाठ्य सामग्री, निःशुल्क पोषाक वितरण पुष्टाहार तथा Special Componant Plan के सन्दर्भ में सम्बन्धित अधिकारियों के स्तर से अपेक्षित कार्यवाही जनपद के कुछ विद्यालयों में की जा रही है। अवशिष्ट सुविधाएँ आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्राप्त है। जहाँ तक पुष्टाहार योजना का सम्बन्ध है, वह लखनऊ, मिर्जापुर, मेरठ जनपदों में नहीं है तथा नैनीताल में 19 केन्द्रों पर और ललितपुर जनपद के 30 केन्द्रों मेंयह योजना चल रही है, जिसे और प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है। Special Component Plan के अन्तर्गत अधिकांश अधिकारियों ने शासन की संकल्पना के अनुरूप प्रस्तावित योजना की अनुशंसा की है और इस बात पर बल दिया है कि विद्यालयों में शौचालय, पेयजल व्यवस्था, भवन, काष्ठोपकरण, सहायक शिक्षण सामग्रियों, श्रव्य-दृश्य शिक्षोपकरण आदि आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना द्वारा उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है तथापि विद्यालयों में लेखाकार, चौकीदार के पदसृजन, प्राथमिक शिक्षा के स्तरोन्नयन एवं गुणवत्ता अभिवृद्धि की दृष्टि से समीचीन प्रतीत होता है।

इसी प्रकार शोध अध्ययनगत विषय के परिप्रेक्ष्य में लखनऊ, मिर्जापुर, नैनीताल, मेरठ तथा ललितपुर जनपदों में कार्यरत उपविद्यालय निरीक्षकों तथा उप-बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं के प्रशासनिक, शैक्षिक एवं वित्तीय दायित्व निर्वहन से सम्बन्धित पृच्छा-पत्र भरवाए गये और उनसे कतिपय जिज्ञासाएँ व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा की गई। सभी अधिकारी अपने पद से सम्बन्धित दायित्व निर्वहन के प्रति सचेष्ट हैं तथापि कहीं-कहीं कतिपय कारणों से कुछ बिन्दुओं पर समुचित समन्वयन नहीं हो पाता। परिणामस्वरूप कार्य सम्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है, जैसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों का अधिकांश समय जनपद-स्तरीय उच्चाधिकारियों द्वारा आहूत विविध बैठकों में अतिव्यस्त होने के कारण अधीनस्थ इन अधिकारियों (उपविद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिका) की अपने कार्यों पर समुचित आदेश एवं अनुमोदन प्राप्ति में प्रतीक्षा करनी पड़ती है। विकास खण्ड स्तर से प्रति उपविद्यालय निरीक्षक/सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका से सम्बन्धित सूचनाएँ संकलित कर उच्चाधिकारियों के अवलोकनार्थ प्रेषित करने में भी वाहन आदि की सुविधा न होने से अप्रत्याशित विलम्ब होना स्वाभाविक है। वाहन के अभाव में विद्यालयों

का इनके द्वारा समय-समय पर प्रभावी निरीक्षण भी अपेक्षित गति एवं निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं हो पाता।

सामाजिक सम्बन्ध एवं राजनैतिक हस्तक्षेप भी इनके दायित्व निर्वहन को प्रकारान्तर से प्रभावित करता है। विशेष रूप से ऐसी स्थिति अध्यापकों के स्थानान्तरण अथवा दण्डात्मक कार्यवाही से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण में दृष्टगत होता है। वार्षिक समायोजन में अनचाही जगह पदस्थापित कर दिये जाने के कारण प्रभावित अध्यापक/अध्यापिकाएँ कार्यभार ग्रहण करने एवं समुचित दायित्व निर्वहन में उदासीन रहते हैं जैसा कि उपविद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिकाओं ने अपने द्वारा पूरित पृच्छा प्रपत्रों के माध्यम से अवगत कराया है। प्राथमिक शिक्षा के स्तरोन्नयन के सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपदों के उपविद्यालय निरीक्षक से प्राप्त सुझाव जनपदवार अंकित हैं—

लखनऊ

सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूल स्तर पर प्रभावी निरीक्षण के अन्तर्गत लागू करके केन्द्रीय मूल्यांकन की व्यवस्था की जाय।

मिर्जापुर

(1) अध्यापकों की नियमित उपस्थिति हेतु जनपद के बाहर स्थानान्तरण होना चाहिए।

(2) छात्रों की नियमित उपस्थिति हेतु अध्यापकों द्वारा प्रतिदिन सेवित क्षेत्र में कम से कम विद्यालय समय के बाद रोका जाय।

(3) अभिभावकों को अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने के लिए कहना तथा अभिभावक यदा-कदा अपने बच्चों के विद्यालय से सम्पर्क बनाये रखें।

नैनीताल

(1) अध्यापकों की कमी दूर की जाय। 1 : 40 के मानक के अनुसार।

(2) विकास खण्ड स्तर पर अध्यापकों का स्थापना कार्य।

(3) आहरण वितरण अधिकार प्रति उपविद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिका को सौंपा जाय।

ललितपुर

(1) इस जनपद की भौगोलिक स्थिति पठारी एवं पर्वतीय है। ग्रामीण अंचलों में विद्यालय बहुत दूरी पर स्थित हैं। जीप के अभाव में प्रभावी निरीक्षण नहीं हो पा रहा है।

(2) तीन पद प्रति उपविद्यालय निरीक्षक के रिक्त हैं जिससे कार्यों में अवरोध हो रहा हैं इसकी शीघ्र व्यवस्था होनी चाहिए।

शैक्षिक स्तरोन्नयन के निमित्त विद्यालयों का प्रभावी निरीक्षण उपविद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिकाओं के लिए निर्धारित दायित्वों का एक अभिन्न अंग है जो उनके द्वारा नियमित रूप से सम्पादित किये जाते हैं। यथावश्यक अपेक्षित निर्देश भी दिये जाते हैं। अधीनस्थ निरीक्षण अधिकारियों से भी निरीक्षण आख्याएँ प्राप्त की जाती हैं और उन्हें अवलोकनार्थ उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रेषित की जाती हैं किन्तु समुचित निर्देशों के अभाव में एवं अध्यापकों की उदासीनता के परिणामस्वरूप अपेक्षित शैक्षिक प्रगति परिलक्षित नहीं हो पा रही है। शैक्षिक स्तरोन्नयन के सम्बन्ध में कतिपय जनपदों से सम्बन्धित उप बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं ने सुझाव दिये हैं जो विचारणीय हैं—

लखनऊ

(1) प्रशासनिक व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए।

(2) शिक्षक वर्ग के ज्ञान व दक्षता का परीक्षण प्रत्येक 5 वर्ष उपरान्त कराया जाना चाहिए।

मिर्जापुर

(1) प्रजातान्त्रिक और वैज्ञानिक युग में आवश्यकता और अपेक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम नवीनीकरण, शोध और प्रयोगों के अनुसार नवीन शिक्षण विधियों, विद्यालय विकास के लिए राज्य स्तर पर चलाये जा रहे कार्यक्रम, शिक्षा की नवीनतम उपलब्धियों को अध्यापकों तक पहुँचाया जाय।

(2) क्षेत्र स्तर पर शिक्षकों को अभिनवीकरण के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम चलाया जाय।

(3) संकुल के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों का आयोजन कर योग्य, अनुभवी तथा विषय-विशेषज्ञों द्वारा, आदर्श पाठ, विषय विशेष का स्पष्टीकरण, कठिन स्थलों का निवारण कर सकते हैं।

(4) विज्ञान किटों के प्रयोग द्वारा शिक्षोन्नयन में उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं।

(5) सुलेख, वर्तनी सुधार तथा उच्चारण सुधार, गणित में गिनती और पहाड़ों का कंठस्थ कराने का कार्यक्रम प्रोजेक्ट के रूप में किया जाय।

(6) राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रतियोगिता तथा प्रदर्शनी आयोजन, सुलेख, अन्त्याक्षरी, वाद-विवाद आदि का आयोजन, विद्यालय के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हो सकते हैं।

(7) निरीक्षण को प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर प्रति उप-विद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिकाओं का प्रशिक्षण सेमीनार/राज्य स्तर पर/मण्डल स्तर पर आयोजित किया जाय।

(8) शैक्षिक स्तर को समुन्नत बनाने के लिए रचनात्मक सुझाव दिया जाय ।

(9) विद्यालयों के निरीक्षण प्रणाली विकसित करने पर बल दिया ।

नैनीताल

(1) बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत पाठ्यक्रम को अधिक रुचिकर बनाया जाय ।

(2) शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्य के पुराने ढाँचे में परिवर्तन-परिवर्धन की आवश्यकता है ।

ललितपुर

बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों का स्तर उच्च बनाने हेतु—

(1) भवन पक्के हों ।

(2) प्रत्येक कक्षा के लिए बड़े हवादार कमरे हों ।

(3) जहाँ तक सम्भव हो सके बिजली तथा पंखे हों ।

(4) चहारदीवारी हो ।

(5) प्रत्येक विद्यालय में चपरासी हों ।

(6) परीक्षाफल को देखते हुए अध्यापक की वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति की जाय ।

निष्कर्ष

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों, उपविद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिकाओं के दायित्व निर्वहन से सम्बन्धित एवं व्यक्तिगत सम्पर्क/साक्षात्कार द्वारा प्राप्त एवं संग्रहीत साक्ष्यों/प्रदत्तों के सम्यक विश्लेषणोंपरान्त निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तरोन्नयन एवं गुणवत्ता की वृद्धि में उक्त निरीक्षण अधिकारियों की अहम् भूमिका को नकारा नहीं जा सकता । शिक्षण एवं निरीक्षण कार्य परस्पर एक-दूसरे के पूरक हैं । इनमें से यदि एक की उपेक्षित रहा तो दूसरे का प्रभावी प्रभाव स्वाभाविक है, जहाँ शिक्षा के नवीन सम्बन्धों में शिक्षकों का पुनर्बोधित एवं अभिमुखीकृत होना आवश्यक है, वहीं उनका सतत् मार्ग-दर्शन भी अपेक्षित है । उनके कार्यों का समुचित निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन आवश्यक है और यह तभी सम्भव हो सकेगा जब उक्त निरीक्षण अधिकारी इस दिशा में जागरूक रहें, क्योंकि निरीक्षण के क्षेत्र में अब मात्र शिक्षकों के कार्यों में त्रुटि निकालना अथवा टिप्पणी करना ही नहीं है, अपितु प्रशासन, परीक्षण, व्यावसायिक कार्यदक्षता के नेतृत्व, विकास सम्बन्धी कार्यों का निर्धारित तथा नियोजन, विद्यालय एवं समुदाय के मध्य सेतु निर्माण आदि ऐसे क्रिया-कलाप हैं जो निरीक्षण अधिकारियों के दायित्वों का अभिन्न अंग के रूप में परिभाषित किये गये हैं । उक्त के अतिरिक्त प्रजातान्त्रिक और वैज्ञानिक युग में आवश्यकता तथा अपेक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम नवीनीकरण, शोध एवं प्रयोगों के आधार पर नवीन शिक्षण विधियों, विद्यालय विकास के लिये प्रदेश स्तर पर चलाये जा रहे कार्यक्रमों, शिक्षा के नये आयामों का समायोजन तथा

नवीनतम उपलब्धियों को अध्यापक तक पहुँचाने का दायित्व भी निरीक्षण अधिकारियों का ही है। शोध अध्ययन के मध्य यह तथ्य उभर कर आया कि निरीक्षण अधिकारी अपने प्रशासनिक एवं वित्तीय दायित्वों से सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन में अधिक जागरूक रहते हैं, अपेक्षाकृत शैक्षिक दायित्वों के निरीक्षण अधिकारी अपने व्यक्तिगत विवेक से विद्यालय की स्थिति का मूल्यांकन अपनी घिसी-पिटी शैली में निरीक्षण आख्या प्रस्तुत कर देते हैं। इन आख्याओं में जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि शिक्षकों के कार्य में विद्यमान कमियों का तो उल्लेख रहता है, किन्तु उनके स्थान पर शुद्ध सूचनाओं, तथ्यों एवं कमियों को पूरा करने के लिये रचनात्मक सुझाओं का प्रायः अभाव रहता है, जो सम्बन्धित अध्यापकों को प्रोत्साहित कर उनमें आस्था तथा विश्वास विकसित करने की सामर्थ्य अपेक्षाकृत कम रखती है।

स्वतन्त्रता के बाद परिस्थितियों में काफी बदलाव आया है। विद्यालयों की संख्या में अतिशय वृद्धि भी हुई है किन्तु निरीक्षण अधिकारियों की संख्या तथा कार्यालय में सहायक कर्मियों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि न होने के फलस्वरूप इनके कार्य में कार्यालयीगत वृद्धि के कारण निरीक्षण की स्तरीयता में निरन्तर ह्रास हुआ हैं। प्रशासन और निरीक्षण का कार्य एक ही अधिकारी के पास होने से वे निरीक्षण के कार्य में बहुत कम समय दे पाते हैं। निरीक्षकों को निरीक्षण के अतिरिक्त अन्य कार्यों में व्यस्त रखा जाता है जिससे वे निरीक्षण सम्बन्धी अपेक्षित दायित्व निर्वहन ठीक से नहीं कर पाने। यह भी अनुभव किया गया कि निरीक्षक अधिकारियों में कुछ ऐसे भी अधिकारी है जिनमें निरीक्षण दक्षता की कमी है और वे कुशलतापूर्वक निरीक्षण कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। आवश्यकता इस बात की है कि निरीक्षकगण परम्परागत अधिकार-वादी मनोवृत्ति से मुक्त होकर शैक्षिक नियोजन, पथ-प्रदर्शक, समन्वय तथा सुधारकर्ता के रूप में सामने आये, इसी क्रम में यह भी तथ्य ध्यातव्य है कि निरीक्षण का उद्देश्य नियन्त्रण स्थापित करना नहीं, वरन् अध्यापकों, छात्रों, अभिभावकों एवं जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वयन स्थापित करते हुए सहायता प्रदान करना है।

अधिकांश निरीक्षण अधिकारियों ने बातचीत के मध्य इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है कि उनके द्वारा सम्पादित निरीक्षण कार्य में बहुमुखी दृष्टिकोण न होकर एकांगी ही रहता है। निरीक्षण के मध्य बहुमुखी दृष्टिकोण से हमारा अभिमत है कि निरीक्षण अधिकारी विद्यालय का बाह्यस्वरूप (भवन, उपकरण, पर्यावरण, स्वच्छता एवं अलंकरण), आन्तरिक स्वरूप (शिक्षक का आचार एवं व्यवहार, छात्र संख्या, उपस्थिति, गणवेश, समय-सारिणी, अभिलेखों का रख-रखाव, शैक्षिक कार्यों का नियोजन, मूल्यांकन आदि), संस्कृति तथा मूल्यों के विकास के लिये किये गये प्रयास, दैनिक प्रार्थना, राष्ट्रगान, समूहगान, देशगान, सूक्ति एवं राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, पाठ्यसहगामी एवं पाठ्येतर क्रिया-कलापों के लिये कार्यक्रम, बाल सभा का आयोजन,

पुस्तकालय का प्रयोग तथा अन्य संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन, अध्यापक-अभिभावक बैठक, संकुल गोष्ठी को दृष्टि में रखकर प्रभावी निरीक्षण करें तभी उनके इस कार्य की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी क्योंकि प्रभावी निरीक्षण का प्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों पर पड़ता है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि निरीक्षण अधिकारीगण आपस में ताल-मेल, समन्वयन स्थापित कर अपने दायित्वों का निर्वहन करें, तभी वे समाज और राष्ट्र के हित में अपनी लगन-निष्ठा, ईमानदारी, कार्य-कुशलता, नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण आदि से सम्बन्धित सद्गुणों की अलौकिक आभा प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में संचारित करने में समर्थ हो सकेंगे।

इनके दायित्व निर्वहन में जहाँ कुछ सैद्धान्तिक, व्यावहारिक एवं परिस्थितिजन्य विवशताएँ परिलक्षित हुई हैं, वहीं राजनैतिक हस्तक्षेप भी समुचित दायित्व निर्वहन में अवरोधक बना हुआ है। परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इनसे सम्बन्धित प्रशासनिक, शैक्षिक तथा वित्तीय कार्य प्रभावित होते हैं। कुछ प्रकरण या तो बहुत दिन तक लम्बित रहते हैं अथवा त्रुटिपूर्ण ढंग से निस्तारित कर दिये जाते हैं जो आगे चलकर विभाग के समक्ष एक समस्या के रूप में उपस्थित हो जाते है। यह सर्वविदित तथ्य है कि बेसिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की आधारभूत है जिसके स्तरोन्नयन एवं गुणवत्ता की वृद्धि से सम्बन्धित सर्वाधिक दायित्व निरीक्षण अधिकारियों पर है। शैक्षिक कार्यक्रमों के नियोजन तथा संचालन में गतिशीलता प्रदान करने एवं निरीक्षण को प्रभावी बनाने के परिप्रेक्ष्य में उक्त अधिकारियों के दायित्व निर्वहन में उत्पन्न कठिनाइयों के निवारणार्थ समुचित सुझाव यथास्थल आख्या में इंगित किया गया है तथापि इसी क्रम में उल्लेखनीय है कि बालिका शिक्षा के स्तरोन्नयन हेतु निरीक्षक अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि बालिका विद्यालयों में बालिका शिक्षा की कठिनाइयों को ज्ञातकर एवं उनके निराकरण हेतु प्रयत्नशील रहें। इस दिशा में बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) का पद समाप्त हो जाने के कारण उक्त पद का दायित्व निर्वहन भी अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को करना पड़ता है। अधिकांश बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने महिला अधिकारियों से सम्बन्धित निरीक्षण एवं शिक्षण सम्बन्धी दायित्व निर्वहन में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों का उल्लेख किया है। अतः इसे दृष्टि में रखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) के पद को पृथक् बनाये रखना समीचीन प्रतीत होता है। अधिकांश निरीक्षण अधिकारी शिक्षण की नवीनतम तकनीकी विधाओं से अपरिचित होने के कारण शैक्षिक स्तरोन्नयन के परिपेक्ष्य में निरीक्षणोपरान्त अपनी निरीक्षण आख्याओं में कोई रचनात्मक सुझाव नहीं दे पाते। अतः शैक्षिक स्तरोन्नयन तथा गुणवत्ता की वृद्धि की दृष्टि से यह उपयुक्त होगा कि विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों के प्रभावी निरीक्षण हेतु शिक्षण शाखा में कार्यरत योग्य तथा अनुभवी अध्यापकों, प्रवक्ताओं तथा अधिकारियों को यह कार्य सौंपा जाय जिससे प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक/प्रधानाध्यापक सशक्त शैक्षिक

नेतृत्व निःसंकोच प्राप्त करने में समर्थ हो सकें।

यद्यपि निरीक्षण अधिकारियों के प्रशिक्षण समय-समय पर विभाग द्वारा आयोजित किये जाते हैं, किन्तु यह प्रशिक्षण अल्पकालिक होते हैं, जिन्हें अपर्याप्त कहा जा सकता है। आवश्यकता को देखते हुए इन अधिकारियों के लिये दीर्घकालीन वृहद् प्रशिक्षण की व्यवस्था विभाग/शासन द्वारा सुनिश्चित किया जाना उपयुक्त होगा।

अधिकारियों तथा अध्यापकों के स्थानान्तरण/सेवा-निवृत्त/आकस्मिक निधन/दीर्घकालीन चिकित्सीय अवकाश आदि के कारण रिक्त पदों पर तत्काल व्यवस्था न किया जाना भी दायित्व निर्वहन में बाधक है। ऐसी स्थिति में यथाशीघ्र व्यवस्था विभाग/शासन द्वारा अपेक्षित है। बजट का समय से उपलब्ध न होना, याला-भत्ता देयक पारित करने में विलम्ब, यातायात की असुविधा (वाहन की अनुपलब्धता) आदि ऐसे कारण शोध अध्ययन के मध्य सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा संज्ञान में लाये गये हैं जो इनके दायित्व निर्वहन को पूर्णतः/अंशतः प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत जिस प्रकार आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजनान्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रावधान किया गया है, उसी प्रकार इन विद्यालयों से सम्बन्धित निरीक्षण अधिकारियों की न्यूनतम आवश्यकताएँ जैसे कार्यालय हेतु उपयुक्त भवन, पर्याप्त कार्यालय सहायक, वाहन आदि की व्यवस्था कर दी जाय तो सम्बन्धित अधिकारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि सम्भावित है और वे अपनी पूरी लगन, निष्ठा, ईमानदारी एवं उत्साह के साथ अपने पद से सम्बन्धित दायित्व को और अच्छे ढंग से निभाने में तत्पर रहने के साथ-साथ विभाग की संकल्पनाओं को साकार रूप प्रदान करने में और अधिक समर्थ हो सकेंगे।

9

जूनियर हाईस्कूल की वर्तमान परीक्षा प्रणाली का अध्ययन

पृष्ठभूमि

परीक्षा की मूल धारा शिक्षा है। शिक्षा के दृष्टिकोण के आधार पर ही परीक्षा के आयोजन की आवश्यकता होती है। शिक्षाविदों के मतानुसार शिक्षा जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति के चारित्रिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों को पूर्ण समन्वित रूप से विकसित करते हुए उसकी प्रकृति को रूपान्तरित और परिष्कृत करती है तथा उसे समाज के आदर्श नागरिक के रूप में प्रस्तुत करती है। दूसरे अर्थों में शिक्षा निम्नलिखित तीन अंगों का अभिन्न मिश्रण है :—

(1) शिक्षण विधा।

(2) अधिगम प्रक्रिया।

(3) मूल्यांकन प्रणाली।

शिक्षा के क्षेत्र में 'परीक्षा प्रणाली', शिक्षण विधा व अधिगम प्रक्रिया के आंकलन हेतु प्रयोग में लाई जाती है।

शिक्षाशास्त्रियों के अनुसार परीक्षा का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप से किया गया है : —

(क) मौखिक परीक्षा—इसमें छात्र तथा परीक्षक का परस्पर सम्बन्ध होता है और विद्यार्थी के अनेक गुणों की परीक्षा की जाती है।

(ख) प्रायोगिक परीक्षा—इसमें छात्र परीक्षक के समक्ष अपने कार्य का नमूना प्रस्तुत करता है।

(ग) लिखित परीक्षा—इसमें छात्र नियत समय में कुछ प्रश्नों का उत्तर लिखता है। यह परीक्षा निम्न तीन प्रकार की होती है :—

(1) निबन्धात्मक परीक्षा

(2) विवरणात्मक परीक्षा

(3) नवीन प्रणाली के प्रश्न

परीक्षा का इतिहास बहुत प्राचीन है। सभी प्राचीन समस्याओं में बुद्धि अथवा विषय के ज्ञान की परीक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाएँ हुआ करती थीं। जब बालक युवावस्था में प्रवेश करने लगता था तो उसे कुछ दिनों के लिए वन में जाकर सभी लोगों से अलग रह कर अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करनी पड़ती थी। इस प्रकार उसकी आत्मनिर्भरता की परीक्षा हुआ करती थी। प्राचीन परीक्षा पद्धति व्यक्तिगत तथा क्रियात्मक अथवा मौखिक होती थी। शिक्षक प्रत्येक बालक को अलग-अलग परीक्षा लेता था तथा अपने सम्मुख बालक से प्रश्न पूछता था और बालक को उसका उत्तर देना पड़ता था। बालक को अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उदाहरण एवं प्रमाण देने पड़ते थे तथा तर्क करना पड़ता था। गुरुकुल में विभिन्न परीक्षाएँ जैसे—मेधा परीक्षा, बुद्धि परीक्षा, व्यक्तिगत परीक्षा, कौशल परीक्षा तथा शास्त्रार्थ परीक्षा आदि हुआ करती थी। जब बालक इसमें दक्ष हो जाता था तभी उसे गुरुकुल में प्रवेश पाने तथा छोड़ने की स्वीकृत दी जाती थी। इस प्रकार प्राचीनकाल में भारत में आदर्श परीक्षा की व्यवस्था थी।

मध्यकाल में भारत में मुस्लिम शासन की प्रधानता रही। अतः समय एवं स्थिति के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन हुआ जिसके साथ-साथ परीक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन होना असम्भव नहीं कहा जा सकता।

आधुनिक काल में अंग्रेजों के शासन की नींव पड़ी जिससे शिक्षा के क्षेत्र में नया मोड़ आया तदनुरूप परीक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन हुआ। तत्पश्चात् भारत स्वतन्त्र हुआ परन्तु वर्तमान काल में जो परीक्षा प्रणाली प्रचलित है वह 19वीं शताब्दी की देन है। भारत को यह प्रणाली अंग्रेजों से प्राप्त हुई जो कि अभी तक अधिकांशतः उसी रूप में चल रही है।

देश-काल की परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन होते रहे और इसी के साथ-साथ परीक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन होते रहे हैं।

कक्षा 8 स्तर पर जूनियर हाईस्कूल परीक्षा का प्रारम्भ वर्ष 1951 से हुआ। इसके पूर्व 1950 तक कक्षा 7 के स्तर पर वर्नाकुलर फाइनल परीक्षा का आयोजन रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएँ उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता था।

जूनियर हाईस्कूल परीक्षा संचालन हेतु जनपद स्तर पर जूनियर हाईस्कूल परीक्षा परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जिला विद्यालय निरीक्षक तथा सचिव उपविद्यालय निरीक्षक थे। वर्ष 1972 में जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपविद्यालय निरीक्षक के स्थान पर सचिव के रूप में समिति का सचिव बनाया गया।

जनपद स्तर पर परीक्षा का संचालन अर्थात् परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण प्रश्न/सहायक परीक्षकों की नियुक्ति, उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, परीक्षाफल तैयार करने एवं घोषित करने,

उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के प्रमाण-पत्र लिखवाने तथा वितरण करने का कार्य जनपदीय समिति के परामर्श से अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा किया जाता था।

परीक्षा का नियन्त्रण, परीक्षा कार्यक्रम का निर्धारण, प्रश्न-पत्रों का निर्माण, परिसीमन, मुद्रण तथा परीक्षा केन्द्रों को प्रेषण, जनपदीय प्रधान परीक्षकों को मूल्यांकन निर्देश, सादे प्रमाण-पत्रों का मुद्रण एवं जनपदों को प्रेषण, परीक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण, विभागीय नीतियों एवं निर्देशों का प्रेषण तथा कार्यान्वयन आदि कार्य प्रदेशीय-स्तर पर रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएँ द्वारा किया जाता था। यह व्यवस्था वर्ष 1975 तक चलती रही।

वर्ष 1976, 1977 तथा 1978 की परीक्षा किसी जनपद में गृह परीक्षा के रूप में और किसी जनपद में जूनियर हाईस्कूल परीक्षा के रूप में संचालित हुई। वर्ष 1979 तथा 1980 की परीक्षा पुनः रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाओं द्वारा पूर्व की भाँति संचालित की गई। वर्ष 1981 से यह परीक्षा पूर्णरूप से गृह परीक्षा के रूप में सम्पादित हुई।

राजाज्ञा संख्या 4879/15-6-3 (6)/80 दिनांक अक्टूबर 1981 द्वारा सभी जूनियर हाईस्कूल की कक्षा 8 के छात्र/छात्राओं के लिए जूनियर हाईस्कूल परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य कर दिया गया। इस सार्वजनिक परीक्षा की व्यवस्था एवं संचालन के लिए प्रदेशीय, मण्डलीय एवं जनपदीय स्तर की निम्नलिखित तीन जूनियर हाईस्कूल परीक्षा परामर्शदात्री समितियों का गठन किया गया जिनके तत्वावधान में जूनियर हाईस्कूल परीक्षा का संचालन किया जाता रहा।

प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल परीक्षा परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया। अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक)/संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) इस समिति के अध्यक्ष तथा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उ० प्र० सचिव होते थे। इसके अतिरिक्त कई सदस्य होते थे। यह समिति पूरे प्रदेश के लिए परीक्षा का सामान्य नीति और निर्देश देती थी तथा परीक्षा की एक समय-सारिणी तैयार करती थी। प्रमाण-पत्रों का मुद्रण कराकर जनपदों में भेजने का कार्य सचिव बेसिक शिक्षा परिषद करते थे।

मण्डलीय परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष मण्डल के सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) तथा सदस्य मण्डल थे, मुख्यालय की अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) एवं मण्डल के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होते थे। यह समिति मण्डल स्तर पर प्रश्न पत्रों का निर्माण, परिसीमन एवं मुद्रण तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषण का कार्य करती थी।

जनपदीय जूनियर हाईस्कूल परीक्षा परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा सदस्य/सचिव उपविद्यालय निरीक्षक होते थे। इसके अतिरिक्त इस समिति के कई सदस्य होते थे। यह समिति उपर्युक्त दोनों समितियों के नीति एवं निर्देश के अनुसार आवेदन

पत्र भराने तथा उसको जाँच कराने, प्रवेश पत्र प्रेषण, केन्द्र निर्धारण, परीक्षा संचालन, उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, परीक्षाफल घोषणा तथा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र वितरण करने का कार्य करती थी।

तत्कालीन परीक्षा प्रणाली में कतिपय कठिनाइयों का अनुभव किया गया जिसके सुधार एवं पुनर्व्यवस्था के लिए राजाज्ञा संख्या 2000/15-6-88 दिनांक 30 अगस्त 1986 द्वारा एक 'टास्क फोर्स' का गठन किया गया। 'टास्क फोर्स' ने अपनी विशिष्ट संस्तुतियाँ दीं, जिसके परिप्रेक्ष्य में परीक्षायें होती रहीं तथापि परीक्षा के अनुरूप पर्याप्त स्थान का न होना, परीक्षा संचालन के लिए पर्याप्त कर्मचारी (स्टाफ) उपलब्ध न होना, परीक्षाफल विभिन्न जनपदों में भिन्न-भिन्न तिथियों में घोषित होना तथा परीक्षा उपरान्त अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र भेजने में अत्यधिक विलम्ब होना आदि कमियों एवं कठिनाइयों के कारण परीक्षा प्रणाली में पुनः परिवर्तन अपरिहार्य हो गया। फलतः शिक्षा निदेशक (बेसिक)/अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के पत्रांक बे० शि० प०/परीक्षा/19929-20296/88-89 दिनांक 8 दिसम्बर 88 द्वारा उत्तर प्रदेश के वर्ष 1989 की कक्षा 8 की जूनियर हाईस्कूल की वार्षिक परीक्षा के संचालन/व्यवस्था के सम्बन्ध में यह निर्देश दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास खण्ड पर क्षेत्रीय प्रति उपविद्यालय निरीक्षक तथा सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका की देख-रेख में विकास खण्डों के केन्द्रीय विद्यालय में उस विकास खण्ड के समस्त परिषदीय एवं मान्यता-प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की एक परीक्षा संचालन समिति बनायी जाय जो परीक्षा से पूर्व तथा परीक्षोत्तर समस्त कार्य सम्पादित करेंगे। परीक्षा का सम्पादन, उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षाफल का निर्माण विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक की देखरेख में किया जाय। परीक्षाफल समिति द्वारा अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में अनुमोदित कराने के उपरान्त 30 अप्रैल तक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा घोषित कर अंक-पत्र विद्यार्थियों को प्राप्त करवा दिए जाएँ।

नगर क्षेत्र में वार्ड स्तर पर शिक्षा अधीक्षक/शिक्षा अधीक्षिका की देखरेख में केन्द्रीय विद्यालय में वार्ड के परिषदीय तथा मान्यता-प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की उक्त परीक्षा हेतु परीक्षा संचालन समिति होगी। यह समिति भी उसी भाँति कार्य करेगी जिस तरह विकास-खण्ड स्तर की परीक्षा संचालन समिति करेगी तथा विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक की देखरेख में परीक्षा सम्बन्धी वही समस्त कार्य किये जायेंगे जो विकास खण्ड के विद्यालयों द्वारा किये जायेंगे।

विकास खण्ड/वार्ड के केन्द्रीय विद्यालय में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का पंजीकरण किया जाय तथा संस्थागत परीक्षार्थियों की भाँति उनकी भी परीक्षा ली जाय।

उक्त निर्देश के अनुसार वर्ष 1989 में जूनियर हाईस्कूल परीक्षा का संचालन किया गया। विभागीय अधिकारियों द्वारा 1989 की परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस परीक्षा प्रणाली में विभिन्न कठिनाइयों एवं कमियों का अनुभव किया गया। सम्यक् विचार-विमर्श तथा सुझावों के आधार पर परीक्षा प्रणाली में पुनः परिवर्तन किया गया।

शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के पत्रांक बे० शि० प०/परीक्षा/18871-19188/89-90 दिनांक 29 जनवरी, 1990 द्वारा यह निर्देश दिया गया कि वर्ष 1990 की ग्रामीण एवं नगर की जूनियर हाईस्कूल की कक्षा 8 की परीक्षा, सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका अपने स्तर से गृह परीक्षा के रूप में आयोजित करेंगे। प्रश्न-पत्रों का निर्माण उनका मुद्रण, परीक्षा का आयोजन, उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षाफल घोषित करने का कार्य विद्यालय स्तर पर ही प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाय। यह परीक्षा 20 से 30 अप्रैल तक सम्पन्न करा ली जाय। मूल्यांकन करके परीक्षा-फल 20 मई तक घोषित कर दिया जाय। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को केन्द्रीय विद्यालय में पंजीकरण करके संस्थागत परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा में सम्मिलित किये जायँ तथा इन्हें भी प्रधानाध्यापक द्वारा अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र दिए जायँ। संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों से क्रमशः 7 एवं 10 रुपये प्रति परीक्षार्थी शुल्क लिया जाय।

उक्त आदेश के अनुसार 1990 की जूनियर हाईस्कूल की कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा का सम्पादन किया गया। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य विद्यार्थियों का सर्वाङ्गीण विकास करना है। एतदर्थ यह ज्ञात करना आवश्यक है कि प्रदत्त शिक्षा से छात्रों/छात्राओं का वांछित विकास किस सीमा तक हुआ। उक्त जानकारी एक कुशल परीक्षा प्रणाली को अपनाकर ही करना सम्भव है। एतदर्थ समय-समय पर विविध प्रकार की परीक्षा प्रणालियाँ आयोजित होती रहीं। उद्देश्य की पूर्ति में वांछित सफलता प्राप्त न होने के कारण ही परीक्षा प्रणाली में समयानुसार यथोचित परिवर्तन होता रहा है। जूनियर हाईस्कूलों की वर्तमान परीक्षा प्रणाली की प्रभावकारिता एवं सार्थकता के परिप्रेक्ष्य में संस्थान स्तर पर 'जूनियर हाईस्कूल की वर्तमान परीक्षा प्रणाली' विषय पर शोध अध्ययन किये जाने का औचित्य स्वतः सिद्ध, सामयिक एवं आवश्यकतापरक है।

उद्देश्य

शोधगत विषय के निम्नांकित उद्देश्य हैं—

(1) विविध परीक्षा प्रणालियों की जानकारी करना।

(2) प्रचलित परीक्षा प्रणाली के गुण-दोषों का पता लगाना।

(3) परीक्षा सम्बन्धी प्रश्न-पत्रों की विभिन्न विधाओं का अध्ययन करना।

(4) मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का अध्ययन करना।

परिकल्पना

जूनियर हाईस्कूल परीक्षा प्रणाली द्वारा छात्रों/छात्राओं के अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन एवं उनके सर्वाङ्गीण विकास हेतु प्रदत्त शिक्षा की सार्थकता का समुचित मूल्यांकन करना।

परिसीमन/न्यादर्श चयन

शोध विषय के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के 10 जूनियर हाईस्कूलों को चयनित किया गया। साक्षात्कार में कार्यरत 10 प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापिकाओं तथा कक्षा 8 के अध्ययनरत 50 छात्रों/छात्राओं को सम्मिलित किया गया। 10 जूनियर हाईस्कूलों में 4 मान्यता-प्राप्त विद्यालय, 2 परिषदीय नगर क्षेत्र के विद्यालय तथा 4 परिषदीय ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय लक्ष्य समूह हैं।

कार्य विधि

पृच्छा प्रपत्रों को निर्मित एवं विकसित कर सम्बन्धित प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापिकाओं तथा छात्रों/छात्राओं में वितरित किया गया तथा उनसे प्रपत्रों की पूर्ति कराई गई।

प्रश्नावली के आधार पर प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापिकाओं तथा छात्रों/छात्राओं से साक्षात्कार किया गया। उनसे प्राप्त उत्तर एवं प्रतिक्रिया पर सम्यक् विचार किया गया।

जन-प्रतिनिधियों, प्रति-उपविद्यालय निरीक्षकों/सहायक बालिका विद्यालय विरीक्षिकाओं, उपविद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) तथा परीक्षा समितियों के कुछ सदस्यों से व्यक्तिगत सम्पर्क किया गया और सन्दर्भगत जिज्ञासाओं के परिप्रेक्ष्य में उनसे अपेक्षित जानकारी की गई।

प्रदत्तों का संकलन एवं सारणीयन

नगर क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के परिषदीय एवं मान्यता-प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों की वर्तमान परीक्षा प्रणाली के अध्ययन हेतु 10 प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापिकाओं एवं 50 छात्र/छात्राओं का अभिमत प्राप्त किया गया तथा चार्ट बनाया गया और उक्त के आधार पर विश्लेषण और व्याख्या कर निष्कर्ष प्राप्त किये गये।

निष्कर्ष निरूपण

पृच्छा प्रपत्रों एवं पूरित प्रश्नावलियों के विश्लेषण तथा जन-प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों

के व्यक्तिगत सम्पर्क से प्राप्त जानकारी के आधार पर जो निष्कर्ष निःसृत हुआ वह निम्नवत् निरूपित है—

वर्ष 1988 तक को भी परीक्षा प्रणाली अपनाई गई उसमें निम्नांकित कमियाँ एवं कठिनाइयाँ परिलक्षित हुई हैं—

(1) परीक्षा के आवेदन-पत्र भरवाना, उसकी जाँच करवाना तथा उसे निर्धारित समयान्तर्गत प्रेषित करना अपने आप में एक समस्या थी।

(2) केन्द्र निर्धारण कार्य में अधिक कठिनाई उत्पन्न होती थी।

(3) दूर के परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों को जाने एवं आवासीय व्यवस्था करने में अधिक कठिनाई होती है।

(4) परीक्षा सम्बन्धी समस्त कार्य सम्पादित करने हेतु कुशल एवं पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण अनेक व्यवधान उत्पन्न होते थे।

(5) प्रश्न-पत्र प्रायः विषय-विशेषज्ञ द्वारा निर्मित न होने के कारण छात्रों के प्रदत्त शिक्षा स्तर के अनुरूप नहीं होते थे।

(6) परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग का अधिक प्रयास किया जाता था।

(7) परीक्षा के पश्चात् समस्त औपचारिकाएँ पूर्ण होने पर परीक्षाफल घोषित होने में पर्याप्त विलम्ब हो जाता था जिसके कारण छात्रों को अग्रिम कक्षा में प्रवेश हेतु अधिक कठिनाई होती थी।

(8) इस परीक्षा प्रणाली में व्यय-भार अधिक था।

(9) भिन्न-भिन्न जनपदों में भिन्न-भिन्न तिथियों में परीक्षाफल घोषित किया जाता था। कोई जनपद इस कार्य में चुस्त रहता था तो कोई शिथिल रहता था।

उक्त कमियों एवं कठिनाइयों के परिणामस्वरूप बाध्य होकर परीक्षा सम्बन्धी समुचित विकल्प के रूप में वर्ष 1989-90 से गृह परीक्षा प्रणाली लागू की गई। वर्तमान गृह-परीक्षा प्रणाली की व्यवस्था का अध्ययन करने पर जो महत्त्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं वे निम्नवत् हैं—

(1) परीक्षार्थियों को अन्यत्र केन्द्र पर जाने तथा आवासीय व्यवस्था की कठिनाइयों से मुक्ति मिल गई तथा समय एवं श्रम की बचत हुई।

(2) छात्रों के वय वर्ग तथा बौद्धिक स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रमानुसार प्रश्न-पत्रों के निर्माण में सम्बन्धित अध्यापकगण अधिक सफल हुए अपेक्षाकृत बाह्य प्रश्न-पत्र निर्माताओं के।

(3) पूर्व परीक्षा प्रणाली की अपेक्षा वर्तमान परीक्षा प्रणाली में व्यय-भार कम रहा तथा कम श्रम-साध्य रहा।

(4) अनुचित साधन प्रयोग की प्रवृत्तियों में सुधार हुआ जिसके परिणामस्वरूप परीक्षाफल में विश्वसनीयता रही।

(5) मूल्यांकन कार्य में अभिभावकों का हस्तक्षेप कम रहा।

(6) छात्रों में परीक्षा का भय कम हुआ और कुछ स्वाभाविक वातावरण मिला।

इस परीक्षा प्रणाली में अनेक गुणों के साथ-साथ कुछ कमियाँ भी पाई गईं जो निम्न-लिखित हैं—

(1) जिस विद्यालय में छात्रों की संख्या कम रही वहाँ प्रश्न-पत्रों के मुद्रण कराने हेतु दूसरे विद्यालय का सहयोग लेना पड़ा।

(2) वर्ष 1990 की गृह परीक्षा हेतु प्रोन्नति सम्बन्धी कोई निर्देश न प्राप्त होने के कारण 1989 के निर्देश के अनुसार कृपांक के आधार पर प्रोन्नति दी गई।

(2) प्रोन्नति वार्षिक परीक्षाफल पर पूर्णरूप से निर्भर होने के कारण छात्रों को वर्ष भर अनुशासित रखने की समस्या उत्पन्न हुई।

(4) विद्यालय स्तर पर निर्मित होने के कारण प्रत्येक विद्यालय के प्रश्न-पत्रों में भिन्नता पाई गई तथा प्रश्नों का स्वरूप परम्परागत ही रहा जिससे सम्पूर्ण पाठ्यक्रम समायोजित नहीं हो पाये।

अतः आंशिक संशोधन के साथ शिक्षा के स्तरोन्नयन की दृष्टि से इसी परीक्षा प्रणाली को बनाये रखना अधिक उपयोगी एवं तर्कसंगत प्रतीत होता है।

सुझाव

अध्ययनोपरान्त निःसृत निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित सुझाव ध्यातव्य है—

(1) पढ़ाने वाले शिक्षक को ही परीक्षक बनाया जाय, क्योंकि शिक्षक छात्रों/छात्राओं की योग्यताओं से अधिक अवगत रहता है और वह जानता है कि उन्हें क्या पढ़ाया और क्या नहीं पढ़ाया गया है। अतः वह अपने छात्रों की परीक्षा अधिक अच्छी तरह कर सकता है।

(2) वर्ष भर में कई परीक्षायें होनी चाहिए और कई परीक्षाओं के आधार पर ही छात्र का फल घोषित किया जाय। केवल वार्षिक परीक्षा के परिणाम पर ही छात्र को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण निर्धारित न किया जाय।

(3) ऐसे परीक्षकों का चुनाव किया जाय जिनको सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक दोनों ढंग से विषय एवं परीक्षा विधि पर पूर्ण अधिकार हो।

(4) लिखित तथा प्रायोगिक परीक्षा के साथ-साथ मौखिक परीक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि कुछ छात्र अपने विचारों का स्पष्टीकरण अपनी वाणी से अधिक अच्छी तरह कर सकते हैं।

(5) विद्यालय में छात्र सम्बन्धी अभिलेख तथा उनकी मासिक परीक्षाफल को भी अन्तिम वार्षिक फल बनाने में समुचित महत्त्व देना चाहिए।

(6) प्रश्नों का रूप सरल हो। उनकी संख्या इतनी अधिक हो कि उनसे पाठ्यवस्तु के अधिक से अधिक अंश की ओर संकेत हो। प्रश्न ऐसे हों कि उनमें एवं छात्रों की रुचि तथा योग्यताओं में सन्तुलन हो। प्रश्नों का रूप ऐसा हो कि उनका एक निश्चित उत्तर दिया जा सके, प्रश्न का उद्देश्य निश्चित होना चाहिए।

(7) प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न परीक्षकों में यह निश्चित हो कि अपेक्षित उत्तर में कौन-कौन सी मुख्य बातें होनी चाहिए। प्रश्नों के विभिन्न भागों के लिए कितने अंक है। इसका भी निश्चय होना चाहिए। अंक देने में परीक्षक को निष्पक्ष होना चाहिए तथा उसे अपनी व्यक्तिगत रुचि को स्थान नहीं देना चाहिए।

(8) भाषा के प्रश्न-पत्र को छोड़कर अन्य विषयों की परीक्षा में केवल विषय-वस्तु पर अंक देना चाहिए न कि भाषा-शैली पर। अच्छा होगा कि परीक्षक पहले से ही यह निश्चय कर लें कि किसी आदर्श उत्तर में किन-किन बातों का समावेश होना चाहिए।

(9) एक प्रश्न के उत्तर विभिन्न उत्तर-पुस्तकाओं में एक साथ ही देख लिए जायँ तो अनुदान अधिक तुलनात्मक होगा।

(10) निबन्धात्मक परीक्षा के साथ-साथ नवीन ढंग की 'निष्पति' परीक्षा का भी अनिवार्य रूप से आयोजन होना चाहिए।

(11) परीक्षा का वातावरण स्वाभाविक हो जिससे छात्र अपना आत्मविश्वास न खो बैठें।

उपर्युक्त के अतिरिक्त इसी क्रम में ध्यातव्य है कि प्रश्न-पत्र निर्माण एवं परिसीमन आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धित अध्यापकों हेतु समय-समय पर समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। मुख्यालय स्तर पर विषय विशेषज्ञों के समन्वित प्रयास द्वारा विषयवार क्रमानुसार प्रतिदर्श प्रश्न-पत्रों को निर्मित एवं विकसित कर प्रदेश के प्रत्येक जूनियर हाईस्कूलों के प्रधानाध्यापकों को सुलभ कराया जाय तथा तदनुसार विषयवार सम्बन्धित अध्यापकों द्वारा पाठ्यक्रमानुसार प्रश्न-

पत्र निर्मित कराकर वार्षिक परीक्षा के प्रयोग में लाए जायँ जिससे प्रश्न-पत्रों में एकरूपता बनी रहे और मूल्यांकन आदि में सन्तुलन बना रहे। मूल्यांकन की वैधता एवं विश्वसनीयता बनाए रखने की दृष्टि से यह अधिक उपयुक्त होगा यदि मूल्यांकन कार्य उनके अपने ही अध्यापकों से न कराकर अन्य विद्यालयों के कार्यरत अध्यापकों को बुलाकर विषयवार निर्धारित अवधि में एक साथ कराया जाय।

प्रश्न-पत्रों के प्रारूप के परिवर्तन के सम्बन्ध में सम्प्रति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में निर्दिष्ट सम्बोधों के आधार पर कक्षा 1 से 8 तक की नयी राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों का प्रणयन-प्रकाशन कार्य संस्थान स्तर पर किया जा रहा है। प्रत्येक पाठों के अन्त में पर्याप्त अभ्यासार्थ प्रश्न जो विविध विधाओं पर आधारित हैं; का पर्याप्त मात्रा में समावेश किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

जूनियर हाईस्कूल की वर्तमान परीक्षा प्रणाली के अध्ययनोपरान्त समग्र रूप में निःसृत निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में प्रदत्त सुझावों को व्यावहारिक रूप दिया जाना कार्यहित में सर्वथा उपयुक्त होगा और तभी शोध अध्ययन की अभ्यर्थता प्रमाणित हो सकेगी।

———

10

उत्तर प्रदेश में विकलांगों की समेकित शिक्षा का क्रियान्वयन एवं प्रगति का सर्वेक्षण

अवधारणा

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ, भारतवर्ष में, शिक्षा के क्षेत्र में भी सतत् विकास हुआ है और यह संकल्पना की गई कि पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश के शत-प्रतिशत बालक प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अतः प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर अनेक प्रभावी कार्यक्रम तथा परियोजना का शुभारम्भ किया गया। किन्तु अनेक प्रयास के बाद भी शिक्षा के सर्वव्यापी की दिशा में अपेक्षित उपलब्धियाँ नहीं हो सकीं। इसके अवरोधक तत्वों पर विचारपूर्वक दृष्टिपात करने पर यह स्पष्ट हुआ कि बच्चों के समाज में सामान्य बच्चों के अतिरिक्त एक और वर्ग है—विकलांग या अक्षम बच्चों का। समाज और परिवार द्वारा उपेक्षित इस वर्ग विशेष के बच्चों में हीन भावना और कुण्ठा घर कर जाती है। इस श्रेणी के बच्चे न केवल परिवार के लिये बोझ बनते हैं वरन् समाज एवं राष्ट्र के लिये भी अभिशाप हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में विकलांग बच्चों को शिक्षित तथा व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना समाज एवं राष्ट्र का कर्तव्य हैं। इनको शिक्षण और प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान करके इनमें आत्मविश्वास जागृत किया जा सकता है जिससे इस संघर्षमय संसार में अपने को सामान्य रूप से समायोजित कर सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रथम बार इन श्रेणी के बच्चों की शिक्षा पर गहन रूप से विचार किया गया तथा क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट नीतियों का उल्लेख किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भाग चार 'समानता के लिए शिक्षा' नामक शीर्षक के अन्तर्गत उल्लिखित है कि "शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांगों को शिक्षा देने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे समाज के साथ कन्धा मिलाकर चल सकें, सामाजिक गतिविधियों में उनकी समान भागीदारी हो जिससे वे पूरे भरोसे और हिम्मत के साथ स्वतंत्र और आत्मनिर्भर जीवन जी सके।"

'शैक्षिक अवसरों की समानता' के परिप्रेक्ष्य में विकलांगों की शिक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित 'विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना' के क्रियान्वयन की संकल्पना की गयी है। विकलांगों की समेकित शिक्षा की संकल्पना का मूलाधार यह है कि सामान्य तथा विकलांग बच्चों के संस्कार काल में ही आपसी सूक्ष्म अन्तःक्रिया दोनों की क्षमताओं एवं सीमाओं को समझने की भावना को प्रोत्साहित करती है जिससे दोनों का समाजीकरण होता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत सामान्य बालकों की भाँति ही विकलांग बच्चे भी अपने परिवार में रहते हुए सामान्य विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं। इनको समाज के साथ एकीकरण करने का अवसर प्राप्त होता है जिसका प्रभाव उनके सर्वांगीण विकास पर पड़ता है।

विकलांगों की समेकित शिक्षा योजना के अन्तर्गत विकलांगों को सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ समेकित किया जाता है जिससे विकलांग बच्चे भी सामान्य बच्चों की भाँति कौशलात्मक अनुभव तथा दैनिक जीवन के लिये वांछित क्षमताओं को अर्जित कर सकें। इस योजना में निम्नलिखित प्रकार के विकलांग बच्चों को समेकित किया जाता है—

(1) अस्थिविषयक विकलांग।

(2) आंशिक रूप से श्रवणदोष ग्रसित बच्चे।

(3) आंशिक रूप से दृष्टिदोष ग्रसित बच्चे।

(4) मानसिक दोष से ग्रसित बच्चे।

(5) सीखने की असमर्थता वाले बच्चे।

(6) बहुविध रूप से विकलांग बच्चे।

विकलांग बच्चों के लिये सुविधाएं (प्रत्येक विकलांग बच्चे के लिये)

(क) 400/- रुपये प्रतिवर्ष की पुस्तकें तथा लेखन सामग्री भत्ता।

(ख) 200/- रुपये प्रति वर्ष की वर्दी भत्ता।

(ग) 50/- रुपए प्रति माह की दर से परिवहन भत्ता। परियोजना के अन्तर्गत शामिल विकलांग द्वारा स्कूल परिसर में स्थित छात्रावास में रहता है तो कोई भी परिवहन प्रभार अनुमत्य नहीं होगा।

(घ) कक्षा 5 के बाद नेत्रहीन बच्चों के मामले में 50/- रुपए प्रतिमाह का वाचक भत्ता।

(ङ) गम्भीर रूप से उन विकलांगों के लिए जो शरीर के निचले हिस्से में विकलांग हैं, को 75/- रुपए प्रतिमाह का रक्षण भत्ता।

(च) पाँच वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम 2,000/-रुपए प्रति छात्र के आधार पर उपकरण की वास्तविक लागत।

संस्था/विद्यालय स्तर पर विशेष सुविधा व्यवस्था

(क) गम्भीर रूप से 10 विकलांग बच्चों के लिए एक परिचारक (चतुर्थ श्रेणी) की व्यवस्था।

(ख) संस्था/विद्यालय में पढ़ रहे विकलांग बच्चे (जहाँ छात्रावास की व्यवस्था नहीं है) जिनके माता-पिता की आय 3,000/-रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं है उसे 200/-रुपये प्रतिमाह के आधार पर आवास प्रभार की व्यवस्था।

(ग) गम्भीर रूप से विकलांग बच्चे की विशेष सहायता करने वाले कर्मचारी को 50/- रु० प्रतिमाह विशेष वेतन की व्यवस्था एवं ग्रामीण क्षेत्रों के उन स्कूलों में जहाँ कम से कम 10 बच्चे विकलांग पढ़ते हों, एक स्कूल रिक्शे की लागत की व्यवस्था तथा रिक्शा चालक को 300/- रुपए प्रतिमाह का पारिश्रमिक दिया जायेगा तत्पश्चात् बच्चों को कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश में योजना का प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश में विकलांगों की समेकित शिक्षा योजना का प्रारम्भ जनवरी, 1989 में हुआ। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के सभी मण्डलों के 15 जनपदों में एक-एक प्राथमिक स्तर के विद्यालय का चयन किया गया। (चयनित सभी विद्यालय शहरी क्षेत्र के हैं)।

सर्वेक्षण की आवश्यकता

सामान्य बच्चों की भाँति विकलांग बच्चों को भी समान शैक्षिक सुविधाएँ सुलभ कराये जाने की दृष्टि से वर्ष 1989 से विकलांगों की समेकित शिक्षा योजना प्रदेश में लागू की गयी है। केन्द्र सरकार द्वारा पुरोनिधानित इस योजना से अद्यतन कितने बच्चे लाभान्वित हुए और किस सीमा तक लक्ष्य की प्राप्ति हुई है तथा योजना किस प्रकार क्रियान्वित की जा रही है, की सम्यक् जानकारी हो सके, एतदर्थ समग्र रूप में सर्वेक्षण अपरिहार्य है।

उद्देश्य

योजना के सफल क्रियान्वयन एवं प्रगति के मूल्यांकन हेतु वर्ष 1990-91 में सभी चयनित विद्यालयों का सर्वेक्षण इस उद्देश्य से किया गया कि—

प्रदेश के 15 जनपदों में संचालित इस योजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न समस्याओं की जानकारी हो सके और समस्याओं के समाधान हेतु समुचित उपाय किये जा सकें।

प्रारम्भिक वर्ष 1989 से अद्यतन योजना की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके।

क्षेत्र

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों के चयनित प्राथमिक स्तर के विद्यालयों का सर्वेक्षण किया गया।

उपकरण

सर्वेक्षण प्रपत्र

विद्यालयीय अभिलेख

व्यक्तिगत सम्पर्क

कार्यविधि

चयनित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों तथा सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके सर्वेक्षण प्रपत्र पूरित कराये गये। यथावश्यक विद्यालयीय अभिलेखों का अवलोकन भी किया गया।

प्रदत्त संग्रह/प्रदत्त विश्लेषण

योजना के क्रियान्वयन तथा प्रगति के मूल्यांकन हेतु किये गये सर्वेक्षण के लिए सूचनाओं/आकड़ों को संकलित करने के निमित सर्वेक्षण प्रपत्र का विकास/निर्माण करके सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से पूरित कराये गये। साथ ही साथ यथावश्यक जिज्ञासाओं के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत सम्पर्क एवं साक्षात्कार करके सूचनाओं को एकत्रित किया गया। प्राप्त संग्रहित आंकड़ों/सूचनाओं को सारणी सं० 1, 2, 3, में यथास्थल इंगित किया गया है। आंकड़ों/सूचनाओं के सम्यक् विश्लेषण के उपरान्त निष्कर्ष निरूपित किये गये हैं।

निष्कर्ष

विश्लेषणोपरान्त जो तथ्य उभर कर सामने आये हैं वे निष्कर्षतः अधोलिखित हैं—

(1) विकलांगों की समेकित शिक्षा योजनान्तर्गत मूल्यांकन दलों द्वारा प्रदेश स्तर पर 300 बच्चों का चयन किया गया।

(2) चयनित बच्चों में से 174 ने प्रवेश लिया है जिसमें 111 बालक तथा 63 बालिकायें अध्ययनरत हैं।

(3) उक्त के अतिरिक्त 15 विकलांग बालक/बालिकाएँ प्रवेशोपरान्त कक्षा 5 उत्तीर्ण कर अग्रेत्तर शिक्षा हेतु अन्य पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षारत हैं।

(4) विद्यालयों में अध्ययनरत 174 विकलांग बच्चों को विभिन्न प्रकार के विकलांगता की श्रेणी में विभाजित किया गया।

निम्नलिखित श्रेणियां विकलांगों की बनती हैं—

	बालक	बालिका	योग
(क) आंशिक दृष्टिदोष ग्रसित	11	04	15
(ख) आंशिक श्रवण/वाणीदोष ग्रसित	15	08	23
(ग) मानसिक असमर्थता	05	01	06
(घ) शारीरिक विकलांग	80	50	130
	111	63	174

उपर्युक्त तालिका के आधार पर स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि प्रदेश स्तर पर मूल्यांकन दल द्वारा अन्य प्रकार के विकलांग बच्चों की अपेक्षा शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चों का या तो अधिक संख्या मे चयन किया गया या फिर विकलांग बच्चों की प्रारम्भिक पहचान सर्वेक्षण में अपेक्षाकृत कम पहचान किया गया।

(5) अधिगम सम्बन्धी असमर्थता वाले बच्चों का मूल्यांकन दल द्वारा चयन न किये जाने के परिणाम स्वरूप उल्लेख नहीं किया गया है जबकि व्यवहारिक रूप से प्रत्येक विद्यालयों में न्यूनाधिक रूप में अधिगम सम्बन्धी असमर्थता वाले बच्चों का पाया जाना अवश्यम्भावी है।

(6) विशेष शिक्षकों की अभी तक नियुक्ति नहीं हो सकी है।

(7) कानपुर (नगर) जनपद के प्रा० पा० बेना झाबर में अभी तक सन्दर्भ कक्ष नहीं बना है। शेष 13 चयनित विद्यालयों में सन्दर्भ कक्ष का निर्माण हो चुका है। बरेली में सन्दर्भ कक्ष निर्माणाधीन है।

(8) सन्दर्भ कक्ष हेतु उपकरण किसी भी विद्यालयों में नहीं खरीदे गये हैं। जबकि सम्बन्धित जि० बे० शि० अधिकारियों को धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है।

(9) सभी चयनित विद्यालय शहरी क्षेत्र में हैं।

(10) बरेली तथा वाराणसी के चयनित विद्यालय के स्थान पर दूसरे विद्यालय में सन्दर्भ कक्ष बनाये गये हैं।

(11) जनपदीय स्तर के किसी भी अधिकारी का योजना से सम्बन्धित प्रशिक्षण नहीं हुआ है।

रुपए 60,263·00 प्रत्येक सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आवंटित किया गया है। धनराशि की उपलब्धता को देखते हुए अपेक्षित उपलब्धियाँ परिलक्षित नहीं हो रही हैं। क्योंकि अभी तक किसी भी जिले में सन्दर्भ हेतु उपकरण नहीं खरीदे गये हैं। इलाहाबाद, वाराणसी, नैनीताल, पौड़ी, सुल्तानपुर तथा कानपुर में विकलांग बच्चों को किसी भी प्रकार की शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं।

(12) इन विद्यालयों से सम्बन्धित निरीक्षण अधिकारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया है।

(13) विकलांग बच्चों के माता-पिता/संरक्षकों से निरन्तर सम्पर्क स्थापित नहीं किया जाता है।

(14) जिन विकलांग बच्चों ने प्रवेश नहीं लिया है उनका निवास विद्यालय से अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर है। यातायात की कठिनाइयों के कारण वे बच्चे प्रवेश नहीं ले सके हैं।

सुझाव

योजना के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन में उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु चयनित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/अधिकारियों द्वारा कतिपय सुझाव विचारणीय हैं :—

(1) जहाँ तक सम्भव हो चयनित विद्यालय के निकटस्थ निवास करने वाले विकलांग बच्चों का प्रवेश हेतु चयन किया जाय।

(2) योजनान्तर्गत प्रत्येक चयनित विद्यालयों में शीघ्रातिशीघ्र प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाय।

(3) सन्दर्भ कक्ष हेतु उपकरण एवं शैक्षिक साधन की व्यवस्था की जाय जिससे सभी विकलांग बच्चे लाभान्वित हो सकें। जहाँ सन्दर्भ कक्ष अभी तक निर्मित नहीं हो सकें हैं वहाँ यथाशीघ्र सन्दर्भ कक्ष का निर्माण कराया जाय।

(4) चयनित विद्यालय से सम्बन्धित निरीक्षण अधिकारियों तथा जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों का योजना सम्बन्धी अभिनवीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करके प्रशिक्षित किया जाय। जिससे वे योजना के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन में सहभागिता बनाये रखने में समर्थ हो सकें।

(5) सेवाकालीन प्रशिक्षण के द्वारा चयनित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/सामान्य शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाय।

(6) शारीरिक रूप से विकलांग तथा दृष्टिदोष से ग्रसित बच्चों को विद्यालय आने-जाने के लिये समय से वाहन भत्ता, रक्षण भत्ता आदि सुविधाओं का भुगतान हो जिससे उन बच्चों की उपस्थिति बनी रहे।

(7) विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विकलांग बच्चों के लिए शिक्षण साहित्य, लेखन सामग्री तथा गणवेश समय से उपलब्ध करा दिये जायँ जिससे बालकों में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत हो।

(8) विकलांग बच्चों के माता-पिता/संरक्षकों से विद्यालय के शिक्षकों का निरन्तर सम्पर्क बना रहे जिससे विकलांग बच्चों की व्यक्तिगत संवेगात्मक समस्याओं के प्रति माता-पिता/संरक्षक तथा शिक्षक सजग रहें और उनके समस्याओं के निदान हेतु एक दूसरे का सहयोग प्राप्त हो।

(9) सम्बन्धित निरीक्षण अधिकारियों तथा जनपदीय मण्डलीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर वीक्षण/निरीक्षण करके विकलांग बच्चों की समस्याओं का निदान/उपचार करते रहना चाहिये। आवश्यकतानुरूप निर्देश और मार्गदर्शन करते रहने से योजना के संचालन में सक्रिय भागीदारी बनी रहती है।

(10) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, अन्य अभिकरणों से प्राप्त धनराशि अथवा सहायता को समय से विकलांग बच्चों में वितरित करने से विकलांग बच्चों को प्रोत्साहन मिलता रहता है जिससे वे विद्यालय आने के लिये प्रेरित होते हैं।

(11) प्रदेश स्तर पर विकलांगों को समेकित शिक्षा योजना के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु प्रकोष्ठ का गठन अभी तक नहीं हो पाया है। प्रकोष्ठ का गठन करके इस योजना को और प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए।

(12) चयनित विद्यालयों के प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक, सामान्य शिक्षकों तथा निरीक्षण अधिकारियों का अनावश्यक स्थानान्तरण न करके उन्हें उसी विद्यालय में कार्यरत रखना श्रेयस्कर होगा, क्योंकि स्थानान्तरण के बाद रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने वाला कर्मचारी प्रशिक्षित न होने के कारण विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा कार्यक्रम में सहयोग नहीं कर पाता है।

(13) विकलांग बच्चों को मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा खेल-कूद, दौड़ आदि में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करते रहने से सामान्य बालकों के साथ सहभागिता करने का अवसर मिलता रहता है।

(14) विकलांग बच्चों के शारीरिक और मानसिक क्षमतानुसार वय वर्ग के अनुरूप आवश्यकतापरक पृथक से पाठ्यक्रम बनवाये जायँ और तदनुसार पाठ्य-पुस्तकें एवं अन्य सहायक शिक्षण सामग्रियों का निर्माण एवं विकास कर समय से उपलब्ध कराया जाय।

(15) इन बच्चों के लिये जो भी पाठ्य-सामग्री निर्मित एवं विकसित की जाय इनमें इस बात का ध्यान रखा जाय कि उसमें समाविष्ट सम्बोध एवं उप-सम्बोध सहज, सरल एवं रोचक हो, बोझिल तथा उबाऊ न हों।

(16) शिक्षक/विशेष शिक्षक को शिक्षण की नवीनतम तकनीकी विधियों की सम्यक् जानकारी हो। एतदर्थ समय-समय पर इनको बोधात्मक एवं पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय।

(17) विकलांग बच्चों में नामांकन, उपस्थिति एवं शैक्षिक ह्रास-अवरोध की समस्या उत्पन्न न हो सके इसके लिये आवश्यक है कि योजना अन्तर्गत अध्ययनरत बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन में लचीलापन हो एवं प्रोत्साहनस्वरूप इनकी विशेष प्रकार की छात्रवृत्ति का प्रावधान किया जाय।

(18) अध्यापक तथा सहपाठियों में विकलांग बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण एवं सौहार्द्रपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना उपयुक्त होगा और इसके लिये उनमें व्यवहारगत परिवर्तन लाना

आवश्यक है। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना उचित होगा कि अपमानजनक सम्बोधन तथा शब्दावली का प्रयोग कदापि न करें, जिससे विकलांग बच्चों में कुण्ठा तथा हीन भावना का विकास हो सके।

(19) विकलांग बच्चों से सम्बन्धित समेकित शिक्षा योजना के प्रति जनमानस का धनात्मक दृष्टिकोण बना रहे, इस निमित्त संचार माध्यमों, समाजसेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों आदि का सहयोग अपेक्षित है।

(20) उक्त योजना अपने उद्देश्यों में कहाँ तक सफल रही इसकी उपलब्धियों की समुचित जानकारी के लिये योजना का समय समय पर आवश्यक है।

उपसंहार

विकलांगों की समेकित शिक्षा योजना के बढ़ते चरण को देखते हुए निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि निःसन्देह यह समाजोपयोगी तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप एक सफल योजना है। इसके द्वारा उपेक्षित तथा असहाय वर्ग के अक्षम बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का उपक्रम तो किया ही जा रहा है, साथ ही साथ शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यपूर्ति की दिशा में किया गया स्तुत्य प्रयास है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन में उपलब्ध अवरोधों के निवारणार्थ प्राप्त सुझावों के परिप्रेक्ष्य में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, सन्दर्भ-कक्षों हेतु उपकरण की व्यवस्था, विकलांग बच्चों के लिये दी जाने वाली सुविधाओं की समय से उपलब्धता, जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों/प्रधानाध्यापकों/सामान्य शिक्षकों का बोधात्मक प्रशिक्षण तथा प्रदेश स्तर पर प्रकोष्ठ की स्थापना करके ही योजना की सार्थकता प्रमाणित की जा सकती है।

11

विज्ञान शिक्षा सुधार नामक केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत अनुदानित विद्यालयों की विज्ञान प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन

पृष्ठभूमि

विज्ञान के छात्रों में वैज्ञानिक सम्बोधों को समझने तथा विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने में बहुत बड़े अन्तराल का अनुभव किया जाता है। कभी-कभी अथक प्रयास करने के पश्चात् भी छात्र वैज्ञानिक विचारों को आत्मसात् करने में विफल हो जाते हैं। यदि वे कठिन सम्बोधों को समझ लेते हैं तो भी भिन्न प्रकार से प्रस्तुत समस्याओं के समाधान में उनका अनुप्रयोग करने में असमर्थ हो जाते हैं।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों का अध्ययन एवं अध्यापन, मानव तथा राष्ट्र के विकास हेतु आवश्यक एवं महत्वपूर्ण समझा जाता है। मौलिक समस्याओं के निराकरण में इसकी प्रमुख भूमिका होती है परन्तु विद्यालयों में 'विज्ञान' शिक्षण में सहायक सामग्री का अभाव बाधक सिद्ध होता है। छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न करने तथा शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक है कि कक्षा शिक्षण के समय पाठ से सम्बन्धित प्रयोग छात्रों की सहायता से प्रदर्शित किये जाँय।

'करके देखने' से छात्रों में निरीक्षण, प्रेक्षण करने एवं निष्कर्ष निकालने की कला का विकास होता है, साथ ही छात्र स्वावलम्बी, कर्तव्य के प्रति सजग एवं श्रमशील होते हैं। विज्ञान विषय से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में मानवीय तथा भौतिक संसाधनों की कमी के कारण अपेक्षित स्तर का प्रयोगात्मक कार्य सम्पादित नहीं कराया जाता है।

प्रयोगशालाओं के भौतिक संसाधनों की कमी को दूर करने के लिये केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 513 हाईस्कूलों तथा इण्टरमीडिएट कालेजों की प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों को सामग्री/उपकरण तथा पुस्तक क्रयार्थ अनुदानित किया गया।

अनुदान दिये जाने के उपरान्त प्रयोगशालाओं की स्थिति तथा प्रयोगात्मक कार्य में हुए सुधार की जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया।

इस सर्वेक्षण/अध्ययन कार्यक्रम का महत्व अनुदानित धनराशि के उपभोग, प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने की दिशा में एक प्रयास है।

उद्देश्य

(1) प्रयोगशालाओं की वास्तविक स्थिति मुख्य रूप से भौतिक संसाधनों में हुए सुधार की जानकारी प्राप्त करना।

(2) प्रयोगात्मक कार्य पर, सामग्री की आपूर्ति के फलस्वरूप हुए सुधार की जानकारी प्राप्त करना।

(3) पुस्तकालयों हेतु प्राप्त अनुदान से पुस्तकों की आपूर्ति की स्थिति का पता लगाना।

(4) अनुदानित धनराशि के उपभोग की स्थिति जानना।

(5) प्रयोगशालाओं तथा पुस्तकालयों के उपयोग को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

परिकल्पना

(1) अनुमानित धनराशि का सदुपयोग, विभाग द्वारा विद्यालयों को प्रेषित सूचियों की सामग्री क्रय करने में कहीं-कहीं नहीं किया गया होगा।

(2) सामग्री उपलब्ध हो जाने पर भी उनका उपयोग नहीं हो रहा होगा।

परिसीमन

(1) प्रतिदर्श परिसीमन—इस सर्वेक्षण में प्रदेश के सभी मण्डलों के कुल 50 राजकीय उच्चतर माध्यमिक/इण्टरमीडिएट कालेजों (25 सुसज्जित प्रयोगशालाओं वाले तथा 25 ऐसे विद्यालय जिनमें प्रयोगशालाएँ स्थापित होनी हैं) को सम्मिलित किया गया है।

(2) अवधि—1 जून 1990 से 30 नवम्बर 1990 तक (छः माह)।

कार्यविधि

(1) प्रतिदर्श चयन—स्थिति की सही जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक मण्डल के कुल 50 विद्यालयों का चयन किया गया। इसमें अधिक संख्या गढ़वाल और कुमायूँ मण्डल की ली गई क्योंकि सर्वाधिक अनुदान इन्हीं मण्डलों के विद्यालयों को दी गई है।

(2) उपकरण—पृच्छा प्रपत्रों को उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया गया जिनकी पूर्ति प्रधानाचार्य तथा विज्ञान विषय के सम्बन्धित अध्यापक द्वारा की गई।

पृच्छा प्रपत्रों का सारांश—(1) प्रधानाचार्यों हेतु पृच्छा प्रपत्र—पृच्छा प्रपत्रों में प्रयोग-

शालाओं में मानवीय तथा भौतिक संसाधनों की स्थिति, अनुदान के उपभोग तथा सामग्री/उपकरण और पुस्तकों की उपलब्धता ।

(3) **विज्ञान अध्यापकों हेतु पृच्छा प्रपत्र**—प्रयोगात्मक कार्य में हुए सुधार, कठिनाइयों, प्रयोगशालाओं के प्रभावी उपयोग तथा उन प्रयोगों की जानकारी प्राप्त की गई जिन्हें अध्यापक नहीं करा पाते हैं अथवा नहीं कराते हैं ।

प्रदत्त संग्रह

पृच्छा प्रपत्रों के माध्यम से प्रदत्तों का संकलन किया गया । कुछ विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा विज्ञान अध्यापकों से सम्पर्क करके वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई ।

प्रदत्तों का विश्लेषण तथा विवेचन

पृच्छा प्रपत्रों में दी गई प्रश्नावली के उत्तरों, प्रधानाचार्यों तथा विषय अध्यापकों से सामग्री/उपकरण तथा पुस्तकों के क्रय, धनराशि के उपभोग में अनुभूत कठिनाइयों तथा सामग्री प्राप्ति के पश्चात् प्रयोगात्मक कार्य में हुए सुधार के सम्बन्ध में विशेष तथ्य प्राप्त हुए । इन्हीं के आधार पर इनका विश्लेषण तथा विवेचन किया गया ।

तालिका—1

अनुदानित धनराशि से क्रय की गई सामग्री/उपकरणों की पृथक भण्डार पंजिका में प्रविष्टि का विवरण

	पृथक पंजिका में	विद्यालय की पूर्व पंजिका में
विद्यालय संख्या	50	—

स्पष्ट है कि सभी विद्यालयों में सामग्री/उपकरण की प्रविष्टि विभागीय निर्देशानुसार पृथक पंजिका में किया गया है ।

तालिका—2

वर्ष 1988-89 तक विज्ञान विषयों से मान्यता की स्थिति—

	उच्चतर माध्यमिक स्तर			योग	इण्टरमीडिएट एवं हाईस्कूल			योग
	विज्ञान-1	विज्ञान-1 एवं 2	जीव वि०		भौतिकी	रसायन	जीव वि०	
विद्यालय संख्या	2	22	22	24	26	26	26	26

2 विद्यालयों में मात्र विज्ञान-1, 22 में विज्ञान-1, विज्ञान-2 तथा जीवविज्ञान विषय

के साथ हाईस्कूल तक तथा 26 विद्यालयों में हाईस्कूल विज्ञान-1, 2, जीव विज्ञान तथा इण्टरमीडिएट भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान सभी की मान्यता है।

तालिका—3

कार्यरत विज्ञान अध्यापकों/प्रवक्ताओं की संख्या—

	हाईस्कूल			इण्टरमीडिएट		
	विज्ञान 1	विज्ञान-2	जीव वि०	भौतिकी	रसायन	जीव वि०
कुल विद्यालय संख्या	50	48	48	26	26	26
विद्यालय सं० जिनमें अध्यापक हैं।	10	46	40	20	23	21

20 प्र०श० विद्यालयों में ही विज्ञान-1 विषय के शिक्षक कार्यरत हैं। हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट के विज्ञान/जीव विज्ञान अध्यापक तथा प्रवक्ताओं के 10 से 20 प्रतिशत तक पद रिक्त हैं।

तालिका—4

प्रति अध्यापक छात्रों की संख्या—

	हाईस्कूल की छात्र संख्या			इण्टरमीडिएट की छात्र संख्या		
	100 तक	250 तक	250 से अधिक	100 तक	250 तक	250 से अधिक
विद्यालय संख्या	16	19	15	6	12	8

30 प्रतिशत विद्यालयों में कक्षा 9 एवं 10 में तथा 33 प्रतिशत विद्यालयों में कक्षा 11 एवं 12 में छात्र संख्या 250 से अधिक है।

तालिका—5

विज्ञान विषय के शिक्षण तथा प्रयोग प्रदर्शन हेतु सुविधाएं—

सुविधाएं	विद्यालय संख्या जिनमें उपलब्ध हैं	विद्यालय जिनमें नहीं हैं
व्याख्यान कक्ष	20	30
डिमान्स्ट्रेशन टेबुल	24	26

40 प्रतिशत विद्यालयों में शिक्षण हेतु व्याख्यान कक्ष हैं तथा 48 प्रतिशत विद्यालयों में प्रयोग प्रदर्शन तथा प्रयोगात्मक कार्य की पूर्व तैयारी के लिए डिमान्स्ट्रेशन टेबुल उपलब्ध हैं।

तालिका—6

प्रयोगशालाओं में आवश्यक सुविधाओं की स्थिति—

सुविधायें	सुविधा सम्पन्न विद्यालय	सुविधायें	सुविधा सम्पन्न विद्यालय
दीवाल में चार्ट/चित्र लगाने का स्थान	31	सिंक	17
अग्निशामक	शून्य	विकृत प्वाइन्ट	18
भण्डार कक्ष	18	जल की टोंटी	15
प्रयोग तैयारी कक्ष	4	हानिकारक रसायन की सूची	12
इक्जास्ट पंखे	7	डार्क रूम	10
प्राथमिक चिकित्सा बाक्स	4	तुला कक्ष	15
		म्युजियम	5

किसी भी विद्यालय में अग्निशामक उपलब्ध नहीं है। प्राथमिक चिकित्सा बाक्स तथा प्रयोग की तैयारी हेतु कक्ष मात्र 8 प्रतिशत विद्यालय में है। भौतिकी प्रयोगशाला मे डार्क रूम, रसायन, में तुला कक्ष तथा जीव विज्ञान में म्युजियम क्रमशः 40 प्रतिशत, 60 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत विद्यालयों में विद्युत एवं जल की व्यवस्था 36 एवं 30 प्रतिशत विद्यालयों में हैं।

तालिका—7

सूची 'स' के अनुसार विज्ञान सामग्री क्रय करने की स्थिति का विवरण—

	हाँ	नहीं
विद्यालय संख्या	35	15

70 प्रतिशत विद्यालयों में ही 'स' सूची की वैज्ञानिक सामग्री का क्रय किया गया है।

तालिका—8

अनुदान प्राप्ति से प्रयोगशालाओं में आवश्यक उपकरणों की पूर्ति की स्थिति—

विद्यालय जिनमें पूर्ति हो गई	20
विद्यालय जिनमें पूर्ति आंशिक हुई	30

अनुदान से 40 प्रतिशत विद्यालयों की ही प्रयोगशालाओं का पूर्ण तथा 60 प्रतिशत विद्यालयों की प्रयोगशालाओं का आंशिक रूप से सुदृढ़ीकरण हो सका है।

तालिका—9

उपभोग प्रमाण-पत्र विभाग को उपलब्ध कराने का विवरण—

	प्रेषित कर दिया है	नहीं भेजा है	कोई उत्तर नहीं
विद्यालय सं०	49	—	1

98 प्रतिशत विद्यालयों ने धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिकारी को प्रेषित कर दिया है। 2 प्रतिशत ने इसका उल्लेख नहीं किया।

तालिका—10

प्रयोगशाला साज-सज्जा हेतु आवंटित अनुदान से साज-सज्जा क्रय की स्थिति—

	क्रय किया गया	कोई उत्तर नहीं
विद्यालय संख्या	23	2

92 प्रतिशत बिना प्रयोगशाला वाले विद्यालयों में प्रयोगशाला से सम्बन्धित साज-सज्जा एवं काष्ठोपकरण क्रय किए गए। 8 प्रतिशत ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया।

तालिका—11

विभाग द्वारा निर्धारित सूची की विज्ञान की पुस्तकों की प्राप्ति का विवरण—

	सभी प्राप्त	कम पुस्तकें प्राप्त	कोई उत्तर नहीं
विद्यालय सं०	26	22	2

52 प्र० श० विद्यालयों में ही जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सूची की सभी पुस्तकें उपलब्ध हो सकी हैं। 44 प्र० श० विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने रु० 1806·38, 1468·33, 2427·45 आदि के मूल्य की पुस्तकों के न प्राप्त करने का उल्लेख किया है जबकि 4 प्र० श० प्रधानाचार्यों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया।

तालिका—12

अनुदान प्राप्ति के पश्चात् प्रयोगात्मक कार्य में हुए सुधार तथा छात्रों की अभिरुचि में वृद्धि की स्थिति का विवरण—

	सुधार एवं वृद्धि हुई	कोई अन्तर नहीं पड़ा
विद्यालय सं०	40	10

स्पष्ट है कि अनुदानित धनराशि से प्रयोगशाला के भौतिक संसाधनों की उपलब्धता के कारण 80 प्र० श० विद्यालयों में प्रयोगात्मक कार्य के सम्पादन में छात्रों की अभिरुचि बढ़ी तथा कार्य के स्तर में अपेक्षित सुधार हुआ है।

तालिका—13

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० द्वारा निर्धारित प्रयोगात्मक के पाठ्यक्रम के सभी प्रयोगों के सम्पादित कराये जाने की स्थिति—

	सभी प्रयोग कराये जाते हैं	कुछ चुने हुए प्रयोग कराये जाते हैं
विद्यालय सं०	28	22

56 प्र० श० विद्यालयों में पाठ्यक्रम के सभी प्रयोग तथा 44 प्र० श० में कुछ चुने हुए प्रयोग ही कराये जाते हैं।

तालिका—14

विद्यालय में न कराये जाने वाले प्रयोगों का विवरण—

न कराये जाने वाले प्रयोग	विद्यालय संख्या
(1) विद्युत एवं प्रकाश के प्रयोग	6
(2) उष्मा के प्रयोग	4
(3) फीजियोलोजी के प्रयोग	18

विद्युत एवं प्रकाश, ऊष्मा तथा फीजियोलोजी के प्रयोग क्रमशः 24, 16 तथा 72 प्र० श० विद्यालयों में नहीं कराये जाते हैं।

तालिका—15

प्रयोगात्मक कार्य हेतु विद्यालय समय-सारिणी में आवंटित वादनों की संख्या—

कक्षा	वादन संख्या प्रति छात्र/सप्ताह	विद्यालय
9 तथा 10	1+1	32
	2	18
11 तथा 12	2	6
	4	20

हाईस्कूल के छात्रों को 64 प्र० श० विद्यालयों में प्रति छात्र/सप्ताह दो वादन प्रयोगात्मक कार्य हेतु दिये जाते हैं। 36 प्र० श० में 2 वादन एक दिन दिया जाता है। इण्टरमीडिएट कक्षाओं के छात्रों को 23 प्र० श० विद्यालयों में मात्र दो वादन तथा 77 प्र० श० विद्यालयों में दो-दो वादन दो दिन अर्थात् 4 वादन प्रति सप्ताह दिया जाता है।

तालिका—16

पृच्छा प्रपत्र के साथ संलग्न सूची 'स' में दर्शायी गई प्रयोगशाला में सामग्री की कमी—

विद्यालय जिनमें कमी है	विद्यालय जिनमें नहीं है
30	20

सामग्री की आपूर्ति के पश्चात् भी 60 प्र० श० विद्यालयों में कमी का उल्लेख किया गया है।

परिकल्पना का सत्यापन

(1) अनुदानित विद्यालयों में विज्ञान विषय की मान्यता है तथा क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टि पृथक् भण्डार पंजिका में की गई हैं।

(2) विज्ञान-1 के अध्यापन हेतु 80 प्र०श० विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। विज्ञान-2 हेतु नियुक्त अध्यापकों अथवा अधिस्नातक वेतनक्रम के अध्यापकों से शिक्षण कार्य कराया जाता है।

(3) 30 प्र० श० विद्यालयों में हाईस्कूल तथा 33% इण्टरमीडिएट में शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात 1 : 250 का है।

(4) विज्ञान विषय के शिक्षण हेतु विद्यालयों में व्याख्यान-कक्ष तथा प्रयोग प्रदर्शन हेतु डिमान्स्ट्रेशन टेबुल की कमी है।

(5) किसी भी विद्यालय की प्रयोगशालाओं में अग्निशामक नहीं है। प्रयोगात्मक कार्य की पूर्व तैयारी हेतु 'प्रिपरेशन कक्ष' तथा प्राथमिक उपचार हेतु आवश्यक चिकित्सा बाक्स 8 प्र० श० विद्यालयों में ही है। 50% विद्यालयों में प्रयोगशाला नहीं है।

(6) 70 प्र० श० विद्यालयों में ही सूची 'स' में दर्शायी गई सामग्री/उपकरण क्रय किये गये। 40 प्र० श० विद्यालयों की प्रयोगशालाओं की कमियाँ आंशिक रूप से ही दूर हो सकी हैं।

(7) अनुदान का उपभोग प्रमाण-पत्र 98 प्र० श० प्रधानाचार्यों ने सम्बन्धित अधिकारी को समय से प्रेषित कर दिया है।

(8) 92 प्र० श० विद्यालयों में प्रयोगशाला साज-सज्जा हेतु दिये गये अनुदान से काष्ठोपकरण क्रय किये गये फिर भी छात्रों की अभिरुचि में वृद्धि तथा प्रयोगात्मक कार्य में सुधार मात्र 80 प्र० श० विद्यालयों में हो सका है।

(9) 48 प्र० श० विद्यालयों में औसत 2000/- रु० मूल्य की पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।

(10) 44 प्र० श० विद्यालयों में मा० शि० प०, उ० प्र० द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार प्रयोग नहीं कराये जाते हैं। विद्युत, प्रकाश एवं फीजियोलोजी के प्रयोग नहीं कराए जाते हैं।

(11) 64 प्र० श० उ० मा० विद्यालयों में एक-एक वादन दो दिन/प्रति सप्ताह तथा 20 प्र० श० इण्टरमीडिएट कालेजों में 2 वादन तथा 24 प्र०श० में 6 वादन प्रति छात्र/सप्ताह दिया जाता है।

सुझाव

(1) विज्ञान-1 के शिक्षण हेतु तथा जिन विद्यालयों में हाईस्कूल अथवा इण्टर में विज्ञान की कथाओं में छात्र संख्या 150 से अधिक हो, अध्यापकों/प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जाय।

(2) प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति की जाय जिनकी न्यूनतम योग्यता विज्ञान विषय से हाईस्कूल उत्तीर्ण हो।

(3) विद्यालयों में व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाओं, प्रयोग की तैयारी हेतु प्रिपरेशन कक्ष का निर्माण कराया जाय तथा विद्यालयों के विद्युतीकरण की व्यवस्था की जाय।

(4) डिमान्स्ट्रेशन टेबुल, अग्निशामक तथा प्राथमिक चिकित्सा बाक्स की आपूर्ति की जाय।

(5) अनुदान दिये जाने के उपरान्त भी 20 प्र० श० विद्यालयों में प्रयोगात्मक कार्य में सुधार नहीं हुआ तथा 44 प्र० श० विद्यालयों में अब भी पाठ्यक्रम में दिये गये प्रयोगों में से कुछ चुने हुए प्रयोग ही कराये जाते हैं। अतः जनपद या मण्डल स्तर पर अध्यापकों का प्रशिक्षण कराया जाय।

(6) प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाय कि वे प्रयोगात्मक कार्य हेतु हाईस्कूल में लगातार दो वादन तथा इण्टरमीडिएट में 4 वादन प्रति छात्र शक्ति सप्ताह अवश्य उपलब्ध कराएं।

(7) 43 प्र० श० विद्यालयों में पुस्तकें 1990 तक जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। इसकी जाँच कराकर उपलब्ध न कराने के कारण का पता अवश्य लगाया जाय।

(8) भौतिक रूप में सर्वेक्षण करने वाले अधिकारियों के अनुसार क्रय की गई सामग्री 1990 तक सम्बन्धित प्रयोगशालाओं को नहीं स्थानान्तरित की गई हैं। अतः उन विद्यालयों में सामग्री/उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा रहा हैं। ऐसे विद्यालयों को निर्देशित किया जाना आवश्यक है कि वे सामग्री/उपकरण छात्रों को प्रयोगात्मक कार्य हेतु उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

12

प्राथमिक और जू० हा० स्कूलों में विज्ञान शिक्षा के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन

पृष्ठभूमि

आधुनिक युग विज्ञान का युग है। इस युग में हमारे जीवन का हर पहलू विज्ञान से प्रभावित है। किसी समाज या देश की समृद्धि आज विज्ञान पर निर्भर है। कृषि, उद्योग, यातायात, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में उन्नति विज्ञान की देन है। हमारे विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण का इस दृष्टि से प्रभावी होना आवश्यक है। अतः प्रारम्भिक स्तर पर यह जाँचने की आवश्यकता है कि विज्ञान की शिक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहाँ तक प्रभावी है।

उद्देश्य

प्राथमिक एवं जू० हा० स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षा से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के फलस्वरूप प्रमुख दो उद्देश्यों के विकास की जाँच करना। वे उद्देश्य हैं—

(1) छात्रों में विज्ञान के तथ्यों, नियमों एवं सिद्धान्तों के ज्ञान का विकास होना।

(2) छात्रों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास होना।

परिसीमन

उत्तर प्रदेश के गढ़वाल, झाँसी, गोरखपुर तथा लखनऊ मण्डलों के देहरादून, बांदा और गोरखपुर, लखनऊ जनपदों के निम्नवत् 33 विद्यालयों को इस शोधकार्य हेतु चयन किया गया :—

(1) बेसिक प्रा० पा० लच्छी वाला, देहरादून

(2) बेसिक प्रा० पा० कुड़का वाला, ”

(3) ” ” बुल्ला वाला, ”

(4) ” ” मझोन, ”

(5) ” डोइवाला, ”

(6) बेसिक प्रा० पा० कोलागढ़, देहरादून

(7) " मेहूँ वाला भावां, "

(8) " भाजारा "

(9) बे० " अजबपुर वला "

(10) " परेड ग्राउन्ड "

(11) जू०हा० स्कूल, डोइवाला, "

(12) " " देहरा, राजपुर रोड "

(13) " " बुल्लावाला "

(14) " " कोटी, मलियावाला "

(15) " " तेली वाला "

(16) कन्या जू० हा० स्कूल, "

(17) जू० हा० स्कूल, मेहूँ वाला, देहरादून

(18) प्रा० वि० खिन्नी नाका, बांदा

(19) प्रा० पा० मोदी मन्दिर, "

(20) प्रा० पा०, छावनी "

(21) प्रा० पा० असाल, "

(22) क०जू०हा० बंखण्डी नाका "

(23) जू० बेसिक वि०, खिन्नी नाका "

(24) चन्दा देवी ओगर जू० हा० "

(25) श्री तरण-तारण जैन जू० हा० स्कूल, छोटी बाजार, बांदा

(26) एच० एस० एम० शिक्षा निकेतन (जू० हा०), बांदा

(27) जू० हा० स्कूल खिन्नी नाका, बांदा

(28) चन्दा देवी ओ० जू०हा०स्कूल, "

(29) प्रा० पा०, सिडौखा, गोरखपुर

(30) जू० हा० स्कूल " "

(31) " " जुगल कौड़िया, गोरखपुर

(32) " " सहारमवा, "

(33) " " नौबस्ता, लखनऊ

अध्ययन-विधि

शोध अध्ययन हेतु पृच्छा प्रपत्रों के दो सेट—

(1) विद्यालयों के छात्रों के लिए तथा

(2) विद्यालयों के अध्यापकों के लिए तैयार किए गए।

उपर्युक्त पृच्छा-प्रपत्रों को संस्थान के प्रोफेसरों के माध्यम से विद्यालयों के अध्यापकों तथा छात्रों से पूर्ण कराकर आवश्यक तथ्य एवं सूचनाएँ एकत्र और सारणीबद्ध करने के पश्चात् विश्लेषण किया गया। प्रोफेसरों ने अध्यापकों एवं छात्रों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके विद्यालय की वर्तमान विज्ञान-शिक्षा की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी शोध अध्ययन हेतु उपलब्ध कराई।

प्रदत्त विश्लेषण तथा आख्या

अध्यापकों से सम्बन्धित संलग्न सारणी संख्या 1 के अध्ययन करने पर निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए :—

(1) विद्यालयों में सभी अध्यापक बी० टी० सी०/सी० टी० का प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं।

(2) राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, उ० प्र०, इलाहाबाद में अथवा राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, उ० प्र० द्वारा संचालित विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित अध्यापक नगण्य हैं।

(3) विज्ञान सामग्री/किट्स लगभग 34 प्रतिशत विद्यालयों में उपलब्ध हैं।

(4) कक्षाओं से प्रयोग-प्रदर्शन कभी-कभी 62 प्रतिशत विद्यालयों में होता है।

(5) सभी विद्यालयों की कक्षाओं में विज्ञान-शिक्षण के पर्याप्त कालांश हैं और पाठ्यक्रम समय से समाप्त हो जाता है।

(6) 33 प्रतिशत विद्यालयों में छात्र चार्ट/माडल आदि बनाते हैं।

(7) 42 प्रतिशत विद्यालयों में छात्र स्वयं प्रयोग करके देखते हैं।

(8) 16 प्रतिशत विद्यालयों के छात्र पर्यटन पर ले जाए जाते हैं।

(9) रेडियो/टी० वी० और विज्ञान क्लब लगभग नगण्य हैं।

(10) सभी विद्यालयों में गृह कार्य दिया जाता है और उनका अवलोकन भी होता है।

छात्रों से सम्बन्धित संलग्न सारणी सं० 2 के अवलोकन करने से निम्नलिखित तथ्य और सूचनाएँ स्पष्ट हुई हैं :—

(1) 33 प्रतिशत विद्यालयों में कक्षाओं में प्रयोग-प्रदर्शन होता है।

(2) लगभग 25 प्रतिशत छात्र प्रयोग स्वयं करके देखते हैं।

(3) लगभग 25% विद्यालयों में विज्ञान-शिक्षण सामग्री तथा किट्स उपलब्ध हैं।

(4) 62 प्रतिशत छात्र माडल/चार्ट बनाते हैं।

(5) 20 प्रतिशत छात्र विज्ञान प्रदर्शनी को देखने जाते हैं लेकिन भाग नहीं लेते हैं।

(6) रेडियो/टी० वी० लगभग नगण्य (6%) हैं।

(7) छात्रों को विद्यालय में गृह कार्य दिया जाता है तथा उसका अवलोकन भी सम्बन्धित अध्यापकों द्वारा होता है।

प्रतिक्रियाएँ

शोध कार्य हेतु चयनित प्राथमिक/जू० हा० स्कूलों के अध्यापकों तथा छात्रों से व्यक्तिगत सम्पर्क करने तथा उनकी वर्तमान अवस्था का शैक्षिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई हैं :—

(1) अधिकांश विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण से सम्बन्धित सामग्री/किट्स बाक्स और उनके कक्षाओं में प्रदर्शन करने हेतु उचित व्यवस्था न होने के कारण अध्यापक इच्छा रखते हुए भी पूर्ण योगदान नहीं दे पाते हैं।

(2) विद्यालयों में सामग्री के रख-रखाव, क्षतिपूर्ति और आवश्यक सामग्री के क्रय करने के लिए धनाभाव के फलस्वरूप अध्यापक सम्पूर्ण योगदान देने में अपने को असमर्थ पाते हैं।

(3) अध्यापक उपर्युक्त सन्दर्भ में प्रशासन तथा अभिभावकों से सहयोग की अपेक्षा चाहते हैं।

(4) यद्यपि आँकड़ों से विदित होता है कि 33 प्रतिशत छात्र स्वयं प्रयोग करके देखते हैं परन्तु वस्तुतः ऐसा अधिकांश विद्यालयों में नहीं होता है क्योंकि स्वयं अध्यापकों और छात्रों से सम्पर्क करने तथा विद्यालयों की स्थिति को देखने के पश्चात् यह विदित हुआ है कि छात्र स्वयं प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अध्यापक भी प्रयोग प्रदर्शन लगभग 10 प्रतिशत ही करते हैं।

निष्कर्ष

अध्यापकों तथा छात्रों से पूर्ण कराकर प्राप्त पृच्छा-प्रपत्रों के माध्यम से एकत्र किए गए तथ्यों एवं सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उपरोक्त विश्लेषणों का अध्ययन करने के पश्चात् निम्नलिखित निष्कर्ष उभर कर सामने आए हैं :—

(1) अधिकांश विद्यालयों में छात्रों के समक्ष उनकी कक्षाओं में अध्यापकों द्वारा प्रयोग प्रदर्शन विज्ञान किट्स बाक्स/सामग्री के अभाव में नहीं हो पाता हैं जिसके कारण छात्र सदुपयोगी शिक्षण से वंचित रह जाते हैं। अतः छात्रों की क्यों, कैसे और तर्क करने की क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता है।

(2) राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, उ० प्र०, इलाहाबाद में अथवा इसके द्वारा संचालित विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों के विद्यालयों में न होने के कारण जो कुछ भी सामग्री/साधन उपलब्ध हैं उसका भी सदुपयोग नहीं हो पाता है।

(3) छात्र जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी को देखने नहीं जाते जिसके कारण उनका वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा उनके दैनिक जीवन में व्यवहारिक अनुप्रयोग की जानकारी से न केवल वंचित रहते हैं बल्कि ज्ञान के क्षेत्र में भी वृद्धि नहीं हो पाती है और इसके फलस्वरूप छात्रों की विज्ञान के प्रति जिज्ञासा, प्रेरणा, रुचि और उत्साह नहीं उत्पन्न हो पाता है तथा उनकी क्रियात्मक और तर्क करने की क्षमता भी विकसित नहीं हो पाती हैं।

(4) विद्यालयों में छात्र स्वयं "करके सीखने" (Learning by doing) की विधि को अपनी शिक्षण प्रणाली में व्यवहारिक रूप से साधनों के अभाव से पालन नहीं कर पाते हैं जिसके फलस्वरूप छात्र में संयम, आत्मविश्वास, अनुशासन और सहयोग आदि गुणों का विकास नहीं हो पाता है जोकि छात्र के उज्ज्वल भविष्य के लिये परमावश्यक है।

(5) यद्यपि सभी विद्यालयों में रेडियो/टी० वी० को उपलब्ध कराना आर्थिक दृष्टि से सम्भव नहीं हैं फिर भी विद्यालय में छात्रों को उनके घर पर/पड़ोस में वैज्ञानिक कार्यक्रमों को सुनने/देखने के लिए प्रोत्साहित अवश्य करना चाहिए।

(6) विज्ञान शिक्षण सामग्री/किट्स बाक्स के रख-रखाव के लिए और कक्षाओं में प्रयोग प्रदर्शन के लिए विद्यालयों में उपयुक्त साधन (जैसे अल्मारी, मेज आदि) के न होने की कमी को अवश्य दूर किया जाय।

सुझाव—

प्राथमिक/जू० हा० स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षण को प्रभावी, रुचिकर, सृजनात्मक, प्रेरणात्मक, व्यवहारिक तथा बोधगम्य बनाने के लिए यह परमावश्यक है कि :—

(1) प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक अध्यापक ऐसा होना चाहिए जिसने कि राज्य

विज्ञान शिक्षा संस्थान, उ० प्र०, इलाहाबाद में अथवा उसके द्वारा संचालित विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अवश्य प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

(2) कक्षाओं से सम्बन्धित विज्ञान किट्स बाक्स/सामग्री अवश्य उपलब्ध हो जिससे कि छात्र "करके सीखें" और इस प्रकार उनमें क्रियात्मक और सृजनात्मक प्रवृत्तियों का विकास हो, इसके साथ-साथ संयम, आत्मविश्वास, सहयोग और अनुशासन आदि गुणों का भी विकास हो सके।

(3) छात्रों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि और जिज्ञासा बढ़ाने के लिए उन्हें कम से कम जनपदीय विज्ञान प्रदर्शनी और आस-पास के विज्ञान शिक्षण से सम्बन्धित स्थान/स्थलों को देखने के लिए अवश्य प्रोत्साहित करना चाहिए।

(4) प्रत्येक विद्यालय में कुछ धनराशि अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए जिससे कि विज्ञान शिक्षण में उसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जा सके।

(5) दैनिक जीवन में व्यवहार में आने वाली वस्तुओं में निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों को अध्यापकों को छात्रों को अवश्य बताना चाहिए।

———

13

सामान्य पत्राचार शिक्षा में विज्ञान प्रयोगात्मक कार्यों के आयोजन की वर्तमान स्थिति का अध्ययन

पृष्ठभूमि

सामान्य पत्राचार योजना के अन्तर्गत पत्राचार शिक्षा संस्थान, उ० प्र० इलाहाबाद ने वर्ष 1990 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से, व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग के विषयों (भौ० वि०, रसा० वि० तथा जीव वि०) को लेकर, परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया है। इण्टरमीडिएट के व्यक्तिगत छात्र/छात्राओं के विज्ञान विषयों, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान के प्रयोगात्मक कार्य को पूरा करने के लिए दस दिवसीय चार सम्पर्क शिविर आयोजित किये जाते हैं। यह आयोजन या तो छात्र/छात्राओं के पंजीकरण विद्यालयों में होता है या सुविधानुकूल किसी समीपवर्ती इण्टरमीडिएट कालेज में, जहाँ छात्र अपने भौ० वि०, रसा० वि० एवं जीव वि० के प्रयोगों को कर सकें। सूचना प्राप्त होने पर छात्र/छात्राएँ शिविरों में उपस्थित होते हैं और विद्यालय के अध्यापकों से सम्पर्क स्थापित कर विद्यालय की प्रयोगशालाओं में प्रयोगात्मक कार्य पूर्ण करते हैं। विज्ञान वर्ग के ऐसे व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को संस्थागत परीक्षार्थियों की भाँति एक ही पाठ्यक्रम पर आधारित एक ही प्रकार की परीक्षा प्रणाली से परीक्षा देनी होती है। अतः व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को प्रयोगात्मक कार्य करने के लिए जो दस दिवसीय चार सम्पर्क शिविरों का अवसर प्राप्त है, उसके आयोजन की अब वर्तमान स्थिति से अवगत हुआ जाय तथा आवश्यक सुधार हेतु सुझाव दिये जाँय।

उद्देश्य

(1) यह पता लगाना कि—

(i) सामान्य पत्राचार योजना के छात्र/छात्राओं को विद्यालयों में विज्ञान के प्रयोगात्मक कार्य को करने के लिए क्या-क्या सुविधाएँ दी जाती हैं।

(ii) प्रयोगात्मक कार्य को पूरा करने के लिए दी गई समयावधि पर्याप्त है अथवा नहीं।

(2) प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक सुझाव देना।

परिसीमन

इस शोध अध्ययन को प्रदेश के तेरह मण्डलों के कुल तीस विद्यालयों (राज० इण्टर कालेज बालक-17, रा० बालिका इण्टर कालेज-7, प्राइवेट इण्टर कालेज-6), जहाँ पर वर्ष 1990 की इण्टरमीडिएट परीक्षा के सामान्य पत्राचार-विज्ञान वर्ग के छात्र/छात्राओं को सम्पर्क शिविरों में निर्धारित केन्द्रों पर उपस्थित होकर प्रयोगात्मक कार्य को पूरा करने की सुविधा प्रदान की गई है, तक सीमित रखा गया है।

अवधि

अप्रैल 1990 से 31 दिसम्बर 1990 तक (नौ माह)।

कार्य विधि

(क) प्रतिदर्श चयन—इस शोध अध्ययन में बारह मण्डलों के इक्कीस विद्यालयों (रा० इं० कालेज-17, रा० बालिका इ० कालेज-3 प्राइवेट इ० कालेज-1) से प्राप्त पृच्छा प्रपत्रों को सम्मिलित किया गया है। (परिशिष्ट-1)

(ख) उपकरण—विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए पृच्छा प्रपत्र (परिशिष्ट-2)।

प्रदत्त संग्रह

सामान्य पत्राचार योजना के अन्तर्गत इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग के प्रयोगात्मक कार्य की वर्तमान स्थिति के अध्ययन हेतु प्रदेश के तेरह मण्डलों में तीस ऐसे विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को पृच्छा प्रपत्र प्रेषित किये गये जहाँ वर्ष 1990 की इण्टर परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को प्रयोगात्मक कार्य करने की व्यवस्था की गई थी। केवल इक्कीस विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने ही पृच्छा-प्रपत्र भरकर विज्ञान संस्थान को लौटाया। प्राप्त पृच्छा-प्रपत्रों की प्रश्नावली के उत्तरों का अध्ययन और विश्लेषण किया गया।

प्रदत्त विश्लेषण

(1) प्रयोगात्मक कार्य का सम्पादन

(1) सामान्य पत्राचार योजना के अन्तर्गत जो छात्र/छात्राएँ वर्ष 1990 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित हुए, उनके प्रयोगात्मक कार्य को एक ही सत्र 89-90 में (कक्षा 12 में) दस दिवसीय चार सम्पर्क शिविरों द्वारा पूरा किये गये।

(2) सभी इक्कीस विद्यालयों में सम्पर्क शिविर आयोजित किये गये।

(3) वर्तमान समय में कक्षा 11 में प्रयोगात्मक कार्य कराने की व्यवस्था नहीं की गई।

(2) प्रयोगात्मक कार्य के लिए वादनों का आवंटन

(1) 21 में से 15 अर्थात् 71% विद्यालयों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान के प्रयोग करने के लिए दो वादन प्रति विषय प्रतिदिन आवंटित किये गये।

(2) 6 विद्यालयों में से 3-4 वादन प्रति विषय आबंटित किये गये।

(3) प्रयोगात्मक कार्य करने का समय

तालिका—1

समय	विद्यालयों की संख्या
(1) विद्यालय अवधि में	10
(2) विद्यालयीय शिक्षण अवधि में तथा इसके पूर्व/पश्चात्	5
(3) विद्यालयीय शिक्षण अवधि के पूर्व/पश्चात्	6
योग	21

24% विद्यालयों में शिक्षण अवधि में, 48% विद्यालयों में प्रयोगात्मक कार्य विद्यालयीय शिक्षण अवधि में तथा इसके पूर्व या पश्चात् आयोजित किये गये हैं। 28% विद्यालयों में प्रयोगात्मक कार्य शिक्षण अवधि के पूर्व या पश्चात् कराये गये हैं।

(4) छात्र/छात्राओं की पंजीकृत संख्या तथा उपस्थिति

तालिका—2

छात्र/छात्राओं की पंजीकृत संख्या (कक्षा 12) सत्र 89-90	विद्यालयों की संख्या	छात्र/छात्राओं की औसत उपस्थिति
1-40	9	16 छात्र/छात्राएँ
40-80	3	29 "
80-120	3	66 "
120-160	3	68 "
160-200	1	61 "
200-240	—	—
240-280	1	266 "
280-320	—	—
320-360	1	107 "
	21	

(5) छात्र/छात्राओं के मार्गदर्शन हेतु अध्यापकों की व्यवस्था की स्थिति

(1) सभी विद्यालयों (21) छात्र/छात्राओं के कार्य की देख-रेख एवं मार्गदर्शन की व्यवस्था है। 17 विद्यालयों में जिन अध्यापकों को नियमित टाइम टेबुल में संस्थागत छात्र/छात्राओं को पढ़ाना पड़ता है, उन्हें ही सम्पर्क शिविर के छात्र/छात्राओं की देख-रेख एवं मार्गदर्शन करना होता है।

(6) सम्पर्क शिविर तथा संस्थागत छात्रों के प्रयोगात्मक कार्य करने की व्यवस्था

(1) 4 विद्यालयों में सम्पर्क शिविर तथा संस्थागत छात्र एक ही प्रयोगशाला में साथ-साथ प्रयोगात्मक कार्य करते हैं।

(2) 15 विद्यालयों में सम्पर्क शिविर तथा संस्थागत छात्र अलग-अलग प्रयोगात्मक कार्य करते हैं।

(3) 2 विद्यालयों में कभी साथ-साथ और कभी अलग-अलग प्रयोगात्मक कार्य कराते हैं।

(7) प्रयोगात्मक कार्य के लिए चार सम्पर्क शिविरों की पर्याप्तता/अपर्याप्तता

तालिका—3

	दस दिवसीय चार सम्पर्क शिविर पर्याप्त हैं	पर्याप्त नहीं हैं	योग
विद्यालयों की संख्या	12	9	21

57% विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के मत से दस दिवसीय चार सम्पर्क शिविर प्रयोगात्मक कार्य के लिए पर्याप्त हैं।

(8) 40 दिन अपर्याप्त होने की दशा में माँग किये गये दिनों का विवरण

तालिका—4

दिनों की माँग	विद्यालयों की संख्या
60 दिन	6
80 दिन	2
90 दिन	1
	9

9 में से 6 अर्थात् 66% विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के मत से प्रयोगात्मक कार्य के लिए 60 दिन दिये जाने चाहिये।

(9) **छात्रों के प्रयोगात्मक कार्य के अभिलेखों का मूल्यांकन**

(1) 89-90 में 20 विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के प्रयोगात्मक कार्य का मूल्यांकन किया गया है।

(2) एक विद्यालय में किन्हीं कारणों से मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

(10) **प्रयोगात्मक कार्य हेतु वित्तीय सहायता का विवरण**

तालिका—5

	300 रु० प्रति विषय धनराशि पर्याप्त है	300 रु० प्रति विषय धनराशि पर्याप्त नहीं है	योग
विद्यालयों की संख्या	2	19	21

90% विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के अनुसार प्रयोगात्मक कार्य हेतु 300 रु० प्रति विषय की दर से दी जाने वाली धनराशि अपर्याप्त है।

(11) **अपर्याप्त होने की दशा में माँग की गई धनराशि**

तालिका—6

धनराशि	विद्यालयों की संख्या
रु० 1000 से 1200 तक प्रति विषय	11
रु० 400 से 600 तक प्रति विषय	6
रु० 40 प्रति छात्र	1
रु० 150 छात्र से अधिक होने पर 2 रु० प्रति छात्र प्रति विषय	1
	19

19 में से 11 अर्थात् 58% विद्यालयों ने रु० 1000 से 1200 तक की माँग की है जबकि 31% विद्यालयों में रु० 400 से 600 तक की माँग की है।

निष्कर्ष

(1) सामान्य पत्रावार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990 की इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए विज्ञान वर्ग के विषयों में भौ० विज्ञान, रसा० विज्ञान एवं जीवविज्ञान के प्रयोगात्मक कार्य के लिए सभी सम्पर्क शिविर सभी केन्द्रों पर दूसरे वर्ष कक्षा 12 में आयोजित किए गए हैं।

(2) 71% विद्यालयों में भौ० विज्ञान, रसा० विज्ञान तथा जीवविज्ञान के प्रयोगात्मक कार्य के लिए 2 वादन प्रतिदिन प्रतिविषय आवंटित किये गए हैं जो पर्याप्त हैं।

(3) 24% विद्यालयों में प्रयोगात्मक कार्य विद्यालयीय शिक्षण अवधि में कराया जाता है। 48% विद्यालयों में विद्यालयीय शिक्षण अवधि तथा इसके पूर्व या पश्चात् आयोजित किये जाते हैं। 28% विद्यालयों में यह कार्य शिक्षण अवधि के पूर्व या पश्चात् कराया जाता है।

(4) प्रतिदर्श के रूप में चयनित सभी विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के प्रयोगात्मक कार्य की देख-रेख तथा मार्गदर्शन की व्यवस्था की गई है।

(5) 57% विद्यालयों ने दस दिवसीय चार (40 दिन) सम्पर्क शिविर की अवधि पर्याप्त बताया है।

(6) 95% विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के प्रयोगात्मक कार्य के अभिलेखों का मूल्यांकन अध्यापकों द्वारा किया गया है।

(7) 90% विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के अनुसार प्रयोगात्मक कार्य हेतु 300·00 रुपया प्रति विषय की दर से दी जाने वाली धनराशि अपर्याप्त है। 31% विद्यालयों ने रु० 400 से 600 रु० तक तथा 58% विद्यालयों ने रु० 1000 से 1200 रुपये तक धनराशि प्रति विषय दिये जाने की आवश्यकता बतायी है।

प्रधानाचार्यों के सुझाव

(1) एक विद्यालय के प्रधानाचार्य का मत है कि प्रत्येक सम्पर्क शिविर के लिए छात्रों की पंजीकृत संख्या 120 से अधिक न रखी जाय क्योंकि विद्यालयीय अवधि में इन छात्रों का प्रयोगात्मक कार्य करना संभव नहीं हो पाता है। जबकि दूसरे विद्यालय के प्रधानाचार्य का मत है कि प्रत्येक सम्पर्क शिविर पर छात्रों की अधिकतम संख्या 50 हो।

प्रधानाचार्य का यही मत है कि—

(2) सम्पर्क शिविरों की संख्या बढ़ायी जाय।

(3) अधिकांशतः छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं जिनके रहने की व्यवस्था न होने के कारण वे समय से विद्यालय नहीं पहुँच पाते। अतः निकट के विद्यालय में प्रयोगात्मक कार्य करने की व्यवस्था की जाय।

(4) सभी सम्पर्क शिविर एक साथ न होकर समय-समय पर कुछ अन्तर देकर संचालित कराये जायँ। प्रयोगात्मक कार्य का कार्यक्रम बनाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विद्यालय का होना चाहिये।

(5) प्रयोगात्मक कार्य कक्षा 11 में भी कराया जाय, कक्षा 12 में सभी प्रायोगिक कार्य एक साथ करना उचित नहीं है।

(6) प्रयोगात्मक कार्य विद्यालयों में षष्टमासीय परीक्षा की अवधि में कराये जायँ। इस अवधि में प्रयोगशालायें खाली रहेंगी और सम्पर्क शिविरों के छात्रों को विद्यालय समय में कार्य करने का पूरा अवसर प्राप्त होगा।

(7) प्रयोगात्मक कार्य सम्पर्क शिविर ग्रीष्मकाल में, अक्टूबर में तथा जनवरी में आयोजित कराये जायँ।

(8) पर्वतीय अचल में सितम्बर व नवम्बर माह में प्रयोगात्मक कार्य कराया जाय।

(9) प्रयोगात्मक कार्य के लिए वर्तमान समय में दी गई प्रति विषय वित्तीय सहायता पर्याप्त नहीं है। अतः इसे बढ़ाया जाय।

(10) शिक्षकों के पारिश्रमिक आकर्षक बनाये जायँ।

(11) छात्र/छात्राओं के पंजीकरण का कार्य सत्र के प्रारम्भ में हो जाना चाहिए तथा पंजीकरण केन्द्रों से आवेदन पत्र मँगाने की व्यवस्था सत्रारम्भ में ही होनी चाहिये।

(12) केन्द्रों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिये।

(13) छात्र-छात्राओं को प्रयोगात्मक कार्य की सूचना भेजने हेतु डाक-व्यय भी देय होना चाहिये।

सुझाव (विभाग द्वारा)

(1) सामान्य पत्राचार योजना के अन्तर्गत इण्टरमीडिएट द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के विज्ञान प्रयोगात्मक कार्य को पूरा करने के लिए दस दिवसीय चार सम्पर्क शिविर पर्याप्त हैं किन्तु प्रयोगात्मक कार्य को दोनों वर्षों में कराये जाने की व्यवस्था हो। ऐसा करने से प्रथम वर्ष (कक्षा-11) के छात्र/छात्राएँ कुछ प्रयोग पूरे कर लेंगे और प्रयोगात्मक कार्य का उन्हें अनुभव भी प्राप्त हो जायेगा। प्रयोगात्मक कार्य करते एवं प्रयोग लिखते समय छात्र/छात्रायें जो सामान्य त्रुटियाँ करते हैं उनके प्रति वे द्वितीय वर्ष (कक्षा-12) में सावधान रहेंगे।

(2) प्रयोगात्मक कार्य के लिए एक केन्द्र पर अधिकतम 120 छात्र/छात्रायें रखी जायँ जिससे कि छात्र/छात्राओं का उचित मार्गदर्शन हो सके।

(3) प्रयोगात्मक कार्य से सम्बंधित सामग्री के क्रय के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की आवश्यकता है। पंजीकृत छात्रों की संख्या पर एक मानक निर्धारित कर न्यूनतम आवश्यक धनराशि दिये जाने की व्यवस्था हो। मानक के ऊपर प्रति छात्र प्रति विषय अतिरिक्त धनराशि दी जाय।

(4) छात्र/छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास किया जाय।

———

14

हाईस्कूल में विज्ञान अनिवार्य होने से उत्पन्न समस्याएँ तथा निराकरण के सुझाव

पृष्ठभूमि

वर्ष 1984 से हाईस्कूल कक्षाओं में विज्ञान अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। दैनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान के क्रियात्मक ज्ञान की आवश्यकता के फलस्वरूप हाई-स्कूल स्तर तक विज्ञान अनिवार्य किया गया। हमारे राज्य में वैज्ञानिक वर्ग/प्राविधिक वर्ग के छात्रों के लिए विज्ञान-2 तथा अन्य वर्ग के छात्रों के लिए विज्ञान-1, दो विभिन्न विषयों के रूप में चिन्हित हुए। इनके लिए दो विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम विकसित करके पाठ्य-पुस्तकें रचित हुईं तथा उनका अध्ययन-अध्यापन होने लगा। जिन विद्यालयों में वैज्ञानिक वर्ग 'ख' के अन्तर्गत अध्ययन-अध्यापन होता था, उनके अन्य वर्ग के छात्रों के लिए विज्ञान विषय विज्ञान-1 के रूप में अनिवार्य कर दिया गया। जिन विद्यालयों में वैज्ञानिक 'ख' के अन्तर्गत शिक्षण नहीं होता था, उनमें अनिवार्य विषय के रूप में विज्ञान-1 से एक या दो वर्षों के लिए छूट दी गई। इसके पश्चात् विज्ञान-1 अनिवार्य कर दिया गया। इस प्रकार उपर्युक्त दो कोटि के विद्यालय हमारे राज्य में थे। छात्रों के लिए विज्ञान-1 अनिवार्य विषय के रूप में आने के कारण उत्पन्न अध्यापक, प्रयोग-शाला, उपकरण/सामग्री एवं साज-सज्जा सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन की आवश्यकता समझी गई। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन समीचीन, उपयुक्त एवं सामयिक है।

उद्देश्य

प्रस्तावित शोध अध्ययन का उद्देश्य जानकारी प्राप्त करना है कि—

(1) विज्ञान-1 को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने हेतु अतिरिक्त अध्यापक, प्रयोग-शाला, उपकरण/सामग्री तथा साज-सज्जा आदि की क्या व्यवस्था की गई।

(2) क्रियात्मकता की दृष्टि से पाठ्यक्रम कहाँ तक उपयुक्त है ? क्या उसमें कुछ उपयोगी अंशों का समावेश आवश्यक है अथवा उसमें कुछ अनुपयुक्त अंशों को हटाने की आवश्यकता है ।

(3) नवीन विषय के आ जाने से विद्यालय के परीक्षाफल पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

(4) क्या एक ही अध्यापक विज्ञान-1 के दोनों प्रश्न-पत्रों के पाठ्यक्रम का शिक्षण समान रूप से दक्षतापूर्वक कर सकता है ? यदि नहीं, तो समस्या के निराकरण सम्बन्धी सुझाव क्या हैं ?

परिकल्पना

(1) इस अध्ययन के आधार पर प्रधानाचार्य एवं विज्ञान-1 तथा विज्ञान-2 के शिक्षण कार्य कर रहे अध्यापकों के सुझावों से विषय की अनिवार्यता एवं उपयुक्तता की सही जानकारी की जायेगी जिससे विज्ञान-1 के पाठ्यक्रम में उपयुक्त संशोधन हेतु सुझाव प्रस्तुत किये जा सकेंगे ।

(2) विज्ञान-1 के शिक्षण के लिए उपयुक्त अध्यापक, प्रयोगशाला, उपकरण/सामग्री एवं साज-सज्जा की आपूर्ति करके छात्रों को लाभान्वित किया जायगा ।

(3) विद्यालय का परीक्षाफल, विज्ञान-1 का पाठ्यक्रम, छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि के अनुसार कहाँ तक उपयुक्त, समीचीन एवं सामयिक है, का पता लगाने में सहायक होगा ।

परिसीमन

(1) **प्रतिदर्श परिसीमन**—इस अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश के तीन मण्डलों (झाँसी, गोरखपुर तथा गढ़वाल) तथा प्रत्येक मण्डल के तीन-तीन जनपदों और प्रत्येक जनपद के छः या सात विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं विज्ञान–1 अथवा विज्ञान–1 तथा विज्ञान–2 के शिक्षण कर रहे 60 अध्यापकों को पृच्छा-प्रपत्र प्रेषित किए गए । (सूची संलग्न)

अवधि—जून, 90 से जनवरी, 91 तक ।

कार्य विधि

(1) **विद्यालयों (प्रतिदर्श) का चयन**

विद्यालयों के चयन में पहाड़ी/मैदानी तथा बालक/बालिका विद्यालयों को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश के 3 मण्डलों में से 60 विद्यालयों को चयनित किया गया ।

(2) **उपकरण**

इस शोध अध्ययन के लिए दो पृच्छा-प्रपत्रों को उपकरण के रूप में उपयोग किया गया। पृच्छा-प्रपत्र 'अ' विद्यालय के प्रधानाचार्य से तथा दूसरा विज्ञान-1 अथवा विज्ञान-1 एवं विज्ञान-2 पढ़ाने वाले अध्यापकों द्वारा पूर्ण कराया गया। पृच्छा-प्रपत्रों के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों से आवश्यक उद्देश्यों की पूर्ति की गई।

(3) **पृच्छा-प्रपत्र का सारांश**

(1) विज्ञान-1 की अनिवार्यता के फलस्वरूप अतिरिक्त अध्यापक, प्रयोगशाला, उपकरण/सामग्री तथा साज-सज्जा आदि की स्थिति।

(2) नवीन विषय के आ जाने से विद्यालय के परीक्षाफल पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

(3) क्रियात्मकता की दृष्टि से पाठ्यक्रम कहाँ तक उपयुक्त है, क्या उसमें कुछ उपयोगी अंशों का समावेश आवश्यक है अथवा उसमें कुछ अनुपयुक्त अंशों को हटाने की आवश्यकता हैं ?

(4) क्या एक ही अध्यापक विज्ञान-1 के दोनों प्रश्न-पत्रों के पाठ्यक्रम का शिक्षण समान रूप से दक्षतापूर्वक कर सकता है ? यदि नहीं, तो समस्या के निराकरण सम्बन्धी सुझाव क्या हैं ?

प्रदत्त संग्रह

पृच्छा-प्रपत्रों के माध्यम से प्रदत्त संकलित हुए जिसका सारांश तालिका-1 में संलग्न है।

पृच्छा-प्रपत्रों का विवरण निम्नवत है :—

प्रधानाचार्यों के पृच्छा-प्रपत्र (परिशिष्ट-1) — — 34

विज्ञान-1 अथवा विज्ञान-1 और विज्ञान-2 पढ़ाने वाले अध्यापकों द्वारा भरा जाने वाला पृच्छा-प्रपत्र (परिशिष्ट-2) — — 34

कुल 34 प्रधानाचार्यों एवं विज्ञान अध्यापकों (विज्ञान-1 एवं विज्ञान-2) द्वारा पृच्छा-प्रपत्र भरकर प्राप्त हुए।

प्रदत्त विश्लेषण

विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा भरा हुआ पृच्छा-प्रपत्र 'अ' के आधार पर—

(1) **विज्ञान-1 की अनिवार्यता से छूट की स्थिति**

60 चुने हुए विद्यालयों में से 34 विद्यालयों से पृच्छा-प्रपत्र भरकर प्राप्त हुए, जिनमें मात्र दो विद्यालय विज्ञान-1 की अनिवार्यता से छूट की स्थिति में थे तथा शेष 32 विद्यालयों में प्रारम्भ से ही विज्ञान-1 अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा।

(2) **छूट वाले विद्यालय में छूट की सीमा समाप्ति पश्चात् अध्यापक, प्रयोगशाला, उपकरण/सामग्री तथा साज-सज्जा की व्यवस्था**

(1) छूट वाले विद्यालय में छूट की सीमा समाप्ति के पश्चात् एक विद्यालय में विज्ञान

अध्यापक की तदर्थ नियुक्ति की गई तथा दूसरे में जीवविज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापक द्वारा ही कार्य किया जा रहा है। अध्यापक की शैक्षिक योग्यता ठीक है।

(2) एक विद्यालय में प्रयोगशाला नहीं है तथा दूसरे में विज्ञान-2 की प्रयोगशाला में ही प्रयोग कराये जाते हैं। इनमें उपकरण/सामग्री अपर्याप्त है, साथ ही साथ साज-सज्जा का अभाव है।

(3) **इन विद्यालयों का परीक्षाफल**

एक विद्यालय का परीक्षाफल विगत 3 वर्षों का 75 प्रतिशत, 27 प्रतिशत तथा 38 प्रतिशत तथा दूसरा विद्यालय 1989 तथा 1990 दो वर्ष की छूट की स्थिति में था।

(4) **विज्ञान-1 के दोनों प्रश्न-पत्रों को एक ही अध्यापक द्वारा पढ़ाने की क्षमता—**

दोनों प्रश्न-पत्र को एक ही अध्यापक द्वारा पढ़ाने में असमर्थता व्यक्त की है।

(5) **अध्यापक द्वारा पुनर्बोधात्मक या अन्य प्रकार के प्रशिक्षण में सम्मिलित होना —**

एक विद्यालय के अध्यापक ने प्रशिक्षण में भाग लिया है तथा दूसरे विद्यालय के अध्यापक ने प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया है।

अन्य प्रकार के विद्यालयों का विश्लेषण जो विज्ञान-1 की अनिवार्यता की छूट की सीमा के अन्तर्गत नहीं थे –

(i) **इस प्रकार के विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापक, प्रयोगशाला, उपकरण/सामग्री तथा साज-सज्जा की व्यवस्था**

(1) इस प्रकार के 60 प्रतिशत विद्यालयों में विज्ञान-2 के अध्यापकों द्वारा विज्ञान-1 का शिक्षण होता है। शेष 40 प्रतिशत विद्यालयों में अध्यापक की व्यवस्था ठीक नहीं है या वैकल्पिक व्यवस्था है। सामान्यतया इन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता उपयुक्त है।

(2) 70 प्रतिशत विद्यालयों में विज्ञान-1 की प्रयोगशाला की अलग से व्यवस्था नहीं है। उनमें या तो विज्ञान-2 की प्रयोगशाला में ही प्रयोग होता है या अव्यवस्थित कक्ष में ही प्रयोग होता है।

(3) ऐसे 50 प्रतिशत विद्यालयों में उपकरण/सामग्री पर्याप्त है तथा शेष 50 प्रतिशत में अपर्याप्त है। 70 प्रतिशत विद्यालयों में साज-सज्जा का अभाव है। केवल 30 प्रतिशत में उपयुक्त साज-सज्जा है।

(ii) **इन विद्यालयों का विगत 3 वर्षों का परीक्षाफल**

(1) 70 प्रतिशत विद्यालयों का परीक्षाफल 75 प्रतिशत से ऊँचा है तथा शेष 30 प्रतिशत विद्यालयों का परीक्षाफल किन्हीं वर्षों का अच्छा नहीं रहा।

(2) **विज्ञान-1 के दोनों प्रश्न-पत्रों को एक ही अध्यापक द्वारा पढ़ाने की क्षमता** — ऐसे 60 प्रतिशत विद्यालयों में विज्ञान-2 के अध्यापकों द्वारा ही विज्ञान-1 के दोनों प्रश्न-पत्र अलग-अलग अध्यापकों द्वारा पढ़ाया जा रहा है। कम ही अध्यापक दोनों प्रश्न-पत्र को पढ़ाने में समर्थ हैं। अधिकतर अध्यापक समर्थ नहीं हैं।

50 प्रतिशत अध्यापक पुनर्बोधात्मक या अन्य प्रकार के प्रशिक्षण में भाग लिये हैं तथा 50 प्रतिशत अध्यापक प्रशिक्षित नहीं हैं।

(iii) **विज्ञान-1 के पाठ्यक्रम का स्वरूप**

(1) विज्ञान-1 का पाठ्यक्रम पर्याप्त एवं रोचक है। केवल 20 प्रतिशत अध्यापकों ने पाठ्यक्रम को रोचक परन्तु अधिक बताया है।

(2) इसके पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिए 60 प्रतिशत अध्यापकों ने परिवर्तन की आवश्यकता नहीं बताई है, केवल 40 प्रतिशत अध्यापकों द्वारा परिवर्तन का सुझाव दिया गया है जिनमें अनुवांशिकता के कुछ अंश, प्रकाश के कुछ अंश को हटाने तथा मेढक के अध्ययन में कुछ अंश और जोड़ा जाय।

(iv) **विज्ञान-1 के शिक्षण में उत्पन्न समस्यायें तथा निराकरण की पहल**

(1) विज्ञान-1 के शिक्षण में छात्रों की बढ़ती संख्या, प्रयोगशाला, उपकरण/सामग्री तथा साज-सज्जा की उपयुक्त व्यवस्था न होने से शिक्षण में बाधा उत्पन्न होती है। मात्र 20 प्रतिशत विद्यालयों में ऐसी समस्याएँ नहीं हैं।

(2) नवीन विषय के आ जाने से परीक्षाफल पर बहुत अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(3) उपयुक्त अध्यापक या प्रशिक्षित अध्यापक की कमी भी बाधक हैं।

(4) अध्यापकों के पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

(5) औद्योगिक रसायन की क्रियात्मक प्रशिक्षण आवश्यक बताया गया है।

(6) 60 प्रतिशत अध्यापकों की राय में विज्ञान-1 तथा विज्ञान-2 अलग-अलग विषय के रूप में रखा जाय, केवल 20 प्रतिशत की राय में विज्ञान-1 तथा विज्ञान-2 अलग-अलग न हो।

(7) लगभग सभी ने प्रयोगशाला की स्थिति या तो दयनीय या अपर्याप्त बताया हैं।

(8) सभी अध्यापकों द्वारा यह पुष्टि हुई है कि पाठ्यक्रम के सभी प्रयोग प्रयोगशाला

के अभाव में कम ही कराये जाते हैं। अतः विज्ञान-1 हेतु पृथक् प्रयोगशाला का होना आवश्यक है।

(9) छात्र प्रयोगात्मक कार्य में रुचि लेते हैं।

निष्कर्ष

उपरोक्त विश्लेषण द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गये :—

(1) 80 प्रतिशत विद्यालयों में विज्ञान-1 पढ़ाने के लिए अलग अध्यापक की व्यवस्था नहीं है। अधिकांश विद्यालयों में विज्ञान-2 के अध्यापक द्वारा अतिरिक्त भार देकर पढ़ाया जाता है। अतः 50 प्रतिशत विद्यालयों में विज्ञान-1 के दोनों प्रश्न-पत्र को पढ़ाने के लिए अलग-अलग उपयुक्त अध्यापक की व्यवस्था की समस्या है।

(2) 70 प्रतिशत विद्यालयों में विज्ञान-1 की अलग प्रयोगशाला न होने के कारण अध्यापकों को छात्रों के प्रयोगात्मक कार्य को सुचारु रूप से कराने में कठिनाई का अनुभव होता है। साथ ही साथ 50 प्रतिशत विद्यालयों में उपकरण/सामग्री की कमी तथा 70 प्रतिशत में साज-सज्जा के अभाव के कारण भी प्रयोगात्मक कार्य कराने में पर्याप्त कठिनाई होती है।

(3) विज्ञान-1 के पाठ्यक्रम की व्यापकता के फलस्वरूप दोनों प्रश्न-पत्र के लिए अलग-अलग उपयुक्त अध्यापक की व्यवस्था में भी कठिनाई आ रही है।

(4) 90 प्रतिशत अध्यापकों द्वारा पाठ्यक्रम को पर्याप्त एवं रोचक बताते हुए इसमें परिवर्तन का सुझाव नहीं दिया गया है साथ ही साथ विज्ञान-1 तथा विज्ञान-2 को अलग-अलग विषय के रूप में रखने की संस्तुति दी है।

(5) उपरोक्त समस्याओं में उलझकर न तो अध्यापक छात्रों के साथ न्याय कर पाता है न अच्छा परीक्षाफल दे पाता है।

(6) अधिकांश अध्यापक विज्ञान-1 के दोनों प्रश्न-पत्र पढ़ाने में असमर्थ हैं।

(7) नवीन विषय के आ जाने से परीक्षाफल पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

सुझाव

(1) विज्ञान-1 की अनिवार्यता से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिए इसके पाठ्यक्रम के अनुसार दोनों प्रश्न-पत्रों को दो अलग-अलग उपयुक्त अध्यापक, जो जीवविज्ञान या भौतिकी तथा रसायन विज्ञान के अध्यापक हों, से पढ़वाया जाना चाहिए।

(2) इन अध्यापकों का विषय से सम्बन्धित पुनर्बोधात्मक या अन्य उपयोगी प्रशिक्षण

करवाना चाहिए। इनको औद्योगिक रसायन का क्रियात्मक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।

(3) विज्ञान-1 की प्रयोगशाला की समुचित व्यवस्था हो। छात्रों की बढ़ी हुई संख्या के अनुसार प्रयोगशाला का आकार तथा उनमें उपयुक्त साज-सज्जा की व्यवस्था होनी चाहिए।

(4) प्रयोगशाला उपकरण/सामग्री की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। उन्हें समय-समय पर पूर्ति के लिए अनुदान दिया जाना चाहिए।

(5) प्रयोगात्मक कार्य के लिए उपयुक्त समय दिया जाना सम्भव न हो सके तो अतिरिक्त समय देकर निर्धारित सभी प्रयोगों को समय से पूरा किया जाना चाहिए।

(6) छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए तथा परीक्षाफल उत्तम बनाने के लिए छात्रों के मानसिक स्तर तथा रुझान को ध्यान में रखकर सैद्धान्तिक ज्ञान देते समय भी प्रयोग-प्रदर्शन अवश्य कराया जाय। आधारभूत सम्बोधों पर बल देते हुए कक्षा में मौखिक प्रश्नों का समावेश भी अवश्य किया जाना चाहिए। उत्तम परीक्षाफल के लिए छात्रों की मासिक या त्रैमासिक परीक्षा भी ली जानी चाहिए।

15

विज्ञान क्लबों के क्रिया-कलापों का सर्वेक्षण तथा उनका योगदान

पृष्ठभूमि

विज्ञान की त्वरित प्रगति से हमारे समस्त क्रिया-कलापों को प्रभावित किया है। फलतः हमारे छात्र/छात्राओं को, जो भावी वैज्ञानिक भी होंगे, उनकी अन्तर्निहित वैज्ञानिक प्रतिभा को विकसित करने के लिए यथेष्ठ अवसर प्रदान किए जाय जिससे कि उनमें स्वयं करके सीखने तथा प्रेक्षण क्षमता का विकास हो। विज्ञान के सिद्धान्तों और क्रिया पक्ष को ठोस आधार प्रदान करने एवं वैज्ञानिक सिद्धान्तों का उपयोग नवीन खोजों के करने का अवसर प्राप्त हो। छात्र-छात्राओं में रचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न हो एवं उनमें स्वस्थ प्रतियोगी भावना का विकास हो। प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित विज्ञान क्लब ऐसे माध्यम हैं जहाँ पर योग्य अध्यापकों के मार्गदर्शन में छात्र-छात्राओं को अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा के विकास का सुअवसर प्रदान किया गया है।

इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो जाता है कि वर्तमान समय में प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित विज्ञान क्लबों के क्रिया-कलापों की जानकारी हेतु उनका सर्वेक्षण किया जाय और देखा जाय कि क्लब उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक कर रहे हैं।

सर्वेक्षण के उद्देश्य

(1) विज्ञान क्लबों में छात्र/छात्राओं के रचनात्मक कार्यों का सर्वेक्षण करना।

(2) छात्र/छात्राओं के वैज्ञानिक ज्ञान की वृद्धि करने हेतु विज्ञान क्लबों की ओर से किए गए उपायों की जानकारी प्राप्त करना।

(3) क्लबों के कार्य को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

परिकल्पना

विज्ञान क्लबों में ठीक प्रकार से कार्य नहीं हो रहा है।

परिसीमन

प्रदेश के 13 मण्डलों के रा० इ० कालेज (बालक) 35, रा० बा० इ० का० 8 तथा प्राइवेट इ० कालेज 7, कुल 50 विद्यालयों के विज्ञान क्लबों में से विभिन्न मण्डलों के 18 विज्ञान क्लबों के सर्वेक्षण तक ही इसे सीमित रखा गया है।

अवधि

अप्रैल 1990 से 31 दिसम्बर 1990 तक।

क्रिया विधि

(क) प्रतिदर्श चयन—विभिन्न मण्डलों में 18 इण्टर कालेज, जिनके विज्ञान क्लबों का सर्वेक्षण किया गया। परिशिष्ट-1

(ख) उपकरण—प्रधानाचार्यों को प्रेषित किए गए पृच्छा-प्रपत्र। परिशिष्ट-2

(ग) प्रदत्त संग्रह—प्रदेश के 50 इण्टर कालेज के प्रधानाचार्यों को उनके विद्यालय में स्थापित विज्ञान क्लबों के क्रिया-कलापों की जानकारी हेतु पृच्छा-प्रपत्र प्रेषित किए गए। 33 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने पृच्छा-प्रपत्र भरकर संस्थान को लौटाया। इन 33 विद्यालयों में से विभिन्न मंडलों के 18 विद्यालयों के विज्ञान क्लबों का सर्वेक्षण राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, उ० प्र०, इलाहाबाद द्वारा कराया गया।

प्रदत्त विश्लेषण

प्रधानाचार्यों से प्राप्त पृच्छा-प्रपत्रों की प्रश्नावलियों के उत्तरों से विज्ञान क्लब के कार्यों की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य प्राप्त हुए—

(1) विज्ञान क्लबों की स्थापना

तालिका—1

	स्थापित हैं	नहीं हैं	योग
विद्यालयों की संख्या	16	2	18

89 प्रतिशत विद्यालयों में विज्ञान क्लब स्थापित हैं। 11 प्रतिशत में स्थापित नहीं हैं।

(2) सत्र 90-91 में विज्ञान क्लब समिति का गठन

तालिका—2

विद्यालयों की संख्या		
हाँ	नहीं	योग
12	6	18

केवल 66 प्रतिशत विद्यालयों में विज्ञान क्लब समिति का गठन हुआ है।

(3) विज्ञान क्लब प्रभारी की नियुक्ति तथा क्लब संचालन का अनुभव

तालिका--3

	नियुक्त हैं	नियुक्त नहीं	योग	क्लब संचालन का अनुभव			
				शून्य वर्ष	1-10 वर्ष	11-20 वर्ष	20-30 वर्ष
विद्यालयों की संख्या	16	2	18	4	8	5	1

89 प्रतिशत विद्यालयों में क्लब प्रभारी नियुक्त हैं। 22 प्रतिशत विद्यालयों के प्रभारियों का क्लब संचालन अनुभवशून्य हैं।

(4) विज्ञान क्लब कक्ष की व्यवस्था

तालिका—4

	उपयुक्त कक्ष है	कक्ष नहीं है	योग	क्लब कार्यों के लिए विज्ञान प्रयोगशालाओं का उपयोग
विद्यालय की संख्या	5	13	18	6

28 प्रतिशत विद्यालयों में उपयुक्त विज्ञान क्लब कक्ष हैं। 72 प्रतिशत में नहीं हैं। 33 प्रतिशत विद्यालयों में क्लब सम्बन्धी कार्य विज्ञान प्रयोगशालाओं में कराये जाते हैं।

(5) विज्ञान क्लब शुल्क की वसूली तथा धनराशि, धनराशि का रख-रखाव

तालिका—5

	हाँ	नहीं	योग	धनराशि 1 रु० से 2रु० तक	रख-रखाव की व्यवस्था
विद्यालयों की संख्या	9	9	18	9	9 विद्यालयों में पोस्ट आफिस में एकाउन्ट खोलकर

50 प्रतिशत विद्यालयों में विज्ञान क्लब शुल्क वसूल किया जाता है।

(6) धन का उपयोग

तालिका – 6

विद्यालयों की संख्या	कार्य
9	विज्ञान प्रदर्शनी के लिए मॉडल, चार्ट बनाने, पत्रिकाओं के क्रय करने, वैज्ञानिक भ्रमण में जाने तथा विशेष वार्ताओं के आयोजन में।

(7) माडल, चार्ट आदि का निर्माण तथा जिन्हें मण्डलीय/राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के लिए चयन किया गया

तालिका—7

वर्ष	विद्यालयों की संख्या	संकलन	मॉडल	चार्ट	विद्यालयों की प्रतिभागिता
88-89	8	6	22	10	44%
89-90	6	3	9	1	33%
90-91	4	—	6	2	22%

विद्यालयों की प्रतिभागिता शनैः-शनैः गिर रही है।

(8) विज्ञान पत्रिकाएँ मंगाने की व्यवस्था

तालिका— 8

	हाँ	नहीं	योग
विद्यालयों की संख्या	5	13	18

छात्र/छात्राओं के ज्ञानार्जन हेतु 28 प्रतिशत विद्यालयों के विज्ञान क्लबों में विज्ञान पत्रिकाएँ जैसे विज्ञान प्रगति, साइंस क्वीज, आविष्कार, साइंस रिपोर्टर, साइंस टुडे मँगाई जाती है।

(9) वैज्ञानिक भ्रमण की व्यवस्था

तालिका—9

	हाँ	नहीं	योग
विद्यालयों की संख्या	2	16	18

केवल 11 प्रतिशत विद्यालयों के विज्ञान क्लबों की ओर से आस-पास के क्षेत्र में वैज्ञानिक भ्रमण द्वारा नवीन जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया है।

(10) **विज्ञान क्लब की बैठकें**

(1) 7 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर प्रत्येक माह में एक बार विज्ञान क्लब समिति की बैठक आयोजित की जाती है।

(2) 5 विद्यालयों में माह में दो बार बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(3) 4 विद्यालयों में वर्ष में 2 से 5 तथा 2 विद्यालयों में कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

(11) **विज्ञान क्लब की क्रिया-कलापों के लिए टाइम-टेबुल में वादन रखने की व्यवस्था**

(1) 12 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर विज्ञान क्लब सम्बन्धी कार्य खाली घन्टों में या विद्यालय शिक्षण अवधि के पश्चात् या अवकाश के दिनों में कराये जाते हैं।

(2) 6 विद्यालयों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

(3) 18 में से किसी विद्यालय में टाइम टेबुल में नियमित रूप से क्लब सम्बन्धी कार्य कराने के लिए वादन आवंटित नहीं है।

(12) **विज्ञान टूल्स किट का उपयोग**

तालिका—10

	हाँ	नहीं	योग
विद्यालयों की संख्या	12	6	18

66 प्रतिशत विद्यालयों में विज्ञान टूल्स किट का उपयोग प्रदर्शों के निर्माण में किया जाता है।

निष्कर्ष

18 विद्यालयों के विज्ञान क्लबों के सर्वेक्षण के पश्चात् निम्नलिखित बिन्दु उभरकर सामने आये—

(1) 89 प्रतिशत विद्यालयों में विज्ञान क्लब स्थापित हैं।

(2) (i) 28 प्रतिशत विद्यालयों में क्लब के क्रिया-कलापों के संचालन हेतु उपयुक्त कक्ष की व्यवस्था है।

(ii) 32 प्रतिशत विद्यालयों में विज्ञान क्लब कार्यों का आयोजन विज्ञान प्रयोगशालाओं में कराया जाता है।

(iii) 40 प्रतिशत विद्यालयों में कक्षों की कोई व्यवस्था नहीं है।

(3) वर्तमान सत्र (90-91) में 66 प्रतिशत विद्यालयों में विज्ञान क्लब समिति का गठन हुआ है।

(4) 50 प्रतिशत विद्यालयों में विज्ञान क्लब शुल्क छात्र/छात्राओं से लिया जाता है।

(5) 28 प्रतिशत विद्यालयों में विज्ञान क्लबों में विज्ञान पत्रिकाएँ मँगाई जाती हैं। यह प्रतिशत कम है।

(6) केवल 11 प्रतिशत विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के वैज्ञानिक भ्रमण की व्यवस्था की गई। यह प्रतिशत बहुत कम हैं।

(7) जनपद, मण्डल तथा राज्य-स्तर पर प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली विज्ञान प्रदर्शनियों में विज्ञान क्लबों में छात्रों द्वारा बनाई गई विज्ञान सामग्री की प्रतिभागिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि विगत तीन सत्रों में 61 प्रतिशत ऐसे विद्यालय हैं जिनके छात्रों द्वारा तैयार किये गये मॉडल, चार्ट आदि मण्डल अथवा राज्य-स्तर पर आयोजित प्रदर्शनी के लिए चयन किये गये और छात्र/छात्राओं को प्रथम/द्वितीय/तृतीय श्रेणी के पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। राजकीय बालिका इ० का० पीलीभीत, रा० इ० का० फतेहपुर, राजकीय क्वींस इ० का० वाराणसी, राजकीय जुबली इ० का० लखनऊ, गोरखपुर, रा० इ० का० गोंडा, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, रा० इ० का० मनेरी (उत्तरकाशी), रा० धनानन्द इ० का० मंसूरी के नाम उल्लेखनीय हैं।

सारांश यह है कि जिन 18 क्लबों के कार्यों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से ज्यादातर क्लब सक्रिय नहीं हैं।

सुझाव

(1) विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिवर्ष माह अगस्त के प्रथम सप्ताह में विज्ञान क्लब समिति का गठन करा लिया जाय।

(2) विज्ञान क्लब के कार्यों को सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु क्लब के सदस्यों (कक्षा 9 से 12 तक के छात्र/छात्रायें) से एक निश्चित दर से विज्ञान क्लब शुल्क वसूल करने की व्यवस्था हो। यह शुल्क वर्ष में केवल एक बार वसूल किया जाय।

(3) क्लब की बैठक प्रत्येक माह में एक बार अवश्य आयोजित की जाय। अच्छा होगा कि यह बैठक माह के अन्तिम तिथि को आखिरी चार वादनों में आयोजित की जाय।

(4) विज्ञान क्लब प्रभारी को अन्य शिक्षणेत्तर कार्यों से यथासम्भव मुक्त रखा जायें।

(5) विज्ञान क्लब द्वारा आयोजित भाषण, लेखन, मॉडल तथा चार्ट बनाने आदि की प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को क्लब में जमा धनराशि से पुरस्कृत किया जाय। इसके अतिरिक्त उत्तम कोटि की कृतियों हेतु प्रतिभागियों को प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिये जायें।

(6) विज्ञान क्लबों में छात्र/छात्राओं द्वारा तैयार की गई सामग्री को रखने, भारत तथा विश्व के वैज्ञानिकों के चित्र एवं चार्टों को दीवारों पर लगाने आदि कार्यों के लिए एक उपयुक्त कक्ष की व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय में अवश्य हो।

(7) विज्ञान क्लबों में वैज्ञानिक पत्रिकायें मँगाई जायें।

(8) विज्ञान टूल्स किट मँगाये जायें जिनका उपयोग प्रदर्शों के निर्माण में किया जाय।

(9) समीपवर्ती क्षेत्र में छात्र/छात्राओं को वर्ष में कम से कम एक बार वैज्ञानिक भ्रमण का अवसर प्रदान किया जाय।

(10) पर्यावरण से वस्तुओं के संग्रह के लिए छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहित किया जाय।

———

16

प्राथमिक विद्यालयों में नवीन प्राथमिक विज्ञान किट प्रयोग सम्बन्धी अनुगमन कार्यक्रम (50 प्राथमिक विद्यालय)

पृष्ठभूमि

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को विज्ञान तथा गणित विषय नियमित रूप से पढ़ाया जाता है। इन दोनों विषयों का ज्ञान तीव्रगति से आगे बढ़ रहा है। विज्ञान के नवीन विचारधारा को जानने के लिए उसी गति से हमारे शिक्षक को आगे बढ़ना होगा। बच्चों में भी नवीन विचारधारा की नींव डालने, उसके सोचने, समझने की शक्ति को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि अध्ययन-अध्यापन के ढाँचे में परिवर्तन लाना आवश्यक है। विज्ञान के क्रियात्मक पक्ष को ठोस आधार प्रदान करने के लिए नवीन प्राथमिक विज्ञान किट का निर्माण, किट निर्माणशाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में किया गया। इस किट की सहायता से प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान का अध्यापन सरल ढंग से क्रिया जा सकता है। प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण के लिए पृथक् विज्ञान कक्ष का न होना, विभिन्न उपकरणों की कमी के कारण विज्ञान शिक्षण में क्रियात्मक पक्ष पर अधिक बल नहीं दिया जाता था। कक्षा में शिक्षक बच्चों को केवल चित्र आदि की सहायता से या केवल पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर ही विज्ञान पढ़ाते हैं। बच्चों को विज्ञान के उपकरणों को देखने, सीखने तथा दैनिक जीवन में उसके उपयोग के विषय में जानने से वंचित रह जाते हैं। इन सभी कमियों को नवीन प्राथमिक विज्ञान किट की सहायता से पूरा किया जा सकता है। विज्ञान के सामान्य सिद्धान्तों का ज्ञान शिक्षक विज्ञान किट के उपकरणों द्वारा समझा सकते हैं।

विज्ञान किट की विशेषता

इस किट को एक छोटे से मेज पर रख कर कक्षा में बच्चों को किट के उपकरण दिखायें

जा सकते हैं। एक उपकरण के द्वारा कई प्रयोग प्रदर्शित किये जा सकते हैं। पढ़ाये गये पाठ के सारांश को लिखने की सुविधा भी किट में प्रदान किया गया है। उपकरण बहुत मजबूत बनाये गये हैं। किट के साथ 'किट मैनुअल' दिया गया है जिससे शिक्षक को उपकरण को समझाने तथा उसके द्वारा प्रयोग दिखाने में सुविधा होती है।

प्रदेश के 227 प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को नवीन प्राथमिक विज्ञान किट में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा विद्यालयों को यह किट उपलब्ध कराया गया है। यह आशा की जाती है कि अध्यापक विज्ञान का पाठ पढ़ाते समय किट का भरपूर उपयोग करें। 5 जनपदों (इलाहाबाद, वाराणसी, फतेहपुर, फैजाबाद तथा लखनऊ) के अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया है तथा इन्हीं 5 जनपदों में किट भी उपलब्ध कराया गया है।

उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नवत् हैं—

(1) सर्वेक्षण कार्यक्रम द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में नवीन प्राथमिक विज्ञान किटों का उपयोग/अनुपयोग का पता लगाना।

(2) अध्यापकों की शिक्षण से सम्बन्धित समस्याओं का पता लगाना तथा सुधार हेतु सुझाव देना।

परिसीमन

प्रस्तुत अध्ययन में 4 जनपदों (लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, फतेहपुर) के 46 विद्यालयों के विज्ञान अध्यापकों द्वारा विज्ञान किट प्रयोग का सर्वेक्षण किया गया, फतेहपुर जनपद के 17 विद्यालय, इलाहाबाद के 10 विद्यालय, लखनऊ के 10 तथा वाराणसी के 9 विद्यालय असामान्य परिस्थितियों के कारण कुछ विद्यालय बन्द थे इस कारण सर्वेक्षण सम्भव न हो सका।

विवरण निम्न प्रकार है—

(1) जनपद-फतेहपुर

विद्यालय का नाम	प्रभारी विज्ञान अध्यापक
(1) प्राइमरी पाठशाला-उसरेना-हसवा	श्री राम दुलारे
(2) प्रा० पाठ० रारामंगतपुर (वि०क्षे० भिटौरा)	,, राम शरण मौर्य
(3) ,, ,, मड़ारथी (प्रथम पाली)	,, कृष्ण गोपाल द्विवेदी
(4) ,, ,, कांची (वि० क्षे० तैलियानी)	,, मथुरा प्रसाद श्रीवास्तव
(5) ,, ,, अलादातपुर (,, ,,)	,, राम किशोर
(6) ,, ,, रमवां	,, रामनाथ मौर्य
(7) ,, ,, हंसवा	,, होरी लाल मौर्य

(8)	जूनियर बेसिक विद्यालय, पनी (नगर क्षेत्र)	श्रीमती गंगारानी
(9)	,, ,, ,, पीरनपुर	श्री गंगा ठाकुर
(10)	,, ,, ,, चौक	श्रीमती शान्ती चौहान
(11)	प्राइमरी पाठशाला पनी, (बालिका)	,, कमला त्रिपाठी
(12)	जूनियर बे० विद्यालय, पुलिस लाइन	उषा धवन, रमा कुमारी श्रीवास्तव, जगदीश प्रसाद निगम
(13)	प्राइमरी पाठशाला—आबूनगर	श्री राम किशोर गुप्त
(14)	,, ,, —मुराइन टोला	,, सैयद जमाल अजीज
(15)	,, ,, —रामगंज (पक्का तालाब)	शशी देवी
(16)	,, ,, कटरा अब्दुल गनी	—रामपती
(17)	,, ,, महाजरी	—भगवती दीक्षित

(2) जनपद-वाराणसी

विद्यालय का नाम	प्रभारी विज्ञान अध्यापक
(1) बेसिक प्राइमरी पाठशाला-हटिया, वाराणसी	—श्री सीता राम
(2) ,, ,, , गनेशपुर	—,, हरि शंकर चौबे
(3) ,, ,, , सलारपुर	—,, प्यारे लाल
(4) ,, ,, , केराकतपुर (लोहता)	— लीलावती उपाध्याय
(5) ,, ,, , बन्देपुर	—श्री छोटई राम
(6) ,, ,, , भूलनपुर	—मीराकुमारी श्रीवास्तव
(7) ,, ,, , सारनाथ	—श्री मेवालाल
(8) ,, ,, , खालिसपुर	—श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव
(9) ,, ,, , लोहता	—श्री रामानन्द सिंह

(3) जनपद-लखनऊ

विद्यालय का नाम	प्रभारी विज्ञान अध्यापक
(1) जूनियर बेसिक विद्यालय, काकोरी, लखनऊ	—श्री बलवन्त सिंह
(2) ,, ,, , बड़ागाँव (ब्लाक-काकोरी)	—डाल चन्द्र विश्वकर्मा
(3) ,, ,, , कठिगरा	,, माता प्रसाद
(4) ,, ,, , छावनी मडियाँव (चिनहट)	,, चन्द्र प्रकाश मिश्र

(5)	जूनियर बेसिक विद्यालय, अहिरनपुरवा, चिनहट	श्री सुशील चन्द्र शुक्ल (स्थानान्तरित)
(6)	,, ,, , मुतक्कीपुर (चिनहट)	,, उमेश कुमार बाजपेई
(7)	,, ,, , बबुरिहा (चिनहट)	,, मैकूलाल पाल
(8)	,, ,, , सैमरा	,, मान्ना प्रसाद सिंह
(9)	,, ,, , सलारगंज	—प्रशिक्षित अध्यापक का स्थानान्तरण (कोई प्रशिक्षित अध्यापक नहीं है)
(10)	,, ,, , तखवा (चिनहट)	—श्री सुरेन्द्र सिंह

(4) **जनपद-इलाहाबाद**

विद्यालय का नाम	प्रभारी विज्ञान अध्यापक
(1) प्राइमरी पाठशाला —पीपलगाँव (प्रथम)	—मंजूबाला मानव
(2) जू० बे० विद्यालय —जंघई (प्रतापपुर)	—श्री संकठा प्रसाद यादव
(3) प्रौ० पाठशाला —बैजनाथगंज ,,	—,, अशोक कुमार
(4) ,, ,, मंझनपुर	—,, दुर्गाप्रसाद शुक्ल
(5) रा० आदर्श विद्यालय, मंझनपुर	—,, फूलचन्द्र
(6) प्रा० पाठशाला , समदा (मंझनपुर)	—,, गंगा प्रसाद सिंह
(7) ,, ,, , हंडिया (प्रथम)	,, मुन्नी लाल
(8) ,, ,, , होलागढ़	—,, श्री शिव विशाल त्रिपाठी
(9) ,, ,, , सिराथू (प्रथम)	—,, छोटेलाल मिश्र
(10) ,, ,, , हिनौता (सरसवाँ)	—,, रामदीन

अध्ययन विधि

(क) एक पृच्छा-प्रपत्र तैयार किया गया जिसमें 22 प्रश्नों का समावेश है। इस पृच्छा-प्रपत्र को विद्यालय भेजकर विज्ञान अध्यापक से भरवाया गया। प्रश्नों के उत्तर के विश्लेषण से अध्यापक की कार्यकुशलता तथा उनकी कठिनाइयों का पता लगाया गया। पृच्छा प्रपत्र की एक प्रति संलग्न है।

(ख) प्रदत्त संग्रह—उपर्युक्त विद्यालयों में जाकर अध्यापकों से साक्षात्कार किया गया तथा विज्ञान किट के उपयोग के विषय में जानकारी प्राप्त की गई। उनको कक्षा में विज्ञान किट की सहायता से पाठ भी पढ़वाया गया। बच्चों के सहयोग से विज्ञान के प्रयोग दिलाकर पाठ्यांश को स्पष्ट करवाया गया। बच्चों से साक्षात्कार किया गया, प्रश्न पूछा गया जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बच्चे किट के उपकरण के विषय में कितना जानते हैं। कक्षा में किट का उपयोग किस सीमा तक अध्यापक ने किया है यह भी स्पष्ट हुआ।

प्रदत्त विश्लेषण तथा आख्या

तालिका 1—नवीन प्राथमिक किट में प्रशिक्षित अध्यापकों का विवरण—

जनपद	विद्यालय संख्या	प्रशिक्षित हैं	नहीं हैं
1—फतेहपुर	17	17	—
2—वाराणसी	9	9	—
3—लखनऊ	10	7	3
4—इलाहाबाद	10	10	—
	योग	43	3
	कुल — 46 प्रतिशत	प्रशिक्षित 93%	
		अप्रशिक्षित 7%	

उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि 93% अध्यापक किट सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

तालिका 2—विद्यालय में प्राथमिक किट की उपलब्धता

क्र० सं०	जनपद	विद्यालय सं०	किटें हैं	किटें नहीं हैं
1—	फतेहपुर	17	17	—
2—	वाराणसी	9	9	—
3—	लखनऊ	10	6	4
4—	इलाहाबाद	10	10	—
	कुल	46	42	4
		प्रतिशत	91%	9%

91% विद्यालयों में नवीन प्राइमरी किट उपलब्ध हैं।

तालिका 3 पृथक् विज्ञान कक्ष की उपलब्धता

क्र० सं०	जनपद	विद्यालय संख्या	पृथक् कक्ष हैं	नहीं हैं
1—	फतेहपुर	17	—	17
2—	वाराणसी	9	—	9
3—	लखनऊ	10	—	10
4—	इलाहाबाद	10	—	10
	कुल	46	—	46

उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि प्राइमरी विद्यालयों में पृथक् विज्ञान कक्ष की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

तालिका 4—प्राथमिक किट के रख-रखाव की व्यवस्था

क्र० सं०	जनपद	विद्यालय संख्या	विद्यालय भवन में	अन्य स्थान पर	विशेष व्य०
1—	फतेहपुर	17	17	—	—
2—	वाराणसी	9	9	—	—
3—	लखनऊ	10	10	—	—
4—	इलाहाबाद	10	10	—	—
	कुल	46	46	—	—

किट के रख-रखाव की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। विद्यालय भवन में ही प्रधानाध्यापक के कमरे में या कक्षा में रखा जाता है।

तालिका 5—समय-सारणी में विज्ञान अध्यापक को प्रत्येक कक्षा में सप्ताह में विज्ञान पढ़ाने के लिए आवंटित वादन

क्र० सं०	जनपद	विद्यालय संख्या	सप्ताह में 6 वादन (अध्या० संख्या)	सप्ताह में 6 से अधिक (अध्यापक सं०)	स० में 6 से कम अध्यापक सं०	विशेष विवरण
1—	फतेहपुर	17	14	—	3	
2—	वाराणसी	9	5	4	—	विज्ञान किट नहीं है
3—	लखनऊ	10	1	2	2	पढ़ाई नहीं हो रही है।
4—	इलाहाबाद	10	3	7	—	
	कुल	46	23	13	5	
	प्रतिशत		50%	28%	10%	

50% अध्यापक सप्ताह में एक कक्षा में 6 वादन पढ़ाते हैं, 28% अध्यापकों के पास 6 से अधिक वादन आवंटित हैं तथा केवल 10% ऐसे हैं जिनके पास 6 से कम वादन आवंटित हैं।

तालिका 6—पूर्व तैयारी के लिए अतिरिक्त वादनों का प्राविधान—

क्रमसं०	जनपद	विद्यालय सं०	1 वादन	2 वादन	3 वादन	कोई वादन नहीं
1—	फतेहपुर	17	6	2	—	9
2—	वाराणसी	9	2	1	—	6
3—	लखनऊ	10	3	—	—	7
4—	इलाहाबाद	10	3	—	1	6
	कुल	46	14	3	1	28
	प्रतिशत		30%	6%	2%	61%

पूर्व तैयारी के लिए अतिरिक्त वादन का प्राविधान उक्त तालिका के अनुसार 30% 1 वादन, 6% 2 वादन, 2% 3 वादन का दर्शाया गया है। अधिकतम विद्यालय के अध्यापकों को कोई पूर्व तैयारी के लिए वादन का प्राविधान नहीं दिया गया है, जैसा कि 61% से स्पष्ट होता है।

तालिका 7—विज्ञान किट का भरपूर उपयोग

क्रमसं० जनपद	विद्यालय सं०	अधिक उपयोग	समान उपयोग	बिल्कुल नहीं
1—फतेहपुर	17	11	5	1
2—वाराणसी	9	1	8	—
3— लखनऊ	10	4	1	5
4—इलाहाबाद	10	3	7	—
कुल	46	19	21	6
	प्रतिशत	41%	44%	13%

किट का भरपूर उपयोग 41 प्रतिशत विद्यालयों में हो रहा है, 44 प्रतिशत विद्यालयों में सामान्य रूप से उपयोग होता है तथा 13 प्रतिशत विद्यालयों में किट का उपयोग बिल्कुल नहीं हो रहा है।

तालिका 8—प्रयोग प्रदर्शन करते समय छात्र/छात्राओं की सहभागिता क्रिया-कलाप समूह में/स्वयं करते हैं तथा उनकी रुचि

क्रम सं०	जनपद	विद्यालय सं०	पूर्ण सह-भागिता	आंशिक सह-भागिता	बच्चों की रुचि	क्रियाकलाप समूह में करते हैं	स्वयं करते हैं
1	—फतेहपुर	17	11	6	17	12	5
2	—वाराणसी	9	5	4	9	7	2
3	—लखनऊ	10	3	2	10	5	—
4	—इलाहाबाद	10	7	3	10	7	3
कुल		46	26	15	46	31	10
		प्रतिशत	56%	33%	100%	67%	22%

प्रयोग तथा क्रिया-कलाप में बच्चों की रुचि शत-प्रतिशत 100 प्रतिशत है, 67 प्रतिशत बच्चे क्रिया-कलाप समूह में करते हैं। 22 प्रतिशत ऐसे भी हैं, जो स्वयं करते हैं 56 प्रतिशत पूर्ण सहयोग देते हैं तथा 33 प्रतिशत आंशिक।

तालिका 9—विज्ञान अध्यापक के लिए किट मैनुअल तथा हस्त-पुस्तिका की उपयोगिता अध्यापकों की दृष्टि में

क्रम सं०	जनपद	विद्यालय सं०	किट मैनुअल उपयोगी है	नहीं है	हस्त० पुस्तक उपयोगी है	नहीं है।
1	2	3	4	5	6	7
1	—फतेहपुर	17	17	—	17	—
2	—वाराणसी	9	9	—	9	—
3	—लखनऊ	10	10	—	10	—
4	—इलाहाबाद	10	10	—	10	—
	कुल	46	46	—	46	—
		प्रतिशत	100%		100%	—

किट मैनुअल तथा हस्त-पुस्तिका अध्यापकों के लिए 100 प्रतिशत उपयोगी है, उनके कक्षा में प्रयोग के पूर्व तैयारी के लिए यह पुस्तिकाएँ अत्यन्त सहायक है।

तालिका 10—किट के चार्टों का उपयोग तथा पर्यावरण में उपलब्ध वैज्ञानिक सामग्रियों का उपयोग

क्रम सं०	जनपद	विद्यालय सं०	चार्टों का उपयोग हो रहा है	नहीं हो रहा है	पर्यावरण में उपलब्ध साम० का उपयोग हो रहा है	पर्यावरण में उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग नहीं हो रहा है
1	2	3	4	5	6	7
1	—फतेहपुर	17	17	—	17	—
2	—वाराणसी	9	9	—	9	—
3	—लखनऊ	10	5	5	5	5
4	—इलाहाबाद	10	10	—	10	—
	कुल	46	41	5	41	5
		प्रतिशत	90%	11%	90%	11%

किट के चार्ट का उपयोग 90 प्रतिशत विद्यालय के अध्यापक करते हैं, 11 प्रतिशत विद्यालयों में यह देखा गया कि चार्ट नहीं दिखाये गये। पर्यावरण सम्बन्धी प्रयोग भी 90 प्रतिशत विद्यालय के अध्यापक करते हैं तथा 11 प्रतिशत नहीं कर रहे हैं।

तालिका 11—प्राथमिक विज्ञान किट छात्रों के लिए कितना उपयोगी है।

क्रम सं०	जनपद	विद्यालय सं०	50% उपयोगी	100% उपयोगी	बिल्कुल उपयोगी नहीं है
1	2	3	4	5	6
1—	फतेहपुर	17	—	17	—
2—	वाराणसी	9	—	9	—
3—	लखनऊ	10	—	10	—
4—	इलाहाबाद	10	—	10	—
	कुल	46	—	46	—
			प्रतिशत 100% उपयोगी है।		

प्राथमिक विज्ञान किट बच्चों के लिए पूर्णतः उपयोगी है। बच्चे इसके द्वारा प्रयोग करना चाहते हैं तथा पाठ को आसानी से ग्रहण करते हैं।

तालिका 12—समस्त क्रिया-कलाप किट के आइटमों द्वारा पूरा किया जा सकता है, वे उपकरण जिनके द्वारा प्रयोग करने में कठिनाई होती है।

क्रम सं०	जनपद	विद्यालय सं०	समस्त क्रिया-कलाप पूर्ण किया जा सकता है/हाँ	नहीं	विद्यालय संख्या	कठिनाई वाले प्रयोग	कोई कठिनाई नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8
1—	फतेहपुर	17	17	—	—	—	17
2—	वाराणसी	9	9	—	4	विद्युत पथ पर चुम्बकत्व का प्रयोग तथा विद्युत पथका प्रयोग	5
3—	लखनऊ	10	10	—	3	—	7
4—	इलाहाबाद	10	10	—	5	,, ,,	5
	कुल	46	46	—	12	—	34
			प्रतिशत 100%		26%		74%

किट के द्वारा 100 प्रतिशत प्रयोग पूर्ण किए जा सकते हैं, 74% अध्यापकों को कठिनाई नहीं होती तथा 26 प्रतिशत को केवल दर्शाये गये 2 प्रयोगों में कठिनाई होती है।

तालिका 13—किट सम्बन्धी प्रशिक्षण की आवश्यकता

क्रम सं०	जनपद	विद्यालय संख्या	प्रशिक्षण की आवश्यकता हैं	नहीं है
1	2	3	4	5
1	—फतेहपुर	17	3	14
2	—वाराणसी	9	4	5
3	—लखनऊ	10	3	7
4	—इलाहाबाद	10	3	7
	कुल	46	13	33
		प्रतिशत	28%	72%

72 प्रतिशत अध्यापकों के विचार से किट सम्बन्धी प्रशिक्षण की आवश्यकता निकट भविष्य में नहीं है। दो फेरे में अध्यापक प्रशिक्षण ग्रहण कर चुके हैं। 23 प्रतिशत ऐसे हैं जो कुछ कठिनाई का अनुभव करते हैं तथा वे दुबारा प्रशिक्षण लेना चाहते हैं।

अध्यापक/प्रधानाध्यापक द्वारा दिए गए सुझाव

(1) अध्यापक तथा प्रधानाध्यापकों के विचार से किट सम्बन्धी पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण समय-समय पर दिया जाना चाहिये जिससे अध्यापक शिक्षण सम्बन्धी नवीन विचारधाराओं से लाभान्वित हो सकें।

(2) अध्यापक की दृष्टि से यह किट शिक्षण कार्य के लिए अत्यन्त उपयोगी है परन्तु किट में कुछ कमियाँ हैं, वे इस प्रकार हैं—

(अ) किट में लिखने के लिए जो श्यामपट दिया गया है वह छोटा है।

(ब) किट में उपलब्ध कराये गये टीन ट्रे कमजोर हैं।

(स) किट में छोटी कैंची की माँग की गयी है।

(द) ट्रे का प्लास्टिक कवर कमजोर हैं।

बच्चों के विचार

बच्चों से बातचीत करने पर ऐसा अनुभव किया गया कि वे विज्ञान पढ़ने में रुचि लेते हैं तथा किट द्वारा प्रस्तुत प्रयोगों को स्वयं करने में भी केवल सहयोग ही प्रदान नहीं करते वे स्वयं करना भी चाहते हैं। प्रतिदिन प्रयोग देखना चाहते हैं तथा करना चाहते हैं।

प्रतिक्रियायें (अध्यापक/प्रधानाचार्य की दृष्टि से)

(1) अध्यापकों के विचार से प्रयोग की पूर्ण तैयारी हेतु निश्चित समय मिलना चाहिए।

(2) विज्ञान पाठ पढ़ाने के लिए किट अत्यन्त उपयोगी है, इस कारण प्रत्येक विद्यालय को किट उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

निष्कर्ष एवं सुझाव

(1) उपरोक्त तालिकाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जनपद फतेहपुर के अधिकतर विद्यालयों में किट का प्रयोग भरपूर किया गया है।

(2) लखनऊ जनपद के 4 विद्यालयों में किट का अभाव है तथा विद्यालय में प्रशिक्षित अध्यापक का स्थानान्तर हो गया है। इससे अधिकतर विद्यालय में किट का उपयोग पूर्णतः नहीं हो पाया है।

(3) वाराणसी तथा इलाहाबाद जनपद में किट का उपयोग सामान्य रूप से किया गया है। सर्वेक्षण से ऐसा प्रतीत हुआ कि अध्यापकों ने किट का उपयोग करने में अधिक रुचि नहीं ली है। जिस सीमा तक उपयोग अपेक्षित था, वह पूरा नहीं हो पाया है। इन दोनों जनपदों में उच्च कोटि के कार्य में कमी पायी गयी।

सुझाव

(1) प्रधानाध्यापक को इस कार्य में विशेष रुचि लेना चाहिए तथा अपने विद्यालय के विज्ञान अध्यापक को किट सम्बन्धी तैयारी के लिए अतिरिक्त वादन का प्राविधान करना चाहिए।

(2) किट के रख-रखाव के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए।

(3) प्रतिदिन किट का उपयोग कक्षा में हो रहा है या नहीं इस बात पर बल देना चाहिए।

(4) किट प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

17

प्रदेश के क्लास प्रोजेक्ट के अन्तर्गत स्थापित कम्प्यूटर केन्द्रों की वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण एवं सुधार हेतु सुझाव

पृष्ठभूमि

आज का युग वैज्ञानिक युग है। समय के साथ विज्ञान में अनेक आविष्कार हो रहे हैं तथा उनकी नई तकनीक से नये उपकरण तैयार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में विज्ञान के नये क्षेत्र कम्प्यूटर सम्बन्धी ज्ञान छात्रों को किस प्रकार दिया जाय, इसका सर्वेक्षण आवश्यक हो गया है।

उद्देश्य

छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि एवं दृष्टिकोण का विकास करना। छात्रों में आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धि कम्प्यूटर से अवगत कराना एवं उस पर कार्य करना सिखाना। छात्रों को कम्प्यूटर सम्बन्धी प्रारम्भिक ज्ञान देना। विद्यालयों में कम्प्यूटर सम्बन्धी कार्य में क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं, उससे विभाग को अवगत कराना।

परिकल्पना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत छात्रों को नयी वैज्ञानिक तकनीकों का (कम्प्यूटर सम्बन्धी) ज्ञान देना।

(1) प्रदेश के छात्रों में कम्प्यूटर के लिए अभिरुचि उत्पन्न करना।

(2) प्रदेश में जिन केन्द्रों को कम्प्यूटर दिये गये हैं, उनके रख-रखाव में एवं उसके कार्य के सम्पादन करने में उत्पन्न कठिनाइयों से अवगत होना।

परिसीमन

7 जनपद जिनके विद्यालयों को विभिन्न सन्दर्भ केन्द्रों द्वारा कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये

हैं। इलाहाबाद, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, वाराणसी, लखनऊ, रामपुर, आगरा जनपदों के कम्प्यूटर युक्त विद्यालयों का सर्वेक्षण कराया जाय।

अवधि

जून से दिसम्बर 90 तक।

कार्यविधि

(1) सर्वप्रथम कम्प्यूटर केन्द्रों के अध्यापकों, छात्रों के लिए सर्वेक्षण प्रपत्र तैयार किये गये।

(2) संस्थान के प्रोफेसरों द्वारा व्यक्तिगत रूप से जाकर प्रपत्रों को भरवाकर लाया गया।

(3) संस्थान के प्रोफेसरों द्वारा केन्द्रों की भौतिक व्यवस्था तथा जानकारियाँ प्राप्त करना एवं अध्ययन करना।

उपकरण

(1) अध्यापकों के लिए पृच्छा-प्रपत्र तैयार किया गया।

(2) छात्रों के लिए पृच्छा-प्रपत्र तैयार किया गया।

विश्लेषण—अध्यापकों के द्वारा प्रदत्त प्रपत्रों के आधार पर विश्लेषण

(1) कम्प्यूटर प्रशिक्षण कहाँ पर प्राप्त किया एवं प्रशिक्षण अवधि

सन्दर्भ केन्द्रों पर 21 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अध्यापकों की संख्या	व्यक्तिगत रूप से बाहर प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की संख्या
20	2

निष्कर्ष—सभी अध्यापकों को सन्दर्भ केन्द्र का प्रशिक्षण प्राप्त है।

(2) छात्रों को कितने समय (अवधि) कम्प्यूटर पर कार्य कराते हैं?

	सप्ताह में तीन दिन	सप्ताह में चार दिन	पूरे सप्ताह
अध्यापकों की संख्या	4	5	10

निष्कर्ष—ज्यादातर कम्प्यूटर केन्द्र सप्ताह भर खुलते हैं।

(3) शिक्षण कार्य की अधिकता के कारण कम्प्यूटर कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है।

	शिक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है	शिक्षण कार्य में व्यवधान नहीं उत्पन्न होता है
अध्यापकों की संख्या	18	—

निष्कर्ष—इस अतिरिक्त कार्य के कारण शिक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है।

(4) क्या आपको कम्प्यूटर कार्य के लिए कुछ पारिश्रमिक का भुगतान किया गया ? अध्यापकों को कोई पारिश्रमिक नहीं प्राप्त हुआ है।

(1) पारिश्रमिक प्राप्त करना चाहते हैं—हाँ/नहीं

सभी अध्यापक प्राप्त करना चाहते हैं।

निष्कर्ष—कम्प्यूटर सम्बन्धी कार्य करने वाले अध्यापकों को मासिक रूप से पारिश्रमिक दिया जाय।

(5) कम्प्यूटर केन्द्र पर रुपये 3500/- मात्र भारत सरकार द्वारा सामग्री क्रय के लिए दिया जाता है। आपने किन मदों में खर्च किया या वापस लौटा दिया ?

ज्यादातर मेज, आलमारी, कुर्सी आदि की खरीददारी में खर्च किया है। कुछ विद्यालयों ने धन वापस कर दिया।

(6) विद्युत आपके स्कूल में पूरे समय रहती है ?

विद्युत पूरे समय रहती है, किन्तु बीच-बीच में कभी गायब हो जाती है।

(7) क्या आपने नई प्लापी बनाई है—

नई प्लापी बनाने वाले अध्यापकों की संख्या	पुरानी प्लापी पर कार्य कराया जा रहा है
—	18

(8) आपको कार्य करने में क्या कठिनाइयाँ हैं ? (विवरण में)

(1) सभी अध्यापकों ने पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवश्यकता पर बल दिया है।

(2) विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जायँ।

(3) शिक्षण कार्य की अधिकता के कारण कार्य करने में दिक्कतें हैं।

(4) इस कार्य हेतु मानदेय प्राप्त करना चाहते हैं।

(9) क्या आपने अपने साथी अध्यापकों को कम्प्यूटर सम्बन्धी ज्ञान दिया ?

(1) 8 अध्यापकों मे अपने साथी अध्यापकों को कम्प्यूटर सम्बन्धी जानकारी दी।

(10) आपके द्वारा कार्य करने में प्रधानाचार्य/अधिकारी/मैनेजर किस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं ?

(1) भौतिकता से प्रोत्साहित करते हैं, अन्य किसी प्रकार से प्रोत्साहित या लाभ नहीं पहुँचाया हैं।

छात्रों के द्वारा प्रदत्त प्रपत्रों के आधार पर विश्लेषण

(1) कम्प्यूटर कक्ष खुलने तक छात्रों द्वारा कार्य करने के समय के सम्बन्ध में—

प्रतिदिन की संख्या	सप्ताह में 4 दिन कार्य करने वाले केन्द्रों की संख्या	सप्ताह में 3 दिन कार्य करने वाले केन्द्रों की संख्या
10	4	4

विश्लेषण—प्रदेश में जिन विद्यालयों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये हैं उनमें 55% प्रतिदिन खुलते हैं। 22% सप्ताह में 4 दिन खुलते हैं तथा 23% सप्ताह में तीन दिन खुलते हैं।

(2) कम्प्यूटर के मुख्य चार भागों के नाम बताओ। लिखो—

	4 भाग बताने वाले छात्रों की संख्या	3 भाग बताने वाले छात्रों की संख्या	2 भाग बताने वाले छात्रों की संख्या
कम्प्यूटर के भागों का नाम बताने वाले छात्रों की संख्या	13	3	2

विश्लेषण—कम्प्यूटर के भागों के नाम का छात्रों को ज्ञान है।

(3) आपकी दृष्टि में कम्प्यूटर का कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं ?

	बहुत उपयोगी उत्साह वर्धक	उपयोग रुचिकर	सामान्य	कठिन स्तर का
छात्रों की संख्या	9	4	3	1

विश्लेषण—कम्प्यूटर का ज्ञान छात्रों को बहुत उपयोगी, हितकर है।

(4) आपके केन्द्र पर कौन-कौन कम्प्यूटर सम्बन्धी पत्रिकाएँ/पुस्तक आती हैं ? कोई भी पत्रिका/पुस्तक उपलब्ध नहीं है।

विश्लेषण—कम्प्यूटर सम्बन्धी पत्रिका/पुस्तक उपलब्ध नहीं है जिससे अधिक ज्ञान प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

(5) छात्रों को कार्य करने मे क्या क्या कठिनाई आती है ?

(1) विद्युत व्यवस्था एवं आपूर्ति—

विद्युत व्यवस्था ठीक एवं आपूर्ति निश्चित	विद्युत व्यवस्था ठीक एवं आपूर्ति में अनिश्चित
2	16

विश्लेषण—विद्युत व्यवस्था ठीक नहीं है तथा अनिश्चित विद्युत आपूर्ति है।

(2) छात्रों को कम्प्यूटर पर कार्य करने की अवधि—

	सप्ताह में औसतन दो पीरियड	सप्ताह में औसतन दो पीरियड से अधिक
छात्रों की संख्या	12	6

विश्लेषण—छात्रों को सप्ताह में दो पीरियड ही कार्य करने को मिलता है अतः कम्प्यूटरों की संख्या अधिक होनी चाहिये।

(6) बाजार में बहुत अधिक शुल्क लेकर कम्प्यूटर पर कार्य करना सिखाते हैं ? क्या स्कूल में शुल्क लेना उचित होगा ? यदि शुल्क लिया जाये तो कितना ?

	शुल्क लिया जाय	शुल्क न लिया जाय	उत्तर नहीं दिया
छात्रों की संख्या	6	8	4

शुल्क कितना लिया जाय इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी ।

निष्कर्ष

(1) मुख्यतः प्रत्येक कम्प्यूटर केन्द्र प्रतिदिन कार्य करते हैं तथा उसमें लगभग 25 चयनित छात्र/छात्राओं कार्य/प्रैक्टिस ज्ञानार्जन करती है ।

(2) छात्र/छात्राओं में कम्प्यूटर सम्बन्धी ज्ञानार्जन के लिए बहुत ही रुचि तथा उत्साह है ।

(3) छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर का प्रारम्भिक ज्ञान जैसे— आन/आफ करना, डिस्क चलाना, फ्लापियों का प्रयोग, मानीटर, साफ्टवेयर, हार्डवेयर सम्बन्धी जानकारी दी जा रही है । किसी अध्यापक ने नई फ्लापी नहीं तैयार की है । सी० एम० सी० द्वारा प्रदत्त फ्लापियों का प्रयोग किया जा रहा है ।

(4) अध्यापकों को सन्दर्भ केन्द्रों पर 21 दिन का प्रशिक्षण दिया गया है । वह अपर्याप्त है, वह पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं । ताकि छात्रो को अधिक सुचारु रूप से कार्य/प्रैक्टिस/ज्ञानार्जन कराया जा सके ।

(5) विद्युत की अनिश्चितता एवं निर्धारित समय पर उपलब्ध न रहने के कारण कार्य करने में कठिनाइयां आती हैं ।

(6) केन्द्रों पर कम्प्यूटरों की संख्या दो या पाँच मात्र है, जो कि छात्र संख्या को देखते हुए बहुत ही कम है ।

(7) इस कार्य के सम्पादन में अध्यापकों को कोई मानदेय देय नहीं है जिससे कार्य करने में उत्साह कम है । अध्यापकों को अपने निर्धारित शिक्षण कार्य करने में व्यवधान होता है ।

(8) किसी भी केन्द्र पर कम्प्यूटर सम्बन्धी मैगजीन/पत्रिका/पुस्तक नहीं आती है ।

(9) छात्राओं को विद्यालय के समय के उपरान्त कार्य करने में तथा घर जाने में दिक्कत होती हैं ।

(10) अधिकतर विद्यालयों में कम्प्यूटर कक्ष अलग से नहीं बने है । कार्य की प्रगति कम है ।

(11) 3500/- (तीन हजार पाँच सौ) रुपये का वार्षिक बजट का खर्च सदुपयोग नहीं हो रहा है, खर्च नहीं कर पा रहे हैं। उसका खर्च करने के मद का ज्ञान नहीं है।

(12) कुछ विद्यालयों में कम्प्यूटर खराब हो गये हैं, जिसकी मरम्मत अथवा उन्हें बदला नहीं जा सका है।

(13) छात्र आन्दोलन के कारण विद्यालय नहीं खुल सके हैं।

सुझाव

(1) अध्यापकों को सन्दर्भ केन्द्रों पर 15 दिवसीय पुनः प्रशिक्षण दिया जाये।

(2) विद्युत उपलब्ध कराने हेतु एक जेनेरेटर को उपलब्ध कराया जाये।

(3) कम्प्यूटर सम्बन्धी मैगजीन/पुस्तकें खरीदने का प्राविधान किया जाये।

(4) अध्यापकों में अधिक रुचि, उत्साह हेतु उनको 300/- (तीन सौ) रुपये प्रतिमाह का मानदेय दिया जाना उचित होगा।

(5) छात्राओं को कालेज के उपरान्त घर जाने के लिए वाहन व्यवस्था हो जाये, उचित होगा।

(6) अध्यापकों को सन्दर्भ केन्द्रों पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एक वर्ष के अन्तराल पर कराया जाना उचित होगा।

(7) कम्प्यूटर सम्बन्धी ज्ञान अर्जित करने वाले छात्रों के प्रमाण-पत्र इस प्रकार अंकित किया जाये, कि क्लास प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत, कम्प्यूटर सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त किया है तो छात्रो एवं अध्यापकों में अधिक जागरूकता एवं उत्साह उत्पन्न होगा।

18

व्यय एवं उपलब्धियों के सापेक्ष पत्राचार शिक्षा की प्रभावकारिता का अध्ययन

पृष्ठभूमि

इस व्यवस्था के अन्तर्गत दो प्रकार की योजनाएँ चल रही हैं—

(1) पत्राचार शिक्षा सामान्य योजना।

(2) पत्राचार शिक्षा सतत् अध्ययन सम्पर्क योजना।

आवश्यकता

प्रदेश में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अनेकानेक कठिनाइयों के कारण जिन छात्रों को औपचारिक शिक्षा सुलभ नहीं हो पाती है जब वे अपनी शैक्षिक प्रगति के इच्छुक होते हैं, उन्हें 1-2 स्तर पर शिक्षा सुलभ कराने के लिए 1980 में दूर शिक्षा अथवा पत्राचार शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था शासन द्वारा की गई।

पत्राचार शिक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की स्थापना की गई। इस संस्थान द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा में साहित्यिक, रचनात्मक, ललित कला, वैज्ञानिक, वाणिज्य वर्गों के 70 विषयों के पाठ्यक्रमों पर आधारित पाठ इकाइयों का निर्माण अनुभवी एवं विद्वान शिक्षकों द्वारा कराया जाता है। तत्पश्चात् इन पाठों को मुद्रित कराने के बाद पत्राचार विधा में पंजीकृत अभ्यर्थियों को डाक द्वारा प्रेषित किया जाता है। छात्र इस साहित्य का स्वयं अध्ययन करते हैं। पाठ इकाइयों के अन्त में दिये गये प्रश्नों का उत्तर लिखकर संस्थान को भेजते हैं। संस्थान द्वारा स्वयंपाठी छात्रों के उत्तर-पत्रों का मूल्यांकन कराने के पश्चात् उत्तर-पत्रों में सुधार के लिये आवश्यक निर्देशों को अंकित करके स्वयंपाठियों को वापस भेज दिया जाता है।

पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा पत्राचार शिक्षा के अन्तर्गत सम्प्रति दो योजनायें चलाई जा रही हैं—

(1) पत्राचार शिक्षा सामान्य योजना।

(2) पत्राचार शिक्षा सतत् सम्पर्क योजना।

पत्राचार शिक्षा की इन दोनों योजनाओं में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों से शुल्क के रूप में एक निर्धारित धनराशि जमा कराई जाती है। शासन को "सबके लिये शिक्षा" के संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करने में इस शिक्षा व्यवस्था पर होने वाले व्यय-भार का वहन करना पड़ता है।

प्रदेश के दूर शिक्षा अथवा पत्राचार शिक्षा व्यवस्था पर होने वाले व्यय तथा राष्ट्र एवं समाज को मिलने वाले लाभ का समीक्षात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, जिससे विगत एक दशक से चल रही इस शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन किया जा सके तथा समाज को अधिकाधिक लाभ मिल सके।

उद्देश्य

(1) पत्राचार शिक्षा व्यवस्था की उपलब्धियों का सापेक्ष अध्ययन करना।

(2) इण्टरमीडिएट के संस्थागत छात्रों तथा पत्राचार शिक्षा के लाभार्थियों पर होने वाले व्यय का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना

इण्टरमीडिएट स्तर पर संस्थागत छात्रों की शिक्षा पर होने वाले व्यय की अपेक्षा पत्राचार शिक्षा व्यवस्था में होने वाला प्रति छात्र औसत व्यय कम होता है।

परिसीमन

राजकीय इण्टर कालेज, इलाहाबाद में इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा पर पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा वर्ष 1987-88, 88-89 एवं 89-90 में किये गये आय-व्यय एवं परीक्षाफल।

कार्य-विधि

(क) न्यादर्श का चयन

(1) राजकीय इण्टर कालेज, इलाहाबाद

(2) पत्राचार शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद

(ख) उपकरण

(1) राजकीय इण्टर कालेज, इलाहाबाद के इण्टरमीडिएट संस्थागत छात्रों पर होने वाले आय-व्यय एवं परीक्षाफल के आंकलन हेतु आगणन तालिका (परिशिष्ट-1)

(2) पत्राचार शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा पत्राचारित छात्रों की शिक्षा पर होने वाले आय-व्यय एवं परीक्षाफल के आंकलन हेतु आगणन तालिका (परिशिष्ट-2)

प्रदत्तों का विश्लेषण

राजकीय इण्टर कालेज, इलाहाबाद में वर्ष 1987-88, 88-89 एवं 89-90 में इण्टर-मीडिएट कक्षाओं के छात्रों पर होने वाले व्यय का अध्ययन किया गया। भवन, उपकरण तथा प्रयोगशाला आदि पर हुए पूँजीगत व्यय को अध्ययन के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया। व्यय के अन्तर्गत प्रधानाचार्य, एक उपप्रधानाचार्य, प्रवक्ता, तीन लिपिक तथा 20 परिचारिकों का वार्षिक औसत वेतन तथा आनुषंगिक व्यय को सम्मिलित करके कुल व्यय का आंकलन किया गया है। कुल व्यय में से राजकोष एवं छात्रकोष में जमा शुल्काय को कम करके शुद्ध व्यय का आगणन किया गया है।

इस विद्यालय में इण्टर कक्षाओं में छात्रों की संख्या वर्ष 1987-88 में 952 तथा 813, वर्ष 1988-89 में 1207 तथा 964 एवं 1989-90 में 1005 तथा 1116 थी। वर्ष 1987-88 में प्रति छात्र वार्षिक व्यय रुपया 828·72 एवं वर्ष 1989-90 में प्रति छात्र वार्षिक व्यय रुपया 980-13 था। तीनों वर्षों का औसत प्रति छात्र वार्षिक व्यय रुपया 1091-35 पै० हुआ। (देखो आगणन तालिका-1)

इस विद्यालय से माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा में वर्ष 1988, 89 एवं 90 में सम्मिलित छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 92-5 प्रतिशत, 86-5 प्रतिशत एवं 82 प्रतिशत था। संस्थागत छात्रों पर हुए व्यय एवं उपलब्धियों को तालिका-1 में दिखाया गया है।

तालिका—1

राजकीय इण्टर कालेज, इलाहाबाद

विवरण	1987-88	1988-89	1989-90
(1) पंजीकृत छात्र संख्या	1765	2171	2121
(2) कुल व्यय	रु० 1726798-00	2252576-00	2521840-00
(3) कुल शुल्काय	रु० 368620-25	453413-00	442970-85

(4) शुद्ध व्यय	रु०	1358177-75	1799162-65	2078899-15
(5) प्रति छात्र व्यय	रु०	769-50	828-72	980-13
(6) प्रति छात्र औसत वार्षिक व्यय	रु०	1091-35	—	—
(7) उत्तीर्ण प्रतिशत		92-5 प्रतिशत	86-6 प्रतिशत	82 प्रतिशत

पत्राचार शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 1987-88, 1988-89 एवं 1989-90 में पत्राचार अभ्यर्थियों के शिक्षण पर किये गये व्यय का अध्ययन किया गया। व्यय का आकलन करने के लिये संस्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों का वेतन, यात्रा भत्ता व्यय, पाठ लेखन व्यय, पाठ मुद्रण व्यय, पाठ प्रेषण व्यय, सम्पर्क शिविर आयोजन व्यय, आनुषंगिक व्यय आदि को सम्मिलित किया गया है। संस्थान की साज-सज्जा, उपस्कर तथा भवन आदि पूंजीगत व्यय को सम्मिलित नहीं किया गया है। कुल व्यय में से पत्राचार शिक्षा अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त पंजीकरण शुल्काय एवं शिक्षण शुल्काय को कम कर दिया गया है। पत्राचार शिक्षा के सामान्य अभ्यर्थियों से प्रति अभ्यर्थी रु० 10-00 पंजीकरण शुल्क तथा रुपया 250-00 शिक्षण शुल्क जमा कराया जाता है जबकि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से पंजीकरण शुल्क रुपया 10-00 तथा शिक्षण शुल्क रुपया 150-00 जमा कराया जाता है। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या अनुमानत: 10 प्रतिशत मानकर शुल्काय का आगणन किया गया है। क्योंकि अनुसूचित जाति के छात्रों की वास्तविक संख्या के आँकड़े उपलब्ध नहीं हो सके।

पत्राचार शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार वर्ष 1987-88 में पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या 23000 थी। वर्ष 1988-89 में यह संख्या घटकर 18000 हो गई किन्तु वर्ष 1889-90 में पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या बढ़कर 49411 हो गई। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित की जाने वाली इण्टरमीडिएट परीक्षा के साहित्यिक वर्ग, वैज्ञानिक वर्ग, वाणिज्य वर्ग, रचनात्मक वर्ग, ललित कला वर्ग के सभी विषयों को पत्राचार शिक्षा की परिधि में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने की सुविधा समाप्त कर दी गई।

प्राप्त आँकड़ों से ज्ञात होता है कि पत्राचार शिक्षा में प्रति छात्र शुद्ध वार्षिक व्यय वर्ष 1987-88 में रुपया 223-80, वर्ष 1988-89 में रुपया 188-50 वर्ष 1989-90 में रुपया 210-40 रहा। उपलब्धियों की दृष्टि से पत्राचार शिक्षा में पंजीकृत छात्रों का परीक्षाफल वर्ष 1988 में 74 प्रतिशत, 1989 में 72 प्रतिशत तथा वर्ष 1990 में 76 प्रतिशत था। पत्राचार

शिक्षा के अभ्यर्थियों पर हुए व्यय एवं उपलब्धियों को तालिका-2 में दिखाया गया है। जो कि आगणन तालिका-2 का संक्षिप्त रूप है। (देखें आगणन तालिका-2)

तालिका-2

क्र०सं०	पंजीकृत विवरण		1987-88	1988-89	1989-90
(1)	पंजीकृत छात्र संख्या		23000	18000	49411
(2)	कुल व्यय	रु०	10897000-00	7893000-00	12751000-00
(3)	कुल आय	रु०	5750000-00	4500000-00	2352760-00
(4)	शुद्ध व्यय	रु०	5147000-00	3393000-00	10398240-00
(5)	प्रति छात्र व्यय	रु०	223-80	188-50	210-40
(6)	प्रति छात्र औसत वार्षिक व्यय	रु०	212-10	—	—
(7)	उत्तीर्ण प्रतिशत		74 प्रतिशत	72 प्रतिशत	76 प्रतिशत

सुझाव

पत्राचार शिक्षा व्यवस्था को हाई स्कूल स्तर पर भी लागू करना चाहिए। इससे विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश का दबाव कम होगा तथा जिन हाई स्कूल अनुत्तीर्ण छात्रों को विद्यालय में प्रवेश नहीं मिलता उन्हें अपनी शैक्षिक प्रगति में पड़ने वाले अवरोध का अनुभव नहीं होगा।

———

19

एल० टी० तथा बी० एड० प्रशिक्षण संस्थाओं की अध्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था और कार्य-प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन

पृष्ठभूमि

शिक्षा के कार्यक्रम के तीन मुख्य आधार-बिन्दु होते हैं—छात्र-अध्यापक, पाठ्यक्रम और प्रत्येक राष्ट्र अपने और अपने नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा की व्यवस्था का नियमन करता है। शिक्षा कम दी जाय अर्थात् पाठ्यक्रम समुदाय की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं में अनुशासित होता है। किसी भी देश का स्कूल पाठ्यक्रम उसके संविधान की भाँति उसकी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्र शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार के नागरिकों के निर्माण की अपेक्षा करता हैं—इसी से विभिन्न स्तरीय पाठ्यक्रम निर्देशित होते हैं।

किन्तु पाठ्यक्रम अपने अभीष्ट की प्राप्ति तभी कर सकता है जब अध्यापक योग्य और कुशल हों। शिक्षा की सफलता, उद्देश्यों की परिभाषा, उद्देश्य निरूपण या विषयों के मूल्यों के विवेचन पर निर्भर न करके शिक्षकों के विषय-ज्ञान और उनकी व्यावसायिक दक्षता पर निर्भर करती है।

शिक्षा की सफलता और प्रभावात्मकता में वृद्धि की दृष्टि से प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता का अनुभव करते हुए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।

1—बी० एस० माथुर सिम्पोशियम आफ एजूकेशन, पृष्ठ 175।

2 - एजूकेशन आफ द मूव, पृष्ठ 131।

3—दस वर्षीय स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम, पृष्ठ भूमिका।

राज्य में माध्यमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा का कार्यक्रम मुख्यत: दो प्रकार के अभिकरणों द्वारा चलाया जा रहा है—

(क) उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग।

(ख) विश्वविद्यालय के निर्देशन में उनके शिक्षा विभाग या सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षा विभागों द्वारा।

(क) उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग मुख्य प्रयोक्ता के रूप में अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप और उच्च स्तरीय अध्यापक शिक्षा के मानक के लिए प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। सफल प्रशिक्षणार्थियों को एल० टी० (लाइसिशिएट इन टीचिंग) का डिप्लोमा दिया जाता है। एल० टी० प्रशिक्षण भी विशेषज्ञता के आधार पर एल० टी० सामान्य, एल० टी० रचनात्मक एल० टी० विज्ञान, एल० टी० कृषि, एल० टी० बेसिक और एल० टी० गृह विज्ञान प्रशिक्षण के रूप में विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षक तैयार करते हैं। इनका नियमन 'रजिस्ट्रार शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ' द्वारा किया जाता है।

(ख) विश्वविद्यालयों के निर्देशन में अध्यापक शिक्षा राज्य के अधिकांश विश्वविद्यालयों द्वारा भी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। ये बी० एड०, बी० टी० या शिक्षा-शास्त्री की उपाधि प्रदान करते हैं। इनका नियमन प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कार्यप्रणाली एवं प्रबन्ध तंत्र में भिन्नता होने पर भी सेवा योजन में एल० टी० और बी० एड० प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों में सामान्यतया कोई अन्तर नहीं किया जाता।

अत: आवश्यकता है कि अध्यापक शिक्षा के अन्तर्गत चल रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था और कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाय।

परिकल्पना

एल० टी० तथा बी० एड० प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था और कार्य-प्रणाली में कोई सकारात्मक अन्तर नहीं है।

परिसीमन

अध्ययन उत्तर प्रदेश की एल० टी० एवं बी० एड० प्रशिक्षण संस्थाओं तक सीमित होगा।

विधि

न्यादर्श का चयन अध्ययन हेतु न्यादर्श के अन्तर्गत राजकीय एल० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय, निजी प्रबन्धाधीन एल० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों के शिक्षा

संकाय, सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षा विभाग की प्रतिनिधि संस्थाओं को रखा गया। अध्ययन हेतु निम्नलिखित संस्थाओं का चयन किया गया—

राजकीय प्रशिक्षण संस्थाएँ

(1) राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद।

(2) राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।

(3) राजकीय गृह विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।

(4) शासकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ।

(5) राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी।

(6) निजी प्रबन्धाधीन एल० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय।

(7) सकलडीहा प्रशिक्षण महाविद्यालय, सकलडीहा, वाराणसी।

(8) किशोरी रमण प्रशिक्षण महाविद्यालय, मथुरा।

(9) दिग्विजय नाथ प्रशिक्षण महाविद्यालय, गोरखपुर।

(10) डी० ए० वी० कालेज, ट्रेनिंग कालेज, कानपुर।

(11) क्रिश्चियन ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ।

विश्वविद्यालयों के शिक्षा संकाय। सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षा विभाग।

(12) शिक्षा संकाय बनारस हिन्दी यूनिवर्सिटी, वाराणसी।

(13) आर० वी० एस० महाविद्यालय, आगरा।

(14) इण्टरनेशनल सेन्टर कालेज आफ एजूकेशन, आगरा।

(15) बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झाँसी।

(16) गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मालटारी, आजमगढ़।

उपकरण

अध्ययन में दो उपकरणों का प्रयोग किया गया।

(क) पृच्छा प्रपत्र—प्रशिक्षण संस्थाओं से सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए एक पृच्छा-प्रपत्र विकसित किया गया। इस पृच्छा-प्रपत्र में निम्नलिखित से सम्बन्धित सूचनायें प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछे गये हैं—

(1) परिचयात्मक सूचना

(2) प्रवेश पद्धति

(3) शिक्षण

(4) शिक्षण अभ्यास

(5) मूल्यांकन

(6) विधि

(ख) पाठ्यक्रम—प्रशिक्षण संस्था में व्यवहृत पाठ्यक्रम ।

प्रदत्त संग्रह

सूचनायें प्राप्त करने हेतु पृच्छा-प्रपत्र सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थाओं को भेजे गये । केवल 8 संस्थाओं से ही पृच्छा-प्रपत्र वापस मिले । निजी प्रबन्धाधीन एल० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालयों में से किसी संस्था से पृच्छा-प्रपत्र वापस नहीं प्राप्त हुए । इस प्रकार अध्ययन में केवल 8 संस्थाओं से प्राप्त सूचनाओं को आधार मानकर बनाया गया है । जिन संस्थाओं ने अध्ययन में सहयोग दिया, उसकी सूची परिशिष्ट 'क' में दी गयी है ।

प्रदत्त प्रस्तुतीकरण एवं विश्लेषण—प्राप्त पृच्छा-प्रपत्रों की जाँच के पश्चात् उनका संकलन किया गया ।

प्रशिक्षण संस्थाएँ—परिचयात्मक सूचना

सूचना देने वाले 8 प्रशिक्षण संस्थाओं में से 5 पूर्णकालिक एल० टी० प्रशिक्षण और 3 बी० एड० प्रशिक्षण प्रदान करते हैं । पाँचों एल० टी० प्रशिक्षण संस्थायें उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हैं और विभाग के निर्देशानुसार संचालित होती है । 3 प्रशिक्षण संस्थाएँ विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं । एक प्रशिक्षण संस्था विश्वविद्यालय का शिक्षा संकाय हैं ।

किसी भी एल० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय में एम० एड० तथा डाक्ट्रेट तथा पोस्ट डाक्ट्रेट उपाधि की सुविधा नहीं है किन्तु एक प्रशिक्षण संस्था द्वारा एल० एड० और डी० फिल० की अध्ययन की सुविधा दी जाती है ।

प्रशिक्षण उपाधि में प्रशिक्षणार्थियों की प्रशिक्षण संस्था के आवास में रहने की बाध्यता के सम्बन्ध में जिज्ञासा की गई थी । आठ प्रशिक्षण संस्थाओं में से 6 संस्थायें आवासीय हैं अर्थात् इनमें प्रशिक्षणार्थियों को संस्था के छात्रावास में रहना अनिवार्य है । महाविद्यालय गैर आवासीय है जबकि संस्थाओं में मिश्रित व्यवस्था है अर्थात् इनमें छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है किन्तु प्रशिक्षणार्थियों को वहाँ रहने की बाध्यता नहीं है ।

उत्तर देने वाली प्रशिक्षण संस्थाओं में से 5 में सह शिक्षा है जबकि एक केवल पुरुषों के लिए और दो केवल महिलाओं के लिए है । केवल एल० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय केवल पुरुष या केवल महिलाओं के लिए है ।

प्रबन्धानुसार अध्ययन गत संस्थाओं का विवरण निम्नवत् है—

क्रमांक	विवरण	महाविद्यालयों की संख्या
(1)	शासकीय (क) राज्य (ख) केन्द्रीय	5
(2)	निजी प्रबन्ध तंत्र	2
(3)	विश्वविद्यालय का अंक	1

सभी प्रशिक्षण महाविद्यालयों का अपना भवन है। इनमें से भवनों का निर्माण विद्यालय भवनों के रूप में ही कराया गया था। किन्तु प्रशिक्षण संस्थाएँ ऐसे भवनों में चल रहे हैं जिनका निर्माण अन्य उपयोग के लिए हुआ था। प्रशिक्षण संस्थाओं में कतिपय आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्तता-अपर्याप्तता एवं अनुपलब्धता का चित्र निम्नवत् उभरता है—

क्रमांक	विवरण	महाविद्यालयों की संख्या			उत्तर
		पर्याप्त	अपर्याप्त	नहीं	नहीं
(1)	कक्षा कक्ष	7	1		
(2)	वृहत कक्ष	7	1		
(3)	ट्यूटोरियल सेमिनार कक्ष	4	1	3	
(4)	विज्ञान, गृहविज्ञान प्रयोगशालाएँ	4	2	2	
(5)	मनोविज्ञान प्रयोगशालाएँ	—	—	8	
(6)	शिल्प कर्मशाला	3	1	3	1
(7)	विषय कक्ष	5	1	2	
(8)	पुस्तकालय	7	1	—	
(9)	कॉमन रूम पुरुष	2	2	3	1
(10)	महिला कॉमन रूम	—	1	4	
(11)	स्टाफ रूम	2	2	3	1
(12)	संकाय सदस्यों के लिए पृथक् कक्ष	4	3	1	
(13)	क्रीड़ा क्षेत्र				
(14)	छात्रावास पुरुष	5	—	1	
	महिला	1	3	—	
(15)	जलपान गृह	—	—	8	

इस तालिका से स्पष्ट होता है कि अध्ययनगत प्रशिक्षण संस्थाओं में भवन सम्बन्धी आधारभूत सुविधाएँ सन्तोषप्रद हैं। मनोविज्ञान प्रयोगशाला और जलपान गृह की व्यवस्था किसी भी संस्था में नहीं है। राजकीय गृह विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय में भवन सम्बन्धी सुविधाएँ पर्याप्त नहीं हैं।

तीन संस्थाओं में स्टाफ रूम नहीं हैं। संकाय सदस्यों के पृथक् कक्षों की व्यवस्था केवल 4 संस्थाओं में पर्याप्त बतायी गयी है और तीन में यह सुविधा है तो किन्तु अपर्याप्त है। एक संस्था में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

हर शिक्षण संस्था के लिए क्रीड़ा क्षेत्र अपरिहार्य होते हैं किन्तु एक प्रशिक्षण संस्था में अपना क्रीड़ा क्षेत्र नहीं है। इसी प्रकार पुरुष एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए कॉमन रूम की व्यवस्था भी अपर्याप्त है। ऐसी संस्थाएँ जहाँ सह-शिक्षा है, में महिला कॉमन रूम का न होना प्रशिक्षणार्थिनियों के लिए निश्चय ही असुविधाजनक होता होगा।

मानवीय संसाधन

प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु दो प्रकार के मानवीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। (क) शिक्षण (ख) शिक्षणेत्तर। शिक्षणेत्तर वर्ग में कार्यालय, परिचारक, मशीनमैन आदि सम्मिलित हैं। अध्ययन गत संस्थाओं में मानवीय संसाधन की स्थिति निम्नवत् है—

क्रमांक	संस्था	पदों का विवरण एवं संख्या	
		शिक्षण	शिक्षणेतर
(1)	राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान	15	
(2)	राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय	20	20
(3)	राजकीय गृहविज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय	25	19
(4)	राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय	28	34
(5)	राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय	24	24
(6)	शिक्षा संकाय बी० एच० यू०, वाराणसी	19	27
(7)	आर० बी० एस०, आगरा	12	5
(8)	गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय	6	2

प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापक छात्र अनुपात विश्वविद्यालयों में 1 : 10 और महाविद्यालयों में 1 : 15 को मानक अपनाये जाने की संस्तुति की गयी है। पाठ्यक्रम के वैकल्पिक प्रश्न-पत्रों की भी शिक्षक-प्रशिक्षकों की व्यवस्था पर विचार करते समय ध्यान में रखना होगा।

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की दृष्टि में पर्याप्त अन्तर इन संस्थाओं में पाया जाता है। सबसे कम शिक्षणेत्तर कर्मचारी गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में (2) और सबसे अधिक शासकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ में (34) हैं। कतिपय संस्थाएँ स्वतन्त्र इकाई न होकर किसी अन्य संस्था की अंग है जैसे राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान की प्रशिक्षण इकाई, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश के मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग का अंग है। फलतः यहाँ प्रशिक्षण इकाई से सम्बद्ध कर्मचारी ही दर्शाये गये हैं। प्रशिक्षण इकाई का पृथक् कार्यालय भी नहीं है।

किसी भी संस्था द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के निष्पादन हेतु अंशकालिक शिक्षण अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रखने की व्यवस्था नहीं है।

शुल्क

विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले शुल्क का विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है। राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों में केवल क्रीड़ा और चिकित्सा शुल्क लिया जाता है। दो महिला प्रशिक्षण संस्थाओं में जहाँ बस सुविधा दी गयी है 10 00 प्रतिमाह शुल्क लिया जाता है। एक संस्था में स्काउटिंग शुल्क 30-00 और एक में छात्र परिषद शुल्क 10-00 लिये जाने की सूचना दी गयी है।

बी० एड० प्रशिक्षण संस्थाओं में शुल्क में पर्याप्त भिन्नता पायी गयी। आर० बी० एस०, आगरा में केवल चार प्रकार के शुल्क लेने की सूचना दी गयी है। शिक्षा संकाय बी० एच० यू० में विभिन्न प्रकार के 17 शुल्क और गाँधी स्नातकोत्तर में 15 प्रकार के शुल्क निर्धारित हैं। बी० एड० संस्थाओं में अर्ह प्रशिक्षणार्थियों को वित्तीय सहायता शुल्क-मुक्ति के रूप में देने की व्यवस्था है।

(2) प्रशिक्षणार्थियों का प्रवेश

शिक्षा की गुणवत्ता और राष्ट्रीय विकास में उसके योगदान के निर्धारक विभिन्न घटकों में शिक्षक निस्सन्देह सबसे महत्वपूर्ण है। शैक्षिक प्रयासों की पूर्ण सफलता अन्ततः उसके व्यक्तिगत गुणों, शैक्षिक योग्यता और व्यावसायिक दक्षता पर निर्भर करती है। अभी तक शिक्षक का मुख्य कार्य सूचनाओं का सम्प्रेषण करना माना जाता था जिसे छात्र ग्रहण कर याद कर लें। आज शैक्षिक गुरुत्वाकर्षण का केन्द्र अध्यापक से हटकर छात्र पर आ गया है। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे घटनाओं के प्रेक्षक प्रयोग परीक्षण, चयन, वर्गीकरण, विश्लेषण आदि द्वारा समस्याओं का हल स्वयं प्राप्त करें। इस प्रकार अब शिक्षक की भूमिका में परिवर्तन हो गया है और अब उसकी भूमिका उत्प्रेरक, संगठन कर्ता और छात्रों का अधिगम क्रियाओं के व्यवस्थापक की हो

गयी है। केवल इतना ही नहीं आज शिक्षा व्यवस्था से की जाने वाली अपेक्षाओं में भी परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। आज शिक्षा को समाजार्थिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम माना जाता है। शिक्षा अपने इस दायित्व का निर्वहन तभी कर सकती है जब न केवल पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय आवश्यकताएँ, आकांक्षाएँ और अपेक्षाएँ प्रतिबिम्बित हों अपितु शिक्षकों में आवश्यक कौशलों का विकास किया गया हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चयन प्रक्रिया अच्छी होनी चाहिये। किसी भी शैक्षिक व्यवस्था का भार उसके शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अतः भावी अध्यापकों के चयन में पर्याप्त सावधानी आवश्यक है।

इसी महत्व को देखते हुए इस अध्ययन में दोनों प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं (बी० एड० और एल० टी०) में प्रशिक्षणार्थियों के प्रवेश सम्बन्धी व्यवस्था का भी अध्ययन किया गया।

एल० टी० और बी० एड० दोनों प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक रखी गई है। एल० टी० गृह विज्ञान, एल० टी० विज्ञान, एल० टी० कृषि हेतु सम्बन्धित विषय में स्नातक होना अनिवार्य है।

प्रशिक्षण में प्रवेश की अर्हता हेतु न्यूनतम उक्त केवल शिक्षा संकाय बी० एच० यू० में 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। अर्हता हेतु अन्य कोई शैक्षिक अथवा अनुभव सम्बन्धी शर्त नहीं रखी गयी है।

उत्तरदाता संस्थाओं में प्रवेश हेतु परीक्षा ली जाती है। परीक्षा में सामान्य ज्ञान और अभिवृत्ति परीक्षण के लिए दो प्रश्न-पत्र होते हैं। एल० टी० प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये लिखित परीक्षा के अतिरिक्त साक्षात्कार भी किया जाता है किन्तु बी० एड० प्रशिक्षण हेतु साक्षात्कार को किसी भी उत्तरदाता ने स्वीकार नहीं किया है।

प्रवेश हेतु कतिपय श्रेणियों के लिए शासन के नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था निम्नवत् है—

अनुसूचित जाति	18 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	2 प्रतिशत
पिछड़ी जाति	10 प्रतिशत
विकलांग एवं अन्य राज्यों के अभ्यर्थी	2 प्रतिशत

प्रवेश हेतु निर्धारित योग्यताओं एवं शर्तों में किसी भी संस्था में छूट नहीं दी जायगी।

एल० टी० प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु परीक्षाओं के आयोजन और अभ्यर्थियों के चयन के सम्बन्ध में काम रजिस्ट्रार शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता

है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की जाती है। सम्बद्ध महाविद्यालयों को उनके महाविद्यालय के लिये चयनित अभ्यर्थियों की सूची भेज दी जाती है।

अध्ययनगत प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु स्थान का विवरण निम्नवत् है—

एल० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय

(1) राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद 80

(2) राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद 80

(3) राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ रचनात्मक 70
विज्ञान 70
कृषि 15

(4) राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी 100
(50 महिला एवं 50 पुरुष)

(5) राजकीय गृह विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद 50

बी० एड०

(1) शिक्षा संकाय, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी 180

(2) आर० बी० एस० कालेज, आगरा 180

(3) गाँधी स्नातकोत्तर प्रशिक्षण महाविद्यालय, मालटारी, आजमगढ़ 90

शासन द्वारा समय-समय पर घोषित आरक्षण सुविधा दी जाती है। सम्प्रति अनुसूचित जाति 18 प्रशिशत, जनजाति 2 प्रतिशत, पिछड़ी जाति 15 प्रतिशत और अन्य 5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। किसी भी संस्था द्वारा न्यूनतम निर्धारित योग्यता में छूट दी जाती है।

(3) शैक्षिक कार्यक्रम

प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्यतया तीन खण्डों में बाँटा जा सकता है—

(क) सैद्धान्तिक प्रश्न-पत्र

(ख) प्रयोगात्मक

(ग) सह-पाठ्यक्रमीय क्रिया-कलाप।

अध्ययनगत आठों संस्थाओं में शिक्षण कार्य हिन्दी में किया जाता है। केवल शिक्षा संकाय बी० एच० यू० में अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग भी शिक्षण हेतु किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को परीक्षा में हिन्दी या अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग करने की सुविधा 50 प्रतिशत संस्थाओं द्वारा दी गयी है। शेष में परीक्षा का माध्यम भी हिन्दी भाषा ही है।

प्रवेश की अन्तिम निश्चित नहीं है। सक्षम अधिकारियों द्वारा हर वर्ष इसकी घोषणा तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार की जाती है। क्योंकि 5 संस्थाओं (सभी एल० टी० महाविद्यालय) में 30 अप्रैल को सत्र समाप्त होता है जबकि बी० एड० कालेज में अप्रैल एक में मई और एक में जून में सत्र समाप्ति स्वीकार किया गया है।

सभी प्रशिक्षण संस्थाओं में पूरी प्रशिक्षण अवधि को एक सत्र माना गया है। सत्र में कार्य दिवसों की संख्या केवल दो एल० टी० कालेज (बेसिक वाराणसी एवं रचनात्मक लखनऊ) द्वारा 220 दिन सूचित की गई है। शेष में इस जिज्ञासा का कोई उत्तर नहीं दिया है।

सामान्य दिवस में पीरियड्स की संख्या में भिन्नता है। तीन संस्थाओं में प्रतिदिन 8 पीरियड्स दो में सात, एक में 9 और दो में 6 पीरियड्स होना स्वीकार किया गया है। पीरियड्स की संख्या में भिन्नता एल० टी० और बी० एड० प्रशिक्षण संस्थाओं में आपस में भी है। राजकीय एल० टी० महाविद्यालयों में भी तीन में 8 एक में 7 और एक में 9 पीरियड्स होते है। इसी प्रकार बी० एड० पीरियड्स की संख्या की भाँति उनकी अवधि में भी भिन्नता पायी जाती है। सबसे अधिक अवधि गाँधी स्नातकोत्तर प्रशिक्षण महाविद्यालय में 50 मिनट और सबसे कम 35 मिनट के पीरियड्स बेसिक वाराणसी में होते है।

सैद्धान्तिक प्रश्न-पत्रों की दिये जाने वाले पीरियड्स के सम्बन्ध मे की गयी जिज्ञासा के उत्तर में महाविद्यालयों के प्रति सप्ताह 24 पीरियड्स, तीन ने 36 और दो ने 30 पीरियड्स देने की बात स्वीकार की है। एल० टी० कालेजों में सामान्यतः 24 प्रति सप्ताह सैद्धान्तिक प्रश्न-पत्रों को दिये जाते हैं, केवल रचनात्मक लखनऊ में विशेष विषय हेतु 12 पीरियड्स अतिरिक्त और बेसिक वाराणसी में 6 अतिरिक्त पीरियड्स की व्यवस्था में बी० एड० महाविद्यालयों में से दो में 36 और एक में 30 पीरियड्स की व्यवस्था है।

प्रशिक्षणार्थियों द्वारा शिक्षण अभ्यास हेतु चार एल० टी० ट्रेनिंग कालेजों में प्रतिदिन 4 पीरियड्स, एक में 10 पीरियड्स की व्यवस्था है। 2 बी० एड० कालेजों में दो-दो पीरियड्स अनुदानित किये गये है। एक बी० एड० कालेज में कोई उत्तर नहीं दिया है।

सैद्धान्तिक प्रश्न-पत्रो के अन्तर्गत प्रयोगात्मक कार्य हेतु एक संस्था में 12 पीरियड्स, तीन में 4 पीरियड्स, एक में दो पीरियड्स और एक में मात्र 1 पीरियड्स प्रति सप्ताह दिया जाता है।

सहपाठ्यक्रमीय क्रिया-कलाप प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रमुख भाग होता है। प्रमुख सहपाठ्यक्रमीय क्रिया-कलाप और आयोजन करने वाली संस्थाओं का विवरण अग्रवत् है—

	कार्यक्रम	संस्थाओं की संख्या
(1)	स्काउट गाइड शिविर	7
(2)	शैक्षिक भ्रमण	2
(3)	वार्षिक समारोह	5
(4)	सांस्कृतिक कार्यक्रम	5
(5)	खेलकूद (नित्य)	8
(6)	विद्यालय अभिलेखों का रख-रखाव	1

सहपाठ्यक्रमीय क्रिया-कलापों के आयोजन हेतु तैयारी के लिए समय दिए जाने की व्यवस्था है।

एल० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सहपाठ्यक्रमीय क्रिया-कलापों के आयोजन, नेतृत्व उत्तरदायित्व व पहल शक्ति के विकास के लिए प्रशिक्षणार्थियों के संगठन का प्रावधान है। यह संगठन प्रशिक्षणार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं, विद्यालय परिसर की शोभावृद्धि, शैक्षिक भ्रमण, सामुदायिक कार्य, शैक्षिक समस्याओं पर गोष्ठियों, वार्ताओं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्था में विद्यालय प्रशासन को सहायता करता है।

बी० एड० प्रशिक्षण संस्थाओं में इस प्रकार के किसी संगठन की सूचना नहीं दी गई है।

सहपाठ्यक्रमीय क्रिया-कलापों के शैक्षिक महत्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि भावी अध्यापकों को इन कार्यक्रमों के आयोजन का प्रशिक्षण भी दिया जाय। किसी कार्यक्रम के आयोजन की बारीकियों का अध्ययन करने के लिए उस कार्यक्रम का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने से बढ़कर और कोई अच्छा अवसर नहीं होता है।

इस खण्ड की जिज्ञासाओं का उत्तर संभवतः पूरी गम्भीरता से दिया गया प्रतीत नहीं होता। प्राप्त सूचनाओं से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रत्येक प्रशिक्षण संस्था में इस पक्ष पर ध्यान दिया जाता है।

सैद्धान्तिक पक्ष

सैद्धान्तिक ज्ञान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का मुख्य घटक है। इसके अन्तर्गत अध्यापक को विज्ञान की सैद्धान्तिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न पाठ्यक्रमों का विहंगम अवलोकन करने पर विदित होता है कि एल० टी० और विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत बी० एड० पाठ्यक्रम के इस पक्ष में अन्तर है। यह अन्तर एल० टी० के ही विभिन्न पाठ्क्रमों में भी दिखायी

पड़ता है। अध्ययन गत प्रशिक्षण संस्थाओं में व्यवहृत किये जा रहे सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम का विवरण परिशिष्ट 'क' में दिखाया गया है। पाठ्यक्रमों के अध्ययन से विदित होता है कि शिक्षा के सिद्धान्त, शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार, बाल मनोविज्ञान और सांख्यकी, शिक्षण के सिद्धान्त और शिक्षण विधियों, पाठशाला प्रबन्ध, स्वास्थ्य शिक्षा कतिपय मुख्य क्षेत्र हैं जिनकी सामग्री स्वतन्त्र प्रश्न-पत्र या किसी प्रश्न-पत्र के अंक के रूप में समाहित की गई है।

शिक्षा के अभिनव प्रयोग, सम्बोध एवं प्रवृत्तियाँ शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में केवल एल० टी० सामान्य और बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के बी० एड० पाठ्यक्रम में प्रतिबिम्बित है।

बी० एड० (बी० एच० यू०) में वैकल्पिक विशेष विषय के रूप में श्रव्य-द्रव्य शिक्षा पाठ्यक्रम निर्माण और पाठ्य पुस्तक रचना, विद्यालय पुस्तकालय का संगठन, विद्यालय प्रबन्ध और व्यवस्था, पूर्व विद्यालयी शिक्षा, शैक्षिक मापन और मूल्यांकन, प्रौढ़ शिक्षा, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन, स्वास्थ्य शिक्षा, शिक्षा का इतिहास, जनसंख्या शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा जैसे 13 विद्यालयों की व्यवस्था है।

तुलना के लिए यदि लखनऊ विश्वविद्यालय के बी० एड० पाठ्यक्रम में माध्यमिक विद्यालय संगठन और स्वास्थ्य शिक्षा को एक स्वतन्त्र प्रश्न-पत्र के रूप में रखा गया है किन्तु अन्य प्रकरण समाहित नहीं हैं। यही स्थिति गोरखपुर विश्वविद्यालय, बुन्देलखंड विश्वविद्यालय एवं पूर्वांचल विश्वविद्यालय और सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में भी है।)

एल० टी० के विभिन्न पाठ्यक्रमों में भी यही स्थिति है। एल० टी० सामान्य में जनसंख्या शिक्षा को एक प्रश्न के अंग के रूप में और विशेष प्रश्न-पत्र के अन्तर्गत उपचारात्मक शिक्षा निर्देशन और परामर्श, शैक्षिक मूल्यांकन तथा सांख्यिकी, क्रियात्मक अनुसंधान, शैक्षिक प्रबन्ध और शैक्षिक तकनीकी 6 विकल्प हैं जबकि एल० टी० रचनात्मक बेसिक, एल० टी० कृषि, विज्ञान और गृह विज्ञान में ये प्रकरण प्रतिबिम्बित नहीं हैं।

स्पष्ट है कि बी० एड, बी० एच० यू०, को छोड़कर अब विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में अभिनव प्रवृत्तियों और सामयिक महत्व के अन्य विषयों का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत अल्प है।

एल० टी० रचनात्मक, कृषि, विज्ञान, गृह विज्ञान एवं एल० टी० बेसिक में अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी विषय-वस्तु के अतिरिक्त विषय ज्ञान को भी रखा गया है।

इस सम्बन्ध में ध्यातव्य है कि विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में समतुल्यता और स्तर को बनाये रखने के साथ-साथ अध्यापक शिक्षा को युगीन, प्रासंगिक और अध्यापकों की परिवर्तित भूमिका के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन० सी० टी० ई०) द्वारा सेकेण्डरी स्तर के अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम हेतु अग्रलिखित रूपरेखा प्रस्तुत की है—

(क) फाउन्डेशन कोर्स

(1) विकासोन्मुख भारत में शिक्षा (दर्शन तथा सामाजिक, सांस्कृतिक परिदृश्य)

(2) शिक्षा मनोविज्ञान (शिक्षार्थी के विकास स्तर अधिगम समायोजन के विशेष सन्दर्भ सहित)

(ख) स्तर के सन्दर्भ में विशेषज्ञता

(3) सेकेन्डरी शिक्षा और अध्यापक के कार्य

(4) सेकेन्डरी स्तरीय विद्यालय विषय (जिसमें पहले विशेषज्ञता हो)

(5) सेकेन्डरी स्तर का दूसरा विषय / हायर सेकेण्डरी / प्राइमरी शिक्षा।

(ग) अतिरिक्त विशेषज्ञता

(6) कोई एक – प्रौढ़ शिक्षा, सेकेण्डरी शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, दूर शिक्षा, पुस्तकालय सेवा, जनजातीय शिक्षा, विशेष शिक्षा (एकीकृत एवं कोई एक वर्ग), स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्यानुभव, शैक्षिक तकनीकी, क्रियात्मक अनुसन्धान, कम्प्यूटर शिक्षा आदि।

इसी प्रकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बी० एड० प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित रूपरेखा सैद्धान्तिक पक्ष हेतु प्रस्तावित की है—

कोर विषय

(1) शिक्षार्थी स्वरूप और विकास

(2) भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा

(3) शिक्षण अधिगम प्रक्रिया

(4) खण्ड 'क' विद्यालय प्रबन्ध

(5) खण्ड 'ख' वैकल्पिक

वैकल्पिक

प्रथम विकल्प

(6) शिक्षण विधियाँ

(7) शैक्षिक विश्लेषण

द्वितीय विकल्प

(8) शिक्षण विधि

(9) शैक्षिक विश्लेषण

इस प्रस्तावित रूपरेखाओं के सन्दर्भ में अध्ययन गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का विवेचन

करने से विदित होता है कि बी० एड० (बी० एच० यू०) एवं सामान्य एल० टी० पाठ्यक्रम एन० सी० टी० ई० पाठ्यक्रम के लगभग समान है।

सैद्धान्तिक विषयों के शिक्षण में प्रयुक्त की जाने वाली विधियों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रियाएँ इस प्रकार हैं—

	विधि	उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या
(1)	व्याख्यान	8
(2)	ट्यूटोरियल्स	4
(3)	निर्देशित स्वाध्याय	6
(4)	गृह कार्य / परियोजना	6

स्वाभाविक है कि व्याख्यान पद्धति सर्वाधिक प्रयुक्त शिक्षण विधि है। चार प्रशिक्षण संस्थाओं में ट्यूटोरियल्स की भी व्यवस्था है। 8 संस्थाओं द्वारा निर्देशित स्वाध्याय भी अपनाया गया है। 6 संस्थायें गृह कार्य / परियोजनाओं के रूप में भी प्रशिक्षण के सैद्धान्तिक पक्ष को पुष्ट करती हैं।

प्रशिक्षण संस्थाओं के बहुसंख्यक प्रशिक्षणार्थी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों से सद्यः निकले स्नातक एवं परास्नातक होते हैं। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम उसके अब तक के अध्ययन जीवन से भिन्न प्रकृति का होता है। प्रशिक्षणार्थियों को उनके भावी दायित्वों एवं प्रशिक्षण अवधि में किये जाने वाले कार्यक्रमों से परिचित कराना आवश्यक होता है। अध्ययन गत संस्थाओं में से केवल तीन—2 एल० टी० कालेज और एक बी० एड० कालेज में इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसे 4 पीरियड्स से लेकर तीन दिन का समय दिया जाता है।

इस कार्यक्रम में संकाय सदस्यों का परिचय, संस्था का परिचय, प्रशिक्षण कार्यक्रम का परिचय, शिक्षक की भूमिका, संस्था की कार्य-पद्धति और कार्य संस्कृति का परिचय दिया जाता है। एकमात्र बी० एड० संस्था जहाँ ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। (आर० बी० एस० आगरा) को सूचित किया है कि इस अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को समूहों में बाँट कर शैक्षिक परिचर्चा करायी जाती है और समूह अपनी आख्यायें प्रस्तुत करते हैं।

शिक्षण अभ्यास

शिक्षण भी एक कला है और अन्य कलाओं की भाँति इसमें भी अभ्यास का विशेष महत्व है। शिक्षक शिक्षा के प्रत्येक कार्यक्रम में शिक्षा शिक्षण अभ्यास को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया गया है। प्रायः शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए यह कहा जाता है कि इनमें सैद्धान्तिक पक्ष

पर अधिक और प्रयोगात्मक पक्ष पर कम बल दिया जाता रहा है। प्रशिक्षण अवधि में शिक्षण अभ्यास के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षण कौशलों का विकास करने में सहायता मिलती है और वे शिक्षण कौशल की तकनीक में निपुण हो जाते हैं।

विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों से शिक्षण अभ्यास के अन्तर्गत अपेक्षित पाठ शिक्षण का विवरण निम्नवत् है—

क्रमांक	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	पाठों की संख्या		
		प्रथम विषय	द्वितीय विषय	तृतीय विषय
(1)	एल० टी० सामान्य, रा० सी० पी० आई०	15	15	30
(2)	एल० टी० रचनात्मक	30	30	
(3)	एल० टी० विज्ञान	30	20	
(4)	एल० टी० कृषि	25	25	
(5)	एल० टी० बेसिक	15	30	10
(6)	एल० टी० गृह विज्ञान	30	20	—
(7)	बी० एड० बी० एच० यू०	20	20	—
(8)	बी० एड० पूर्वांचल	20	20	20
(9)	बी० एड० आगरा	20	20	—

एल० टी० प्रशिक्षण में 50 से 60 पाठों का शिक्षण अभ्यास निर्धारित किया गया है। बी० एड० प्रशिक्षण में दो संस्थाओं में 40 पाठों का शिक्षण और एक में 60 पाठों का शिक्षण निर्धारित किया गया है।

शिक्षण अभ्यास हेतु विषयों की अनिवार्यता के सम्बन्ध में की गयी जिज्ञासा के उत्तर में बताया गया है कि एल० टी० सामान्य में 30 पाठ सूक्ष्म शिक्षण के पढ़ाने होंगे। इसी प्रकार एल० टी० गृह विज्ञान में 20 पाठ प्रयोगात्मक होंगे। एल० टी० बेसिक में विषय बन्धन तो नहीं है किन्तु एकाकी, सम्पादित और योजना-पाठ का बन्धन रखा गया है। आगरा और पूर्वांचल विश्वविद्यालयों में सेकेन्डरी स्तरीय विषयों को क्रमशः 3 और 2 वर्गों में बाँट दिया गया है। प्रशिक्षणार्थियों को इन वर्गों में से दो विषयों का चयन करना होता है।

प्रशिक्षणार्थियों द्वारा शिक्षण अभ्यास अपनी संस्था से संबद्ध प्रायोगिक विद्यालय/विद्यालयों में 5 संस्थाओं में कराने की व्यवस्था है, दो संस्थाएँ (एल०टी०, बी०एड०) प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षण

अभ्यास हेतु सहयोगी संस्थाओं में भेजती है। चार संस्थाएँ अपने सम्बद्ध प्रायोगिक विद्यालय के अतिरिक्त सहयोगी संस्था में भी शिक्षण अभ्यास कराती हैं। केवल दो संस्थाएँ अपने से सम्बद्ध विद्यालय / विद्यालयों में ही शिक्षण अभ्यास कराती हैं।

अधिकांश प्रशिक्षण संस्थाएँ नगरों में स्थित हैं और प्रशिक्षणार्थियों को आगे चलकर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में भी शिक्षण कार्य करना पड़ता है। अतः यह जिज्ञासा की गयी थी कि क्या भिन्न परिवेश के बच्चों के शिक्षण का अनुभव प्रदान करने के लिए प्रशिक्षणार्थियों की यथास्थिति ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों में भी भेजा जाना है। किसी भी प्रशिक्षण संस्था द्वारा यह व्यवस्था नहीं अपनायी गयी हैं।

शिक्षण अभ्यास पूर्व तैयारी हेतु दिये गये समय के विषय में अलग-अलग उत्तर प्राप्त हुए हैं। नीचे तालिका में दिये जाने वाले समय और संस्थाओं का विवरण दिया गया है—

दिया जाने वाला समय	संस्थाओं की संख्या
3 दिन	2
1 सप्ताह	3
2 सप्ताह	2
2 माह	1

तैयारी के लिए सबसे कम समय 3 दिन दो प्रशिक्षण संस्थाओं में और सबसे अधिक 2 माह एक संस्था में दिया जाता है। सम्भवतः प्रदेश के बाद शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम प्रारम्भ होने के पूरे अन्तराल की तैयारी का समय मान कर यह अवधि दो माह सूचित की गयी है। अतः संस्थाओं द्वारा अपेक्षा की जाती है कि प्रशिक्षणार्थी इस अवधि में कुछ योजनाओं को तैयार कर उन पर अपने पर्यवेक्षक से विचार-विमर्श करके उन्हें अन्तिम रूप देंगे और सहायक सामग्री तैयार करेंगे। पाँच संस्थाएँ यह भी अपेक्षा करती हैं कि इस अवधि में प्रशिक्षणार्थी शिक्षण कौशल का भी सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा अभ्यास करेंगे।

कक्षा-शिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों के मार्ग-निर्देशन हेतु सात संस्थाओं द्वारा प्रदर्शन-पाठ आयोजित करने की सूचना दी गयी है। एक संस्था (गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय मालटारी, आजमगढ़) में यह परम्परा नहीं है। जिन प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रदर्शन-पाठ की परम्परा है वहाँ प्रदर्शन-पाठ शिक्षक प्रशिक्षकों द्वारा पढ़ाये जाते हैं। प्रदर्शन-पाठों का आयोजन प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण आरम्भ होने के पूर्व किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षण के सम्बन्ध में और

अनुभव प्राप्त करने के लिए अन्य विद्यालयों में सामान्य कक्षा शिक्षण के प्रेक्षण की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अध्ययन गत 6 संस्थाओं ने बताया है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जाती, किन्तु दो बी० एड० संस्थाओं ने ऐसी व्यवस्था करने की बात स्वीकार की है। इसी प्रकार दो संस्थाओं (एल० टी०) द्वारा कक्षा शिक्षण से सम्बन्धित फिल्म प्रदर्शित करने की भी बात स्वीकार की गयी है।

छह प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रदर्शन-पाठ प्रशिक्षण संस्था में ही प्रायोगिक विद्यालय या प्रयोगी विद्यालय से छात्रों को बुलाकर आयोजित कराया जाता है जब कि एक संस्था द्वारा अन्य संस्थाओं में जाकर पाठ-प्रदर्शन किया जाता है।

प्रदर्शन-पाठों पर 6 संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को टिप्पणी लिखने को प्रोत्साहित किया जाता है। एक संस्था में यह परम्परा नहीं है। प्रदर्शन-पाठ की परम्परा वाले सात संस्थाओं में से दो में (बी० एड०) टिप्पणी हेतु प्रारूप भी निर्धारित किया गया है। प्रदर्शन-पाठों पर विचार-विमर्श की परम्परा सातों संस्थाओं में है।

सात प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षणार्थियों को दो-दो आलोचनात्मक पाठ पढ़ाने पड़ते हैं। केवल एक संस्था में एक आलोचनात्मक पाठ की योजना रखी गयी है। आलोचनात्मक पाठों के विषय के सम्बन्ध में केवल यही बन्धन है कि वे विषय शिक्षण अभ्यास में लिये गये रहे हों।

चार प्रशिक्षण संस्थाओं में आलोचनात्मक पाठ शिक्षण अभ्यास के मध्य में, एक में अन्त में, एक में वार्षिक परीक्षा से पूर्व, एक में एक-एक पाठ मध्य और अन्त में आयोजित किये जाते हैं, सात संस्थाओं में आलोचनात्मक पाठों पर विचार-विमर्श भी किया जाता है। एक संस्था में यह परम्परा नहीं है।

सात संस्थाओं मे आलोचना पाठ आन्तरिक मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं। सत्रीय कार्य के मूल्यांकन में छात्र प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाता है।

पाठ योजना का संशोधन एवं अनुमोदन विषय अध्यापक द्वारा किये जाने की व्यवस्था सात संस्थाओं में अपनायी गयी है। एक संस्था ने उत्तर सही नहीं दिया है।

पाठ योजना के संशोधन हेतु समय सारणी में समय की व्यवस्था केवल तीन संस्थाओं में की गयी है। शेष संस्थाओं में यह कार्य पर्यवेक्षक की सुविधा से सम्पन्न होता है।

सामान्यतया शिक्षण अभ्यास कार्य का पर्यवेक्षक निर्धारित पर्यवेक्षक द्वारा किया जाता है जो प्रशिक्षण संस्था के शिक्षक-प्रशिक्षक होते हैं। विशेष परिस्थितियों में प्रायोगिक विद्यालय के विषय अध्यापक (1 संस्था) कक्षा अध्यापक (1 संस्था) भी पर्यवेक्षण करते हैं। एक संस्था ने सूचित किया है कि प्राचार्य और प्रोफेसर क्राफ्ट भी पर्यवेक्षण करते हैं।

अधिकांश पर्यवेक्षकों को एक पीरियड में तीन से छः प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण को देखना होता है। अतः सामान्यतया किसी भी प्रशिक्षणार्थी के पूरे पाठ का पर्यवेक्षण नहीं होता। आलोचनात्मक पाठों का पर्यवेक्षण पूरे समय तक किया जाता है।

पूरी कक्षा में शिक्षण अभ्यास कराने की व्यवस्था केवल दो संस्थाओं में है। शेष में अधिक से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षण अभ्यास की सुविधा देने के लिए कक्षा में उपवर्ग बना दिये जाते हैं। प्रयास किया जाता है कि उपवर्ग में कम से कम 10 छात्र अवश्य हों। संस्थाओं द्वारा विश्वास प्रगट किया गया है कि इस पद्धति में भी प्रशिक्षणार्थियों को वास्तविक कक्षा शिक्षण का अनुभव प्राप्त हो जाता है।

स्पष्टतः दोनों प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों एल० टी० और बी० एड० में शिक्षण अभ्यास को पाठ्यक्रम का प्रमुख घटक बनाया गया है।

मूल्यांकन

मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया का अविभाज्य अंग है। अध्यापक शिक्षा में इसी प्रकार मूल्यांकन अपना विशिष्ट स्थान रखता है।

शिक्षा विभाग के निर्देशन में संचालित एल० टी० प्रशिक्षण की परीक्षाओं का आयोजन रजिस्ट्रार शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, उ० प्र०, द्वारा किया जाता है जबकि बी० एड० के लिए परीक्षाएँ सम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित की जाती हैं।

एल० टी० और बी० एड० दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपने पाठ्यक्रम की विशिष्टतानुसार यथास्थिति निम्नलिखित विषयों में मूल्यांकन की योजना अपनाई गई है—

(क) सैद्धान्तिक

(ख) कक्षा शिक्षण

(ग) क्रियात्मक

सैद्धान्तिक के अन्तर्गत अध्यापन विज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न-पत्र होते हैं। एल० टी० सामान्य और एल० टी० बेसिक के अतिरिक्त अन्य एल० टी० और बी० एड० कार्यक्रमों में 100-100 छात्रों के पाँच प्रश्न-पत्र रखे गये हैं। एल० टी० सामान्य और बेसिक में 6 प्रश्न-पत्र हैं।

सैद्धान्तिक पक्ष के लिए मूल्यांकन हेतु वाह्य परीक्षा आयोजित की जाती है किन्तु केवल एल० टी० सामान्य में सत्रीय कार्य के लिए 120 अंकों का आन्तरिक मूल्यांकन भी रखा गया है।

कक्षा शिक्षण अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का मेरुदण्ड है। इसके मूल्यांकन हेतु एल० टी० सामान्य (400) को छोड़कर 200 अंकों की परीक्षा होती है। इसमें एल. टी. रचनात्मक,

विज्ञान, कृषि एवं गृह विज्ञान को छोड़कर शेष एल. टी. एवं बी. एड. में 50 प्रतिशत अंक (बुन्देलखण्ड में 25 प्रतिशत) आंतरिक मूल्यांकन हेतु है।

क्रियात्मक पक्ष के अन्तर्गत एल. टी. सामान्य में सामुदायिक कार्य, एल. टी. बेसिक में सामुदायिक कार्य और बुनियादी शिल्प तथा तत्सम्बन्धित कला, एल. टी. रचनात्मक में प्राजेक्ट्स बी. एड., बी. एच. यू. में मुख्य विषय में प्रयोगात्मक एवं अन्य क्रियात्मक कार्यों का मूल्यांकन कार्य रखा गया है। एल. टी. सामान्य में श्रेणी अ, ब की व्यवस्था है जबकि अन्य में अंक है। एल. टी. सामान्य में इसका मूल्यांकन पूर्णतः आन्तरिक है जबकि अन्य में बाह्य और आन्तरिक दोनों प्रकार के मूल्यांकन का प्राविधान है। परिशिष्ट में मूल्यांकन योजना संक्षेप में प्रस्तुत है।

आन्तरिक मूल्यांकन सत्रीय कार्य के आधार पर किया जाता है।

दोनों प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में परीक्षाफल अलग-अलग खण्डों का घोषित किया जाता है। किसी खण्ड में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी को आंशिक परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने की सुविधा प्रदान की गई है।

विविध

प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता, वृद्धि और संस्था में उच्चस्तरीय अकादमिक वातावरण के सृजन से सम्बन्धित कतिपय जिज्ञासाएँ भी अध्ययन के अन्तर्गत की गयी थीं।

प्रशिक्षण संस्थाओं से आशा की जाती है कि उनके शिक्षक-प्रशिक्षक शिक्षा क्षेत्र की अनुभव की जा रही कठिनाइयों और समस्याओं पर चिन्तन-मनन कर उनके निराकरण के उपायों का सुझाव देंगे जिससे शिक्षा के स्तर का उन्नयन हो सके। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को भी प्रभावी, प्रासंगिक और व्यावहारिक बनाने के लिए विकास, विधा और व्यवस्थागत अभिनव प्रवृत्तियों के विकास और प्रयोग की अपेक्षा भी उनसे की जाती है।

इसी पृष्ठभूमि में अध्ययनगत संस्थाओं से जिज्ञासा की गयी थी कि शोध एवं क्रियात्मक शोध को प्रोत्साहित करने के लिए क्या व्यवस्था अपनायी गयी है।

दो बी. एड. संस्थाओं में एम. एड. और डाक्टरेट के लिए सुविधा है। किसी भी एल. टी. प्रशिक्षण महाविद्यालय में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। दो एल. टी. प्रशिक्षण संस्थाओं में शोध प्राध्याता के एक-एक पद रखे गये हैं। एक संस्था में शोध कार्यों के लिए पृथक् शोध इकाई का गठन किया गया है।

बी. एड. संस्थाओं में शोध कार्य हेतु दो बार पंजीयन की तथा विभिन्न छात्र-वृत्तियों की

व्यवस्था है। किसी भी संस्था ने वर्ष 1989-90 के सम्पादित शोध/क्रियात्मक अनुसंधान कार्यों की संख्या नहीं सूचित की है।

संस्था द्वारा किये जाने वाले प्रकाशनों के सम्बन्ध में प्राप्त उत्तर के अनुसार केवल एक बी एड. संस्था द्वारा प्रकाशन किये जाने की बात स्वीकार की गयी है।

राज्य एवं देश की अध्यापक शिक्षा संस्थाओं से प्रभावी और क्रियाशील सम्पर्क बनाये रखने के सम्बन्ध में दो एल. टी. प्रशिक्षण संस्थाओं और दी बी. एड. प्रशिक्षण संस्थाओं ने राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यशालाओं, गोष्ठियों, समय, इन्स्टीच्यूट्स एवं अभिनवीकरण कार्यक्रमों में सहभागिता सूचित किया है। एल. टी. प्रशिक्षण संस्थाएँ एल. टी. कालेजों के शैक्षिक समारोह में सहभागिता करती हैं।

अध्ययनगत संस्थाओं से अपने अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की विशिष्टता का उल्लेख करने का आग्रह किया गया था। एक एल. टी. प्रशिक्षण संस्था द्वारा विभागीय निर्देशानुसार विभिन्न गोष्ठियों, कार्यशालाओं, सेमिनार्स, अभिनवीकरण आदि आयोजित किया जाना सूचित किया गया है।

एक बी. एड. प्रशिक्षण संस्था (बी. एच. यू.) द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से बी. एड. विशिष्ट शिक्षा पाठ्यक्रम चलाया जाता है तथा बी. एड. पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा के विशिष्टीकरण की सुविधा दी जाती है।

निष्कर्ष निरूपण

इस अध्ययन का उद्देश्य एल. टी. और बी. एड. प्रशिक्षण संस्थाओं का प्रशिक्षण व्यवस्था और कार्य-प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन करना था। अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं—

(1) एल. टी. और बी. एड. प्रशिक्षण में व्यवस्था और कार्य प्रणाली की दृष्टि से सिद्धान्त का अन्तर नहीं है।

(2) एल. टी. प्रशिक्षण संस्थाओं में शुल्क बी. एड. प्रशिक्षण संस्थाओं की तुलना में कम है।

(3) बी. एड. (बी. एच. यू.) के पाठ्यक्रम को छोड़कर अन्य बी. एड. पाठ्यक्रमों की अपेक्षा एल. टी. सामान्य पाठ्यक्रम में अध्यापक शिक्षा क्षेत्र के नवीन सम्बोधों, चिन्तन और प्रवृत्तियों का समावेश करने का अधिक प्रयास किया गया है।

(4) बी. एड. में (बी. एच. यू. को छोड़कर) क्रियात्मक कार्य पर उतना बल नहीं दिया जाता जितना एल. टी. प्रशिक्षण में।

(5) पाठ्यक्रम के सैद्धान्तिक पक्ष की दृष्टि से न केवल बी. एड. के पाठ्यक्रमों में अपितु विभिन्न प्रकार के एल. टी. पाठ्यक्रमों में भी परस्पर भिन्नता है।

अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि एल. टी. और बी. एड. प्रशिक्षण प्रणाली में अन्तर पाया जाता है।

अनुवर्ती कार्यक्रम

(1) प्रस्तुत अध्ययन पृच्छा-प्रपत्रों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है। अनुसन्धानकर्ता यह अनुभव करता है कि स्थलीय अध्ययन किये जाने से दोनों पद्धतियों की प्रशिक्षण व्यवस्था की भिन्नता या समानता और उपयोगी ढंग से प्रगट हो सकता है।

(2) अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि मुख्यतः राज्य शैक्षिक व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से कार्यरत इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में इतनी भिन्नता क्यों है, इससे अन्यान्य भ्रम पैदा होते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में उनकी विशिष्टता को बनाये रखते हुए समरूपता लायी जाय।

(3) यह भी स्पष्ट होता है कि अधिकांश अध्यापक, शिक्षा कार्यक्रम में सैद्धान्तिक पक्ष अधिक पुष्ट है। शिक्षण अभ्यास कार्य को तथा अन्य क्रियात्मक गतिविधियों की ओर समय आवंटित किया जाना चाहिये।

———

20

माध्यमिक शिक्षा में निरीक्षणालय के कार्यभार का अध्ययन

पृष्ठभूमि

1854 के वुड डिसपैच के फलस्वरूप प्रान्तों में शिक्षा विभागों का गठन किया गया। वर्ष 1881 में प्रान्तों में शिक्षा के प्रशासन का कार्यभार शिक्षा संचालकों (डी० पी० आई०) को सौंपा गया और निरीक्षण शाखा का गठन करने के साथ उसकी कार्य प्रणाली सुनिश्चित की गई। 1918 के मान्टेयू चेम्सफोर्ड सुधार ने निरीक्षण विभाग के ढांचे में मौलिक परिवर्तनों के सुझाव दिये। इन सुझावों के बावजूद निरीक्षण व्यवस्था अनेक स्वरूप एवं कार्यविधि में नौकरशाही ही बनी रही। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 1952 के मुदालियर कमीशन ने निरीक्षण व्यवस्था में पायी जाने वाली कमियों की ओर ध्यान दिया। कमीशन ने अपनी आख्या में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि निरीक्षकों के उपलब्ध समय का अधिकतर भाग अपने कार्यालयीय दायित्वों के निर्वहन में ही व्यतीत हो जाता है। वह विद्यालयों की वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था की ही जाँच तक सीमित रह जाते हैं। विद्यालय के शैक्षिक पक्ष का आकलन करने, अध्यापकों से सम्पर्क करने, उनकी कार्य पद्धति से परिचित होने, उनकी समस्याओं का निराकरण करने, उन्हें अकादमिक मार्ग-दर्शन एवं परामर्श प्रदान करने तथा विद्यालय के शैक्षिक उन्नयन की ओर समुचित ध्यान देने का उनके पास समयाभाव होता है। कोठारी आयोग 1964-66 ने इस समस्या का अध्ययन करने के उपरान्त जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय तथा उनके दायित्वों के पुनर्गठन तथा सुदृढ़ीकरण हेतु संस्तुतियाँ कीं।

आयोग का निश्चित मत था कि विगत वर्षों में राज्य स्तर पर शिक्षा निदेशालय का विद्यालयीय शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के फलस्वरूप पर्याप्त सीमा तक विस्तार किया गया किन्तु निचले स्तर पर अधिकारों को हस्तान्तरित नहीं किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जिला

शिक्षाधिकारी पूर्ववत् शक्तिहीन बने रहे। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जिला स्तर के शिक्षाधिकारी के कार्य एवं दायित्व में वृद्धि तो हुई किन्तु उसके कार्यालय-कर्मियों की संख्यात्मक एवं गुणात्मक क्षमता में अभिवृद्धि नहीं हुई।

नेशनल स्टाफ कालेज फार एजूकेशनल प्लैनर्स एण्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स (अब नीप्पा) द्वारा वर्ष 1976 में जिला शिक्षा अधिकारियों की अखिल भारतीय कान्फ्रेन्स में शिक्षाधिकारी की भूमिका और उनके दायित्वों पर विचार किया गया और यह मत व्यक्त किया गया कि निरीक्षणालय के समुचित सुदृढ़ीकरण पर बल दिया जाय जिससे कि जिला शिक्षाधिकारी नई चुनौतियों का सामना करने हेतु सक्षम हो सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने स्पष्ट संकेत किया है कि यदि शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाना है और शैक्षिक प्रशासन को कार्यक्षमता तथा उत्पादकतापरक बनाना है तो निरीक्षण प्रणाली को अधुनातन बनाना अत्यावश्यक है। आयोग का मत था कि निरीक्षणालय की विद्यालयों के शैक्षिक स्तरोन्नयन के लिए उत्तरदायी होना चाहिए, उसे शिक्षण संस्थाओं को आवश्यक अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना चाहिए तथा विद्यालयीय कार्यप्रणाली तथा व्यवस्था को श्रेष्ठतर बनाने में हरसम्भव योगदान करना चाहिए।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि समय-समय पर आयोजित विचार-गोष्ठियों, आयोगों तथा समितियों के द्वारा निरीक्षणालय की भूमिका का आकलन किया जाता रहा है और उसके सुदृढ़ीकरण हेतु अनुशंसाएँ की जाती रही हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक से अपेक्षा की जाती रही है कि वह जिला स्तर पर शिक्षा जगत को वही नेतृत्व प्रदान करेंगे जो प्रदेश स्तर पर शिक्षा निदेशक द्वारा प्रदान किया जाता है। किन्तु यह अपेक्षा साकार होने के स्थान पर निराधार होती जा रही है और जनपद स्तर पर माध्यमिक शिक्षा अपेक्षित शैक्षिक नेतृत्व के अभाव में निर्दिष्ट लक्ष्यों की सम्प्राप्ति में असफल होती जा रही है। निरीक्षणालय स्तर से अनवरत यह दलील दी जाती रही है कि कार्याधिक्य के कारण जिला विद्यालय निरीक्षक चाहते हुए भी शैक्षिक उन्नयन के कार्यक्रमों में अपेक्षानुकूल अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं।

इस शोध अध्ययन द्वारा माध्यमिक शिक्षा में निरीक्षणालय के कार्यभार का अध्ययन प्रस्तुत करने के साथ उन कारकों का भी अध्ययन किया गया है जो निरीक्षणालय के कार्यभार बढ़ने के लिये उत्तरदायी हैं। इस बढ़े हुए कार्यभार को कम करने के लिए किस प्रकार के उपाय किये जा सकते हैं और निरीक्षणालय की कार्यविधा को किस प्रकार शिक्षा के गुणात्मक विकास की ओर उन्मुख किया जा सकता है और इस सम्बन्ध में शासन द्वारा किन कार्यपरक बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है, इनकी पहिचान इस शोध अध्ययन द्वारा करने का प्रयास किया गया है।

उद्देश्य

(1) माध्यमिक शिक्षा में निरीक्षणालय के कार्यभार का आकलन करना तथा कार्यभार बढ़ने के कारणों को ज्ञात करना।

(2) निरीक्षणालय के कार्यभार को अपेक्षित रूप से निष्पादित करने और उसकी कार्य-पद्धति को अधिक प्रभावी तथा उपयोगी बनाने के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत करना।

परिसीमन

प्रस्तुत अध्ययन में प्रदेश के 13 मण्डलों से कुल 26 जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षकों के शैक्षिक, प्रशासनिक, वित्तीय एवं अन्य कार्यालयीय क्रिया-कलापों से सम्बन्धित कार्य विधा एवं कार्यभार का अध्ययन किया गया है। जिन जनपद स्तर के माध्यमिक निरीक्षणालयों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया उनका विवरण निम्नवत् है—

वाराणसी, बलिया, मुरादाबाद, रामपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, हरदोई, सुलतानपुर, बहराइच, देवरिया, मऊ, प्रतापगढ़, फर्रुखाबाद, इटावा, बांदा, ललितपुर, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बरेली, शाहजहाँपुर, नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, देहरादून।

कार्यविधि

प्रतिदर्श का चयन—प्रदेश में 13 मण्डलों में से प्रत्येक मण्डल से दो जिला निरीक्षणालयों की कार्य पद्धति तथा उनके कार्यभार का अध्ययन करने का प्रयास किया गया। मण्डलीय शिक्षा उपनिदेशक को इस अध्ययन में नहीं सम्मिलित किया गया। निरीक्षणालयों का चयन प्रदत्तों के एकत्र करने की सुविधा की दृष्टि से किया गया, साथ ही यह भी ध्यान रखा गया कि प्रदत्त पर्याप्त रूप से प्रतिनिधिकारी भी हों।

उपकरण—(1) पृच्छा-प्रपत्र—(जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा पूर्ति हेतु)

(2) व्यक्तिगत सम्पर्क तथा अवलोकन—(अनुसन्धानकर्ता द्वारा वास्तविक स्थिति के अवलोकन तथा वार्ता के माध्यम से निरीक्षणालय के अपेक्षित तथा वास्तविक कार्यकलापों की जानकारी प्राप्त करने हेतु)।

चयनित जनपदों के माध्यमिक शिक्षा से सम्बद्ध निरीक्षणालयों के प्रशासनिक, शैक्षिक, वित्तीय तथा अन्य दायित्वों से सम्बद्ध क्रिया-कलापों के सम्बन्ध में वांछित आँकड़े तथा अन्य आवश्यक सामग्री एकत्र की गयी। उक्त सामग्री का विषयवार वर्गीकरण किया गया तथा सामग्री के पर्याप्त रूप से प्रतिनिधिकारी तथा उपयोगी पाये जाने के उपरान्त उसका वैज्ञानिक विधि से विश्लेषण किया गया।

प्रदत्त विश्लेषण, व्याख्या तथा निष्कर्ष

प्राप्त प्रदत्तों का सांख्यिकी विधि से विश्लेषण किया गया। विश्लेषण आख्या निम्नवत् है—

अपेक्षित एवं वास्तविक कार्यकलाप—70 प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षकों ने स्वीकार किया कि कार्यालय समय में लगातार कार्यरत रहते हुए भी वह अपने अपेक्षित दायित्वों जिनमें कार्यालय पत्रावलियों के निराकरण के प्रकरण सम्मिलित होते हैं, का निर्वहन पूर्णरूपेण नहीं कर पाते और उन्हें कार्य निस्तारण हेतु अवकाश के दिनों में तथा कार्यालय समय के बाद अतिरिक्त समय (लगभग 2 से 3 घंटे) देकर काम करना होता हैं। अपेक्षित कार्य-कलापों का सम्पादन तो किसी सीमा तक सम्पन्न करना सम्भव भी होता है किन्तु वास्तविक कार्य-कलाप अत्यन्त समय तथा श्रम-साध्य सिद्ध होते हैं।

कार्य निष्पादन

(क) आगंतुकों से मिलने हेतु समय निर्धारण—शत-प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षकों ने आगन्तुकों से मिलने हेतु समय निर्धारित किया है किन्तु 80 प्रतिशत जिला विद्यालयों ने स्वीकार किया है कि प्रतिदिन मिलने आने वाले व्यक्तियों की संख्या औसतन 40 से लेकर 80 तक होती हैं। यह संख्या पश्चिमी जिलों में अधिक पायी जाती है और कार्यालय समय में मिलने वालों के लिये निर्धारित 2 घंटे का समय पर्याप्त नहीं हो पाता। अतः इस समय को बढ़ाना अनिवार्य हो जाता है। 40 प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस हेतु प्रतिदिन 3 से 4 घन्टे का समय देना होता है।

(ख) अकादमिक कार्य—लगभग 40 प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षकों का मत था कि वह दो घन्टे का समय प्रतिदिन अकादमिक कार्य हेतु देते हैं। 40 प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षक माह एक घन्टे का समय दे पाते हैं। शेष 20 प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षक माह में एक दिन का समय इस कार्य हेतु पर्याप्त मानते हैं।

विद्यालय निरीक्षण

जिला विद्यालय निरीक्षकों से अपेक्षा की जाती हैं कि वे जनपद के 50 प्रतिशत इन्टर कालेजों का स्वयं नामिका निरीक्षण करेंगे तथा कतिपय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का वीक्षण एवं उनकी जाँच करेंगे किन्तु 80 प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षकों ने विभिन्न दायित्वों के निर्वहन में कार्य व्यस्तता के कारण जिले के माध्यमिक विद्यालयों का निर्धारित मानक के अनुसार वीक्षण और निरीक्षण कर पाने में असमर्थता व्यक्त की। 20 प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षकों ने इस कार्य को सम्पन्न कर पाने की स्थिति को स्वीकार किया। जिन जनपदों में विद्यालयों की संख्या कम है वहाँ किसी सीमा तक निरीक्षण कार्य किया जा रहा है किन्तु जिन जनपदों में विद्यालयों की संख्या 100 और 200 के बीच है वहाँ स्थिति संतोषजनक नहीं है। 80 प्रतिशत

जिला विद्यालय निरीक्षकों ने नामिका निरीक्षण के दौरान विद्यालय के समस्त पक्षों का निरीक्षण कर पाने में समयाभाव के कारण असमर्थता व्यक्त की। लगभग 90 प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षकों ने पैनल निरीक्षण की प्रभावोत्पादकता तथा उपयोगिता को संदेहास्पद बताया। वस्तु-स्थिति यह है कि निरीक्षण कार्य मात्र एक औपचारिकता बनकर रह गया है और इस औपचारिकता का निर्वाह भी मुश्किल से हो पा रहा है। निरीक्षण आख्याओं के प्रेषण के सम्बन्ध में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों ने स्वीकार किया कि इसे 1 से 4 सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित विद्यालयों को प्रेषित करने का प्रयास किया जाता है किन्तु इसके अनुपालन की स्थिति के सम्बन्ध में समुचित जानकारी देने में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों ने असमर्थता व्यक्त की। उन्होंने स्वीकार किया कि कार्याधिक्य के कारण निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुश्रवण को सुनिश्चित कर पाना सम्भव नहीं है। मानक के अनुसार विद्यालयों का निरीक्षण न कर पाने के सम्बन्ध में 60 प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षकों ने जो कारण बताए उनमें मुख्य हैं—(1) समय की कमी, (2) कार्यभार का अधिक होना, (3) सह जिला विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति का मानक बढ़े हुए कार्यभार की दृष्टि से पुनः निर्धारित न किया जाना तथा (4) विद्यालयों की संख्या में वृद्धि।

(2) परीक्षा व्यवस्था

शत-प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं से सम्बन्धित दायित्वों के निर्वहन में वर्ष-पर्यन्त कार्य-व्यस्तता को स्वीकार किया। इन्होने इस सम्बन्ध में अपने कार्यभार का निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत उल्लेख किया है—

(1) परीक्षा केन्द्रों पर सादी उत्तर-पुस्तकें एवं कला-पत्र आदि की आपूर्ति कराना।

(2) परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व ही परीक्षा प्रश्न-पत्रों के बण्डलों को प्राप्त करना, परीक्षा केन्द्रों को प्रश्न-पत्र पहुँचाना एवं उनकी सुरक्षा हेतु जिला प्रशासन से सहयोग प्राप्त करना।

(3) परीक्षा अवधि में परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करने हेतु सचल दल की व्यवस्था करना और स्वयं भी निरीक्षण करना।

(4) संकलन केन्द्रों की व्यवस्था करना तथा उनका प्रतिदिन निरीक्षण करना एवं दैनिक आख्या प्राप्त करना। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त गन्तव्य मूल्यांकन केन्द्रों तक संकलन केन्द्र से उत्तर-पुस्तिकाओं के बण्डल भेजवाना।

(5) मूल्यांकन केन्द्रों की व्यवस्था करना तथा मूल्यांकन केन्द्रों पर कार्य प्रारम्भ होते ही प्रतिदिन निरीक्षण करना, परीक्षकों की कमी को पूरा करना, समय से मूल्यांकन कार्य सम्पन्न कराना, निर्धारित तिथि को परीक्षकों के पावना-पत्रों एवं अन्य मान-देयकों के बिल को प्रति हस्ताक्षरित करना।

(6) मुख्यालय स्तर पर परिषदीय परीक्षाओं के आय-व्ययकों आदि अभिलेखों का रख-रखाव करना आदि।

बैठकें

(1) प्रधानाचार्यों की बैठकें तथा शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों से वार्ता

(क) राज्य में शैक्षिक गतिविधियों की वृद्धि एवं विस्तार के फलस्वरूप न केवल संख्या तथा शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई है अपितु इनसे सम्बन्धित बहुआयामी समस्याओं का भी उदय हुआ है। अतः शत-प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षकों ने यह प्रावधान किया है कि माह में एक बार क्रमवार जिले के एक माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्यों की बैठक आयोजित की जाय जिसमें सभी प्रधानाचार्य मिल बैठकर अपनी प्रबन्धकीय तथा शैक्षिक समस्याओं पर विचार-विमर्श करें और समाधान प्राप्त किये जायें। जिला विद्यालय निरीक्षक इन बैठकों में प्रतिभाग करते हैं जिसके लिए उन्हें प्रतिमाह एक दिन का समय देना होता है।

(ख) शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों से भेंट कार्यालय समय में की जाती है जिसमें शिक्षकों से सम्बन्धित विविध समस्याओं पर विचार किया जाता है और उनके सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं। 80 प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षक इसके लिये औसतन 1 से 2 घन्टे का समय प्रतिदिन देते हैं। शेष 20 प्रतिशत अधिकारी सप्ताह में दो घन्टे का समय इस कार्य हेतु अनुदानित करते हैं।

(2) जिला शिक्षा नियोजन समिति की बैठक

शत-प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षकों ने स्वीकार किया है कि उनके जनपद में प्रतिमाह यह बैठकें आयोजित की जाती हैं जिनमें 4 से 5 घन्टे का समय व्यय होता है। जिलाधिकारी द्वारा आहूत अन्य बैठकों में भी उन्हें प्रतिभाग करना होता है।

(3) शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भ्रमण कार्यक्रम

60 प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षकों ने स्वीकार किया है कि शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उन्हें माह में 10 दिन दौरे पर रहना होता है। 30 प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षक इस कार्य हेतु 6 से 7 दिन का समय देते हैं। 10 प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षकों ने इस कार्य हेतु जीप तथा पेट्रोल की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण दौरे के कार्यक्रम वांछित रूप से पूरे न किये जाने के तथ्य को स्वीकार किया है फिर भी 3 से 4 दिन दौरे पर रहना ही पड़ता है। शत-प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षकों ने अति विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा जनपद के दौरे पर आने के समय उनके साथ दौरे पर रहने की स्थिति को स्वीकार किया है।

प्रशासकीय एवं विविध कार्यालयीय कर्तव्य

लगभग सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों ने स्वीकार किया कि उनके कार्यालयीय समय का

औसतन 60 प्रतिशत अंश प्रशासकीय एवं कार्यालयीय कर्तव्यों के निर्वहन में व्यय हो जाता है। इनमें से कतिपय प्रशासनिक एवं कार्यालयीय कर्तव्य निम्नवत् हैं—

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम तथा वेतन वितरण अधिनियम के विभिन्न नियमों से सम्बन्धित वे प्रकरण जिनमें कार्यवाही का अधिकार जिला विद्यालय निरीक्षकों को दिया गया है।

(2) इण्टर कालेजों की मान्यता के प्रकरण निष्पादित करना। इसी के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता के वे प्रकरण जो सह जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा व्यवहृत किए जाते हैं उनके सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान करना। मान्यता प्राप्त हो जाने के बाद जाँच करके विद्यालय को कक्षा संचालन की अनुमति देना।

(3) अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यों को सम्पादित करना।

(4) सभी विद्यालयों तथा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से सम्बन्धित सम्प्रेक्षकों की आज्ञाओं का अनुसरण कार्य सम्पन्न करना।

(5) श्रव्य-दृश्य शिक्षा एवं क्रीड़ा खेल तथा पाठ्यसहगामी कार्यक्रमों जैसे युवक समारोह, जूनियर रेडक्रास, बालचर कार्य आदि की व्यवस्था करना।

(6) गोपनीय आख्याओं का लेखन एवं प्रेषण

(अ) अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों की गोपनीय आख्याओं का लेखन एवं प्रेषण।

(ब) राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों की गोपनीय आख्याओं में प्रविष्टि अंकित करना तथा उनका प्रेषण।

(स) सहायक पर्यवेक्षकों तथा कार्यालय कर्मचारियों की गोपनीय आख्याओं में प्रविष्टि देना आदि।

(7) समस्त विद्यालयों में अनुभागों (सेक्शन) के सृजन अथवा उन्हें बन्द करने तथा अध्यापकों के पदों के सृजन सम्बन्धी समस्त कार्य करना।

(8) आयु संशोधन के प्रकरण निस्तारित करना।

(9) विद्यालयों के खोलने अथवा बन्द करने सम्बन्धी पत्र व्यवहार।

(10) वार्षिक सांख्यिकी विवरण पत्र, भौतिक लक्ष्य, वार्षिक एवं सामयिक आख्यायें तैयार कराना।

(11) सेवा विस्तरण तथा प्रशिक्षण युक्ति सम्बन्धी समस्त कार्य सम्पादित कराना।

(12) कार्यालय का सामान्य पर्यवेक्षण करना।

(13) विशेष संस्थानों द्वारा आयोजित सेमिनारों में भाग लेने के लिये प्रतिनियोजन सम्बन्धी कार्य।

(14) समस्त स्थानान्तरण प्रमाण-पत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करना तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए आवेदन-पत्रों का अग्रसारण ।

(15) प्रवेश, प्रोन्नति, दण्ड, प्रव्रजव (माइग्रेशन) तथा उपस्थिति की कमी सम्बन्धी समस्त कार्य ।

(16) कार्यालय प्रशासन से सम्बन्धित सभी दायित्वों का वहन ।

(17) संसद, विधान सभा तथा विधान परिषद के प्रश्नों के उत्तरों से सम्बन्धित समस्त कार्यों की व्यक्तिगत स्तर पर देख-रेख ।

(18) अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रबन्ध तंत्र का गठन करना एवं तत्सम्बन्धी परिक्षेत्र में आने वाली अपीलों को सुनना एवं उन पर निर्णय देना ।

(19) सह जिला विद्यालय निरीक्षकों के कार्य का विभाजन करना जो विवेकपूर्ण एवं प्रभावी हो ।

(20) छात्रवृत्तियों का वितरण योजनावार कराना तथा उसमें आने वाली कठिनाइयों का निवारण करना ।

(21) माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा प्रधानाचार्यों/अध्यापकों के चयन हेतु कतिपय विभागीय अभ्यर्थियों के नामों के प्रेषण हेतु आवश्यक कार्यवाही करना तथा अन्य प्रकार से सहयोग करना ।

(22) विभिन्न प्रकार के आयोजनों तथा प्रशिक्षणों का आयोजन करना ।

(23) समस्त प्रकार के राजकीय कार्यक्रमों में जिला प्रशासन को सहयोग देना ।

(24) विभिन्न स्तर पर आयोजित बैठकों में भाग लेना एवं उनके कार्यवृत्तों का कार्यान्वयन करना ।

(25) शिक्षा के उन्नयन हेतु असेवित क्षेत्रों में राजकीय विद्यालयों की स्थापना हेतु प्रस्ताव भेजना ।

(26) व्यावसायिक शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु सक्रिय प्रयास करना ।

(27) शासन, विभाग तथा जिला प्रशासन से माँगी गई सूचनाओं का प्रेषण करना ।

(28) वेतन वितरण अधिनियम 1971 के अन्तर्गत अशासकीय मान्यता-प्राप्त विद्यालयों के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन-भुगतान की कार्यवाही सम्पन्न करना ।

(29) डिग्री कालेजों के अध्यापक / कर्मचारियों का समय से वेतन भुगतान सुनिश्चित करना ।

(30) डिग्री कालेजों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति तथा अन्य विवादों से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण करना । तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की चयन समिति के सदस्य के रूप में बैठकों में उपस्थित होना ।

(31) संस्कृत पाठशालाओं से सम्बन्धित आवश्यक प्रकरणों के निस्तारण हेतु कार्यक्रम ।

(32) बेसिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेंशन स्वीकृति के प्रकरणों का निस्तारण करना।

(33) अशासकीय मान्यता-प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के चयन, वेतनमान तथा वेतन निर्धारण सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण करना।

(34) माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं के संचालन, उत्तर-पुस्तक संकलन, मूल्यांकन, मानदेय वितरण आदि समस्त प्रकरणों का निस्तारण।

(35) नवोदय विद्यालय, प्रतिभा खोज परीक्षा, एकीकृत परीक्षा तथा निबन्धक विभागीय परीक्षाएँ द्वारा संचालित माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित परीक्षाओं के संचालन में योगदान करना।

(36) विभिन्न प्रकार के न्यायिक प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही करना, जिनमें समस्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रबन्धकीय तथा प्रधानाचार्यों/अध्यापकों से सम्बन्धित विवाद, मुकदमें तथा प्रत्यावेदन भी सम्मिलित होते हैं।

प्रशासनिक दायित्वों की पूर्ति, प्रकरण निस्तारण तथा दैनिक कार्यालयीय दायित्वों के निर्वाह के सम्बन्ध में अधिकांश जिला विद्यालय निरीक्षकों ने मत व्यक्त किया है कि 10 बजे से 5 बजे तक निरन्तर कार्य करते रहने के बाद भी समय की सर्वथा कमी रहती है और कार्य निस्तारण अपेक्षित रूप से नहीं हो पाता। जिन जनपदों में विद्यालयों की संख्या अपेक्षाकृत कम है अथवा जो जनपद पर्वतीय अंचलों में हैं वहाँ की स्थिति कुछ भिन्न अवश्य है किन्तु कार्यालय समय के अन्दर सभी प्रकार के दायित्वों का निर्वहन वहाँ भी एक समस्या है। इन जनपदों के 90 प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षकों ने कार्यालय समय में सम्पूर्ण कार्य निष्पादन कर लेने की स्थिति को स्वीकार किया है। सम्भवतः इसका कारण है वहाँ राजकीय विद्यालयों का बहुसंख्या में होना। अन्य जनपदों में उक्त कार्य निष्पादन हेतु 20 प्रतिशत 2 से 3 घन्टे अतिरिक्त समय प्रशासकीय एवं कार्यालयीय दायित्वों के निर्वाह हेतु देते हैं। निर्धारित कार्यालय समय (9 बजे से 5 बजे तक) के अलावा 2 से 6 घन्टे तक का अतिरिक्त समय देने के बावजूद 80 प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षक अकादमिक कार्यों हेतु पर्याप्त समय नहीं दे पाते। प्रति दो वर्ष बाद जनपद के सभी माध्यमिक विद्यालयों का वीक्षण एवं निरीक्षण नहीं हो पाता, न उनकी समस्याओं का निराकरण ही हो पाता है। कतिपय विद्यालयों के सर्वेक्षण द्वारा यह स्थिति स्पष्ट भी हो गई है।

जहाँ तक न्यायिक प्रकरणों का सम्बन्ध है उनकी संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिसके कारण निरीक्षणालय के कार्यभार और व्यस्तता में लगातार वृद्धि होती रही है। प्राप्त सूचनानुसार इन न्यायिक प्रकरणों का मण्डल एवं जनपदवार विवरण आगे तालिका में दिया गया है—

विभिन्न न्यायालयों में जनपदवार लम्बित वादों की संख्या

क्रम सं०	मण्डल	जन-पद	सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित वादों की संख्या	उच्च न्यायालय में लम्बित वादों की संख्या	लोकसेवा अधिकरण में लम्बित वादों की संख्या	जनपदीय न्यायालयों में लम्बित वादों की संख्या	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
(1)	लखनऊ	लखनऊ	0	62	0	17	79
		हरदोई	0	25	0	05	30
(2)	फैजाबाद	सुलतानपुर	2	83	0	20	105
		बहराइच	0	60	0	00	60
(3)	गोरखपुर	देवरिया	1	321	0	05	327
		आजमगढ़ मऊ	1	32	0	13	96
(4)	वाराणसी	वाराणसी	0	70	0	49	119
		बलिया	0	55	0	00	55
(5)	मुरादाबाद	मुरादाबाद	1	24	0	11	36
		रामपुर	0	03	02	02	07
(6)	इलाहाबाद	इलाहाबाद	1	241	0	0	242
		प्रतापगढ़	2	43	0	0	45
(7)	कानपुर	फर्रुखाबाद	0	42	0	0	42
		इटावा	0	101	0	0	101
(8)	झाँसी	बाँदा	0	24	0	0	24
		ललितपुर	0	06	01	06	13
(9)	आगरा	मथुरा	1	174	0	18	194
		अलीगढ़	2	187	9	33	222
(10)	मेरठ	गाजियाबाद	1	26	0	03	30
		मुजफ्फरनगर	1	63	1	10	75
(11)	बरेली	बरेली	2	25	0	13	40
		शाहजहाँपुर	0	27	3	06	30

(12) कुमायूं	नैनीताल	1	48	0	00	49
	अल्मोड़ा	0	08	0	04	12
(13) पौड़ी	टिहरी-गढ़वाल	0	20	0	06	26
	देहरादून	0	20	0	14	34

न्यायिक प्रकरणों के लिए उत्तरदायी घटकों में मुख्य हैं—

(1) मान्यता-प्राप्त प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारियों और सदस्यों के आपसी विवाद।

(2) प्रबन्ध समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली आपत्तियों के त्वरित निराकरण में विलम्ब।

(3) माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा चयनित प्रधानाचार्य/अध्यापक को विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के सम्बन्ध में विवाद।

(4) वेतन कटौती, अवकाश स्वीकृति, वरिष्ठता निर्धारण, अनियमित प्रोन्नति। नियुक्ति आदि प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब तथा वस्तुनिष्ठता का अभाव।

न्यायिक प्रकरणों के कारण 60 प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षकों को प्रतिदिन 2 घन्टे का समय अवश्य देना होता हैं। 20 प्रतिशत अधिकारी 1 घन्टे का समय देते हैं जबकि 10 प्रतिशत आवश्यकतानुसार अतिरिक्त समय में यह कार्य सम्पादित करते हैं।

वित्तीय प्रकरण

प्रत्येक जनपद में वित्तीय प्रकरणों के निस्तारण हेतु लेखाधिकारी / लेखा संगठन की व्यवस्था की गई है फिर भी विद्यालयों की संख्या, अध्यापकों / कर्मचारियों की संख्या, डिग्री कालेजों के अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन भुगतान, चयन वेतनमान निर्धारण तथा अन्य वित्तीय आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक को अपने कार्यालयीय समय का पर्याप्त अंश इस कार्य हेतु देना होता है क्योंकि उसे ही वित्तीय प्रकरणों के निस्तारण हेतु उत्तरदायी होना होता है और उसे ही अन्तिम अनुमोदन और स्वीकृति प्रदान करनी होती है।

अतः 20 प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षक इस कार्य हेतु 3 से 4 घन्टे का समय देते हैं। 40 प्रतिशत प्रतिदिन 2 घन्टे तथा शेष 1 से 2 घन्टे इस कार्य हेतु देते हैं। प्रमुख रूप से वेतन वितरण अधिनियम 1971 प्रवृत्त होने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षकों के कार्यभार में विशेष वृद्धि हुई है।

जिन अन्य वित्तीय दायित्वों को वहन करने का भार जिला विद्यालय निरीक्षकों को दिया गया है उनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्य उल्लेखनीय हैं—

(1) समस्त विद्यालयों (इण्टर तथा उच्चतर माध्यमिक) के लिये आयोजनागत/ आयोजनेतर योजनाओं के लिए विभिन्न अनुदान हेतु आवेदन-पत्रों का प्रेषण एवं उनसे सम्बन्धित पत्र-व्यवहार।

(2) समस्त विद्यालयों के प्रारम्भिक अनुदान के आवेदन-पत्रों के साथ प्रबन्धकीय विवरण-पत्रों की जाँच एवं प्रेषण।

(3) कार्यालय के रोकड़ बही का रख-रखाव तथा संरक्षण।

(4) यात्रा भत्ता प्राप्यकों को पारित करना।

(5) समस्त माध्यमिक विद्यालयों की लाभत्रयी योजना से सम्बन्धित समस्त कार्य का सम्पादन (प्राविडेन्ट फण्ड के कार्य के अतिरिक्त)।

(6) समस्त सहायता-प्राप्त विद्यालयों के अनुदान के प्राप्यकों का प्रति हस्ताक्षरण।

(7) निलम्बित अनुदानों वाले विद्यालयों के अनुदान का भुगतान एवं उनकी रोकड़ बही का रख-रखाव।

(8) नकद एवं स्टाक का सर्वोपरि पर्यवेक्षण।

(9) सह-जिला विद्यालय निरीक्षक को आवंटित वित्तीय दायित्वों के निर्वहन सम्बन्धी कार्यों की देखभाल जिनमें प्रमुख है कार्यालय के कर्मचारी वर्ग के वेतन एवं आकस्मिक व्यय के प्राप्यकों को पारित करना, सहायता एवं मान्यता-प्राप्त इण्टर कालेजों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के संयुक्त खाते का संचालन तथा वेतन वितरण में कम पड़ रही धनराशि का विषयवार आगणन, विभिन्न प्रकार के प्रतिपूर्ति, अनुदान आदि।

निष्कर्ष

(1) शत-प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षकों ने विगत वर्षों से माध्यमिक शिक्षा के विस्तार तथा शिक्षा के नवीन सन्दर्भों में संयोजन के फलस्वरूप निरीक्षणालयों के कार्यभार में हुई अपार वृद्धि को स्वीकार किया है। लगभग 90 प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षकों ने स्वीकार किया है कि अपने बढ़े हुए प्रशासनिक, वित्तीय तथा कार्यालयीय दायित्वों के कारण वे अकादमिक कार्य हेतु उतना समय नहीं निकाल पाते जितने समय की अपेक्षा उनसे की जाती है।

(2) लगभग 80 प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षकों ने निर्धारित मानक के अनुसार जनपद की माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं का वीक्षण, निरीक्षण तथा पैनल निरीक्षण न कर पाने की स्थिति को स्वीकार किया। जिन 10 प्रतिशत जिला शिक्षा अधिकारियों ने इस कार्य को सम्पन्न कर पाने का दावा किया उनमें से किसी अधिकारी ने निरीक्षण आख्या के अनुश्रवण के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी कहने में असमर्थता व्यक्त की।

(3) शिक्षा के उन्नयन तथा उसके स्तर के गुणात्मक सुधार के सम्बन्ध में किसी प्रकार

का उल्लेखनीय प्रयास किसी भी जनपद निरीक्षणालय द्वारा नहीं किया गया। केवल कतिपय औपचारिक कार्य-कलापों तक ही निरीक्षणालय सीमित रहा। इसका एकमात्र कारण निरीक्षणालय की कार्य-व्यस्तता बताया गया।

(4) शत-प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षकों ने माह में एक बार विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक आयोजित करने की बात कही है जिसमें प्रशासनिक तथा शैक्षिक समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के तथ्य को स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार शत-प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षकों ने शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों तथा शिक्षक समुदाय के अन्य सदस्यों से उनकी समस्याओं से अवगत होने तथा उनके निराकरण करने हेतु प्रतिदिन दो घन्टे का समय आवंटित करना स्वीकार किया है। उन्होंने अन्य आगन्तुकों से मिलने का प्रावधान भी उसी समय के अन्तर्गत रखा है। 50 प्रतिशत अधिकारी 3 से 4 घन्टे, 20 प्रतिशत 2 से 3 घन्टे तथा 20 प्रतिशत लगभग 1 से 2 घन्टे का समय इस हेतु देते हैं।

(5) लगभग 60 प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षक प्रतिमाह औसतन 10 दिन शैक्षिक दौरे पर रहते हैं। 20 प्रतिशत 6 से 7 दिन तक तथा 20 प्रतिशत 4 से 5 दिन तक ही दौरे पर रहते हैं।

(6) शत-प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षक जिला शिक्षा नियोजन समिति की बैठक में प्रतिभाग करते हैं जिसमें सम्पूर्ण 1 दिन लगता है। अन्य प्रकार की बैठकों में भी उन्हें प्रतिभाग करना होता हैं जिसमें माह में 10 घन्टे का समय व्यय हो जाता है।

(7) शत प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उ० प्र० द्वारा संचालित परीक्षाओं के सम्बन्ध में अपनी व्यस्तता को बताया हैं। यह अत्यन्त श्रम एवं समय-साध्य कार्य है जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक को परीक्षा केन्द्रों को सादी उत्तर-पुस्तिकाएँ प्राप्त कराने, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा भेजे प्रश्न-पत्रों के बण्डल प्राप्त करने, परीक्षा केन्द्रों तक प्रश्न-पत्रों को पहुँचाने, परीक्षा प्रारम्भ होने से अन्त तक परीक्षा केन्द्रों का सचल दल द्वारा तथा स्वयं निरीक्षण करने, संकलन केन्द्र निर्धारित करने, मूल्यांकन केन्द्र स्थापित करने, मूल्यांकन व्यवस्था की जाँच करने, समय से मूल्यांकन कार्य सम्पन्न कराने तथा परीक्षकों के पावना पत्रों तथा अन्य मानदेयकों के बिलों को प्रति-हस्ताक्षरित करने सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न करना होता है।

(8) लगभग 70 प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षकों ने स्वीकार किया है कि विगत 10 वर्षों में लगातार प्रबन्धकीय विवादों की संख्या में वृद्धि होती रही है और इन विवादों के फल-स्वरूप न्यायिक प्रकरणों में भी वृद्धि हुई है। सेवा सम्बन्धी विवादों के कारण भी अनेक न्यायिक प्रकरण प्रकाश में आये हैं। इन न्यायिक प्रकरणों के निस्तारण में 20 प्रतिशत जिला विद्यालय

निरीक्षकों ने लगभग 3 घन्टे प्रतिदिन व्यय होने की बात कही है। 40 प्रतिशत अधिकारी इस कार्य के लिये 2 घन्टे का समय देते हैं। शेष अधिकारी आवश्यकतानुसार 1 से 2 घन्टे का समय इस कार्य में प्रतिदिन देते हैं।

(9) वित्तीय प्रकरणों के निस्तारण हेतु यद्यपि लेखाधिकारी/लेखा संगठन की सहायता उपलब्ध होती हैं फिर भी 40 प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षक इन प्रकरणों के निस्तारण में प्रतिदिन 3 से 4 घन्टे का समय देते हैं। 30 प्रतिशत अधिकारी 1 से 2 घन्टे के समय में इन प्रकरणों के निस्तारण का प्रयास करते हैं। वित्तीय प्रकरणों में वृद्धि के अनेक कारण बताये गये हैं जिनमें वेतन वितरण अधिनियम 1971 के तहत उत्पन्न प्रकरणों की प्रमुख भूमिका है।

(10) व्यावसायिक शिक्षा योजना के क्रियान्वयन तथा अन्य शैक्षिक योजनाओं को व्यावहारिक रूप प्रदान करने हेतु अधिकांश जिला विद्यालय निरीक्षकों ने 1 से 2 घन्टे का समय देने की बात की है।

(11) विभागीय अधिकारियों तथा अतिविशिष्ट व्यक्तियों के भ्रमण कार्यक्रमों के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षकों की कार्य-व्यस्तता बहुत बढ़ जाती है।

सुझाव एवं कार्यपरक बिन्दु

(1) निरीक्षणालय के सुदृढ़ीकरण हेतु समुचित उपाय किये जाँय तथा बढ़े हुए कार्यभार के अनुपात में कार्यालय कर्मचारियों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि की जाय।

(2) माध्यमिक विद्यालयों की बढ़ती हुई संख्या और उनकी बहुआयामी समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए सह-जिला विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति के लिये नये मानक निर्धारित किये जाँय और उनके अधिकारों, कर्तव्यों तथा दायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए उनका पुनः निर्धारण किया जाय।

(3) जिला स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का विकेन्द्रीकरण किया जाय तथा तहसील स्तर पर सह-जिला विद्यालय निरीक्षकों के कार्यालय स्थापित किये जाँय और उन्हें स्वतन्त्र अधिकार प्रदान कर अपने परिक्षेत्र के सम्पूर्ण शैक्षिक उन्नयन के लिये उत्तरदायी बनाया जाय। जिला विद्यालय निरीक्षक की वही भूमिका निर्धारित की जाय जो मण्डल स्तर पर मण्डलीय उप-शिक्षा निदेशक की है।

(4) प्रत्येक जनपद में जिला विद्यालय निरीक्षक के दो पदों का सृजन करने पर विचार किया जाय जिनमें एक पद जिला विद्यालय निरीक्षक (अकादमिक) तथा दूसरा जिला विद्यालय निरीक्षक (प्रशासन) का हो।

(5) उचित होगा यदि अन्य प्रदेशों की भाँति उत्तर प्रदेश में भी जिला विद्यालय निरीक्षक का पद-नाम जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी रखने पर विचार किया जाय।

(6) अशासकीय मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षिक प्रशासन में दोहरी व्यवस्था समाप्त की जाय। राजकीय विद्यालयों की भाँति अशासकीय विद्यालयों का सम्पूर्ण नियन्त्रण शासन द्वारा एक ही प्रकार की व्यवस्था के अन्तर्गत किया जाय अथवा अशासकीय विद्यालयों का सम्पूर्ण नियन्त्रण पूर्व की भाँति प्रबन्ध तन्त्र को ही सौंप दिया जाय।

(7) यदि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण तुरन्त सम्भव न हो और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के निजी प्रबन्ध तन्त्र को पूर्ण स्वतन्त्रता देना समीचीन न समझा जाय तो प्रबन्धकीय विवादों को त्वरित निष्पादित करने की दृष्टि से निरीक्षणालय स्तर पर एक स्वतन्त्र अधिकार सम्पन्न एजेन्सी की स्थापना की जाय जिससे जिला विद्यालय निरीक्षक को आवश्यक कार्य भार से मुक्ति मिल सके।

(8) प्रबन्धकीय विवादों तथा अध्यापकों की सेवा सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण हेतु माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक निरीक्षणालय में एक विधि अधिकारी की नियुक्ति की जाय और उसके अधीन एक विधि प्रकोष्ठ का सृजन किया जाय। प्रत्येक जिले में न्यायिक प्रकरणों की संख्या के अनुपात में इस प्रकोष्ठ के सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाय।

(9) प्रत्येक जिले के माध्यमिक शिक्षा निरीक्षणालय को जीप के रख-रखाव तथा पेट्रोल आदि के क्रय हेतु पर्याप्त अनुदान स्वीकृत किया जाय जो जनपद की आवश्यकताओं के मानक के अनुरूप हो।

(10) जिला स्तर पर निरीक्षणालय के कर्मियों की कार्यक्षमता तथा दक्षता बढ़ाने हेतु प्रति दो वर्ष पर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय जिसमें उन्हें नियमों, अधिनियमों की समुचित जानकारी देने के साथ कार्य निर्वहन की नवीन विधाओं की जानकारी भी दी जाय।

(11) प्रत्येक पाँच वर्ष बाद निरीक्षणालय कर्मियों के स्थानान्तरण का प्रावधान सुनिश्चित किया जाय और निरीक्षणालय स्तर पर उनका समुचित कार्य-विभाजन किया जाय और प्रतिवर्ष उनके कार्य परिवर्तन की व्यवस्था की जाय।

(12) माध्यमिक विद्यालयों के वीक्षण और निरीक्षण व्यवस्था में अपेक्षित सुधार करके उसे सार्थक, उपयोगी और प्रभावी स्वरूप प्रदान किया जाय।

(13) प्रत्येक जिला विद्यालय निरीक्षक तथा सह-जिला विद्यालय निरीक्षक के लिये प्रति दो वर्ष के अन्तराल पर 10 दिवसीय अभिनवीकरण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय जिसमें उनकी कार्य निष्पादन शैली में सुधार लाने के साथ अभिनव शैक्षिक सम्बोधों/विभागीय नियमों, अधिनियमों एवं प्रशासनिक, वित्तीय तथा शैक्षिक गतिविधियों के सम्यक् संचालन की अधुनातन विधा की जानकारी दी जाय।

(14) शैक्षिक प्रशासन को संवेदनशील बनाने, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का विकास करने, सामाजिक सहभागिता प्राप्त करने, मानवीय सम्बन्धों का संवर्द्धन करने तथा जनाकांक्षाओं के अनुरूप शैक्षिक उन्नयन करने की दिशा में जिला विद्यालय निरीक्षकों को सक्षम बनाने हेतु शासन स्तर से प्रयास किये जाँय। इस सम्बन्ध में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र०, से सहयोग प्राप्त किया जाय।

(15) जिला माध्यमिक निरीक्षणालय के दैनिक कार्यकलापों में अनावश्यक हस्तक्षेप पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। अनावश्यक बैठकों में प्रतिभाग करने तथा अतिविशिष्ट व्यक्तियों की आव-भगत तथा उनके साथ दौरों पर निरर्थक समय नष्ट करने पर रोक लगायी जाय।

(16) शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों द्वारा अनावश्यक रूप से कार्यालय समय के अन्दर प्रतिदिन जिला विद्यालय निरीक्षक से वार्तालाप तथा वाद-विवाद करके अपेक्षित कार्य निष्पादन में व्यवधान उत्पन्न करने की प्रथा को हतोत्साहित किया जाय। यदि आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा उचित कदम उठाये जाएँ और उनका कड़ाई से पालन किया जाय।

(17) जिला विद्यालय निरीक्षक अपने जिले के शैक्षिक दौरे पर शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों तथा जन-प्रतिनिधियों से शैक्षिक प्रकरणों के निस्तारण तथा शैक्षिक समस्याओं के निराकरण हेतु वार्ता करें और उन वार्ताओं के फलस्वरूप जो बिन्दु उभरकर सामने आयें उनके निस्तारण एवं क्रियान्वयन हेतु निरीक्षणालय स्तर पर त्वरित कार्यवाही करें।

———

21

शिक्षा विभागीय न्यायिक प्रकरणों के कारकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

पृष्ठभूमि

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा प्रसार की योजनाओं के फलस्वरूप शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर विद्यालयों तथा छात्रों एवं अध्यापकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। विभिन्न आयोगों और समितियों की अनुसंशाओं के आलोक में प्रदेश की शिक्षा प्रणाली तथा उसके प्रशासनिक ढाँचे में अनेक परिवर्तन किये गये और शिक्षा को सामाजिक आवश्यकताओं तथा जनाकाक्षांओं की पूर्ति का सशक्त माध्यम बनाने के प्रयास किये गये। अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की कार्य स्थितियों तथा वेतन वितरण प्रणाली में सुधार किये गये। वेतन वितरण प्रणाली अधिनियम 197। प्रवृत्त किया गया। शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों को राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों के समकक्ष वेतनक्रम, मँहगाई भत्ता, पेन्शन आदि की सुविधाएँ उपलब्ध करायी गईं। शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों की नियुक्ति हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया तथा अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धतंत्र के अधिकारों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की गयी। प्रत्येक स्तर के शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया जिससे कि प्रदेशीय शिक्षा व्यवस्था अपने अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सक्षम हो सके।

उपर्युक्त सुधारों के फलस्वरूप शिक्षा में न्यूनाधिक प्रगति तो हुई किन्तु विद्यालयों की दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था से अनेक समस्याएँ भी उत्पन्न हो गईं अनेक प्रकार के प्रबन्धकीय विवाद सामने आने लगे। इन विवादों के कारण न्यायिक प्रकरणों में निरन्तर वृद्धि होने लगी। नियमों की स्पष्ट व्याख्या न होने और उनके निष्पक्ष और न्यायोचित क्रियान्वयन में अवांछित विलम्ब अथवा शिथिलता के कारण न केवल अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधानाचार्यों,

प्रबन्धतन्त्रों तथा विभाग के बीच वादों की संख्या में वृद्धि हुई वरन् राजकीय विद्यालयों के अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारियों तथा विभाग के बीच भी न्यायिक विवाद उत्पन्न हुए और विभिन्न जनपदों के न्यायालयों में वादों की संख्या में लगातार वृद्धि होती गई। आज स्थिति यह है कि जितने शिक्षा विभागीय न्यायिक प्रकरण राज्य के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं उतने किसी अन्य विभाग से सम्बन्धित प्रकरण नहीं हैं। अतः आवश्यकता अनुभव की गई कि इन शिक्षा विभागीय न्यायिक प्रकरणों के कारकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाय और उन कारकों के दूर करने के यथासम्भव प्रभावी प्रयास किए जाँय। प्रस्तुत अध्ययन इसी दृष्टिकोण से किया गया है।

उद्देश्य

(1) शिक्षा विभागीय न्यायिक प्रकरणों के कारकों को ज्ञात करना।

(2) ज्ञात कारकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके उनके निराकरण के उपाय खोजना।

कार्य विधि

न्यादर्श का चयन

शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद के विधि अनुभाग से सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि प्रदेश के विभिन्न मण्डलों के 53 जनपदों के निरीक्षणालयों तथा 12 मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं के कार्यालयों से सम्बन्धित विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों की संख्या अनुमानतः 4771 हैं। संख्या में लगातार वृद्धि होने की सूचना भी प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त शिक्षा निदेशालय के अन्य अनेक अनुभागों से भी काफी बड़ी संख्या में न्यायिक प्रकरणों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध हुई। इतनी बड़ी संख्या का सर्वांगीण अध्ययन-शोध की समयावधि तथा उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत कर पाना एक दुष्कर कार्य था। अतः सीमित समय एवं साधनों को दृष्टि में रखते हुए मात्र इलाहाबाद जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय द्वारा व्यवहृत वादों को ही अध्ययन-क्षेत्र में लिया गया जिनकी संख्या लगभग 260 के ऊपर थी। इसी के साथ शिक्षा निदेशालय के नियुक्ति अनुभाग द्वारा व्यवहृत करीब 100 न्यायिक प्रकरणों का भी अध्ययन किया गया जो सामान्यतया सेवा सम्बन्धी मामलों से सम्बन्धित थे।

उपकरण

(1) पृच्छा-प्रपत्र (शिक्षा विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए)

(2) व्यक्तिगत साक्षात्कार।

(3) पत्रावलियों का अध्ययन एवं अनुशीलन।

प्रदत्त संग्रह

350 से अधिक पत्रावलियों के अध्ययन तथा 50 से अधिक शिक्षा विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से व्यक्तिगत वार्ता तथा साक्षात्कार करने और पृच्छा-प्रपत्र भरवाने के बाद आवश्यक सूचना तथा तथ्यों का संग्रह किया गया।

प्रदत्त विश्लेषण, व्याख्या तथा निष्कर्ष

प्राप्त प्रदत्तों का वर्गीकरण करके उनका सांख्यिकी विधि से विश्लेषण किया गया। विश्लेषणोपरान्त जो तथ्य प्रकाश में आये उनके सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है—

जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद के कार्यालय द्वारा व्यवहृत न्यायिक प्रकरणों के सम्बन्ध में—

(1) समस्त प्रकरणों के 74 प्रतिशत प्रकरण नियुक्ति तथा प्रोन्नति से सम्बन्धित पाये गये। इनमें 8 प्रतिशत लिपिक वर्ग और 21 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से सम्बन्धित थे। शेष प्रकरण विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों से सम्बन्धित पाये गये।

(2) 26 प्रतिशत विवादित प्रकरण जिन विषयों से सम्बन्धित पाये गये उनमें प्रमुख थे प्रबन्धतंत्र के आपसी विवाद, अध्यापकों की पदावनति, उनका निलम्बन, अनियमित ढंग से वेतन भुगतान, प्रबन्धतंत्र तथा विभाग द्वारा नियम विपरीत कार्यवाही, अनियमित सेवा निवृत्ति, प्रबन्ध समिति के अधिकार का हनन, नियन्त्रक की नियुक्ति आदि।

(3) विभागीय प्रक्रिया एवं निर्णय से असंतुष्ट वादियों ने जितने वाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर किये उनमें से अब तक 58 प्रतिशत प्रकरणों में कार्यालय / विभाग द्वारा प्रति शपथ-पत्र दाखिल किये जा चुके हैं। शेष प्रकरणों के सम्बन्ध में वांछित विधिक प्रक्रिया का अनुपालन किया जा रहा है।

(4) अब तक निर्णीत प्रकरणों में से अधिकांश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वादियों को अनुतोष देने के आदेश पारित किये। अनेक प्रकरणों में विभागीय आदेशों की वैधता को भी स्वीकार किया गया है।

शिक्षा निदेशालय स्तर पर व्यवहृत न्यायिक प्रकरणों के सम्बन्ध में—

(1) 40 प्रतिशत प्रकरण पदोन्नति से सम्बन्धित पाए गये। इन प्रकरणों में अधिकारियों की संख्या अधिक पायी गई जो अपने वर्तमान पद से अगले पद पर प्रोन्नति न पाने के कारण त्रस्त थे। विभाग द्वारा न्याय न पाने के कारण उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। इनमें से अधिकतर प्रकरण अभी भी न्यायालय में लम्बित हैं। उक्त

प्रकरणों में शीर्षस्थ पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं। याचिकाएँ उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध हैं।

(2) 10 प्रतिशत प्रकरण अनुशासनात्मक कार्यवाही से सम्बन्धित थे जिनमें विभागीय निर्णय को समादेश याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में चैलेन्ज किया गया था।

(3) 2 प्रतिशत प्रकरण जन्म-तिथि के परिवर्तन से सम्बन्धित थे तथा 3 प्रतिशत नियुक्तियों में अनियमितता के कारण न्यायालय के समक्ष लाए गये।

(4) 5 प्रतिशत प्रकरण स्थानान्तरण आदेश के औचित्य को चुनौती देने से सम्बन्धित थे।

(5) 7 प्रतिशत प्रकरण निलम्बन आदेश के विरोध में तथा 6 प्रतिशत उपार्जित अवकाश एवं दक्षता रोक के सम्बन्ध में थे।

(6) 5 प्रतिशत प्रकरण उत्तर प्रदेश (कनिष्ठ वेतनक्रम) के अवकाश प्रकरणों के सम्बन्ध में थें।

(7) 5 प्रतिशत प्रकरण प्रवक्ताओं के निर्धारित कोटा को बढ़ावे के सम्बन्ध में, 3 प्रतिशत पर्वतीय संवर्ग समाप्त करने के सम्बन्ध में तथा 2 प्रतिशत वेतन एवं ग्रेच्युटी न प्राप्त होने के सम्बन्ध में थे।

(8) 2 प्रतिशत सेवा-नियुक्त करने से सम्बन्धित थे और 10 प्रतिशत अधिवर्षता आयु पूर्ण होने पर सत्रांत लाभ न दिये जाने से सम्बन्धित थे।

(9) 2 प्रतिशत प्रकरण वांछित पद पर नियुक्ति न किये जाने से सम्बन्धित थे।

निष्कर्ष

विश्लेषण आख्या के आलोक में न्यायिक प्रकरणों के जो कारक उभर कर सामने आए उनका राजकीय तथा अराजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में अलग-अलग उल्लेख किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है—

राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में

(1) राजकीय सेवा के सम्बन्ध में सार्वभौम नियमों का अभाव।

(2) सभी संवर्ग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों का स्पष्ट रूप से परिभाषित न होना।

(3) कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण प्रक्रिया का युक्तिसंगत न होना।

(4) प्रोन्नति के लिये सुनिश्चित मानकों का निर्धारण न होना।

(5) राजाज्ञाओं तथा शासनादेशों का व्यापक हितों को दृष्टि में रखते हुए निर्गत न किया जाना।

(6) शासन / विभाग द्वारा प्रत्यावेदनों के उत्तर देने में अनावश्यक विलम्ब होना।

(7) उच्चाधिकारियों द्वारा प्रकरणों के निस्तारण में मनमानी करना और उनके द्वारा निर्गत प्रशासनिक आदेश का विवेकपूर्ण एवं विधिसम्मत न होना।

(8) प्रशासन की ढिलाई, अधिकारियों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, उनका व्यक्तिवादी दृष्टिकोण, उनमें नियमों, अधिनियमों तथा राजाज्ञाओं की जानकारी का न होना तथा निजी स्वार्थ एवं अहम् तुष्टि की प्रवृत्ति का प्राबल्य होना।

(9) अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्पन्न करने में विधि-सम्मत प्रक्रिया का समुचित रूप से न अपनाया जाना तथा नियमानुसार एवं समय से सम्पूर्ण कार्यवाही न सम्पन्न करना।

(10) उत्पीड़ित कर्मचारियों में विभाग की अपेक्षा न्यायालय से न्याय प्राप्त होने की सम्भावना की प्रबलता होना।

अशासकीय सेवारत कर्मचारियों के सम्बन्ध में

(1) माध्यमिक शिक्षा आयोग अधिनियम की धारा 18 का दोषपूर्ण होना।

(2) उक्त धारा के अन्तर्गत जिला विद्यालय निरीक्षक की पूर्व अनुमति अथवा अनुमोदन के बगैर विद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा अधियाचन करने के 60 दिन बाद एल० टी० तथा उससे ऊपर के पदों को प्रोन्नति अथवा तदर्थ नियुक्ति से भरने का प्राविधान होना और उक्त प्राविधान का प्रबन्ध समिति द्वारा मनमाने ढंग से दुरुपयोग।

(3) उक्त धारा 18 के अन्तर्गत मानक के प्रतिकूल तथा नियम विपरीत की गई तदर्थ नियुक्तियों के लिये वेतन आहरित करने के प्रश्न पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की गई आपत्ति एवं असमर्थता।

(4) समानान्तर प्रबन्ध समितियों का गठन और उससे उत्पन्न पारस्परिक विवाद।

(5) यदा-कदा प्रबन्ध समितियों द्वारा पदों के न होने की स्थिति में भी उन पर नियुक्तियाँ करना और विवाद उत्पन्न करना।

(6) निजी स्वार्थ वश प्रबन्ध समिति द्वारा अध्यापकों का अनेक प्रकार से उत्पीड़न करना।

(7) अध्यापकों के वरिष्ठता निर्धारण तथा प्रोन्नति प्रकरणों में धांधली।

(8) माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा बरती जाने वाली शिथिलता।

(9) आयोग द्वारा चयनित अध्यापक / प्रधानाचार्य को पदभार हस्तांतरित करने के प्रश्न पर प्रबन्ध समिति द्वारा प्रभावी कार्यवाही करने में असमर्थता।

(10) जिला विद्यालय निरीक्षक को नियमों, अधिनियमों, शासनादेशों तथा राजाज्ञाओं का समुचित ज्ञान न होना तथा प्रकरण निस्तारण में स्वविवेक का प्रयोग न करना।

(11) विभागीय आदेशों का विधि-सम्मत और निष्पक्ष न होना।

(12) विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रत्यावेदनों का समय से उत्तर देने तथा उत्तरदायित्व वहन करने से कतराना।

(13) अधीनस्थ कार्यालय कर्मचारियों द्वारा विवादित प्रकरणों को उलझाना तथा पक्षपात-पूर्ण रवैया अपनाना और नियन्त्रण अधिकारियों की वस्तु-स्थिति पर पकड़ न होना।

(14) शासन द्वारा व्यापक हित में सुस्पष्ट एवं सुविचारित शासनादेश एवं राजाज्ञाएँ निर्गत न करना।

(15) अनुशासनात्मक कार्यवाही का विधि-सम्मत प्रक्रिया द्वारा समय से सम्पन्न न किया जाना।

(16) न्यायालय के समक्ष लम्बित वादों के निस्तारण हेतु विभाग द्वारा कृत कार्यवाही में शिथिलता तथा प्रभावी पैरवी न किया जाना। न्यायिक निर्णयों के आलोक में विभागीय निर्णयों का खोखलापन सिद्ध होना।

(17) विभाग की अपेक्षा न्यायालय द्वारा न्याय पाने की संभावना की प्रबलता होना।

सुझाव

(क) राजकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में

(1) राजकीय सेवा के सम्बन्ध में सार्वभौम नियमों का निर्माण किया जाय।

(2) सभी संवर्ग के राजकीय कर्मचारियों के लिये सेवा शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाय।

(3) कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाया जाय तथा ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता निर्धारण के सुदृढ़ मानक सुस्थिर किये जाँय और प्रोन्नति प्रकरणों के निस्तारण में इन मानकों का दृढ़ता से पालन किया जाय।

(4) राजाज्ञाओं तथा शासनादेशों को व्यापक हित में निर्गत किया जाय। मात्र किसी व्यक्ति विशेष की अहं तुष्टि अथवा हित, अनहित को ध्यान में रखकर शासनादेशों अथवा राजाज्ञाओं को निर्गत करने की दृष्टि से प्रशासनिक तन्त्र का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाय।

(5) शासन / विभाग द्वारा प्रत्यावेदनों के उत्तर देने में अकारण विलम्ब करने की प्रवृत्ति को रोका जाय तथा विलम्ब के लिये उत्तरदायी अधिकारियों को दण्डित करने का प्रावधान किया जाय।

(6) अधिकारियों द्वारा प्रकरणों के निस्तारण में मनमानी, पक्षपात एवं स्वेच्छाचारिता पर रोक लगायी जाय। जिन अधिकारियों पर यह आरोप सिद्ध हो उन्हें समुचित रूप से दण्डित किया जाय।

(7) विभागीय अथवा प्रशासनिक शिथिलता के लिए दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान सुनिश्चित किया जाय।

(8) कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही मात्र व्यक्तिगत द्वेष अथवा नाराजगी के कारण नहीं वरन् जनहित में ठोस साक्ष्य के आधार पर विधि-सम्मत प्रक्रिया के द्वारा प्रारम्भ की जाय और उसे निर्धारित अवधि के अन्दर निष्पक्ष भाव से सम्पन्न किया जाय जिससे वाद की स्थिति उत्पन्न न हो।

(9) सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए नियमों अधिनियमों/शासनादेश तथा राजाज्ञाओं की प्रतियाँ सुलभ सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रखने तथा उनके अनुसार प्रकरण निस्तारित करने अथवा आदेश पारित करने हेतु शासन द्वारा प्रभावी उपाय किये जाँय।

(10) प्रदेश तथा मण्डल स्तर पर प्रशासनिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय में एक विधि प्रकोष्ठ की स्थापना की जाय जो अधिकारियों को विवादित प्रकरणों के निस्तारण में विभिन्न नियमों, अधिनियमों, शासनादेशों, राजाज्ञाओं तथा न्यायालय के निर्णयों के आलोक में विधि-सम्मत प्रक्रिया अपनाने तथा आदेश निर्गत करने में आवश्यक सहायता एवं परामर्श दें। इस प्रकोष्ठ के निर्माण में विधिवेत्ताओं तथा अवकाश-प्राप्त न्यायाधीशों की सेवाओं को लिया जा सकता है।

(11) प्रदेश, मण्डल तथा राज्य स्तर पर सभी प्रकार के वादों की प्रभावी पैरवी की जाय। ऐसे वादों में जिनमे शासन प्रतिवादी हो, मात्र शासकीय अधिवक्ताओं के सहारे ही करना समीचीन न होगा क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि बहुधा शासकीय अधिवक्ता याचिकाओं के प्रतिवाद करने में अपेक्षित रुचि नहीं लेते और अनायास ही विभाग अथवा शासन के विरुद्ध निर्णय हो जाते हैं जिससे वादियों का उत्साहवर्द्धन होता है और विभाग अथवा शासन के विरुद्ध दायर किये जाने वाले वादों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। अतः उन महत्वपूर्ण वादों में जिनमें विभाग अथवा शासन द्वारा प्रतिवाद करना आवश्यक हो; विभाग को छूट होनी चाहिए कि वह किसी भी सुयोग्य अधिवक्ता की सेवाएँ प्राप्त कर प्रभावी ढंग से मुकदमें की पैरवी कर सके। इससे विभाग / शासन का दृष्टिकोण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में सहायता मिलेगी और अकारण न्यायालय की शरण लेने वाले कर्मचारी मुकदमेबाजी करने से हतोत्साहित होंगे साथ ही विभाग / शासन की छवि में भी अपेक्षित सुधार आएगा।

(ख) अशासकीय कर्मचारियों से सम्बन्धित न्यायिक प्रकरणों को कम करने हेतु सुझाव—

(1) शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम की धारा 18 में अपेक्षित सुधार किया जाय।

(2) प्रबन्ध-तन्त्र के द्वारा मनमाने ढंग से प्रोन्नति एवं तदर्थ नियुक्ति करने सम्बन्धी अधिकार को नियन्त्रित करने हेतु आवश्यक उपाय किये जाँय ।

(3) जिला विद्यालय निरीक्षक की पूर्व अनुमति के बगैर किये जाने वाले प्रोन्नति एवं नियुक्ति के प्रकरण अमान्य घोषित किये जाँय । इस हेतु आवश्यक राजाज्ञा निर्गत की जाय अथवा अधिनियम में आवश्यक सुधार एवं संशोधन किए जाँय ।

(4) बिना पदों के की गई नियुक्तियों को तत्काल निरस्त करने का विधिक अधिकार जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया जाय और उसके द्वारा की गई कार्यवाही न्यायालय की परिधि के बाहर घोषित की जाय ।

(5) धाँधली, जालसाजी तथा स्वेच्छाचारिता करने वाले प्रबन्धाधिकरण के सदस्यों को दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डित करने का प्रावधान किया जाय और इसमें शासन स्तर से आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय ।

(6) प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में सक्षम विभागीय अधिकारी के निर्णय को अन्तिम माना जाय और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील करने के प्रावधान की प्रश्रय न दिया जाय ।

(7) जो जिला विद्यालय निरीक्षक प्रत्यावेदनों के उत्तर देने में विलम्ब करें अथवा जिनके मनमाने तथा अविवेकपूर्ण आचरण अथवा कार्य-शैली अथवा आदेशों द्वारा न्यायिक विवाद उत्पन्न होते ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के साथ उनसे उक्त मुकदमें में विभाग अथवा शासन द्वारा व्यय की जाने वाली समस्त धनराशि वसूल करने का विधिक प्रावधान शासन द्वारा सुनिश्चित किया जाय ।

(8) जो कार्यालयीय कर्मचारी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण प्रकरण निस्तारण में धाँधली अथवा उलझनें पैदा करें तथा न्यायिक प्रकरणों की वृद्धि में सहायक हों उन्हें पर्याप्त रूप से दण्डित करने के नियम बनाये जाँय और उनका कड़ाई से अनुपालन किया जाय ।

(9) जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में सभी नियम, अधिनियम, शासनादेश तथा राजाज्ञाओं की प्रतियाँ सुलभ सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रखी जाँय और विवादित प्रकरणों के निस्तारण में उनसे सहायता प्राप्त की जाये । जिला विद्यालय निरीक्षकों के लिए सभी नियमों की जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया जाय ।

(10) नियमों, अधिनियमों, शासनादेशों तथा राजाज्ञाओं की व्याख्या करने तथा उनके अनुपालन में दक्षता प्रदान करने हेतु शासन द्वारा सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों के लिए प्रतिवर्ष 6 दिवसीय अभिनवीकरण प्रशिक्षण आयोजित करने की व्यवस्था

की जाय जिसके अन्त में एक परीक्षा आयोजित की जाय जिसके द्वारा उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान का व्यावहारिक परीक्षण भी किया जाय, जो अधिकारी इस परीक्षा को उत्तीर्ण न कर सके उनके लिए पुनः प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय।

(11) जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका के कार्यालय में एक विधि प्रकोष्ठ की स्थापना की जाय जिसमें उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाय जो विधि स्नातक होने के साथ व्यापक अनुभव सम्पन्न भी हों, इस प्रकोष्ठ का कार्य विवादित प्रकरणों की विभिन्न नियमों तथा समय-समय पर दिये गये न्यायिक निर्णयों के आलोक में समीक्षा करके जिला विद्यालय निरीक्षक को न्याय एवं तर्क-संगत निर्णय पर पहुँचने तथा आवश्यक आदेश निर्गत करने में सहायता प्रदान करना होना चाहिए। इसी के साथ इस प्रकोष्ठ का यह भी उत्तरदायित्व होना चाहिये कि वह उन सभी न्यायिक प्रकरणों में प्रभावी पैरवी करें जो विभिन्न न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों के समक्ष विचाराधीन हो।

(12) महत्वपूर्ण न्यायिक प्रकरणों को प्रतिवाद करने हेतु शासकीय अधिवक्ता के अधिरिक्त अन्य सुयोग्य अधिवक्ताओं की सेवाएँ लेने हेतु भी जिला विद्यालय निरीक्षक को अधिकृत करना आवश्यक है जिससे विभाग का पक्ष प्रबल सिद्ध हो सके और अकारण मुकदमेबाजी करने वाले कर्मचारी हतोत्साहित हो सकें।

(13) सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो शिक्षा अधिकारियों को ध्यान में रखना आवश्यक है वह यह है कि उनके द्वारा निर्गत आदेश अथवा निर्णय विधिक दृष्टि से इतने पुष्ट हों कि उनके विरुद्ध किसी को भी किसी प्रकार का वाद अथवा याचिका दायर करने का साहस न हो।

22

व्यावसायिक शिक्षा योजना की समीक्षा एवं लोकप्रिय ट्रेड का शिक्षण

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में 'व्यावसायीकरण' शीर्षक के अन्तर्गत नीति निर्देशक तत्वों को स्पष्ट करते हुए उद्घोषित किया गया है कि शिक्षा के प्रस्तावित पुनर्गठन में व्यवस्थित और सुनियोजित व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को दृढ़ता से क्रियान्वित करना आवश्यक है। इससे व्यक्तियों में रोजगार पाने की क्षमता बढ़ेगी, कुशल कर्मचारियों की माँग और आपूर्ति में जो असन्तुलन है, वह समाप्त होगा और ऐसे विद्यार्थियों को जो बिना किसी उद्देश्य से उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, एक वैकल्पिक मार्ग मिल सकेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह प्रस्ताव हैं कि उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का 10% 1990 तक और 25% 1995 तक व्यावसायिक पाठ्यचर्या के अन्तर्गत आ जायें।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में केन्द्र पुरोनिधानित व्यावसायिक शिक्षा योजना का शुभारम्भ 1989 से किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा की केन्द्र पुरोनिधानित योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के 200 माध्यमिक विद्यालय तथा दूसरे चरण में 260 विद्यालय लिए गये हैं और तीसरे चरण में 140 विद्यालय लिए जाने हैं। इसके अन्तर्गत 27 ट्रेड्स में शिक्षण देने की योजना थी परन्तु सभी ट्रेड्स एक जैसे लोकप्रिय नहीं हो रहे हैं। अतः आवश्यक है कि व्यावसायिक शिक्षा योजना की समीक्षा की जाय और लोकप्रिय ट्रेड्स के शिक्षण की व्यवस्था का विधिवत् आकलन किया जाय जिससे इस शिक्षा की धारा को जनाकांक्षा के अनुकूल प्रभावी एवं उपयोगी बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत किये जा सकें।

उद्देश्य

(1) व्यावसायिक शिक्षा योजना की वर्तमान व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करना।

(2) व्यावसायिक शिक्षा योजना की वर्तमान व्यवस्था में आने वाली कठिनाइयों का आकलन करना।

(3) लोकप्रिय ट्रेड का पता लगाना तथा उनके शिक्षण की व्यवस्था की जानकारी करना।

परिकल्पना

(1) प्रदेश में चलायी जा रही व्यावसायिक शिक्षा योजना की व्यवस्था में कतिपय कमियों के कारण निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है।

(2) केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित समस्त ट्रेड समान रूप से लोकप्रिय नहीं हो सके हैं।

परिसीमन

(1) प्रदेश के 7 मण्डलों के 13 ग्राम/नगर, बालक/बालिका विद्यालयों का चयन किया गया है, जहाँ केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा योजना संचालित है। इन विद्यालयों में से 13 प्रधानाचार्य व प्रधानाचार्या तथा 25 छात्र/छात्राओं से पृच्छा प्रपत्र भरवाये गये हैं।

(2) लोकप्रिय ट्रेड का अध्ययन करने के लिए प्रदेश के 8 मण्डलों के 16 विद्यालयों को चुना गया है।

कार्यविधि

(क) न्यादर्श का चयन परिसीमन के अन्तर्गत उल्लिखित 13 विद्यालयों के कक्षा 12 के छात्र/छात्रायें।

(ख) उपकरण—प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्याओं व छात्र/छात्राओं के लिए पृच्छा-प्रपत्र।

प्रतिदर्श विश्लेषण

प्रदेश के 13 मण्डलों के 26 ग्राम/नगर, बालक/बालिका विद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, छात्र/छात्रा को पृच्छा-प्रपत्र भेजे गये परन्तु 7 मण्डलों के 13 विद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या तथा 25 छात्र/छात्रा से पृच्छा-प्रपत्र प्राप्त हुए जिसके आधार पर जो तथ्य प्राप्त हुए हैं, वे निम्नवत् हैं—

(1) व्यावसायिक विषय की शिक्षा का शिक्षण कार्य पूर्णतया सामान्य शिक्षा प्रणाली के शिक्षकों द्वारा पूरा किया जा रहा हैं किन्तु 77 प्रतिशत विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षकों का भी सहयोग लिया जाता है।

(2) सामान्य शिक्षा प्रणाली के 61 प्रतिशत शिक्षकों को 10 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त

है। शेष अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है।

(3) 46 प्रतिशत विद्यालयों में व्यावसायिक धारा की पाठ्य-पुस्तकें सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं।

(4) व्यावसायिक शिक्षा के ट्रेड से सम्बन्धित मात्र 39 प्रतिशत विद्यालयों में शिक्षक संदर्भ शंकाएँ उपलब्ध हैं।

(5) सैद्धान्तिक शिक्षण कार्य हेतु प्रतिदिन 30% विद्यालयों में 1 वादन, 24% विद्यालयों में 2 वादन, 23% विद्यालयों में 3 वादन व 8% विद्यालयों में 4 वादन तथा 15% विद्यालयों में 5 वादन की व्यवस्था है।

(6) 61% विद्यालयों में व्यावसायिक ट्रेड की कार्यशाला तथा उपकरण पूर्णरूपेण उपलब्ध हैं।

(7) प्रायोगिक कार्य हेतु प्रतिदिन 61% विद्यालयों में 2 वादन, 23% विद्यालयों में 1 वादन तथा 8% विद्यालयों में 3 वादन और 8% विद्यालयों में 4 वादन की व्यवस्था है।

(8) प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक कार्य हेतु 92% विद्यालयों में अनुदान की व्यवस्था नहीं है। 46% विद्यालय अन्य स्रोतों से इसकी पूर्ति करते हैं।

(9) 78% प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या का कहना है कि व्यावसायिक धारा के इण्टर-मीडिएट उत्तीर्ण छात्रों के लिए स्थानीय उपक्रमों में नियुक्ति हेतु स्थान का अभाव है।

छात्र/छात्राओं की प्रतिक्रिया

(1) व्यावसायिक वर्ग के चयन के सम्बन्ध में 80% छात्र/छात्राओं ने मत व्यक्त किये हैं कि—

(क) साहित्यिक तथा अन्य वर्गों की शिक्षा अब व्यर्थ होती जा रही है।

(ख) व्यावसायिक वर्ग की शिक्षा प्राप्त कर लेने पर स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

(2) जिन व्यवसायों को छात्रों ने चुना है उनके सम्बन्ध में 92% छात्र/छात्राओं का मत है कि आधुनिक समाज में इस विषय की उपयोगिता बहुत अधिक है। उन्हीं में से 72% छात्र/छात्राओं का यह भी मत है कि इस व्यवसाय में जाने से समृद्धि का रास्ता खुलेगा। उन्हीं में से 60% छात्र/छात्राओं ने यह भी मत व्यक्त किया है कि नवीन विषय होने के कारण इस ओर आकर्षण है।

(3) चयनित व्यवसाय के प्रति 92% छात्र/छात्राओं ने अपनी रुचि को स्थायी बताया हैं परन्तु 72% छात्र/छात्राओं ने अध्ययन की सुविधाओं का अभाव भी बताया है जबकि 96% छात्र/छात्राओं का कहना है कि व्यावसायिक शिक्षा इस देश के लिए आवश्यक है। 80% छात्र/छात्राओं ने अपने चयनित व्यवसाय को व्यावसायिक जीवन में अपना प्रमुख व्यवसाय बनाने की बात कही है। साथ ही यह भी कहा है कि अपने साथियों को भी यही व्यवसाय चयन करने की सलाह दूंगा।

शत-प्रतिशत छात्र/छात्राओं ने इस व्यवस्था को व्यापक तथा सुदृढ़ किये जाने पर बल दिया है।

लोकप्रिय ट्रेड का आकलन

छात्र/छात्राओं के प्रवेश संख्या के आधार पर प्रदेश के 8 मण्डलों के 16 विद्यालयों में आवंटित ट्रेडों की लोकप्रियता निम्नवत् आकलित की जा सकती हैं।

प्राप्त आँकड़ों के अनुसार 16 विभिन्न ट्रेडों में छात्र/छात्राओं की संख्या 737 है जिनमें—

(1) आशुलिपिक हिन्दी टंकण में 126 (16%), (2) परिधान रचना एवं सज्जा में 111 (15%), (3) खाद्य संरक्षण में 83 (11%), (4) फोटोग्राफी में 76 (10%), (5) बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मी में 52 (7%), (6) एकाउन्टेंसी एवं अंकेक्षण में 42 (6%) तथा (7) पाकशास्त्र में 38 (5%) छात्र/छात्राओं ने प्रवेश लिया है।

उपर्युक्त के आधार पर वरीयताक्रम में (1) आशुलिपि हिन्दी टंकण (2) परिधान रचना एवं सज्जा (3) खाद्य संरक्षण (4) फोटोग्राफी (5) बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मी (6) एकाउन्टेंसी एवं अंकेक्षण तथा (7) पाकशास्त्र को लोकप्रिय ट्रेड कहा जा सकता है। शेष 9 ट्रेडों (1) बैंकिंग एवं कन्फेक्शनरी 35, (2) रंगाई धुलाई 32, (3) बुनाई तकनीक 31, (4) बैंकिंग 25 (5) पुस्तकालय विज्ञान 25 (6) रेडियो टी० वी० 23, (7) आटोमोबाइल 19, (8) आडिटिंग 15 और (9) नर्सरी शिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध 5 छात्र/छात्राओं ने प्रवेश लिया है। प्रवृष्ट छात्रों की संख्या 5% से कम है।

निष्कर्ष

प्रतिदर्श विश्लेषण के बिन्दु 1, 2, 3, 4 व 8 तथा 9 में निष्कर्ष निकलता है कि—

(1) प्रदेश में चलायी जा रही व्यावसायिक शिक्षा योजना की व्यवस्था में कुछ मूलभूत कमियाँ हैं जिसके कारण छात्र/छात्राओं का रुझान कम होता जा रहा है और योजना से आशातीत लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है।

(2) व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत जिन ट्रेडों को चलाया जा रहा है उनमें से

निम्नांकित ट्रेड अधिक लोकप्रिय हुए हैं क्योंकि इन ट्रेडों में छात्र/छात्राओं की संख्या अन्य ट्रेडों की अपेक्षा अधिक है —आशुलिपि हिन्दी टंकण, परिधान रचना एवं सज्जा, खाद्य संरक्षण, फोटोग्राफी, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मी, एकाउन्टेंसी एवं अंकेक्षण, पाकशास्त्र व बुनाई तकनीकी।

सुझाव

व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसाय में दक्ष व्यक्तियों/विशेषज्ञों को संलग्न किया जाय। इससे व्यावसायिक शिक्षा के नियोजन, प्रशासन, पाठ्यचर्या निर्माण, अनुश्रवण (Monitering) तथा अध्ययन-अध्यापन में व्यावसायिक स्वर (vocational voice) सुनिश्चित हो सकेगा जो इसकी सफलता के लिये अपरिहार्य है।

(1) व्यावसायिक सर्वेक्षणोपरान्त ही प्रतिष्ठानों की तथा क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार व्यवसायों तथा विद्यालयों का चयन किया जाय।

(2) सम्बन्धित ट्रेड की पुस्तकों की व्यवस्था की जाय। इसके लिए निजी क्षेत्र के प्रकाशकों की यह भार इस आधार पर सौंपा जाय कि पुस्तकों की एक निश्चित संख्या शिक्षा विभाग खरीद लेगा अथवा जो पुस्तकें नहीं बिक पायेंगी उन्हें सरकार खरीद लेगी।

(4) कच्चे माल तथा कन्टेन्जेंसी व्यय को राज्य सरकार वहन करे।

(5) अपरेन्टिस-शिप योजना को प्रभावी बनाया जाय।

———

23

उत्तर प्रदेश में संचालित कार्यानुभव के प्रति छात्रों-अभिभावकों तथा प्रधानाचार्यों की अभिवृत्ति का अध्ययन

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने कार्यानुभव और व्यावसायिक शिक्षा पर बहुत बल दिया है। कार्यानुभव को सभी स्तरों पर दी जाने वाली शिक्षा के एक आवश्यक अंग के रूप में स्वीकारा गया है। इसकी संकल्पना पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा-नीति में स्पष्टतः उल्लिखित है कि कार्यानुभव एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण और सार्थक शारीरिक काम है जो सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है और जिससे समाजोपयोगी वस्तुएँ या सेवायें मिलती हैं। इस शिक्षा से व्यक्तियों को रोजगार के कुशल सम्पादन की क्षमता भी बढ़ेगी, आजकल कुशल कर्मचारियों की मांग और पूर्ति में जो असंतुलन है, वह निरन्तर कम होगा और ऐसे विद्यार्थियों को एक वैकल्पिक वर्ग मिल सकेगा जो इस समय बिना किसी विशेष रुचि या उद्देश्य के उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हैं।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में उत्तर-प्रदेश में कार्यानुभव व व्यावसायिक शिक्षा का प्रारम्भ कर दिया गया है। कार्यानुभव का प्रारम्भ सामान्य-शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए प्रारम्भ है।

आवश्यकता इस बात की है कि यह पता लगाया जाय कि कार्यानुभव के प्रति छात्रों और उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति क्या है? क्या छात्रों ने इन कार्यक्रमों को अपनी इच्छा या रुचि से अपनाया है? या उन्हें इसके लिए बाध्य किया गया है। क्या इनके अभिभावक कार्यानुभव के दर्शन और उद्देश्य से परिचित हैं और अपने पाल्यों के कार्यगत कार्यानुभव के उपहृत करने में सहभागी है।

उद्देश्य

इस अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित थे—

(i) विद्यालयों में चल रहे कार्यानुभव की यथास्थिति का पता लगाना।

(ii) इस कार्यक्रम के प्रति छात्रों और उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति को जानना ।

(iii) इस कार्यक्रम की व्यवस्था के प्रति प्रधानाचार्यों के दृष्टिकोण की जानकारी करना ।

परिकल्पना

छात्रों और अभिभावकों की अभिवृत्ति इस कार्यक्रम के प्रति सकारात्मक है ।

परिसीमन

यह अध्ययन 200 कतिपय चुने हुए विद्यालयों में से केवल 50 विद्यालयों को प्रतिदर्श मानकर किया गया है । प्रत्येक मण्डल से सामान्यतया 4 विद्यालय (छात्र / छात्रा / नगर / ग्राम) चुने गये हैं ।

अध्ययन विधि

(क) प्रतिदर्श चयन

प्रदत्त संग्रह में प्रत्येक मण्डल से 4 विद्यालय लिए गये । इनमें 2 बालक और 2 बालिकाओं के विद्यालय हैं । एक विद्यालय नगरीय तथा दूसरा ग्रामीण क्षेत्र का लिया गया है । इस प्रकार 25 विद्यालय नगरीय तथा 25 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के हैं । इसी प्रकार 25 बालक और 25 बालकों के विद्यालय हैं । इनमें 200 बालक एवं 300 बालिकायें सम्मिलित हैं ।

(ख) उपकरण

प्रदत्त संग्रह हेतु निम्नलिखित प्रपत्रों का उपयोग किया गया —

(i) छात्र और अभिभावक पृच्छा-प्रपत्र

कार्यानुभव के प्रति छात्रों और अभिभावकों की अभिवृत्ति जानने के लिए अलग-अलग प्रपत्रों की रचना कर और विशेषज्ञों की राय के अनुसार परिवर्तन कर उपयोग में लाया गया ।

(ii) प्रधानाचार्य पृच्छा-प्रपत्र

इसके माध्यम से विद्यालय के प्रधानाचार्य से कार्यानुभव की व्यवस्था और क्रियान्वयन की यथास्थिति मालूम की गयी ।

(ग) दत्त संग्रह

दत्त संग्रह का कार्य विभिन्न मण्डलों से सम्बन्धित विद्यालयों में उस मण्डल के मण्डलीय मनोवैज्ञानिक द्वारा सम्पन्न कराया गया । इस दत्त-संग्रह में हुए विलम्ब का कारण अप्रत्याशित परिस्थितियों की वजह से विद्यालयों का बन्द रहना रहा ।

(घ) दत्त विश्लेषण और निर्वचन

प्राप्त दत्तों को अभिभावकों / विद्यार्थियों / प्रधानाचार्यों के वर्ग में अलग-अलग करने के उपरान्त विश्लेषण किया गया । इसमें मुख्य सहारा प्रतिशत के आधार पर तुलना करना रहा ।

सारिणी नं० 1

कार्यानुभव अभिवृत्ति मापिनी-पृच्छा-प्रपत्र (अभिभावकों के लिए)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
छात्र	निवास	व्यवसाय	आय	कक्षा	कार्यानुभव ट्रेड	पाल्य द्वारा जानकारी	पाल्य द्वारा किये गये कार्य को देखना	पाल्य द्वारा घर में किये गये शारीरिक श्रम	पाल्य द्वारा शारीरिक श्रम पर प्रसन्नता	पाल्य को भविष्य में क्या बनाना चाहते हैं	कार्यानुभव की शिक्षा होनी चाहिए	कार्यानुभव से पाल्य को आर्थिक लाभ
बालिकायें 48%					सिलाई 13%					कृषि 5%	हाँ 80%	हाँ 45%
बालक 52%	ग्रामीण 25%	कस्बा 30%	1000 से कम 23%	XIth 55%	कढ़ाई 15%					नौकरी 75%		नहीं 20%
					परिधान रचना 25%							
					मोमबत्ती बनाना 15%	हाँ 94%	हाँ 91%	हाँ 87%	हाँ 85%			
					पु० विज्ञान 4%							
					फाइबर ग्लास 4%							
					कृषि 5%							
					फोटो 10%							
					प्रिंटिंग 5%							
					रूमाल बनाना 2%	नहीं 6%	नहीं 9%	नहीं 13%	नहीं 15%			
					जूट कार्य 2%							
	नौकरी 70%	व्यापार 20%	1000 से 2000 तक 45%	XIIth 45%						व्यवसाय 20%	नहीं 20%	अनि० 35%
		कृषि 10%	2000 के ऊपर 32%									

कार्यानुभव अभिवृत्ति मापिनी-पृच्छा-प्रपत्र

(अभिभावकों के लिए)

सारिणी नं० 1 का विवरण इस प्रकार है—

बालकों/बालिकाओं के अभिभावकों का क्रमशः प्रतिशत 52 तथा 48 है। 45% अभिभावक शहर में निवास करते हैं, 30% कस्बे तथा 25% अभिभावक ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्ध रखते हैं। इसके अतिरिक्त 70% अभिभावक नौकरी पेशे में हैं, 20% अभिभावक व्यापार में संलग्न हैं तथा 10% अभिभावक कृषि में लगे हैं।

32% अभिभावक ऐसे हैं जिनकी मासिक आय रु० 2000 से अधिक है। 45% अभिभावक रु० 1000/- से 2000/- के मध्य की आय सीमा में आते हैं। 23% अभिभावक रु० 1000/- से कम आय के अन्तर्गत आते हैं।

इन अभिभावकों के 55% पाल्य कक्षा 11 तथा 45% पाल्य कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं।

ट्रेड्स के सम्बन्ध में अभिभावकों द्वारा जो स्थिति सामने आयी है उनसे पता चलता है कि उनके पाल्यों में 25% पाल्य परिधान-रचना में हैं, कढ़ाई, मोमबत्ती बनाने में 15% छात्र हैं। 13% पाल्य सिलाई में लगे हैं। 10% पाल्य फोटोग्राफी में हैं तथा कृषि एवं प्रिंटिंग के कार्य में 5% छात्र हैं। इसके अतिरिक्त पु० विज्ञान तथा फाइबर-ग्लास में 4% तथा रुमाल बनाने व जूट कार्य में 2% छात्र हैं।

व्यावसायिक कार्यानुभव की स्थिति की जानकारी 94% अभिभावकों को अपने पाल्यों द्वारा प्राप्त हुयी थी किन्तु 6% अभिभावक ऐसे भी हैं जिनके पाल्यों ने उन्हें इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी है। 91% अभिभावकों ने अपने पाल्यों द्वारा किये गये कार्य को देखा है तथा 9% अभिभावकों ने उनके कार्यों को नहीं देखा हैं।

87% अभिभावकों ने स्वीकार किया है कि उनके पाल्य घर में शारीरिक-श्रम का कार्य करते हैं तथा 13% अभिभावकों ने इसके विपरीत उत्तर दिये हैं।

85% अभिभावकों ने बताया कि उनके पाल्य शारीरिक परिश्रम में प्रसन्नता की अभिव्यक्ति देते हैं तथा 15% अभिभावकों के उत्तर इस तथ्य के विरोध में रहे हैं।

75% अभिभावक अपने पाल्यों के लिए नौकरी की इच्छा रखते हैं, 20% अभिभावक उन्हें स्वयं के व्यवसायों में तथा 5% अभिभावक अपने पाल्यों को कृषि में लगाना चाहते हैं।

80% अभिभावकों ने राय व्यक्त की कि विद्यालयों में कार्यानुभव की शिक्षा महत्वपूर्ण हैं और होती रहनी चाहिए। 20% अभिभावकों ने इसका उत्तर नकारात्मक रूप में दिया है।

इस कार्यानुभव से होने वाले आर्थिक लाभों में 45% अभिभावकों ने स्वीकार किया कि उनके पाल्य लाभान्वित होते हैं। 20% अभिभावकों ने विपरीत अभिवृत्ति व्यक्त की तथा 35% अभिभावक ऐसे हैं जिन्होंने इस सम्बन्ध में कोई राय ही व्यक्त नहीं की।

सारिणी नं० 2

कार्यानुभव अभिवृत्ति, मापिनी-पृच्छा-प्रपत्र (विद्यार्थियों के लिए)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
छात्र	कक्षा	श्रेणी (हाई-स्कूल)	ट्रेड	समय	सामग्री	सामग्री का स्रोत	निर्मित सामग्री की बिक्री	आर्थिक लाभ स्वयं को	समय का उपयोग	घर में दिया गया समय	कार्यों के प्रति अनुभूति	कार्यानुभव के प्रति विचार	भावी जीवन में उपयोगिता
बालक 47%	XIth 52%	प्रथम 14%	सिलाई 25% बागवानी 15% कुर्सी बुनना 10% फल संरक्षण 5% खिलौने 2% कढ़ाई 5% बुनाई 7% कताई बुनाई 5% संगीत 1% व्यायाम 5% सफाई 5% फोटो 15%	पूर्वाह्न 67·96%	पर्याप्त 58·25%	घर 66%	हाँ 78%	हाँ 33%	अधिक 16%	हाँ 39%	उत्तम 22%	भार लगता है 19%	नौकरी में 77·67%
		द्वितीय 48%							कम 24%		अच्छी 50%	भार नहीं लगता है 81%	स्वरोजगार में 22·33%
बालिका 53%	XIIth 48%	तृतीय 38%		अपराह्न 32·4%	अपर्याप्त 41·75%	विद्यालय 34%	नहीं 22%	नहीं 67%	ठीक 60%	नहीं 61%	खराब 28%		

कार्यानुभव-अभिवृत्ति (विद्यार्थियों के लिए)

सारिणी—2 के आधार पर 'कार्यानुभव' की शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 53% बालिकायें तथा 47% बालक हैं। अधिकांश छात्र कक्षा 11 के हैं जो 52% की संख्या में हैं तथा कक्षा 12 में 48% विद्यार्थी हैं।

48% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने हाईस्कूल परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की है। 38% विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में तथा 14% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं।

इन विद्यार्थियों में सिलाई के विद्यार्थी 25%, बागवानी 15%, फोटोग्राफी 15%, कुर्सी बुनना 10%, बुनाई 07%, फल-संरक्षण 5%, कढ़ाई 5%, कताई-बुनाई 5%, व्यायाम 5%, सफाई 5% की संख्या में कार्यानुभव सम्बन्धी कार्य में लगे हैं। 2% विद्यार्थी खिलौने बनाने तथा संगीत में 1% विद्यार्थी कार्यानुभव शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनमें 67·96% विद्यार्थी पूर्वाह्न में शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा 32·4% विद्यार्थी अपराह्न में।

58·25% विद्यार्थियों को कार्यानुभव से सम्बन्धित पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो जाती है किन्तु 41·75% विद्यार्थी वे हैं जिन्हें सामग्री पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं होती।

मुख्य रूप से यह तथ्य भी उभर कर सामने आया कि इन विद्यार्थियों को अधिकांशतः घर से आवश्यक सामग्री प्राप्त करनी होती है। इस तथ्य की पुष्टि 66% विद्यार्थियों ने की है परन्तु 34% विद्यार्थियों ने इस तथ्य की पुष्टि भी की है कि उन्हें सामग्री की सुविधा विद्यालय से प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त 78% विद्यार्थियों ने बताया कि उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री होती है किन्तु 22% विद्यार्थियों का कथन इसके विपरीत रहा है।

67% विद्यार्थियों के कथन इस पक्ष में उभर कर सामने आये हैं कि उन्हें स्वयं की निर्मित वस्तुओं की बिक्री से खुद कोई लाभ नहीं होता। परन्तु 33% विद्यार्थियों ने स्वीकार किया है कि उन्हें निर्मित वस्तुओं की बिक्री से आर्थिक लाभ भी होता है।

60% विद्यार्थियों ने यह मत व्यक्त किये हैं कि कार्यानुभव से उनके समय का उपयोग सामान्य रूप से बस ठीक-ठाक होता है। 24% विद्यार्थियों ने बताया कि उनके समय का कम उपयोग हो पाता है तथा 16% विद्यार्थी ऐसे भी है जिन्होंने यह स्वीकार किया है कि उनके समय का अधिक उपयोग इसमें हो जाता है।

61% विद्यार्थियों ने यह बताया कि उनकी कार्यानुभव के कार्य के लिए घर में समय नहीं मिलता है किन्तु 39% विद्यार्थियों ने घर में समय मिलने की बात कही है।

कार्य के प्रति अच्छी अभिवृत्ति को 50% विद्यार्थियों ने दर्शाया है। 28% विद्यार्थियों ने नकारात्मक अभिवृत्ति की झलक दी है तथा 22% विद्यार्थियों ने कार्य में अपनी उत्तम स्तर की अभिवृत्ति दिखायी है।

81% विद्यार्थी कार्यानुभव की शिक्षा को भार नहीं मानते परन्तु 19% विद्यार्थी इसे भार स्वरूप स्वीकारते हैं।

कार्यानुभव से भावी जीवन में उपयोगिता के सम्बन्ध में 77·67% विद्यार्थी यह सोचते हैं कि यह शिक्षा उन्हें नौकरी में लाभान्वित कर सकती है।

22·33% विद्यार्थियों का मत है कि इसकी उपयोगिता भावी जीवन में स्व-रोजगार अपनाने में ही अधिक हो सकती है अन्यथा नहीं।

सारिणी नं० 3

कार्यानुभव की स्थिति और प्रगति (प्रधानाचार्यों के लिए)

1	2	3	4	5	6	7	8
कच्चे सामान की व्यवस्था	कार्यानुभव में तैयार सामान का उपभोग	विद्यालय के छात्रों की अभिवृत्ति	रुचि तथा आर्थिक आधार पर छात्रों का वर्ग	अध्यापकों को दायित्व सौंपने का आधार	अध्यापकों की अभिवृत्ति	योजना के क्रियान्वयन में कठिनायों का अनुभव	कार्यानुभव सम्बन्धी शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव
विद्यालय द्वारा 31%	निःशुल्क वितरण 20%	सामान्य रुचि 67%	निर्बल 91%	उनकी रुचि के आधार पर 82%	सामान्य 60%	हाँ 92%	होना चाहिये 70%
		विशेष रुचि 12%			विशेष 27%		
छात्रों द्वारा 69%	अपने योगदान के आधार पर छात्रों द्वारा स्वयं बाँट लेना 80%	उदासीन 21%	सम्पन्न 9%	दबाव तथा प्रयास के द्वारा 18%	उदासीन 13%	नहीं 8%	नहीं होना चाहिये 30%

कार्यानुभव—शिक्षा की स्थिति
(प्रधानाचार्यों के लिए)

कार्यानुभव की स्थिति और प्रगति का विवरण सारिणी नं० 3 में उभर कर सामने आया है। इसमें प्रधानाचार्यों से प्राप्त सूचनायें वर्णित हैं। प्रधानाचार्यों के मत इस प्रकार हैं—

69% प्रधानाचार्यों ने बताया कि कार्यानुभव से सम्बन्धित कच्चे माल की व्यवस्था छात्रों द्वारा करायी जाती हैं। 31% प्रधानाचार्यों ने अपने विद्यालय के द्वारा कच्चे माल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की बात बतायी है।

कार्यानुभव में तैयार सामान का सपभोग 80% छात्र अपने योगदान के आधार पर स्वयं बाँट कर करते हैं तथा 20% सामान का निःशुल्क वितरण किये जाने की बात भी प्रकाश में आयी है।

प्रधानाचार्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर 67% छात्रों की इस शिक्षा के प्रति अभिरुचि और दृष्टिकोण सामान्य है। 21% छात्रों की अभिवृत्ति में उदासीनता दिखायी दी तथा केवल 12% छात्र ही ऐसे हैं जो इसमें विशेष रुचि लेते हैं।

एक विशेष तथ्य जो उभर कर आया है वह यह हैं कि इस शिक्षा में रुचि लेने वाले छात्र अधिकांश रूप से निर्बल वर्ग के हैं। सम्पन्न वर्ग के छात्र इसमें अपेक्षित रुचि नहीं लेते हैं।

सारिणी में देखा जा सकता है कि 91% छात्रों की संख्या निर्बल वर्ग से सम्बन्ध रखती है जो इस शिक्षा में रुचि का प्रदर्शन करते हैं। 9% छात्र ही सम्पन्न वर्ग के हैं जो इस क्षेत्र में रुचि लेते दिखायी दिये।

82% अध्यापकों को दायित्व सौंपने का आधार उनकी रुचि है, केवल 18% अध्यापकों को प्रयास या दबाव के आधार पर इस दिशा का दायित्व सौंपा गया है।

60% अध्यापकों की अभिवृत्ति इस दिशा के प्रति सामान्य हैं। 13% अध्यापकों की अभिवृत्ति उदासीन तथा 27% अध्यापकों की अभिवृत्ति सकारात्मक दिखायी दी।

प्रधानाचार्यों के मतानुसार कार्यानुभव शिक्षा की योजना के क्रियान्वयन में कठिनाइयों का अधिक अनुभव होता है। 92% प्रधानाचार्यों ने होने वाली कठिनाइयों के पक्ष पर अधिक बल दिया है। केवल 8% प्रधानाचार्यों के मत इसके विपरीत रहे हैं। किन्तु एक प्रमुख बात यह भी है कि 70 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने यह सुझाव दिये हैं कि विद्यालयों में यह शिक्षा होनी चाहिए। केवल 30 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने इस कार्यानुभव योजना का विरोध किया है।

निष्कर्ष

व्याख्या तथा विश्लेषण से कार्यानुभव में होने वाली अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी इसके प्रति अभिभावकों, विद्यार्थियों तथा प्रधानाचार्यों सभी की अभिवृत्ति सकारात्मक है।

विशेष रूप से यह बात भी उभर कर सामने आयी है कि इसमें सम्पन्न वर्ग की अपेक्षा निर्बल वर्ग के लोग अधिक रुचि ले रहे हैं।

सुझाव

निष्कर्ष के आधार पर कुछ सुझाव इस प्रकार हैं—

(1) कार्यानुभव का स्तर उच्च करना चाहिए जिससे इस कार्य में हर वर्ग के विद्यार्थी रुचि से प्रवेश ले सकें। वर्णित कार्यानुभव के अधिकतर ट्रेड्स ऐसे हैं जिन्हें निर्बल वर्ग ही स्वीकार करता है। सम्पन्न वर्ग के छात्र ऐसे व्यवसाय में लगना पसन्द करते हैं जिसमें उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहे।

(2) प्रधानाचार्यों को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे विद्यालयों को कच्चेमाल, स्थान, उपकरण आदि की सुविधा मिलती रहे।

(3) कार्यानुभव की शिक्षा के लिए विशेष तकनीकी को ही काम में लाना चाहिए जिससे कार्यानुभव का स्तर उच्च बना रहे।

(4) निर्मित वस्तुओं का आर्थिक लाभ हर विद्यार्थी को मिलना चाहिए जिससे विद्यार्थियों का इस शिक्षा के प्रति उत्साह बना रहे तथा अधिक विद्यार्थी इस क्षेत्र में प्रवेश ले सकें।

(5) सबसे आवश्यक बात यह है कि सरकार को कार्यानुभव की स्थिति में सुधार लाने के लिये सशक्त कदम उठाना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस ओर ध्यान देने से विद्यार्थियों के भावी जीवन में बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकेगी।

———

24

व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति
एक विवरणात्मक अध्ययन

प्राक्कथन

प्रोफेसर हुमायूँ कबीर के अनुसार "किसी देश अथवा राष्ट्र की सम्पन्नता का आधार विज्ञान तथा प्राविधिक शिक्षा हैं।" प्राविधिक शिक्षा के कारण ही बहुत से देश प्रगतिशील हो सके हैं।

1854 के वुड्स डिस्पैच की संस्तुतियों द्वारा सर्वप्रथम भारतवर्ष में व्यावसायिक शिक्षा का प्रारम्भ हुआ। इसके पश्चात् हर्टाग आयोग ने 1882 में शिक्षा-क्षेत्र में दो प्रकार के पाठ्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की—

(1) विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम।

(2) व्यावहारिक व्यावसायिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम।

1937 में वुड एबट रिपोर्ट तथा 1944 में सार्जेन्ट रिपोर्ट ने भी व्यावसायिक शिक्षा के महत्व पर अत्यधिक बल दिया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य हुआ। इस सम्बन्ध में 1948 में राधाकृष्णन आयोग ने छात्रों की अलग-अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर ऐसी व्यावसायिक शिक्षा पर विचार किया जो विश्वविद्यालय तक की उच्च शिक्षा में भी सहायक हो।

तत्पश्चात् मुदालियर आयोग के सुझावों पर "मल्टी परपज विद्यालयों" की स्थापना की गयी।

1964-66 में कोठारी आयोग ने माध्यमिक स्तर पर दो प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त किये—

(1) शैक्षणिक

(2) व्यवसायपरक

हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को आचार्य नरेन्द्र-देव समिति ने व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की संकल्पना की।

उपर्युक्त सम्पूर्ण योजनाओं के होते हुए भी व्यावसायिक अभिवृत्ति के सम्बन्ध में अभी देश में अत्यन्त कम कार्य हुआ है। निश्चित रूप से इसकी रूपरेखा जानने के लिए बड़े पैमाने पर कोई कार्य नहीं हुआ है। व्यावसायिक अभिवृत्ति व्यवसाय चयन में बड़ी सहायता देती है, परन्तु इस क्षेत्र में वांछित शोध का अभाव इस शोध की आवश्यकता को बढ़ा देता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मनोविज्ञानशाला में व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित अभिवृत्ति मापन परीक्षण प्रपत्र बनाया गया है। जिसका प्रशासन इण्टरमीडिएट में पढ़ने वाले छात्रों के लिए किया जा सकता है, वे छात्र जिन्होंने व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित ट्रेड्स ले रखे हैं। यह परीक्षण (पृच्छा-प्रपत्र) व्यावसायिक शिक्षा अभिवृत्ति मापन से सम्बन्धित है जिसके द्वारा अभिभावकों, प्रधानाचार्यों तथा छात्रों की व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।

उद्देश्य

व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में छात्रों की क्या अभिवृत्ति है, साथ ही उनके अभिभावक इस सम्बन्ध में क्या सोचते हैं तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों के प्रधानाचार्य इस क्षेत्र में किस प्रकार की अभिवृत्ति रखते हैं। इन सभी बातों का उत्तर पाने के उद्देश्य से व्यावसायिक शिक्षा अभिवृत्ति मापन परीक्षण का निर्माण किया गया।

विधि

परीक्षण को कार्यान्वित करने के लिए जो विधि अपनायी गयी वह इस प्रकार है—

न्यादर्श

उत्तर प्रदेश के विभिन्न मण्डलों के व्यावसायिक विद्यालयों से 500 छात्रों, अभिभावकों तथा सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों पर परीक्षण सम्पादित किया गया। इन विद्यालयों से छात्र और छात्राओं दोनों के ही सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी। इन विद्यालयों में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं।

सामग्री

व्यावसायिक अभिवृत्ति सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रश्नावलियाँ निर्माण की गयीं। प्रश्नावली छात्रों के लिए प्रयुक्त होने वाली मापनी अलग है और अभिभावकों तथा प्रधानाचार्यों के लिए भी अलग-अलग हैं। इनके माध्यम से छात्रों, अभिभावकों तथा प्रधानाचार्यों के विचार जानने का प्रयास किया गया।

सारणी नं० 1

व्यावसायिक शिक्षा अभिवृत्ति मापिनी पृच्छा-प्रपत्र (अभिभावकों के लिए)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अभिभावकों का व्यवसाय	अभिभावको की मासिक आय	निवास	पाल्य	कक्षा	ट्रेड	ट्रेड दिलाने का कारण	शीघ्र नौकरी पाने की सम्भावना	अन्य विषयों की पढ़ाई में समर्थता	उच्च शिक्षा	ट्रेड में पाल्य की इच्छा	पाल्य की इच्छा का आधार	पाल्य के भविष्य की योजना
कृषि 30%	1000 से कम 50%	शहरी 16%	बालक 40%	XI th 50%	इलेक्ट्रिक 50%	बच्चे की रुचि 63%	हाँ 62%	हाँ 52%	हाँ 76%	हाँ 76%	तकनीकी ज्ञान 70%	निश्चित 56%
व्यापार 20%	1000 से 2000 32%	कस्बा 20%	बालिका 60%	XII th 50%	परिवहन 30%	अभिभावक की इच्छा 37%	नहीं 38%	नहीं 48%	नहीं 24%	नहीं 24%	नौकरी की इच्छा 30%	अनिश्चित 44%
नौकरी 50%	2000 से ऊपर 18%	ग्रामीण 64%			बुनाई 8%							
					रंगाई 8%							
					खाद्य 10%							
					फल संरक्षण 2%							
					बैंकिंग आय 20%							
					भवन 10%							

विश्लेषण का अर्थ, निरूपण, परिणाम

उत्तर प्रदेश के विभिन्न मण्डलों के व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित विद्यालयों से जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, उनका उल्लेख सारणी (1) में दिया गया है। सारिणी नं० 1 को देखकर जो प्रमुख परिणाम उभरते हैं, उनके अनुसार अधिकांश अभिभावक नौकरी पेशे से सम्बन्ध रखते हैं (50%), उसके पश्चात् कृषि (30%) तथा व्यापार (20%) का कार्य करते हैं। अधिकतर छात्रों के अभिभावकों की मासिक आय 1000/- रुपये से कम है (50%), 1000/- रुपये से 2000/- रुपये के मध्य 32% अभिभावक हैं। केवल 18% अभिभावक ही ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 2000/- रु० से अधिक है।

ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्ध रखने वाले अभिभावकों की संख्या 64%, कस्बे से सम्बन्धित अभिभावक 20% तथा शहरी अभिभावकों की संख्या 16% है।

प्रमुख बात यह है कि व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों में बालिकाओं की संख्या बालकों से अधिक है। बालिकायें 60% हैं तथा बालक 40% हैं। इन छात्रों में 50% कक्षा 11 तथा 50% कक्षा 12 के हैं।

छात्रों ने जो ट्रेड्स ले रखे हैं उनकी रूपरेखा इस प्रकार है—सबसे अधिक संख्या परिधान निर्माण में है (30%), इसके पश्चात् बैंकिंग (22%), फिर इलेक्ट्रिकल, खाद्य, आटोमोबाइल्स में संख्या देखी जा सकती है (10%), बुनाई, रंगाई में 8% तथा फल संरक्षण में 2% ही छात्र हैं।

62% छात्रों/छात्राओं ने अपनी रुचि से ट्रेड लिए हैं तथा 38% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभिभावकों की इच्छा से ट्रेड का चुनाव किया है।

यहाँ इस पहलू पर भी प्रकाश पड़ता हैं कि व्यवसाय सम्बन्धी जो भी ट्रेड्स हैं वह लड़कियों की रुचि से अधिक सम्बन्धित हैं। व्यवसाय के अतिरिक्त इनसे प्राप्त शिक्षा छात्राओं के भावी जीवन में भी लाभदायक होती हैं अतः अधिकांशतः माता-पिता छात्राओं को सीखने के उद्देश्य से भी इन व्यवसायों में भेजते हैं।

62% अभिभावकों की आशा है कि उनके पाल्यों को शीघ्र नौकरी मिल सकेगी किन्तु 38% अभिभावकों की सम्भावना यह है कि बदलते परिप्रेक्ष्य में नौकरी शीघ्र मिलने की आशा नहीं की जा सकती।

यह भी जानने का प्रयत्न किया गया कि इन छात्रों की अन्य विषयों की पढ़ाई में सामर्थ्य है अथवा नहीं। 52% छात्रों के विषय में अभिभावकों का मत है कि वे अन्य विषयों की पढ़ाई में पूर्ण सामर्थ्य रखते हैं तथा 48% छात्रों के अभिभावकों ने इसका उत्तर नकारात्मक दिया। उनके अनुसार इस कार्य से लग जाने से अन्य विषयों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त

सारिणी नं० 2

व्यावसायिक शिक्षा प्रगति आख्या-प्रपत्र (प्रधानाचार्यों के लिए)

1	2	3	4	5	6	7	8
अध्यापकों द्वारा दिया गया प्रशिक्षण	व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति	ट्रेड्स का आधार	व्यवसाय का चयन	छात्रों की अभिवृत्ति	उच्चतर शिक्षा की इच्छा	अध्यापकों की अभिवृत्ति	क्रियान्वयन में कठिनाई का अनुभव
सन्तुष्ट 86·88% असन्तुष्ट 13·12%	सन्तोषजनक 26·67% असन्तोषजनक 73·33%	स्थानीय आवश्यकता 52·63% रोजगार की गुंजाइश 39·28% नौकरी की सुलभता 7·89%	मन से 39·48% प्रयास द्वारा 60·52%	आशावादी 65·02% निराशावादी 34·98%	है 86·84% नहीं 13·16%	सन्तोषजनक 78·94% असन्तोषजनक 21·06	है 52·63% नहीं 47·37%

76% अभिभावकों ने अपने पाल्यों को उच्च-शिक्षा दिलाने की इच्छा व्यक्त की है। 24% अभिभावक इसके विपरीत किसी ट्रेड्स से जुड़े रहने के बारे में सोचते हैं। 76% अभिभावकों ने बताया कि उनके पाल्यों ने अपनी इच्छा से ट्रेड का चुनाव किया है, किन्तु 24% पाल्यों के अभिभावकों ने अपने पाल्यों की इच्छानुसार ट्रेड न मिलने की बात भी बतायी है।

70% पाल्यों की इच्छा का आधार तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना है तथा 30% पाल्यों ने नौकरी पाने की इच्छा से व्यावसायिक शिक्षा को आधार बनाया है।

56% अभिभावकों ने अपने पाल्यों के भविष्य के सम्बन्ध में निश्चित दिशा पर विचार किया है किन्तु 44% अभिभादक इस दिशा में अनिश्चित राय रखते हैं। सारणी नं० 2 के द्वारा प्रधानाचार्यों से प्राप्त व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित है—

व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा दिये गये प्रशिक्षण से 86 88% प्रधानाचार्यों ने सन्तुष्टि दिखायी है जबकि 13·12% प्रधानाचार्य अपने विद्यालय के अध्यापकों के पठन-पाठन से असन्तुष्ट दिखायी दिये।

26·67% प्रधानाचार्यों ने व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति के सम्बन्ध में सन्तोषजनक अभिवृत्ति व्यक्त की। 73·33% प्रधानाचार्यों ने इसकी स्थिति पर असन्तोषजनक और निराशाजनक अभिवृत्ति का प्रदर्शन दिया।

52·63% प्रधानाचार्यों ने ट्रेड्स का आधार स्थानीय आवश्यकता बताया। 39·28% प्रधानाचार्यों ने इस सम्बन्ध में रोजगार की गुंजाइश के प्रकरण पर प्रकाश डाला तथा 7·89% प्रधानाचार्यों ने ट्रेड्स का आधार नौकरी की सुलभता माना है।

इसके अतिरिक्त 39·48% प्रधानाचार्यों ने व्यवसाय के चयन के सम्बन्ध में इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि व्यवसाय छात्रों ने अपने मन से चुना है किन्तु 60·52% प्रधानाचार्यों ने स्वीकार किया है कि इस दिशा में उन्हें सक्रिय प्रयास करना पड़ता हैं तथा प्रयास के द्वारा व्यवसाय में छात्रों का प्रवेश कराया जाता है।

65·02% प्रधानाचार्यों के कथनानुसार व्यवसाय में छात्रों की अभिवृत्ति आशावादी होती है परन्तु 34·98% प्रधानाचार्यों ने इस सम्बन्ध में निराशावादी दृष्टिकोण की बात की है।

86·84% प्रधानाचार्य इस बात से सहमत हैं कि छात्र उच्चतर शिक्षा की इच्छा रखते हैं किन्तु 13·16% प्रधानाचार्यों ने इसके विपरीत मत व्यक्त करते हुए कहा है छात्र जब इस धारा में आ जाते हैं तो इसे छोड़ कर जाने पर वे न इस ओर के होगे और न उस ओर के।

सारिणी नं० 3

व्यावसायिक शिक्षा-अभिवृत्ति-मापिनी-पृच्छा प्रपत्र (छात्रों के लिए)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
छात्र	कक्षा	हाईस्कूल का परीक्षाफल	मूल स्थान	अभिभावक का व्यवसाय	अभिभावक की मासिक आय	ट्रेड	ट्रेड पसन्द का कारण	भविष्य की योजना	ट्रेड का चुनाव	विश्व-विद्यालय में पढ़ाई की इच्छा	ट्रेड की पढ़ाई से सन्तुष्टि
बालक 40%	XI th 52%	Ist 16%	शहर 30%	कृषि 28%	1000 से कम 54%	वांछित 48%	स्वतः रोजगार 60%	रोजगार 18%	स्वेच्छा से 82%	हाँ 54%	हाँ 70%
		II nd 54%	कस्बा 26%	व्यापार 18%	1000 से 2000 26%	लिया गया 12%	नौकरी 8%	नौकरी 24%		नहीं 16%	नहीं 26%
बालिका 60%	XII th 48%	III rd 30%	ग्रामीण 54%	नौकरी 54%	2000 से ऊपर 20%	अनिश्चित 50%	अनि० 32%	आगे की पढ़ाई 58%	दबाव से 18%	अनि० 30%	अनि० 4%

इसके अतिरिक्त 78·94% प्रधानाचार्यों ने अध्यापकों की अभिवृत्ति पर सन्तोष व्यक्त किया है परन्तु 21·06% प्रधानाचार्यों ने व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति को यथेष्ट स्तर का नहीं पाया है।

व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन में 52·63% प्रधानाचार्यों ने कठिनाई का अनुभव किया है किन्तु 47·37% प्रधानाचार्यों ने व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन में कठिनाइयों का विशेष अनुभव नहीं किया है।

इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण विवरण से उत्तर प्रदेश के आठ मण्डलों के विभिन्न व्यावसायिक विद्यालयों में वहाँ के प्रधानाचार्यों की व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित अभिवृत्ति वांछित दिशा में अग्रसर हैं।

छात्रों के माध्यम से जो सूचनायें प्राप्त हुईं उनका विवरण सारिणी नं० 3 के अनुसार इस प्रकार है—

सभी मण्डलों में बालिकाओं की संख्या बालकों की अपेक्षा अधिक है। बालक 40% हैं तथा बालिकायें 60% हैं।

मण्डलों की सामूहिक रूपरेखा में कक्षा के सम्बन्ध में जो बात उभर कर सामने आयी है, वह यह कि कक्षा 12 की अपेक्षा विद्यार्थी कक्षा 11 में अध्ययनरत हैं जिनसे पृच्छा-पत्र द्वारा जानकारी प्राप्त की गयी हैं। कक्षा 11 में 52% तथा कक्षा 12 में 48% छात्रों की, अर्थात् इस दिशा की उपयुक्त पाते हुए उनकी शिक्षा में उनकी संख्या बढ़ी है। यह उनकी धनात्मक अभिवृत्ति का परिचायक है।

हाईस्कूल की परीक्षा में 54% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी, 30% विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में तथा 16% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हैं।

अधिकांश विद्यार्थी मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्ध रखते हैं, इनकी संख्या 54% है। 26% विद्यार्थी कस्बे तथा 20% विद्यार्थी शहर के रहने वाले हैं।

इन छात्रों के अभिभावकों का व्यवसाय अधिकतर नौकरी है। नौकरी करने वाले अभिभावकों की संख्या 54% है, कृषि में लगे हुए अभिभावकों की संख्या 28% तथा व्यापार से सम्बन्ध रखने वाले अभिभावकों की संख्या 18% है।

अभिभावकों की मासिक आय के सम्बन्ध में जो ब्यौरा उभर कर सामने आया है उनमें 54% अभिभावक ऐसे हैं जिनकी मासिक आय रु० 1000 से कम है। रु० 1000/- से रु० 2000/- के मध्य मासिक आय के अभिभावकों की संख्या 26% है तथा रु० 2000/- से ऊपर की मासिक आय वाले अभिभावक केवल 20% हैं।

इसके अतिरिक्त 48% विद्यार्थियों ने मनोवांछित ट्रेड लिये हैं। 12% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें वांछित ट्रेड के स्थान पर दूसरे ट्रेड लेने पड़े हैं। 50% विद्यार्थियों ने ट्रेड के सम्बन्ध में कोई राय नहीं दी। इसके साथ ही 60% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने स्व-रोजगार के विचार को महत्वपूर्ण माना है। 32% विद्यार्थी इस सम्बन्ध में अनिश्चित राय रखते हैं तथा 8% विद्यार्थियों ने नौकरी की इच्छा व्यक्त की हैं।

भविष्य की योजना के दृष्टिकोण से "व्यावसायिक शिक्षा को महत्व देने के कारण" में, जो अभिव्यक्तियाँ सामने आयी हैं उनमें 24% विद्यार्थियों ने नौकरी के क्षेत्र में प्रवेश को आशावादी दृष्टिकोण से लिया हैं। इसके पश्चात् स्वयं रोजगार की समस्याओं को हल करने के पक्ष में 18% विद्यार्थी हैं। केवल 58% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने पूर्व के दोनों पक्षों से हटकर अपनी रुचि आगे की पढ़ाई में बतायी है।

इनमें 82% विद्यार्थियों ने ट्रेड का चुनाव अपनी इच्छा से किया है तथा 18% विद्यार्थियों ने दबाव में आकर, 54% विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय में पढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। 16% छात्रों ने इस विषय के अध्ययन के प्रति नकारात्मक अभिव्यक्ति दी है तथा 30% विद्यार्थियों की राय अनिश्चित रही।

70% विद्यार्थियों ने अपने ट्रेड की पढ़ाई से सन्तुष्टि की भावना व्यक्त की है, 26% विद्यार्थियों में असन्तुष्टि परिलक्षित हुयी तथा 4% विद्यार्थियों ने कोई राय नहीं दी है।

निष्कर्ष

सम्पूर्ण विश्लेषण के पश्चात् मुख्य बिन्दुओं को परिणामस्वरूप इस प्रकार देखा जा सकता है—

(1) व्यावसायिक शिक्षा के प्रति छात्रों, अभिभावकों तथा प्रधानाचार्यों की अभिवृत्ति सकारात्मक है।

(2) तीनों समूहों से आशावादी दृष्टिकोण प्राप्त हुए हैं।

(3) बालिकाओं की संख्या बालकों से अधिक है जिसका मुख्य कारण विद्यालयों में ऐसे व्यवसायों का होना है जिनकी ओर बालिकाओं की विशेष रुचि होती है।

(4) व्यावसायिक शिक्षा में होने वाले अभावों से तीनों समूह सहमत हैं तथा कठिनाई भी अनुभव करते हैं।

(5) छात्रों तथा अभिभावकों ने उच्च शिक्षा के पक्ष में अपने विचारों को व्यक्त किया है। किन्तु प्रधानाचार्यों ने इस पक्ष में कोई विशेष राय नहीं दी।

सुझाव

(1) व्यावसायिक विद्यालयों में ऐसी सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए जिससे छात्रों तथा अध्यापकों को शिक्षा में अधिक रुचि लेने में आसानी हो।

(2) व्यावसायिक शिक्षा में अधिक सन्तोषजनक स्थिति लाने के लिए निपुण तकनीकी शिक्षकों की नियुक्तियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

(3) निर्मित वस्तुओं के क्रय-विक्रय में कुछ प्रतिशत का लाभ छात्रों को भी मिलना चाहिए जिससे इस विषय में छात्रों की रुचि का पुनर्वलन हो सके।

(4) व्यवसायों के ट्रेड्स बढ़ने चाहिए, उनमें ऐसे व्यवसाय भी शामिल होने चाहिए जिनकी ओर बालकों की रुचि बढ़ सके। क्योंकि उपर्युक्त विश्लेषण में बालिकाओं की संख्या अधिक होने का मुख्य कारण यही है कि अधिकतर व्यवसायों में बालिकाओं की विशेष रुचि रहती है क्योंकि वे व्यवसाय बालिकाओं की दैनिक चर्या में अत्यन्त सहायक होते हैं।

(5) क्षमताओं की जानकारी के आधार पर व्यवसायों का चयन विद्यार्थियों को अधिक सक्रिय एवं उद्देश्यपूर्ण बना सकता है।

यदि उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखा जाये तो निश्चय ही देश में व्यावसायिक-शिक्षा को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ विद्यार्थियों को निश्चित दिशा निर्धारित करने में आसानी रहेगी।

अध्ययन हेतु सुझाव

अनुदैर्ध्य अध्ययन की तुलना के लिए आवश्यकता है ताकि आये निष्कर्षों का पोषण और सत्यापन सिद्ध हो सके।

———

25

एकीकृत छात्रवृत्ति सम्बन्धित आवासीय सुविधा प्राप्त छात्रों के बौद्धिक और वैयक्तिक गुण-धर्मों का अध्ययन

प्रस्तावना

छात्रों के सर्वाङ्गीण विकास के लिए शासन द्वारा जून 1976 से एकीकृत छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ की गई जिसके आधार पर छात्रों को आवासीय सुविधा के साथ-साथ छात्र-वृत्ति भी देने का प्रावधान है। प्रत्येक वर्ष कक्षा सात की वार्षिक परीक्षा में 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करके कक्षा 8 में अध्ययन करने वाले छात्र एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक जनपद में, जिला विद्यालय निरीक्षक की देखभाल में यह परीक्षा, प्रत्येक वर्ष 21 मई को, चार विषयों, हिन्दी भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, में होती है। प्रत्येक जनपद के प्रत्येक विकास-खंड से दो-दो छात्रों को चयनित करने के साथ-साथ, प्रदेश स्तर के योग्यता-क्रम के प्रथम 15 छात्रों को भी छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। एकीकृत परीक्षा द्वारा चयनित छात्र आवासीय विद्यालयों में अध्ययन करते समय यदि विद्यालय के छात्रावास में रहता है, तो उसे रुपये 100-00 प्रतिमास की छात्रवृत्ति दी जाती है एवं गार्जियन ट्यूटर द्वारा सुबह, शाम सभी विषयों में विशेष अध्ययन की सुविधा प्राप्त करता है। आवासीय विद्यालयों के छात्रावास से बाहर वाले छात्रों को गार्जियन ट्यूटर द्वारा शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा निःशुल्क तो प्राप्त हो जाती है किन्तु उन्हें छात्रवृत्ति 50-00 रुपये प्रतिमाह ही मिलती है। अब छात्रवृत्ति सत्र में 10 माह तक ही दी जाती है।

इन आवासीय छात्रों के सर्वाङ्गीण विकास के लिए सभी प्रकार की सुविधायें प्रदान की जाती हैं। मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए, मनोवैज्ञानिक वातावरण, मनो-वैज्ञानिक परीक्षण, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श, खेलकूद, व्यायाम, योगासन,

पाठ्येतर क्रिया-कलापों पर विशेष बल दिया जाता है। छात्रों के व्यक्तित्व के विकास के लिए समुचित वातावरण रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इन प्रस्तुत अध्ययन का प्रयोजन इन आवासीय सुविधा-प्राप्त छात्रों के बौद्धिक और वैयक्तिक गुण-धर्मों का अध्ययन करना और यह देखना है कि इन सुविधाओं का लाभ उन्हें उनके विकास में किस प्रकार सहायक है।

उद्देश्य

इस अध्ययन का उद्देश्य एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा द्वारा चयनित छात्रों का बौद्धिक स्तर, बौद्धिक स्तर के अनुसार अध्ययन में प्रगति की स्थिति, व्यक्तित्व तथा उसके विकास की दशा का अध्ययन करना है।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

इस प्रकार के शोध अध्ययन इंग्लैण्ड एवं अमेरिका में हुए हैं। आरगन विश्वविद्यालय में 811 छात्रों में प्रवेश देकर डगलस तथा सीगल ने यह निष्कर्ष प्राप्त किये कि शैक्षिक सम्प्राप्ति परीक्षण एवं कालेज प्रवेश परीक्षणों में सह-सम्बन्ध 0·50 से 0 70 तक मिलता है जो सम्प्राप्ति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एवं सार्थक है। उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञानशाला के डॉ० वी० के० गुप्ता, पी० दयाल, डॉ० प्रकाश तथा के० पी० सिंह ने इस प्रकार के छात्रों का अध्ययन किया है जिनके अनुसार यह निष्कर्ष मिले कि आवासीय छात्रों के विभिन्न विषयों हिन्दी भाषा, गणित, विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन का सह-सम्बन्ध, भाटिया बैटरी, एस० बी० ·00 से ·45 तक पाया गया। हाईस्कूल में सफलता का पूर्वाभास देने में बी० पी० टी० 13, 14 की अपेक्षा डी० ए० टी० अच्छे परिणाम देता है। डॉ० बी० के० गुप्ता के अध्ययन से निष्कर्ष निकला कि एकीकृत परीक्षा द्वारा चयनित आवासीय छात्रों का परीक्षाफल सामान्य छात्रों से हाईस्कूल परीक्षा में अच्छा था। किन्तु एकीकृत परीक्षा के प्रश्न-पत्रों में और सुधार की आवश्यकता है।

परिकल्पना

यह परिकल्पना की गई हैं कि आर्थिक सहायता, अनुकूल वातावरण एवं अनुभवी, ट्यूटर गार्जियन के देखरेख में आवासीय छात्रों की शैक्षिक सम्प्राप्ति अच्छी होती है तथा इन आवासीय छात्रों के व्यक्तित्व का विकास भी सुचारु रूप से होता है।

शोध अध्ययन विधि

(1) न्यादर्श उत्तर प्रदेश के सभी 29 आवासीय विद्यालयों में 1987-88 से 1989-90 तक चयनित आवासीय छात्रों को जिनका मनोवैज्ञानिक परीक्षण हुआ है न्यादर्श में सम्मिलित किया गया जिनकी संख्या 1137 रही। इसमें प्रदेश के सभी मण्डलों का प्रतिनिधित्व है।

(2) प्रत्येक मण्डल के मण्डलीय मनोवैज्ञानिकों द्वारा अपने परिक्षेत्र के आवासीय छात्रों के अंक एकत्र किये गये।

प्रदत्त विश्लेषण एवं विवेचन

प्रदेश भर से प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण निम्नलिखित है—

तालिका—1

बौद्धिक स्तर के अनुसार छात्रों की संख्या

उच्च	सामान्य से उच्च	सामान्य	सामान्य से कम	निम्न स्तर	योग
175	350	577	28	07	1137

तालिका—2

हाईस्कूल परीक्षा के अनुसार परीक्षाफल, श्रेणी एवं संख्या अनुसार प्रतिशत

	प्रथम श्रेणी	द्वितीय	तृतीय	अनुत्तीर्ण कक्षा 10	सम्मिलित कक्षा 10 योग
योग	354	179	07	20	560
प्रतिशत	63.21	31.96	1·25	3·57	100 00

तालिका—3

बोर्ड परीक्षा में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या

हिन्दी भाषा	अंग्रेजी भाषा	गणित	विज्ञान	जीव विज्ञान	सामा० विज्ञान	आर्ट
15	16	132	76	130	10	02

तालिका —4

व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर निर्देशन व परामर्श की आवश्यकता वाले छात्रों (विचलनोन्मुखी) का विवरण

फैक्टर	स्टेन 1 एवं 2	विशेष	स्टेन 9 एवं 10	विशेष
ए	65		18	
बी	48	×	35	×
सी	38		40	×
डी	41		31	
ई	31	×	44	
यफ	88		19	×
जी	80		26	×
एच	61		33	×
आई	32	×	42	अभिभावक स्तर पर निर्देशन
जे	24	×	45	
ओ	20	×	52	
क्यू 2	41		51	
क्यू 3	91	—	24	×
क्यू 4	23		40	

टिप्पणी

पंक्ति में × लगे विषयों पर छात्रों को निर्देशन की आवश्यकता नहीं थी किन्तु रिक्त स्थान वाले समस्या में छात्रों की उस बिन्दु से सम्बन्धित समस्याओं पर निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता को समझ कर प्रभावी कदम उठाने की सलाह दी गई।

निष्कर्ष

अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए—

(1) आवासीय छात्रों का हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा का परीक्षाफल, आशा के अनुकूल रहा (तालिका 2 एवं तालिका 3)।

(2) व्यक्तित्व —एच० एस० पी० क्यू०, परीक्षण के आकार पर ए फैक्टर से लगाकर क्यू 4 में स्टेन 1 एवं 2 के अनुसार 91 छात्रों तथा स्टेन 9 एवं 10 के अनुसार 52 छात्रों को निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता थी। अतः इन बिन्दुओं पर प्रदेश के मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्रों के मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्देशन एवं परामर्श देने का कार्य किया जाय।

(3) इस शोध अध्ययन के निष्कर्ष इससे पूर्व हुए अध्ययनों के अनुरूप हुए हैं कि आवासीय छात्र सामान्य छात्रों की अपेक्षा अधिक लगन, शक्ति, परिश्रमी, बुद्धि एवं वैयक्तिक गुणों से युक्त हैं। इस प्रकार परिकल्पना की स्वीकृति प्राप्त होती है।

(4) कक्षा 8 स्तर पर होने वाली एकीकृत परीक्षा द्वारा 3·07 प्रतिशत छात्र ऐसे भी चयनित हुए थे जो सामान्य से कम बौद्धिक स्तर के थे। यही कारण था कि हाईस्कूल परीक्षा में 3·57 प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण रहे।

अनुसरण कार्य

उपर्युक्त शोध अध्ययन के आधार पर यह पाया गया कि :

(1) 5 प्रतिशत छात्रों को विशेष रूप से निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता है। यह परिणाम मनोविज्ञानशाला और मंडलीय मनोविज्ञान केन्द्रों के लिए विशेष रूप से लाभदायी हैं और इनके आधार पर आगामी वर्षों में इन छात्रों के निर्देशन और परामर्श का कार्य और सघन रूप से चलाया जाएगा।

———

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-7709
Date 01-09-93

NIEPA DC
D07709